Preservation Unit
12-8-84
Fumigated
On 8.2.84
Parliament Library

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[बारहवां सत्र]

[Twelfth Session]

31.3.71

सत्यमेव जयते

[खंड 46 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XLVI contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक—12, बुधवार, 25 नवम्बर, 1970/4 अग्रहायण, 1892 (शक)
No.—12, Wednesday, November 25, 1970/Agrahayana 4, 1892 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
331. पश्चिम बंगाल में मध्यावधि चुनाव	Mid Term Poll in West Bengal	1—7
332. नियंत्रित कपड़े के मूल्यों में वृद्धि करने के लिये सूती कपड़ा उद्योग की मांग	Demand by Textile Industry for Upward Revision of Prices of Controlled Cloth	7—11
334. निर्यात सम्बन्धी दायित्वों को पूरा करने में अफसल औद्योगिक गृहों के विरुद्ध कार्यवाही	Action against Industrial Houses Failing to fulfil Export Obligations	11—13
337. भाखड़ा रिहन्द तथा राणा प्रताप सागर बांधों से बिजली की सप्लाई	Electricity Supply from Bhakra Rihand and Rana Pratap Sagar Dams	13
338. हिमाचल प्रदेश को न्यायिक अधिकारियों का आवंटन	Allocation of Judicial Officers to Himachal Pradesh	14
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**	
335. केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त का सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार सम्बन्धी वक्तव्य	Statement of Central Vigilance Commissioner Re. Corruption in Government Departments	14—15

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
336. अमरीका से रूई की खरीद	Purchase of Cotton from USA	15
339. भारत और बुल्गारिया के बीच व्यापार बढ़ाने के लिये संयुक्त आयोग की स्थापना	Setting up of Joint Commission for Expanding Trade between India and Bulgaria	15—16
340. रांची में साम्प्रदायिक दंगों के लिये जिम्मेदार तत्व	Factors Responsible for Communal Riot in Ranchi	16
341. नई अमरीकी नीति के कारण भारत के निर्यात व्यापार में वृद्धि	increase in India's Export Trade due to New American Policy	16—17
342. राज्यपालों द्वारा अपने स्थानान्तरण के लिये अनुरोध	Requests of Governors for Transfer	17
343. रूस के साथ होने वाले आयात/निर्यात व्यापार के बारे में अध्ययन	Study of Import/Export trade with Soviet Union	17
344. संयुक्त परामर्श दात्री व्यवस्था का सांविधिक निकाय के रूप में परिवर्तन	Conversion of Joint Consultative Machinery into a Statutory Body	17—18
345. राष्ट्रीय एकता परिषद् द्वारा की गई प्रगति	Progress made by National Integration Council	18—19
3 6. सरकारी क्षेत्र में काजू निगम	Cashew Corporation in Public Sector	19
347. कलकत्ता में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सीमा सुरक्षा दल का तैनात किया जाना	Development of Central Reserve Police and Border Security Force in Calcutta	19—20
348. कलकत्ता में छुरेबाजी से मारे गये पुलिस अधिकारियों, पुलिस क्लर्कों और कार्यालयों कर्मचारियों का ब्यौरा	Details of Police Officials including Police Clerks and Office Staff Stabbed to death in Calcutta	20
349. नक्सलवादी नेता चारू मजूमदार की धमकियां	Threat by Naxalite Leader, Charu Mazumdar	20—21

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
350. अमरीकी ढंग पर गावों में बिजली लगाने के लिये सहकारी विद्युत समिति का गठन	Constitution of Co-operative Electricity Committee for Rural Electrification on American Patern	21
351. निर्यात के लिये तम्बाकू की मात्रा तथा लाइसैंसों में वृद्धि	Increase in Number of Licences and quantity for Export of Tobacco	22
352. तम्बाकू निगम की स्थापना	Setting up of a Tobacco Corporation	22
353. 1966 में गिरफ्तार किए गए गौ भक्तों के विरुद्ध अदालती मामले	Prosecution cases against Cow Devotees arrested in 1966	22
354. पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को वापस बुलाया जाना	Recall of West Bengal Governor	22—23
355. संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन	Administrative Reforms Commission Report on Union Territories Administration	23
356. सरकार का विकासशील देशों में पूंजी लगाने का निर्णय	Governments Decisions to Invest in Developing Countries Abroad	24
357. राज्य व्यापार निगम के माध्यम से रूस और पूर्वी यूरोप के कम्युनिस्ट देशों के साथ व्यापार करने के बारे में संसद सदस्यों की मांग	Demand from M.Ps. for Trade with Russia and East European Communist Countries through STC	24
358. आन्ध्र प्रदेश में जल निकास की योजनाएं	Schemes for Drainage Work in Andhra Pradesh	25
359. महाराष्ट्र में पेन्च पनबिजली परियोजना की मंजूरी देने में योजना आयोग द्वारा विलम्ब	Delay by Planning Commission in sanctioning PENCH Hydel Project in Maharashtra	25—26
360. हड़ताल के दौरान दुर्गापुर में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस सीमा सुरक्षा दल और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल तैनात करना	Deployment of CRP BSF and CISF at Durgapur during Strike	26

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
अतारांकित प्रश्न संख्या		
U. S. Q. Nos.		
2187. विदेशों में अपनी भारतीय नागरिकता से वंचित भारतीय	Indians Abroad who lost their Indian Citizenship	26—28
2188. फिल्म निर्माता द्वारा आयातित कच्ची फिल्म की चोर बाजारी	Film Producer Found selling Imported Raw Film in Black Market	28—29
2189. केरल स्थित इड्डिकी पन बिजली परियोजना में हड़ताल	Strike in Idikki Hydro-Electric Project, Kerala	29—30
2190. पूंछ सीमा पर रहने वाले पाकिस्तानी एजेंटों के घरों पर छापे	Raid on Houses of Pakistani Agents living in Poonch Border	30
2191. अफगानिस्तान और ईरान से मेवों का आयात	Import of Dry Fruits from Afghanistan and Iran	30—31
2193. सिंचाई तथा विद्युत परियोजना के लिये राज्यों को सामूहिक ऋणों/अनुदानों का आधार	Basis of Block Loans/Grants to States for Irrigation and Power Projects	31—32
2194. बदरपुर तापीय विद्युत परियोजना के पूरा होने में विलम्ब	Delay in Completion of Badarpur Thermal Project	32—33
2195. विदेशों में लाटरी टिकट बेचने का प्रस्ताव	Proposal to sell Lottery Tickets Abroad	33—34
2196. प्राकृतिक रूई का मूल्य	Price of Natural Cotton	34
2197. सरकारी क्षेत्र में नाइलोन वस्त्र संयंत्र	Nylon Fabric Plants in Public Sector	34
2198. पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिये एकीकृत प्रयास किये जाने के बारे में समन्वित निकाय की स्थापना	Setting up of a Co-ordinated Body for Unified approach towards Development of North Region	34—35

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2199. औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी लगाना	Investment in Industrial Sector	35
2200. गुजरात, उत्तर प्रदेश, आसाम आदि के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य तथा वित्तीय सहायता की राशि	Relief Operations in Flood affected Areas of Gujarat, U. P. Assam etc.	35—36
2201. निर्धन की सहायता हेतु भारतीय दण्ड संहिता में परिवर्तन	Changes in Indian Penal Code to help the Poor	36
2202. टायर निर्माताओं द्वारा देशी उत्पादकों से कच्चा रबड़ खरीदे जाने की शिकायत	Complaints against Tyre Manufactures Re : Purchase of Raw Rubber	36
2203. मनीपुर में मध्यावधि चुनाव	Mid Term Election in Manipur	36—37
2204. दिल्ली नगर निगम के चुनाव	Delhi Municipal Corporation Elections	37
2205. दिल्ली के लिये सपरिषद् महापौर	Mayor in Council for Delhi	37
2206. पश्चिम बंगाल के बाढ़ पीडितों के लिये सहायता उपाय	Relief Measures for Flood Affected people of West Bengal	38
2208. सुरक्षात्मक उपायों की लागत के बाढ़ों द्वारा अधिक वार्षिक क्षति	Annual damage by Flood Exceeding Cost of Protective Measures	38—39
2209. मंत्रालयों द्वारा नये प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु योजना आयोग द्वारा मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित करना	Guidelines Set by Planning Commission for Ministries for forwarding New Proposals	39
2210. पंजाब सरकार द्वारा फाजिल्का तथा अबोहर क्षेत्रों के विकास की अपेक्षा करने के लिये इन क्षेत्रों की जनता से शिकायतें	Complaints from people of Fazilka and Abohar areas for neglecting development of the areas by Punjab Government	39—40
2211. विदेशी एजेंसियों को ठेके पर दी गई परियोजनायें	Projects under Contracts of Foreign Agencies	40

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2212. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नाम दिल्ली नगर निगम की बकाया राशि	Dues of Delhi Municipal Corporation Outstanding against R. S, S.	40—41
2213. कलकत्ता पत्तन की भाण्डागार सुविधा	Storage Facilities at Calcutta Port	41
2214. दामोदर घाटी निगम के बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण पश्चिम बंगाल के हुगली जिले की बर्दवान और आराम बाग सब डिवीजन में बाढ़	Floods in Burdwan and Arambagh Subdivision of Hooghly District of West Bengal owing to Release of Water from DVC Dams	41—42
2215. बम्बई में साम्प्रदायिक दंगों के दौरान हताहत व्यक्ति	Persons killed and injured during Communal riots in Bombay	42
2216. भाषायी अल्प संख्यकों के आयुक्त द्वारा पंजाब के लिये निदेश जारी करने के बारे में सिफारिश	Recommendation by Commissioner for Linguistic Minorities re: issuing of Direction to Punjab	43
2217. महातरे पेन एण्ड प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज (प्राईवेट) लिमिटेड, बम्बई को दिए गए आयात लाइसेंस	Import Licences to Mhatre Pen and Plastic Industries (Private) Ltd. Bombay	43
2218. विदेशों में गैर सरकारी पूंजी लगाने के बारे में नीति	Policy for Private Capital Investment Abroad	43—44
2219. सस्ते टेलीविजन सेटों का छोटे उद्यमियों द्वारा निर्माण	Manufacture of Cheap T. V. sets by Small Entrepreneurs	44
2221. चण्डीगढ़ स्थित केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन के सहायक निदेशक के विरुद्ध की गई कार्यवाही	Action taken against Assistant Director of Central Scientific Instruments Organisation, Chandigarh	44—45
2222. दिल्ली सिविक वित्तीय जांच आयोग द्वारा की गई सिफारिश	Recommendations made by Delhi Civic Finances Inquiry Commission	45—47
2224. गोआ में विदेशी मुद्रा की जालसाजी के गिरोह का पता लगाना	Unearthing of Foreign Exchange Racket in Goa	47

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2225.	विदेशी मुद्रा के बारे में महानगरों में चल रही जालसाजी	Foreign Exchange Racket Operating in Metropolitan Cities	47—48
2226.	भूतपूर्व शासकों को निजी थैली के रूप में दी गई राशि	Amount paid as Privy Purses to former Rulers	48
2 27.	चम्बल के बीहड़ों में सड़कों का निर्माण	Laying of Roads in Chambal Ravines	48
2228.	राजस्थान में भारत के भूतपूर्व राज्यों से शासकों से करों की वसूली	Collection of Tax from Rulers of Former Indian States in Rajasthan	49
2229.	राष्ट्रीय रबर उद्योग की उन्नति	Promotion of National Rubber Industry	49—50
2230.	भारत इलेक्ट्रोनिक्स द्वारा ग्लास बल्वों के उत्पादन के लिये संयुक्त अरब गणराज्य और यूगोस्लाविया के साथ करार	Agreement with UAR and Yugoslavia for Production of Glass Bulbs by Bharat Electronics	51
2231.	राष्ट्रीय सूती कपड़ा निगम द्वारा मिलों को अपने हाथ में लेना	Mills taken over by National Textile Corporation	51
2233.	राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों द्वा·ा एक मशीन का आविष्कार	Invention of a Machine by Scientists of National Physical Laboratory	51—52
2234.	हथकरघा बुनकरों के बच्चों को प्रशिक्षण देना	Training to the Wards of Handloom Weavers	52
2235.	बम्बई की मिलों में हड़ताल के कारण कपड़े के उत्पादन में हानि	Loss in Cloth Production due to Strikes in Bombay Mills	52—53
2236.	इन्टरनेशनल बिजनेस मशीन्स के लाइसेंस का नवीकरण	Renewal of Licence of International Business Machines	53
2237.	सूती कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण के लिये ऋण सम्बन्धी सुविधाएं	Credit Facilities for Modernisation of Textile Mills	53—54

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2238. नक्सलवादी नेता चारू मजूमदार की सम्पत्ति का जब्त किया जाना	Seizure of Naxalite Leader Charu Mazumdar's Property	54
2239. ईराक में एक सीमेंट कारखाने की स्थापना	Setting up of a Cement Unit in Iraq	54—55
2241. दुर्गापुर में सी०आर०पी० के एक सिपाही की हत्या	Murder of a CRP Constable at Durgapur	55
2242. 1971 की जनगणना के आंकड़े तैयार करने के लिये कम्प्यूरों का उपयोग किया जाना	Utilisation of Computers in Processing Census data for 1971 Census	55—56
2243. हथकरघा उत्पादों के मूल्यों में गिरावट	Decline in Prices of Handloom Products	56
2244. सिंचाई कार्यों के लिये सस्ते पम्पिंग सैट्स तथा डीजल इन्जनों की सप्लाई	Supply of Cheap Pumping Sets and Diesel Engines for Irrigation Purposes	56
2245. भारतीय इलैक्ट्रानिक्स निगम के माध्यम से सरकारी क्षेत्र में कम्प्यूटरों का बनाया जाना	Manufacture of Computers in Public Sector through Electronics Corporation of India	57
2246. राज्यपालों की स्वविवेकीय शक्तियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करने के लिये संविधान में संशोधन	Amendment of Constitution to Specify Discretionary Powers of Governor	57
2247. कपास के समर्थन मूल्य में वृद्धि	Increase in Price Support of Cotton	57—58
2248. सहारनपुर जिले में तीन हरिजनों की हत्या	Murder of Three Harijans in Saharanpur District	58
2249. कावेरीजल विवाद के बारे में न्यायाधिकरण	Tribunal on Cauvery Water Dispute	58—59
2250. भ्रष्टाचार उन्मूलन करने के उपाय	Steps to Eradicate Corruption	59—60

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2251.	सीधे व्यापार से राज्य व्यापार निगम की वापसी के कारण रेयन के निर्यात में कमी होना	Set Back in Rayon Exports due to withdrawal of STC from Direct Trading	60
2252.	व्यास बहुप्रयोजनीय परियोजना से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लिये पानी तथा बिजली की व्यवस्था	Provision of Water and Power from Beas Multi Purpose Project to Punjab Haryana and Rajasthan	61
2253.	कलकत्ता में पंडित ईश्वर चन्द्र विद्यासागर तथा आचार्य प्रफुल्ल चन्द राय की मूर्तियों को खण्डित करना	Desecration of Statues of Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar and Acharya Prafulla Chandra Ray in Calcutta	61—62
2254.	सत्तारूढ़ कांग्रेस का पटना अधिवेशन के प्रबन्ध के लिये केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का कथित प्रयोग	Alleged use of CRP for Managing Patna Session of Congress (R)	62
2257.	उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन	Re-organisation of Uttar Pradesh	62
2258.	खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा जापान के साथ स्टेनलेस स्टील की चादरों तथा पट्टियों के लिये व्यापार	Deal of Stainless Steel Sheets and Strips with Japan through M. M. T. C.	63
2259.	उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा विवाद	Boundary dispute between Uttar Pradesh and Bihar	63
2260.	हैदराबाद में पुलिस सम्मेलन	Police Conference at Hyderabad	64
2261.	चौथी योजना में राज्यों द्वारा नियतनों तथा वास्तविक निवेशों के बीच अन्तर	Gaps between Allocations and Actual Investments by States during Fourth Plan	64
2262.	पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार और सैनिक अधिकारियों के बीच बातचीत	Discussion between West Bengal Government and Army Authorities Re. Law and Order in West Bengal	65

तारा० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2263. चौथी योजना के विकास कार्यक्रमों के लक्ष्यों का पुनःरीक्षण	Revision of Targets for Development Programme in Fourth Plan	65
2264. दिल्ली पुलिस द्वारा मामलों को दर्ज न किये जाने की शिकायत	Complaints of non Registration of Cases by Delhi Police	65—66
2265. दिल्ली में लड़कियों का अपहरण	Kidnapping of Girls in Delhi	66—67
2266. रूस तथा संयुक्त अरब गणराज्य द्वारा गोहाटी के बाजार से चाय क्रय करने सम्बन्धी निर्णय	Decision to buy Tea from Gauhati Market by USSR and UAR	67
2267. गोहाटी को अन्तर्राष्ट्रीय चाय नीलामी केन्द्र बनाने सम्बन्धी प्रस्ताव	Proposal to Make Gauhati an International Tea Auction Centre	67
2268. बिजली की सप्लाई में व्यवधान के बारे में सिंचाई तथा विद्युत आयोग की चिन्ता	Frequent Interruption in Electrical Supply	67—68
2269. ब्रह्मपुत्र गंगा जल संधि	Brahmaputra Ganges Water Treaty	68
2270. श्रीनगर में एक पाकिस्तानी व्यक्ति की गिरफ्तारी	Arrest of a Pakistani in Srinagar	69
2271. नेशनल टी कम्पनी	National Tea Company	69
2272. सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय के अन्तर्गत कर्मचारियों का स्थानान्तरण	Transfer of Staff within Irrigation and Power Ministry	69—70
2274. जम्मू तथा काश्मीर के गैर सरकारी ट्रकों को दिल्ली में आने से रोकना	Stoppage of Entry of Private Trucks from Jammu and Kashmir in Delhi	70
2275. हिमाचल प्रदेश, मनीपुर और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिये जाने के बारे में विधान	Legislation Re. Statehood to Himachal Pradesh Manipur and Tripura	70—71

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2276. डमडम हवाई अड्डे पर पुलिस द्वारा रिवोल्वर लिये दो युवकों का पकड़ा जाना	Two Youngs each Carrying a Revolver Intercepted by Police at Dum-Dum	71—72
2277. पश्चिम बंगाल के प्रभागीय आयुक्तों (डिवीज़नल कमिशनर) के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले	Cases of Corruption against Divisional Commissioner of West Bengal	72
2278. 1971 की जनगणना	1971 Census	73
2279. पश्चिम बंगाल सरकार के पुलिस कर्मचारियों और उच्च अधिकारियों पर नक्सलवादियों का प्रभाव	Naxalites Influence Among Police Personnel and High Officials of West Bengal Government	73—74
2280. गिरिडीह में नये बिजली घर की स्थापना का प्रस्ताव	Proposal to Set up a New Power Station at Giridih	74
2281. सोन नदी से सोन नहर को पानी की पर्याप्त सप्लाई	Adequate Supply of Water from Sone River to Sone Canal	74
2282. बिहार में बिजली पैदा करने वाले एककों का उपयोग	Utilisation of Power Generating Units in Bihar	74—75
2283. गलीचों के अस्वों के निर्यात में कमी	Decline in Export of Carpet backing	75—76
2285. मध्य प्रदेश में कोसा उद्योग पर आधारित व्यावसायिक औद्योगिक बस्तियां	Occupational Industrial Estates Based on Kosa Industry in Madhya Pradesh	76
2286. बुरहानपुर ताप्ती मिल्स लिमिटेड, (मध्य प्रदेश) के बारे में जांच	Enquiry into Burhanpur Tapti Mills Ltd. (Madhya Pradesh)	76
2287. कम लागत पर कपड़ा बनाने के लिये नवीनतम मशीनों का लगाया जाना	Installation of Latest Machines for Manufacturing Cloth at Cheaper Rates	76—77
2288. दक्षिण कोरिया और इजराइल के साथ व्यापार	Trade with South Korea and Israel	77
2289. भारत और जापान के मध्य व्यापार	Trade between India and Japan	78

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2291. थुम्बा राकेट केन्द्र को अधिक बिजली की सप्लाई	Increased Supply of Power to Thumba Rocket Station	78
2292. उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के लिये रिक्त स्थानों को भरना	Filling up of Vacancies of Judges in High Courts	78—79
2293. रूस के साथ व्यापार करार	Trade Agreements with USSR	79—80
2294. भारत और बेल्जियम के बीच द्विपक्षीय व्यापार	Bilateral Trade between India and Belgium	80
2295. भारतीय नागरिकों द्वारा अण्डमान दीपों का दौरा	Visit to Andaman Islands by Indian Citizens	80—81
2296. नर बलि के मामले	Cases of Human Sacrifice	81—82
2297. विशाखापत्तनम में संयुक्त अरब गणराज्य के पनडुब्बी कर्मीदल के कुछ सदस्यों की गिरफ्तारी	Arrest of some Members of UAR Submarine Crew at Visakhapatnam	82
2298. अरब युवकों के साथ जेल में दुर्व्यवहार	Ill Treatment of Arab Young Men in Jail	82—83
2299. देश में साम्प्रदायिक स्थिति	Communal Situation in the Country	83
2300. कच्ची पटसन के मूल्य का निर्धारण	Fixation of Price of Raw Jute	83—84
2302. राज्यों की योजनाओं के लिये निधि नियतन के आधार में प्रस्तावित परिवर्तन	Change proposed in Basis of Allocation of Funds for States Plans	84
2303. उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को वापस बुलाया जाना	Recall of Uttar Pradesh Governor	84—85
2304. निर्यात क्षमता पर राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद् की सिफारिशें	Recommendations made by NCAER on Export of Potential	85—88
2305. पिछड़े जिलों का विकास	Development of Backward Districts	88—89
2306. नक्सलवादियों द्वारा पुलिस कर्मचारियों पर किए जा रहे हमलों का भूतपूर्व पुलिस कर्मचारियों द्वारा आयोजन	Attacks on Policemen by Naxalites being Engineered by Ex-police Personnel	89

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2307.	चौथी योजना के दौरान की गई प्रगति का मध्यावधि मूल्यांकन	Mid Term Appraisal of Progress made during Fourth Plan 89
2308.	बिजली के केबलों का निर्यात	Export of Power Cables 89—90
2309.	सिंगापुर में व्यापार मेला	Trade Fair at Singapore 90
2310.	महाराष्ट्र द्वारा भेजी गई सिंचाई योजना	Irrigation Schemes Sent by Maharashtra 90—91
2311.	परमाणु शक्ति के क्षेत्र में भारत और संयुक्त अरब गणराज्य के बीच सहयोग	Co-operation between India and UAR in Field of Atomic Energy 91
2312.	कलकत्ता रिजर्व बैंक में डाका	Robbery in Calcutta Reserve Bank 1—92
2313.	दिल्ली विद्युत प्रदाय के चौकीदार की मृत्यु की जांच	Enquiry into death of Chowkidar in Delhi Electric Supply Undertaking 92
2314.	वैज्ञानिक विभागों के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन	Report of Administrative Reforms Commission on Scientific Departments 92—93
2315.	एक्सपो 70 मेले में जापान की भारतीय लघु उद्योग के उत्पादों की खरीद में रुची	Japan's Inclination to buy Small Industry Products during Expo 70 93
2316.	योजना आयोग द्वारा रोजगार के अवसर बढ़ाने का निर्णय	Decisions taken by Planning Commission to Increase Avenues of Employment 93
2317.	ग्रामीण क्षेत्रों के लिये योजनाएं	Plans for Rural Areas 94
2318.	हिन्द तथा चन्द्र प्रभा बान्धों में जल की कमी के कारण बिजली का संकट	Crisis of Electricity Caused by Scarcity of Water in Hind and Chandra Prabha Dams 94
2319.	कोसी परियोजना विभाग द्वारा गैल्वेनाइज्ड तार की खरीद में घोटाला	Bungling in Purchase of Galvanised Wire by Kosi Project Department 94
2320.	युरोपीय देशों तथा ईरान के साथ व्यापार	Trade with European Countries and Iran 95

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2321. सीमावर्ती राज्यों में पाकिस्तानी ऐजेन्टों का सक्रिय होना	Pakistani Agents active in Border States	95–96
2322. आर्थिक संकटग्रस्त कपड़ा उद्योग को आधुनिक बनाने के लिये वित्तीय संस्थानों और बैंकों से सहायता प्राप्त करने के बारे में प्रस्ताव	Proposal to Seek Assistance from Financial Institutions/Banks for Modernisation of Alling Textile Industry	96
2323. आन्तरिक मांग को पूरा करने के लिये काफी के निर्यात कोटे में कमी	Reduction in Quota of Coffee Exports to Meet Domestic Demand	96
2324. पांडिचेरी को राज्य का दर्जा	Statehood for Pondicherry	97
2325. आस्ट्रेलिया के साथ व्यापार	Trade with Australia	97
2326. पश्चिम बंगाल में लोअर दामोदर परियोजना से उत्पन्न समस्यायें	Problems arising out of Lower Damodar Project in West Bengal	97—98
2327. विदर्भ राज्य का बनाया जाना	Creation of Vidarbha State	98
2328. केरल सरकार की दस परियोजनाओं के लिये परियोजना रिपोर्ट	Project Reports for Ten Plans by Kerala Government	98 99
2329. अमरीका की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के मध्यम से अमरीका की कम्पनियों की मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिये मांग	American Companies' demand for Free Trade Zone	99
2330. भारत में विकिरण औषधि का प्रयोग	Use of Radiation Medicine in India	99—100
2331. हाल्दिया बंदरगाह क्षेत्र में मुक्त व्यापार जोन	Free Trade Zone in Haldia Port Area	100
2333. छोटे निर्माताओं से कल पुर्जों के लिये जापानी उद्योगपतियों की मांगें	Japanese demands for Parts and Components from Small Scale Manufacturers	100—101

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2334.	केन्द्र में राज्यों से प्रतिनियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी	IAS Officers on Deputation from States to Centre	101—102
2335.	जेलों में नक्सलवादी कैदी	Naxalite Prisoners in Jails	1(2
2336.	जम्मू में ऊन उद्योग का केन्द्र	Centre of Wool Industry in Jammu	102
2337.	एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम के अन्तर्गत मंजूरी की प्रक्रिया में संशोधन	Revision of Procedures for Clearance under Monopolies and Restrictive Trade Practices Act	102—103
2338.	चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में पश्चिम बंगाल के लिये कुल परिव्यय	Total Outlay for West Bengal in Fourth Plan	103—104
2 39.	पश्चिम बंगाल में पुलिस द्वारा गोली चलाने के मामलों की न्यायिक जांच	Judicial Inquiry into Police Firings in East Bengal	104
2340.	पश्चिम बंगाल में पुलिस कर्मचारियों पर हमले	Attacks on Police Personnel in West Bengal	104
2341.	पश्चिम बंगाल में पुलिस कर्मचारियों पर जानबूझकर आक्रमण करना	Wanton Attack on Police Personnel in West Bengal	104
2342.	लौह अयस्क के निर्यात के लिये रूमानिया के साथ बातचीत	Negotiations with Rumania for Exporting Iron Ore	104—105
2343.	मैंगनीज अयस्क के निर्यात में कमी होना	Decline in Expert of Manganese Ore	105—107
2344.	बिजली के लाने ले जाने के लिये पारेषण लाइनें	Transmission Lines for Exchange of Power	107
2345.	होंगकांग में राज्य व्यापार निगम का कार्यालय खोला जाना	Opening of Office of State Trading Corporation in Hong Kong	108
2346.	मनीपुर के भूतपूर्व शासक की सम्पत्ति	Property of former Ruler of Manipur	108—109

अता॰ प्र॰ संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2347.	मनीपुर के सुरक्षा आयुक्त के विरुद्ध आरोप	Charges against Security Commissioner of Manipur	109
2348.	मनीपुर में ग्राम्य स्वैच्छिक दल	Village Volunteer Force in Manipur	109—110
2349.	पनबिजली परियोजना (हिमाचल प्रदेश) के लिये केन्द्रीय सहायता	Central aid for Hydel Pawer Project (Himachal Pradesh)	110
2350.	नक्सलपंथियों की गतिविधियों का ग्रामीण क्षेत्रों से हटकर नगरीय क्षेत्रों में आरम्भ होना	Naxalite Activities Shifting from Rural Areas to Urban Areas	110—111
2351.	योजना आयोग के संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन करने की योजना	Plan for Making Changes in the Organisation of Planning Commission	111
2352.	पशुओं की खालों तथा गजदन्तों का निर्यात	Export of Animal Skins and Tuska	111—112
2353.	वार्षिक योजना तैयार करने हेतु राज्यों को मार्गदर्शी निर्देश	Guidelines for States for Formulation of Annual Plan	112—113
2354.	भारत से इंजीनियरी वस्तुओं के क्रय में ब्रिटेन की रुचि	U. K.'s Interest to Buy Engineering Items from India	113
2355.	सिंचित क्षेत्रों के बारे में तकनीकी विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन	Report of Committee of Technical Experts Re. Irrigated Areas	114
2356.	विदेशों के साथ वैगनों का व्यापार	Wagon Deal with Foreign Countries	114
2357.	देश में बिजली के उत्पादन में प्रगति	Progress of Power Generation in the Country	114—115
2358.	भारतीय उद्योगपतियों द्वारा विदेशों में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries in Foreign Countries by Indian Industrialists	115
2360.	भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अन्य विशिष्ट सेवाओं में भर्ती किए गए स्नातक	Graduates Recruited in IAS and other Specialised Services	115—116

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2361. अपर वार्धा योजना (महाराष्ट्र) में हुई प्रगति	Progress of Upper Wardha Scheme (Maharashtra)	116
2362. कपड़ा मशीनों का निर्यात	Export of Textile Machinery Abroad	117
2363. राज्य व्यापार निगम के माध्य से लघु उद्योगों की वस्तुओं का निर्यात	Export of Small Scale Industry Goods through STC	117—118
2364. कूच बिहार सीमा पर पाकिस्तानी सैनिक टुकड़ियों द्वारा भारतीय जवानों पर गोली चलाया जाना	Firing on Indian Jawans by Pakistani Troops at Cooch Behar Border	118
2365. बर्मा तथा श्रीलंका को कोयले का निर्यात	Export of Coal to Burma and Ceylon	118—119
2366. पटसन निगम की स्थापना	Setting up of a Jute Corporation	119
2367. पश्चिम बंगाल में पुलिस और सुरक्षा कर्मचारियों को सप्लाई किये गये अनाज की मात्रा	Quantity of Cereals Supplied to Police and Security Personnel in West Bengal	120
2368. सरकारी क्षेत्र में हथकरघा वित्त निगम की स्थापना	Setting up of Handloom Finance Corporation in Public Sector	121
2 69. पश्चिम बंगाल में नक्सलवादियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के स्थान पर लाल झण्डा फहराया जाना	Hoisting of Red Flag in Place of National Flag by Naxalites in West Bengal	121
2370. आचार्य तुलसी कृत पुस्तक अग्नि परीक्षा पर नया प्रतिबन्ध	Ban Imposed on Book entitled Agni-Pariksha	121—122
2371. जूट मिलों को दिये गये ऋण	Loans given to Jute Mills	122
2372. बर्ड एण्ड कम्पनी तथा नेशनल जूट मिल्स भवनों तथा कार्यालयों की तलाशी	Search of Premises and Offices of Bird and Co. and National Jute Mills	122—123
2373. गुजरात में गावों तथा नगरों को बाढ़ से बचाने हेतु स्थानांतरित करना	Shifting of Villages and Cities in Gujarat to avoid fury of Flood	123

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2374.	दामोदर घाटी निगम के कर्मचारियों द्वारा सांकेतिक हड़ताल	Token Strike by Damodar Valley Corporation Staff	123—124
2375.	काश्मीर में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा किए गए अत्याचार	CRP Atrocities in Kashmir	124—125
2376.	गोवा के मुख्य मंत्री और उपराज्यपाल के बीच मतभेद	Differences between Chief Minister and Lt. Governor of Goa	125
2377.	मध्य प्रदेश के गांवों में बिजली लगाने सम्बन्धी योजनाएं	Schemes for Rural Electrification of Madhya Pradesh	126—127
2378.	भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा, 1970 के उम्मीदवारों द्वारा यूरोप के इतिहास के पेपर का बहिष्कार	Boycott of European History Paper by Candidates of IAS Examination, 1970	127—128
2380.	कलकत्ता की जूट बैलर्स ऐसोशियेशन द्वारा पटसन के आयात का विरोध	Opposition to Import of Jute by Jute Balers Association of Calcutta	128
2381.	आनन्द बाजार पत्रिका, कलकत्ता, के कार्यालय तथा उसके निदेशकों के निवास स्थानों पर डाले गये छापे	Raids made in Office Premises and Houses of Directors of Ananda Bazar Patrika, Calcutta	128—129
2382.	पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हत्यायें	Political Murders in West Bengal	129
2383.	जलपाई गुडी तथा वर्दवान के जिलों में विभिन्न आरोपों पर गिरफ्तार व्यक्ति	Persons Arrested on various Charges in Districts of Jalpaiguri and Burdwan	129
2384.	नक्सलवादियों की गिरफ्तारी	Arrest of Naxalites	129—130
2385.	पोंग डैम क्षेत्र से परिवारों का हटाया जाना तथा वैकल्पिक आवास की व्यवस्था	Removal of Families from Pong Dam Area and Provision of Alternative Accommodation	130

तारा० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
2386. उच्च न्यायालय से सेवा मुक्त होने के पश्चात् श्री जी०डी० खोसला द्वारा किये गये जांच आयोग कार्य	Enquiries/Commissions Conducted by Shri G. D. Khosla after his Retirement from High Court Bench	130—131
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	131—136
विदेशी तेल कम्पनियों की अंशपूंजी का अधिकांश भाग ग्रहण करने के लिये सरकार का कथित निर्णय	Reported decision of the Government on Majority Participation in the Foreign Oil Companies	131
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	131—132
डा० त्रिगुण सेन	Dr. Triguna Sen	132 136
देश में बेरोजगारी की स्थिति के बारे में	Re: Unemployment situation in the Country	136—138
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	138—139
राज्य-सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha	139
याचिका समिति	Committee on Petitions—	140
9 वां प्रतिवेदन	Ninth Report	140
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)	Supplementary Demands for Grants (General)	140
वैयक्तिक स्पष्टीकरण	Personal Explanation	141
(श्री अ० कु० किस्कु)	(Shri A. K. Kisku)	141
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति (संशोधन) विधेयक	Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Bill	141—143
विवाद को स्थगित कराने का प्रस्ताव	Motion to Adjourn Debate	141
श्री हनुमन्तय्या	Shri K. Hanumanthaiya	141
सांविधिक संकल्प तथा विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) विधेयक	Statutory Resolution and Foreign Exchange Regulation (Amendment) Bill	143
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	143
श्री श्रीचन्द गोयल	Shri Shri Chand Goyal	143—145
श्री यशवन्त राव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	145—146

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री कमल नयन बजाज	Shri Kamalnayan Bajaj	146
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे	Shri N. K. P. Salve	146—148
श्री रा० की०. अमीन	Shri R. K. Amin	148—149
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	149—150
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	150—151
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu	151—153
श्री शिवचन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	153—154
श्री स० कुण्डू	Shri S. Kundu	154—155
खंड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1	159
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	160
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	160—161
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	161
स्थपति विधेयक	Architects Bill	161—165
राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider as Passed by Rajya Sabha	161
डा० वी० के० आर० वी० राव	Dr. V. K. R. V. Rao	161—165
श्री पीलू मोडी	Shri Piloo Mody	165
गन्ने के मूल्य के बारे में आधे-घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion Re. Price of Sugarcane	165—172
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री	Shri Raghuvir Singh Shastri	165—167
श्री अन्नासाहिब शिन्दे	Shri Annasaheb Shinde	169—172

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 25 नवम्बर, 1970/4 अग्रहायण, 1892 (शक)
Wednesday, November 25, 1970/Agrahayana 4, 1892 (Saka)

लोक-सभा 11 बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अध्यक्ष महोदय : श्री तापड़िया :

श्री सु० कु० तापड़िया : मैं नहीं समझता कि मैंने कभी इतनी पी ली हो कि वैदेशिक व्यापार मंत्री से मैं यह प्रश्न पूछूं ।

पश्चिम बंगाल में मध्यावधि चुनाव

+

*331. **श्री सु० कु० तापड़िया** :
श्रीमती सुचेता कृपालानी :
श्री विभूति मिश्र :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पश्चिमी बंगाल में मध्यावधि चुनाव कराने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

गृह मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल में मध्यावधि चुनाव कराने के प्रश्न पर केवल तभी विचार किया जा सकता है जब वहां विधि व व्यवस्था की स्थिति सामान्य हो जाय तथा लोग अपने-अपने मताधिकार का प्रयोग स्वतंत्र तथा निर्भीक रूप से कर सकें ।

अध्यक्ष महोदय : श्री तापड़िया :

श्री सु० कु० तापड़िया : क्या सरकार ने यह अनुभव किया है कि सामान्य स्थिति के बहाल होने तक चुनाव नहीं किये जाने चाहिये। लेकिन आप इस बात को जानते ही हैं कि दलों के बीच तथा बाहर किस प्रकार की हत्यायें हो रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह चुनाव के बारे हैं। इन्होंने पहले ही उत्तर दे दिया है।

श्री सु० कु० तापड़िया। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार, जैसा कि यह कहती है। शीघ्रातिशीघ्र सामान्य स्थिति लाने के क्या कदम उठा रही है। मंत्री महोदय के वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए सामान्य स्थिति लाने के लिए कितना समय लगेगा ताकि चुनाव कराये जा सके ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : कोई निश्चित तिथि का बताना काफी मुश्किल है लेकिन सामान्य स्थिति लाने के लिए कानून तथा व्यवस्था की मशीनरी को यथा सम्भव सहायता दी जा रही है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यह कोई सांझे मोर्चे की सरकार नहीं जो तिथि निश्चित करे।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यदि तिथि निश्चित करने से ही स्थिति पर नियंत्रण किया जा सकता तो मैं अवश्य ही ऐसा करता।

विभिन्न अवसरों पर मैंने इस सदन को बताया है कि सी०आर०पी० और बी०एस०एफ० बेटोलियन भेज कर, तथा संचार व्यवस्था में सुधार करके हमने किस प्रकार समय समय पर राज्य कानून तथा व्यवस्था अधिकारियों की सहायता की है।

डा० राम सुभग सिंह : मंत्री महोदय ने बताया है कि निश्चित तिथि का बताना कठिन है लेकिन उन्होंने साथ-साथ यह भी बताया है कि कानून तथा व्यवस्था की स्थिति में सुधार हो रहा है लेकिन संकेत ऐसे हैं कि पश्चिम बंगाल की स्थिति सुधरने के बजाये बिगड़ती जा रही है। सरकार इसमें सुधार करने में असमर्थ है। अब वहां राष्ट्रपति का शासन है। राष्ट्रपति का शासन को कौन भंग करेगा यदि वहां की कानून तथा व्यवस्था स्थिति में सुधार नहीं होता। अतः इस समस्या का समाधान राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। क्या मैं जान सकता हूँ कि सरकार इस दृष्टि से सोच रही है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : प्रश्न को मैं समझ नहीं सका। मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय समाधान मिल रहा है। मुझे आशा है कि राष्ट्र की आकांक्षा से ही पश्चिम बंगाल में सामान्य स्थिति आयेगी।

डा० राम सुभग सिंह : अयोग्य शासन से नहीं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मेरे विचार में राष्ट्र चाहता है कि पश्चिम बंगाल में हत्यायें और आंतक बन्द हो। हम लोग, जिन पर यह जिम्मेवारी है इस दिशा में, जैसे मैंने कहा, विभिन्न कदम उठा रहे हैं।

डा० राम सुभग सिंह : हमने वहां किसी को लोगों को मारने के लिए अधिकृत नहीं किया है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : अभी हाल में हमने पश्चिम बंगाल सलाहकार समिति के सामने दो विधेयक लाये और अधिकांश सदस्यों ने उनका समर्थन किया। उनमें से एक लागू किया जा रहा है और दूसरे पर कार्यवाही जारी है। इस बात को सभी जानते हैं कि कानून तथा व्यवस्था मशीनरी स्थिति पर काबु पाना चाहती है। जो लोग कानून व्यवस्था बिगाड़ने के लिए कटिबद्ध हैं वे भी पूरी शक्ति से हमारा मुकाबला कर रहे हैं। यह लड़ाई वहां अटूट है। जब भी कानून तथा व्यवस्था की स्थिति मजबूत होती है तो दूसरे स्थान पर लड़ाई शुरू हो जाती है और कानून व्यवस्था बिगड़ने का यही कारण है।

श्री राम सुभग सिंह : क्योंकि सरकार इन तत्वों को प्रोत्साहित करती है। सरकार ने ही पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था खराब की है।

श्री हो० ना० मुकर्जी : राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद पिछले आठ महीनों से कलकत्ता तथा पश्चिम बंगाल के अन्य भागों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा सीमा सुरक्षा बल काफी संख्या में तैनात की गई और इससे भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार की यह इच्छा है कि लोगों की अपनी आकांक्षा के अनुसार सरकार प्राप्त करने के लिए दूसरे चुनाव न कराये जायें या उन पर और अधिक सख्ती की जाये ? क्या सरकार को इस बात की जानकारी नहीं कि कैनेडा में भी कयूनेकूज आंदोलन इस तरीके से चलता है जिसके लिए आपके द्वारा लागू किए गये कठोर तथा कड़े कानून और प्रशासन की जरूरत नहीं पड़ती। क्या लोगों को उस स्थिति तक घसीटा जा रहा है जहां वे मतदान की जगह गोलियों का उपयोग उचित समझें। क्या सरकार ऐसा ही अनुभव करती है। क्या सरकार उस समय तक चुनाव नहीं कराना चाहती जब तक कि उसके विचार में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति में सुधार न हो या वह इसे लोगों पर ही छोड़ रही है और फरवरी तक चुनाव करने का प्रबन्ध कर रही है ताकि अपनी आकांक्षा के अनुसार उनका प्रशासन चले ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह सच नहीं कि कानून तथा व्यवस्था की स्थिति हर स्तर पर बिगड़ गई है ...(**व्यवधान**) मेरे पास विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं की सूची है। विभिन्न दलों के बीच जुलाई तक 89 मुठभेड़े हुई थीं जिनकी संख्या में इसके बाद कमी हुई है। जुलाई तक कृषि सम्बन्धी दंगे 53 तक पहुंच गये थे जो अगस्त में 39, सितम्बर में 5 तथा अक्तूबर में 20 तक घट गए। घेराव तथा हड़तालें भी कम हो गई हैं। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि चिंता का कोई कारण न हो। चिन्ता का कारण गम्भीर है। हत्यायें तथा विभिन्न दलों के बीच मुठभेड़े होती रहती हैं। पुलिस तथा अन्य अधिकारियों पर हमले होते रहते हैं। हमारे पास ऐसे भी मामले हैं जिनमें छोटे छोटे लड़कों को घसीट कर गोली से उड़ाया गया। मैं स्थिति की गम्भीरता को कम नहीं कर रहा लेकिन मैं केवल स्थिति की सही तस्वीर रखने की कोशिश कर रहा हूं। प्रोफेसर मुकर्जी का मुख्य प्रश्न चुनाव से सम्बन्धित है। उन्हें स्मरण होगा कि सांझे मोर्चे की सरकार के दौरान कानून तथा व्यवस्था की स्थिति आज की अपेक्षा बहुत बिगड़ी हुई थी। आज लोग बिना भय के रात में भी गलियों और सड़कों पर चलते हैं। सिनेमा घर भरपूर होते हैं...(**व्यवधान**)

श्री हो० ना० मुकर्जी : निर्वाचन स्थलों को क्यों नहीं भरते।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं केवल यही बात कर रहा हूँ कि निर्वाचित सरकार के होने मात्र का यह अर्थ नहीं कि वहां कोई हिंसा या गड़बड़ी नहीं होगी ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या इसका निर्णय आपने दिल्ली में करना है या बंगाल के लोगों ने करना है ? क्या बंगाल में प्रौढ़ मतदान का अधिकार लोगों को नहीं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : सौभाग्य या दुर्भाग्य वश यह देखना केन्द्रीय सरकार की जिम्मेवारी है कि राज्य सरकारें संविधान के अनुसार चलें । इसलिए वह इस बात पर नजर रखती है कि राज्यों में क्या हो रहा है । यह अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हट सकती । अत: निर्वाचित सरकार का होना इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वहां कोई कानूनी अव्यवस्था नहीं । प्रोफेसर मुकर्जी का प्रश्न यह है कि चुनाव अब क्यों नहीं कराये जाते ? यह चुनाव कराने से ही यह सब ठीक हो जाता है तो इसके अभी कराने में कोई नुकसान नहीं लेकिन आंतक के इस वातावरण में लोगों के अन्दर आजादी से अपना मत देने का उत्साह नहीं होगा । हमारे विचार में आज ऐसा वातावरण नहीं जिसमें चुनाव कराये जा सकें ।

Shri K. N. Tiwary : Is it a fact that some political parties of Bengal do not want to hold elections in the present atmosphere ?

May I also know the assistance being rendered by the political parties who want to hold elections, to bring normalcy there ?

Shri K. C. Pant : There are some parties who do not want election till normalcy is restored. You better enquire from the parties concerned about the assistance they are rendering to bring about normalcy there.

Shri K. N. Tiwary : Are you having any report about it ?

Shri K. C. Pant : Inter-party clashes are still going on there and persons from different parties are being killed. In view of this condition has not improved there.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या सरकार इस बात को महसूस करती है कि जब तक प्रशासन के अध्यक्ष को न बदला जाये उस समय तक कानून तथा व्यवस्था के मामले में सामान्य स्थिति नहीं आ सकती । क्या यह बात सच है कि सरकार अब इस बात को महसूस कर रही है कि बंगाल के प्रशासन अध्यक्ष को बदला जाना चाहिए । यदि ऐसा शीघ्र ही किया जावे तो पश्चिम बंगाल के हित में अच्छा ही होगा ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को बदलने की बात उनके साथ नहीं की गई और मेरे सहमत होने का प्रश्न ही नहीं उठता । मुख्य बात यह है कि पश्चिम बगाल की सारी घटनाओं की जिम्मेवारी एक व्यक्ति चाहे वह राज्यपाल ही क्यों न हो, पर थौंपना क्या ठीक है ? राज्यपाल प्रशासन का अध्यक्ष है । एक ही आदमी पर जिम्मेवारी डालना समस्या की गम्भीरता को कम समझना है ।

श्री रंगा : मेरे दोस्त चर्चा के लिये मसाला ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं । राज्यपाल की बदली उन सब बातों में से एक है जो करती हैं । लेकिन यह बात महत्वपूर्ण भी है । इस बात को ध्यान में रखते हुए इस सदन ने राष्ट्रपति शासन की स्वीकृति दी है, यह कहना उचित नहीं कि

वहां तानाशाही है। जो कुछ वहां हो रहा है हम स्वयं उसके लिये जिम्मेवार हैं। मैं अपने माननीय मित्र डा० राम सुभग सिंह की इस बात से सहमत हूँ कि यह सरकार फेल हो रही है। अतः हमें इस सरकार को सबक सिखाना चाहिए। यह सब जिम्मेवारी इस सदन की है।

क्या सरकार का ध्यान राजा जी के उस सुझाव की ओर गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो सांप्रदायिक दल कानून तथा व्यवस्था की जिम्मेवारी लेने के लिये तैयार नहीं उन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिये। क्या हिन्दु के सम्पादकीय में क्षेत्र को संकट क्षेत्र घोषित करने सम्बन्धी सुझाव की ओर भी सरकार का ध्यान गया है? इन दिशाओं में कार्यवाही करने के लिए वे कितना समय लेंगे मैं नहीं जानता, प्रधान मन्त्री का यह वक्तव्य कि बंगाल में अभी चुनाव नहीं होंगे काफी साहसिक था। क्या सरकार इस भलाई का सबूत देगी कि लोगों को चुनाव के लिये वाध्य न करे और लोगों के नैतिक बल को ऊंचा करने के लिए प्रयत्न करे। जो लोग पुलिस को सहयोग देते हैं उनके जीवन तथा सम्पत्ति की रक्षा करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं प्रोफेसर रंगा की इस बात से बिलकुल सहमत हूं कि जो राजनैतिक दल तथा नेता कानून तथा व्यवस्था को लाने तथा हिंसा के विरुद्ध वातावरण पैदा करने में पुलिस की सहायता करते हैं की हर तरह से सहायता की जानी चाहिए। अकेली पुलिस ही यह सब नहीं कर सकती। पश्चिम बंगाल में अच्छा वातावरण तैयार करना जरूरी है। अन्य राजनैतिक दलों के सहयोग बिना अकेले प्रशासन के लिये ऐसा करना सम्भव नहीं। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ।

जहां तक विशिष्ठ सुझावों का सम्बन्ध है, मेंने उन्हें नहीं देखा है। मुझे प्रोफेसर रंगा से इनकी जानकारी मिली है। पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में भी संसद् निःसंदेह सर्वोच्च है। अन्य राज्य सरकारों की तरह पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में भी संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए संसद सर्वोच्च है।

श्रीमती इला पालचौधरी : क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकती हूं कि संयुक्त मोर्चा सरकार की अवधि में कितने व्यक्तियों की हत्या की गई तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अग्निकांड, लूट तथा हत्या की कितनी घटनाएं हुई हैं?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न बिल्कुल भिन्न है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The Prime Minister while addressing her party workers is reported to have stated that in case the social order does not change peacefully people may resort to violence. May I know whether such statement would not encourage the Naxalites to resort to violence? No doubt social order should be changed but I want to know whether Prime Minister wants to encourage violent activities and if not, whether she would remove the misunderstanding created by her statements?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : There is no question of misunderstanding. I have placed facts before the people. There are various aspect of the problem in Bengal. I have stated in the Parliament as well as outside that situation arising out lawlessness and atrocities involving trieling of a large number of innocent should be dealt with firmly. There cannot be two opinions about it but in case no steps are taken to bring about necessary changes, there may be difficulty.

An hon'ble Member : Who stops them ?

Shrimati Indira Gandhi : Such ideologies stand in the way which are being propagated in our country. Another speech was also made on the day I delivered the said speech and the hon'ble Member is fully aware of the text of that speech.

An hon'ble Member : They have got full powers, who can stop them ? They have police with them.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Who can stop the Prime Minister even if she allocates Rs. 100 crore for the Fourth Plan of West Bengal.

Shri Kanwar Lal Gupta : They should not blame others for their failures.

श्री समर गुहा : मैं प्रधान मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री अजय मुकर्जी तथा श्री सिद्धार्थ शंकर राय ने दिल्ली में प्रधान मंत्री के साथ बातचीत करने के बाद जनता को बताया था, जो समाचार में मोटे अक्षरो में छपा है, कि पश्चिम बंगाल में मध्यावधि चुनाव करवाने की सम्भावना है ? भारतीय साम्यवादी दल के सचिवालय ने भी इस समाचार की पुष्टि की है। इसके परिणामस्वरुप ये सभी दल आगामी चुनाव के लिये तैयारी कर रहे हैं। मैं प्रधान मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि उन्होंने उपर्युक्त व्यक्तियों को मध्यावधि चुनाव की सम्भावना का संकेत दिया था ? यदि नहीं, तो क्या वह स्पष्ट रूप से एक वक्तव्य देंगे कि पश्चिम बंगाल में वर्ष 1972 तक मध्यावधि चुनाव नहीं करवाये जायेंगे ? यह अत्यावश्यक है। अन्यथा वहां के प्रशासन में विश्वास की भावना पैदा नहीं हो सकती उनके मन में भय है। मुझे कुछ उच्चाधिकारियों ने विश्वास में ले कर बताया है कि यदि वे किस व्यक्ति विशेष को गिरफ्तार करते हैं परन्तु वे कल मंत्री बन जाये तो वह उन्हें हानि पहुंचा सकता है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं माननीय सदस्य के वक्तव्य को सुन कर हैरान हूं क्योंकि मैंने इस सम्बन्ध में आज नहीं बल्कि आरम्भ में ही स्पष्ट रूप से वक्तव्य दिया था। वास्तव में जब संयुक्त मोर्चा सरकार अपदस्थ हो गई थी उसी समय यह वक्तव्य दिया गया था। यह सच है कि मैंने 1972 या ऐसी किसी तिथी का उल्लेख नहीं किया था परन्तु हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक कानून और व्यवस्था की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती और जब तक मतदाताओं को डराये धमकाये बिना निष्पक्ष चुनाव की सम्भावना नहीं होती तब तक चुनाव नहीं करवाये जा सकते। मैंने हाल ही में श्री सिद्धार्थ शंकर राय अथवा अजय बाबू के साथ चुनाव के सम्बन्ध में कोई बातचीत नहीं की है। मैंने यह बात कलकत्ता के हाल ही के दौरे के समय वहां के अधिकारियों को भी बता दी थी। मेरे विचार में समाचार-पत्रों में भी यह समाचार प्रकाशित हुआ था।

श्री प्र० रं० ठाकुर : पश्चिम बंगाल में खलबली के सम्बन्ध में राज्यपाल को वापिस बुलाने का मामला इस सभा में कई बार उठाया गया है। परन्तु इनके परामर्शदाता भी वहां पर है। क्या इस हलचल के लिये वे उत्तरदायी नही हैं ? राज्यपाल उनके परामर्श पर ही कार्यवाही करता है ? क्या इनके कार्य पर विशेषकर मुख्य परामर्शदाता श्री बी० बी० घोष के

आचारण पर विचार किया गया है ? परामर्शदाता राज्यपाल की अपेक्षा अधिक जिम्मेदार हैं। श्री बी० बी० घोष जिम्मेदार है। उसे हटाया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह प्रश्न पूछने का कोई तरीका है ? ज्वालामुखी की तरह एकदम खड़ा हो जाना और स्वेच्छा से बैठ जाना अथवा खड़ा हो जाना—यह कोई तरीका नहीं है।

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : हम परामर्शदाताओं के कार्य पर अवश्य ध्यान रखते हैं। परामर्शदाताओं का भी समय समय पर तबादला किया जाता है।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : मंत्री महोदय ने कहा कि स्थिति सामान्य हो जाने पर मध्यावधि चुनाव होंगे। सामान्य स्थिति का क्या तात्पर्य है ? यदि कल्पना की जाये कि 15 दिन तक कोई हिंसात्मक घटना या हत्या नहीं होती तो क्या उनके विचार में वह सामान्य स्थिति होगी और चुनाव करवाये जा सकेंगे ?

श्री स० मो० बनर्जी : हमें युद्ध-विराम करना चाहिये।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इस प्रकार का निर्णय उचित होगा यदि हमारे मित्र ऐसी स्थिति में इसको लागू करें और हम भी इसको लागू कर सकें।

श्री सरदार अमजद अली : पश्चिम बंगाल की जनता की मांग है कि वहां दफतरशाही के स्थान पर जनता द्वारा निर्वाचित सरकार स्थापित की जाये। यह मांग विशेषकर ऐसे दल कर रहे हैं जो इस बात में विश्वास नही रखते कि संसदीय लोकतंत्र जनता के कष्टों को दूर कर सकेगा। हम सब जनता द्वारा निर्वाचित सरकार के पक्ष में हैं परन्तु वह सरकार ऐसी नहीं होनी चाहिये जो जनता की सेवा करने के बजाय अपने राजनीतिक विरोधियों की हत्या करने में लगी रहे। पश्चिम बंगाल में एक अफवाह यह है कि फरवरी में या वर्ष 1971 के प्रारम्भ में भारत सरकार वहां चुनाव करवायेगी।

अध्यक्ष महोदय : इसका खंडन किया जा चुका है।

श्री सरदार अमजद अली : इस विचार से क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या सरकार ने फरवरी 1971 में चुनाव करवाने पर विचार किया है ; यदि हां, तो क्या सभी पोलिंग केन्द्र पुलिस, सीमा सुरक्षाबल द्वारा सुरक्षित होंगे ?

अध्यक्ष महोदय : "यदि हां" से प्रश्न काल्पनिक बन जाता है। इस प्रश्न का उत्तर कई बार दिया जा चुका है। अब अगला प्रश्न।

नियंत्रित कपड़े के मूल्यों में वृद्धि करने के लिये सूती कपड़ा उद्योग की मांग

\+

*332. **श्री सीताराम केसरी** : **श्री नन्द कुमार सोमानी** :
श्री यशपाल सिंह :

क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूती कपड़ा उद्योग ने नियंत्रित किस्मों के कपड़ों के मूल्यों में वृद्धि करने की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो मूल्य वृद्धि के लिये क्या तर्क दिये गये हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय सूती मिल फेडरेशन ने नियंत्रित कपड़े की कीमतों में वृद्धि के लिये इस आधार पर जोर दिया है कि रुई, मजदूरी, कच्चे माल, बिजली, इंधन, कोयले और रंगों तथा रासायनिक पदार्थों की कीमतों में वृद्धि हो गई है और व्याज की दरों में तथा ऊपरी खर्चे में भी वृद्धि हो गई है ।

(ग) यह मामला औद्योगिक लागतों तथा कीमतों के ब्यूरों को सौंपा गया है ।

Shri Sita Ram Kesari : While speaking at the consultative committee meeting hon. Minister told that the question of increase in the prices of textiles did not arise. But now in the Statement it is said that the matter has been referred to the Bureau of Industrial Costs and Prices for consideration. The Bureau will decide whether prices should be increased or not. The prices of imported is fixed and it is supplied at a fixed price to mill owners. In this context I would like to know the reasons why the cloth on controlled rates cannot be made available to the consumers. I want an assurance from him that there will be no increase in the prices of cloth.

Shri L. N. Mishra : There is no qustion of effecting increase in prices of cloth. Hon. Member should not have referred to the deliberations of the consultative committee here. As regards cotton, we purchase cotton through cotton corporation and we earn nominal profit of one rupee per bale on cotton and that is too for the expenditure we incur on establishment of the cotton corporation. So there is no question of fixing the prices of imorted cotton.

Shri Sitaram Kesari : In view of the fact that the cotton is supplied to the mill owners at the controlled rates and the increase in the prices of cloth adds to the difficulty of the consumers, is it not proper that the prices, which are already ruling high, should not be further increased.

Shri L. N. Mishra : There was increase in the prices of cloth it was consequent to the increase in prices of cotton suplied to mill owners. Hon. Member might be knowing that the prices of all kinds of cloth are not controlled. The prices of course cloth like long cloth and 'dhotis' are controlled. Though we had asked the Bureau to look into this matter and to submit a report thereon, yet I think existing circumstances are not in favour of an increase. We will exmine the Bureau's report and then take a decision. It does not mean that prices are going to be increased.

Shri Yashpal Singh : Will it lower down the prestize of India in foreign trade ?

अध्यक्ष महोदय : यह अपनी अपनी राय की बात है ।

श्री नन्द कुमार सोमानी : सरकार ने मई 1968 में विक्रय मूल्य में वृद्धि की अनुमति दी थी और उस समय रुई के मूल्य में 54 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । मजूरी की दरों में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । कुल मिलाकर मंहगाई में 31 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । यदि यह सच है तो क्या सरकार मूल्य में वृद्धि की मांग को अस्वीकार क्यों नहीं कर देती ?

रुई की उपलब्धता के सुनिश्चित करने की दृष्टि से कुछ मिल अनिवार्यत: बंद होने जा रहे हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार नियंत्रित मूल्य वाली किस्मों के मूल्य में

अन्तरिम वृद्धि को अनुमति देने के बारे में अपनी नीति में कोई परिवर्तन करेगी ? रुई के अत्यधिक अभाव को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष रुई के आयात का, 8.25 लाख गांठों के अतिरिक्त, क्या कार्यक्रम बनाया गया है ?

श्री ल० ना० मिश्र : मूल्य में अन्तरिम वृद्धि के प्रश्न पर विस्तार से विचार किया जा चुका है और अन्तरिम-मूल्य-वृद्धि की अनुमति नहीं दी जायेगी । यह सच है कि पहले हमने 8.5 लाख रुई की गांठे मंगाने का निर्णय किया था । किन्तु देश में बाढ़ आदि के कारण रुई का उत्पादन कम हुआ है इसलिए अब हमने संयुक्त अरब गणराज्य सूडान तथा पी० एल० 480 के अन्तर्गत अमरीका से 13 लाख गांठो को मंगाने का निर्णय कर लिया है । साथ ही हमें आयात के प्रति होने वाली रुई उत्पादकों की प्रतिक्रिया पर भी विचार करना है । आयात के बारे में निर्णय करते समय हम उत्पादकों के हितों का ध्यान भी रखते हैं ।

यह सच है कि रुई के मूल्य में बहुत अधिक वृद्धि हुई है । गत वर्ष मूल्य 1575 रुपये था जबकि इस वर्ष 2580 रुपये है । इस वृद्धि के कारणों का हम अध्ययन कर रहे हैं ।

Shri Hukam Chand Kachwai : Since the canalisation of the cotton trade through the cotton Corporation the prices of cotton have shot up. Even in years of drought and famine the prices of cotton did not touch so high. Cotton crop is good this year, yet the price are going up ; consumers are not getting the cotton commensurate with their requirements and textile industry is facing the crisis. In my constituency the Tapti Textile Mill is in the grip of a crisis and facing closure. It will render about two thousand workers jobless. Will Government take steps to enable the textile industry to earn reasonable profits, the consumers to get the cloth at reasonable price and the workers to continue in employment ? Will Government give an assurance that raw material will be made available to every mill and no mill will have to be closed ?

Shri L. N. Mishra : Hon. Member says that there is a good crop of cotton this year. I think he is mistaken here. Cotton crop is very bad in the country particular in the cotton producing areas. As regards Tapti Mill or any other Mill. I am not in a position to say anything about them. The Textile Corporation will be asked to see in such cases and we will help in deserving cases. As regards import, I have already told that we are importing 13 lakh bales of cotton from abroad and going to release 60 lakhs bales here so that the prices of cotton may come down.

Shri M. A. Khan : I have often seen the Government taking steps to reduce prices whenever cultivators are in position to get good prices for their produce. The prices of grains and other agricultural commodities are coming down while the prices of other articles which the farmers need for their daily use, are going up. Now after a long time cotton producers are getting proper prices for their produce. I would like to know whether Government after importing more bales of cotton would not take such steps to bring down the prevailing prices with a view to ensuring equitable returns to the farmer.

Mr. Speaker : But the question pertains to the prices of the cloth.

Shri M. A. Khan : Sir, cloth is made of cotton.

Shri L. N. Mishra : The prices have gone up from Rs. 1500/- to Rs. 2500/-. We have to see that the cost of production of cloth should not increase too much. If its cost of production goes up, our export will come down and it will not be in the interest of the country. There cannot be two opinions on it that the farmers should get proper prices for what they produce. But when the prices shoot up from Rs. 1500 to Rs. 2500, it becomes a matter of concern.

श्री स० कुण्डू : श्रीमन्, मंत्री महोदय ने पहले तो उत्तर देते समय यह कहा कि नियन्त्रित मूल्य वाले कपड़े के मूल्य में वृद्धि करने का सरकार का विचार नहीं है, किन्तु श्री सोमानी के प्रश्न का उत्तर देते समय उन्होंने यह स्वीकार किया कि मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हुई है और यह प्रश्न औद्योगिक लागत और मूल्यों के ब्यूरों को विचारार्थ सौंप दिया गया है। मैं स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री सूती कपड़े तथा नियन्त्रित कपड़े के मूल्य से वृद्धि की मांग स्वीकार नहीं करेंगे चाहे उक्त ब्यूरो भी मूल्य में वृद्धि की सिफारिश कर दे।

श्री ल० ना० मिश्र : यह मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह मामला औद्योगिक लागत तथा मूल्यों के ब्यूरों को सौंपा जा चुका है। वह इस पर विचार करेगा और अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत करेगा। उसके प्रतिवेदन पर सरकार ध्यानपूर्वक विचार करेगी, और विद्यमान परिस्थितियों के अनुसार विचार करेगी। किन्तु यह भी सच है कि सरकार ब्यूरो या किसी आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होती। हमें प्रसन्नता है कि अब कपास के मूल्य किसानों को अच्छे मिल रहे हैं किन्तु मूल्यों में संतुलन रखना भी अनिवार्य होता है। अब विचार इस बात पर करना है कि वह संतुलन कैसे बनाये रखा जाये।

श्री स० कुन्दू : मेरे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर मिलना चाहिए।

Shri S. M. Banerjee : It is a fact that the prices of kinds of cloth have been continuously rising. Steps being taken to curb the rise in prices are yielding no results. The reasons for it is that a number of a textile mills have been closed or are going to be closed for one or the other reasons. May I know whether Government will ask the Textile Corporation to take over such mills as are in a position to be run ; if so, the number of such mills Corporation is going to take over ?

Shri L. N. Mishra : The Textile Corporation was constituted to take over the sick mills. At present 23 or 24 mills are under the control of this Corporation and the condition of 12-13 mills of them has improved to a great extent. Now these mills are earning profits.

It is a matter of concern to the Government that 12 mills are lying closed in West Bengal and as a result about 15000 workers have been rendered jobless. We are considering the measures to be adopted for making these closed mills run. One thing more I want to point out. We invest for only 51 per cent of the capital and for the rest 49 per cent the concerned State Governments have to make arrangement. Wherever the State Governments come forward, we make efforts to make sick mills run there. We have already taken three mills at Kanpur, U. P.

As regards the increase in the prices, nobody should think that Government are in favour of increase in the prices of cloth. After considering the Report of the Bureau we will take the final decision in the matter and the prices will be increased only if found necessary.

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम मिलों से आयातित रूई का आवश्यकता से अधिक मूल्य वसूल करती है, जो व्यापारिक दृष्टिकोण से अनुचित है ?

श्री ल० ना० मिश्र : रूई के व्यापार से भारतीय रूई निगम सम्बद्ध है न कि राज्य व्यापार निगम। जो भारतीय रूई निगम पांच-छः महीने पूर्व अस्तित्व में आया था, वह भी रूई का आयात सीधे नहीं करता है। उसकी ओर से कुछ एजेंट रूई का आयात करते हैं और उन्हें

कुछ कमीशन दिया जाता है। स्वयं सरकार रूई के व्यापार से कोई लाभ नहीं कमाती। प्रति गांठ एक रुपया लाभ का लिया जाता है और इसमें से 25 प्रतिशत रूई निगम के कर्मचारियों आदि पर खर्च होता है और शेष 75 प्रतिशत को एजेंटों को कमीशन के रूप में दे दिया जाता है।

श्री लोबो प्रभु : हमारा यह कटु अनुभव है कि सरकार सदा मूल्यों में वृद्धि करने में सफल रही है। इस मूल्य-वृद्धि के मूलतः दो कारण हैं। क्या यह मूल्य-वृद्धि भारतीय रूई निगम के कार्य शुरू करने के कारण हुई है ? क्या यह भी सच नहीं है कि सरकारी क्षेत्र के मिल रूई अधिक मूल्य पर खरीद रहे हैं और इस कारण से रूई के मूल्य बढ़ गये हैं ? क्या रूई के मूल्यों में वृद्धि के लिए सरकार ही जिम्मेदार नहीं है ?

श्री ल० ना० मिश्र : रूई निगम का देश में रूई के उत्पादन से कोई सम्बन्ध नहीं है। वस्तुतः बात यह है कि इस वर्ष देश में रूई का उत्पादन केवल 57 लाख गांठों तक सीमित रहा जबकि अनुमान 62 लाख गांठों का था। इसका मुख्य कारण है महाराष्ट्र में बाढ़ों से हुई क्षति। देश में रूई का उत्पादन कम होने के कारण ही रूई के मूल्यों में वृद्धि हुई है। भारतीय रूई निगम या राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा कुछ मिलों का नियंत्रण किये जाने के कारण कोई कठिनाई पैदा नहीं हुई है। इसके लिए सरकारी क्षेत्र को दोष देना उचित नहीं है। माननीय सदस्य क्या यह आरोप भी गलत है कि सरकार मूल्यों में वृद्धि ही करती है और कोई कार्य नहीं। यदि सदस्य महोदय गत दो-तीन वर्ष के आंकड़े देखेंगे तो उन्हें मालूम हो जायेगा कि इस अवधि में सूती कपड़े का उत्पादन पहले की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ा है।

निर्यात सम्बन्धी दायित्वों को पूरा करने में असफल रहे औद्योगिक गृहों के विरुद्ध कार्यवाही

\+

*334. **श्री रवि राय :** **श्री शिव चन्द्र झा :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन फर्मों को दण्ड देने का निर्णय किया है जो पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लाइसेंसों अथवा विदेशी सहयोग करारों के बदले में अपेक्षित निर्यात संबंधी दायित्वों को पूरा नहीं करती ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को उन फर्मों के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो निर्यात सम्बन्धी दायित्वों को पूरा करने में विफल रही हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (घ). जी हां। एक विवरण (अंग्रेजी में) सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें उन औद्योगिक उपक्रमों के संक्षिप्त

विवरण दिये गये हैं जिन्होंने मशीनों के आयात के बदले, निर्यात दायित्वों के लिए विहित प्रारम्भिक कालावधि में अथवा बाद में चढ़ाई गई कालावधि से अपने निर्यात दायित्वों को पूरा नहीं किया और इस त्रुटि के लिए उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही दिखाई गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4379/70]

Shri Rabi Ray : The names of ten firms have been mentioned in the statement which have not fulfilled their export obligations. May I know the percentage of lincence-holding firms, which have fulfilled their obligations and the percentage of those which have not fulfilled ?

Chowdhury Ram Sewak : There are 166 cases of capital goods which are pending with C. B I. In 51 cases files have been closed and action has already been taken against them. Investigations are in progress by C. B. I. in 98 cases. Information about 10 cases of them have been placed on the Table of the House. There are 7 other parties which failed in discharging their export obligations.

Shri Rabi Ray : The statement says that the case of M/s. M. G. Industries Pvt. Ltd., Bombay, is being investigated by C. B. I. I would like to know the time by which C. B. I. report will be submitted and whether there is a scheme to streamline the export licence system so that no firm betrays the Government in respect of their commitment concerning export ?

Chowdhary Ram Sewak : We impose certain conditions while giving licences. We take bank guarantee of personal guarantee or get the bonds excuted. As regards the C. B. I. report, we hope it will be submitted to us soon.

Shri Shiva Chandra Jha : Our Government are making declaration with pride that our export is declining. From the Statement mentioning the names of ten defaulting firms it appears that private firms will not be in a position to achieve the targets of export. In this context may I know whether our Government are going to nationalize the exports and import trade ; if not the reasons therefor ?

The Minister of Foreign Trade (Shri L. N. Mishra) : This year we are going to nationalise 80 per cent of import trade and the rest will be nationalised in coming years. At present we donot propose to nationalise the export trade as we want to boost our trade as much as possible. As regards the non-fulfilment of export obligations, the bank guarantees of the defaulting firms have been forfeited. Other legal action against them is also being taken.

श्री रा० बरुआ : क्या विदेशी सहयोग और आर्थिक विकास क्षेत्र में निर्यात अनिवार्य है और यही विदेशी पूंजी को भारत लाने में बाधक हो गया है। दूसरी ओर सरकार निर्यात और आयात को अपने हाथ में लेने के लिए तैयार नहीं है। इसके परिणामस्वरूप विदेशी सहयोग से औद्योगिकीकरण कम हो गया है। सरकार को इन दो पहलुओं के बारे में क्या उत्तर देना है। क्या वह किसी विदेशी पूंजी को भारत आने के लिए प्रोत्साहन दे रही है और निर्यात की अनिवार्यता पर बहुत जोर दे रही है या वह निर्यात व्यापार अपने अधिकार में लेना चाहती है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : जहां तक विदेशी पूंजी का संबंध है, इसका मुख्य संबंध वित्त मंत्रालय से है लेकिन यहां कुछ देश औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार सहयोग के लिये आते हैं तो हम उन्हें लाइसेंस देते हैं। आपको औद्योगिक नीति संकल्प की शर्तों की जानकारी है।

निर्यात प्रधानता के बारे में हमारी यह निश्चित नीति है कि यदि बड़ी विदेशी फर्में हमारे देश में उद्योग स्थापित करना चाहती हैं तो उन्हें निर्यात प्रधान होना चाहिये। उन्हें 75 से 80 करोड़ प्रतिशत निर्यात करना होगा। आरम्भ में उन्हें 25 प्रतिशत निर्यात करना होगा और फिर 40 प्रतिशत और तीसरे वर्ष में उन्हें अपने उत्पादन का 75 प्रतिशत निर्यात करना होगा।

Electricity Supply from Bhakra, Rihand and Rana Pratap Sagar Dams

*337. **Shri Ram Swarup Vidyarthi** : : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether great difficulties have arisen in making arrangement for irrigation and supply of electricity from the Bhakra and Rihand Dams for want of rains :

(b) whether the shortage of electricity in the northern region was met from the Rana Pratap Sagar, Ghora Dhangre in Satpura, Power House Station (C) of Delhi and the power stations of the Ganga Canal ; and

(c) if not, the reasons in each case and the action taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Yes, Sir. Due to insufficient rainfall during the monsoon season, the water level of Bhakra and Rihand reservoirs is lower than normal this year. It has consequently resulted in reduced generation of power and water for irrigation purposes.

(b) Yes, Sir.

(c) Does not arise.

Shri Ram Swarup Vidyarthi : May I know whether Government have a seheme to remove the chronic shortage of power or they will always depend on rain for generation of power.

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : यह सच है कि उत्तरी क्षेत्र में बिजली की कमी है और हमने इस सम्बन्ध में अनेक परियोजनाएं आरम्भ की हैं। हमें आशा है कि वे परियोजनाएं आगामी तीन या चार वर्षों में पूरी हो जायेंगी इसके परिणामस्वरूप बिजली की कमी पूरी हो जाएगी। इसके बावजूद बिजली की मांग में इतनी तेजी से वृद्धि हो रही है कि मुझे भय है कि चौथी योजना के अन्त में उत्तरी क्षेत्र में 3/4 लाख किलोवाट बिजली की कमी रहेगी।

Shri Ram Swarup Vidyarthi : Hon. Minister has stated that during the next few years the demand of electricity will incerase. I want to know whether taking the increased demand into consideration Government have any schemes to generate more power during the Fourth Five Year Plan and if not the alternative measures proposed to be taken to meet the shortage.

डा० कु० ल० राव : यह स्वीकार किया गया है कि चौथी योजना के अन्त में उक्त क्षेत्र में बिजली की 3/4 लाख किलोवाट की कमी होगी। अतः हम कुछ नई योजनाएं आरम्भ करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बारे में मैंने सम्बद्ध प्राधिकारियों को जांच करने और योजना तैयार करने के लिए लिखा है जिससे हम उन्हें आगामी एक या दो वर्षों में आरम्भ कर सकें और उक्त योजना के दौरान तेजी से बिजली की कमी को यथा सम्भव पूरा कर सकें।

हिमाचल प्रदेश को न्यायिक अधिकारियों का आवंटन

*338. **श्री हेमराज :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के पुनर्गठन के समय कितने न्यायिक अधिकारी हिमाचल प्रदेश को आवंटित किये गये थे ;

(ख) क्या अन्य न्यायिक अधिकारियों की तुलना में वरीयता निर्धारण करने सम्बन्धी मामले अभी तक अनिर्णीत पड़े हैं और यदि हां, तो कब से ;

(ग) उनके निर्णीत न किये जाने के क्या कारण हैं और इस बारे में कब तक निर्णय किया जायेगा ; और

(घ) उनमें से कितने अधिकारी शीघ्र सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनके नाम क्या हैं तथा उनके मामलों का निपटारा किस प्रकार किया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) 15।

(ख) हिमाचल प्रदेश में अन्य न्यायिक अधिकारियों की तुलना में पंजाब से आवंटित इन न्यायिक अधिकारियों की वरीयता को 4 अगस्त, 1970 को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अंतिम रूप दे दिया गया था।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता।

श्री हेमराज : मामला गत चार या पांच वर्षों से विचाराधीन है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उक्त अवधि में न्यायाधिकारियों के पदों पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने कितनी तदर्थ नियुक्तियां कीं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं यह नहीं बता सकता कि कितनी तदर्थ नियुक्तियां की गयीं। 1 नवम्बर, 1966 तक हिमाचल प्रदेश के वर्तमान संवर्ग में जिसमें अतिरिक्त जिला और सैसन न्यायाधीश भी शामिल हैं, 22 तदर्थ नियुक्तियां की गयीं हैं। उनमें 15 व्यक्ति पंजाब के हैं और 7 व्यक्ति हिमाचल प्रदेश के हैं। अवधि लम्बी है क्योंकि सम्बन्ध निर्धारित प्रक्रिया भी लम्बी है। इस बारे में संघ लोक आयोग तथा सलाहकार समिति से भी सलाह की गई थी।

सम्बद्ध व्यक्तियों से अपना मामला तथा यदि उन्हें कोई आपत्तियां हों, तो उन्हें प्रस्तुत करने के अवसर दिये गये हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त का सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार सम्बन्धी वक्तव्य

*335. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** **श्री रामावतार शर्मा :**
श्री जी० वेंकटस्वामी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त ने 19 अक्तूबर, 1970 को एक संवाददाता सम्मेलन

में कहा था कि सरकारी क्रिया-कलापों में व्यापक विस्तार होने के कारण सीमाशुल्क, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा लाइसेंस, आयात और निर्यात नियंत्रण जैसे अनेक विभागों में भ्रष्टाचार के अवसर बढ़ गये हैं और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सतर्कता आयुक्त ने इस सम्बन्ध में सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उन्होंने यह विचार व्यक्त किया था कि सरकारी क्रियाकलापों में व्यापक विस्तार होने के कारण सरकारी कर्मचारियों के लिए भ्रष्टाचार के अवसर बढ़ गए हैं ।

(ख) और (ग). केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त द्वारा समय-समय पर दिए गए सुझावों पर समुचित विचार किया जाता है और सरकार द्वारा आवश्यक उपचारात्मक कदम उठाये जाते हैं ।

अमरीका से रुई की खरीद

*336. **श्री नारायणन :** **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री सामिनाथन :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत अमरीका से रुई की 50,000 गांठें खरीद रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कब तक कपास के खरीदे जाने की संभावना है ; और

(ग) किन शर्तों पर ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) रुई के विपुल परिमाण के लिए संविदा की जा चुकी है ।

(ग) खरीददारी उन्हीं शर्तों पर की गई है जो पी० एल० 480 कार्यक्रम के सम्बन्ध में अब तक अपनाई गई है ।

भारत और बुल्गारिया के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए संयुक्त आयोग की स्थापना

*339. **श्री राम किशन गुप्त :**
श्री दे० अमात :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुल्गारिया ने व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए भारत के समक्ष एक संयुक्त आयोग की स्थापना का प्रस्ताव रखा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) प्रस्ताव पर दोनों सरकारों के बीच विचार-विमर्श हुआ है और यह विनिश्चय किया गया है कि प्रारम्भ में विशिष्ट क्षेत्रों में, जो समय-समय पर दोनों देशों द्वारा निर्धारित किये जाएंगे, द्विपक्षीय सहयोग की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए दोनों ओर के विशेषज्ञों के कार्यकारी दलों की बैठकें हों।

रांची में साम्प्रदायिक दंगों के लिए जिम्मेवार तत्व

*340. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** **श्री रा० की० अमीन :**
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रांची में हाल ही में हुए साम्प्रदायिक दंगों के लिए कौन कौन से तत्व जिम्मेवार थे ;

(ख) इन साम्प्रदायिक दंगों के पीछे किन व्यक्तियों का हाथ था ;

(ग) इन दंगों के परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति मारे गये तथा कितने मूल्य की सम्पत्ति नष्ट हुई ; और

(घ) केन्द्रीय सरकार तथा बिहार प्रशासन ने इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किये हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). रांची नगर में हाल में किन्हीं साम्प्रदायिक दंगों के होने की कोई सूचना नहीं है। तथापि रांची जिले के दो गांवों में 15 से 18 अक्तूबर तक क्रमशः 3 साम्प्रदायिक घटनायें लड़की के साथ छेड़-छाड़, यात्रा जलूस के रास्ते के बारे में विवाद तथा भूमि विवाद के परिणामस्वरूप हुई थी। इन घटनाओं में 6 व्यक्ति मरे थे। सम्पत्ति को हुई क्षति के बारे में सूचना राज्य सरकार से मालूम की जा रही है।

(घ) इन घटनाओं के सम्बन्ध में दर्ज मामलों की कानून के अनुसार तहकीकात की जा रही है। संबंधित क्षेत्रों में सशस्त्र दल नियुक्त किए गए हैं तथा जिला प्रशासन ने भी अन्य ऐतिहाती उपाय किए हैं।

Increase in India's Export Trade due to New American Policy

*341. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the statement made by the U. S. President in which he sought the concurrence of the U. S. Congress to purchase the goods from the developing countries through the aid given to such countries ;

(b) whether there is any likelihood of increase in the export trade of India due to this new policy of America ; and

(c) if so, the steps taken or proposed to be take with a view to earn profit through the aforesaid policy ?

The Minister of Foreign Trade (Shri L. N. Mishra : (a) and (b). Yes, Sir.

(c) Government of India are examining how best the facility afforded by the proposed new policy of the U. S. Government can be taken advantage of.

राज्यपालों द्वारा अपने स्थानान्तरण के लिये अनुरोध

*342. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्यों के राज्यपालों से अपने स्थानान्तरण के बारे में अनुरोध प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उक्त राज्यपालों के नाम क्या हैं ;

(ग) उसके क्या कारण बताये गये हैं ;

(घ) क्या सरकार ने उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) किसी भी राज्य के राज्यपालों से स्थानान्तरण के लिए कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठता।

रूस के साथ होने वाले आयात-निर्यात व्यापार के बारे में अध्ययन

*343. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मन्त्रालय द्वारा इस बारे में गहन रूप से अनेक अध्ययन किये जा रहे हैं कि आगामी वर्ष के प्रारम्भ से हमारे देश द्वारा रूस से किन मदों का आयात अथवा रूस को किन मदों का निर्यात किया जा सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक किये गये अध्ययनों का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). 1971-75 के दौरान भारत तथा सोवियत संघ के बीच नये दीर्घवधि व्यापार तथा भुगतान करार को अन्तिम रूप देने से पहले, दोनों देशों की अर्थ व्यवस्थाओं की बदलती हुई आवश्यकताओं तथा सम्भाव्यताओं को ध्यान में रखते हुए इस अवधि में दोनों देशों के बीच विनिमय की जाने वाली मदों का पता लगाने से सम्बन्धित कार्य में, दोनों देशों की सरकारें जुटी हुई हैं। औद्योगिक तथा निर्मित उत्पादों सहित दोनों देशों के बीच विनिमय योग्य विभिन्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए अगस्त, 1969 में भारतीय अधिकारियों का एक प्रतिनिधि मण्डल मास्को गया था, जुलाई, 1970 में एक सोवियत विशेषज्ञ दल भारत आया था तथा दोनों देशों के विशेषज्ञ दलों ने इस प्रकार के दौरे किये हैं।

संयुक्त परामर्श दात्री व्यवस्था का सांविधिक निकाय के रूप में परिवर्तन

*344. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त परामर्शदात्री व्यवस्था को एक सांविधिक निकाय बनाने के सम्बन्ध में विभिन्न केन्द्रीय श्रमिक संघों की राय मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन संगठनों से उत्तर प्राप्त हो गये हैं ;

(ग) क्या कोई अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के संगठनों से भी परामर्श किया जायेगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्श दात्री तथा अनिवार्य पंच निर्णय व्यवस्था को सांविधिक निकाय के रूप में परिवर्तित करने के लिए, श्रम तथा रोजगार विभाग द्वारा निम्नलिखित केन्द्रीय श्रमिक संगठनों, जो श्रम स्थायी समिति का प्रतिनिधित्व करते हैं, में परिचालित किया था :

1. इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, नई दिल्ली ।
2. हिन्द मजदूर सभा, बम्बई ।
3. आल इण्डियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, नई दिल्ली तथा
4. यूनाइटेड ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस, कलकत्ता ।

(ख) श्रम विभाग द्वारा केवल दो संगठनों—अर्थात—'हिन्द मजदूर सभा' तथा 'आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस' से ही उत्तर प्राप्त हुए हैं ।

(ग) और (घ). लोक सभा में दिनांक 16 सितम्बर, 1968, को गृह मंत्रालय में मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें प्रस्तावित व्यवस्था के सामान्य सिद्धांत तथा रूपरेखा, सभा के पटल पर पहले ही रखे जा चुके हैं ।

राष्ट्रीय एकता परिषद द्वारा की गई प्रगति

*3·5. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय एकता परिषद ने अपने कार्य में अब तक कितनी प्रगति की है ;

(ख) वह अपने उद्देश्य में कहां तक सफल रही है ; और

(ग) इस दिशा में आगे और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दनी सतपथी) : (क) जून, 1968 में श्रीनगर की अपनी बैठक में राष्ट्रीय एकता परिषद द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति के संबंध में नवीनतम स्थिति का एक विवरण संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए** संख्या एल० टी०—4380/70]

(ख) और (ग). सभी पहलुओं से राष्ट्रीय एकता को उन्नत करने का कार्य काफी लम्बे अर्से तक चलना है इसके बाद ही सफलता का कोई मूल्यांकन किया जा सकता है । तथापि, इसमें संदेह नहीं है कि राष्ट्रीय एकता के लिए ऐसा संगठित प्रयास देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है तथा

यह प्रयास समर्थकारी विधायी प्रबन्धों, प्रशासनिक उपायों, जन शिक्षा के उपयोग द्वारा तथा राष्ट्रीय एकता को उन्नत करने वाली गतिविधियों में भाग लेने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करके किया जा रहा है।

सभी राजनैतिक दलों द्वारा, जिन्होंने 3-4 नवम्बर, 1969 को सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा जारी किये गये वक्तव्य का समर्थन किया था चलाया गया एक संयुक्त जन अभियान साम्प्रदायिक तनाव तथा विघटन का मुकाबला करने के लिए एक प्रभावी शस्त्र होगा। ऐसे अभियान को संचालित करने के लिए एक संचालन समिति का गठन किया गया है जिसकी दूसरी बैठक शीघ्र ही होगी। इसी बीच साम्प्रदायिकता के विरुद्ध देश भर में तीव्र प्रचार अभियान चलाने के लिए सरकारी स्तर पर कार्यवाही की गई है।

सरकारी क्षेत्र में काजू निगम

*346. **श्री शशि भूषण :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री 19 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3322 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित काजू निगम की रचना तथा उसके कार्यों सम्बन्धी ब्यौरे को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह निगम किस तिथि से कार्य करना आरम्भ कर देगा ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). भारतीय काजू निगम 19-8-1970 को, जिस दिन से इसने अपना कार्य शुरू किया, दिल्ली में पंजीबद्ध हुआ था। इसने अपना मुख्य कार्यालय कोचीन में खोला है। निदेशक मंडल में प्रबन्ध निदेशक तथा अन्य सदस्यों, जिन्हें राज्य व्यापार निगम ने मनोनीत किया है, के अतिरिक्त तीन सरकारी सदस्य हैं जो विदेशी व्यापार मंत्रालय, वित्त तथा खाद्य और कृषि मंत्रालय तथा अध्यक्ष, काजू निर्यात संवर्धन परिषद, अर्णाकुलम और प्रबन्ध निदेशक, केरल काजू विकास निगम का प्रतिनिधित्व करते हैं।

बोर्ड के लिए एक गैर-सरकारी सदस्य के मनोनयन के संबंध में भी विचार हो रहा है। निगम का प्रमुख कार्य विदेशों से आयात के माध्यम से कच्चे काजू का उपार्जन करना तथा सरकार द्वारा समय समय पर बनाई गई नीति के अनुसार उद्योगों को उसका वितरण करना है।

कलकत्ता में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सीमा सुरक्षा दल का तैनात किया जाना

*347. **श्री प० गोपालन :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष संयुक्त मोर्चा सरकार के अपदस्थ को जाने के पश्चात् कलकत्ता शहर और उसके उप-नगरों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सीमा सुरक्षा दल की टुकड़ियों को तैनात किया गया है ;

(ख) कलकत्ता और उसके उप-नगरों में तैनात केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सीमा सुरक्षा-दल की टुकड़ियों की सही-सही संख्या कितनी है ; और

(क) क्या इन दलों के हटाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की 17 कम्पनियां और सीमा सुरक्षा दल की एक कम्पनी ।

(ग) ये टुकड़ियां पश्चिम बंगाल सरकार की विधि और व्यवस्था के कार्यों के लिये उपलब्ध की गई हैं । चुंकि वर्तमान स्थिति में राज्य सरकार को उनकी आवश्यकता होती है अतः उनके वापस बुलाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

कलकत्ता में छुरेबाजी से मारे गये पुलिस अधिकारियों, पुलिस क्लर्कों और कार्यालय कर्मचारियों का ब्यौरा

*348. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री वि० कु० मोडक :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) गत छः महीनों के दौरान कलकत्ता में कितने पुलिस कर्मचारियों, पुलिस क्लर्कों और कार्यालय कर्मचारियों को छुरा मारकर हत्या कर दी गई है ;

(ख) क्या इन सभी घटनाओं के पीछे नक्सलपंथियों का हाथ बताया जाता है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) से (ग). उपलब्ध सूचना के अनुसार जून से 18 नवम्बर, 1970 के बीच खास कलकत्ता शहर में तेरह पुलिस कर्मचारियों की छुरा मार कर हत्या की गई । इस के अतिरिक्त उसी अवधि में छः पुलिस कर्मचारियों की हत्या 24 परगना जिले में स्थित कलकत्ता के उपनगरों में तथा चार की हत्या हावड़ा और हुगली जिलों में, जिनके कुछ हिस्से बृहत कलकत्ता में आते हैं, की गई । इन हत्याओं के लिए नक्सलपंथियों तथा इसी प्रकार के अन्य उग्रपंथियों के जिम्मेदार होने का सदेह है । राज्य सरकार पुलिस कर्मचारियों को संरक्षण देने तथा उनका मनोबल बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही कर रही है ।

नक्सली नेता चारू मजूमदार की धमकियां

*349. **श्री मृत्युंजय प्रसाद :** क्या गृह-कार्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नक्सली नेता चारु मजूमदार द्वारा दी गई इस आशय की धमकियों की ओर दिलाया गया है कि मारे गये कतिपय नक्सलियों का बदला लेने के लिए पुलिस, सेना तथा असैनिक अधिकारियों का सफाया किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी बर्बर कार्यवाहियों को रोकने, उन व्यक्तियों को जिन्हें सफाया किये जाने की धमकियां दी गई हैं उचित संरक्षण प्रदान करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ग) क्या बिहार के मुंगेर जिले के कई प्रमुख व्यापारियों तथा बड़े किसानों को पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें उन्हें माओं वादियों द्वारा दिये गये मृत्यु दंड की सूचना दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उनको क्या संरक्षण प्रदान किया जा रहा है तथा ऐसे नक्सलियों की कार्यवाहियों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) ऐसे लेखों की सरकार को जानकारी है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, मुंगेर में कुछ व्यक्तियों को ऐसे धमकी-भरे पत्र प्राप्त हुए थे।

(ख) और (घ). राज्य सरकारें तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन नक्सलियों तथा इसी प्रकार के अन्य उग्रपंथियों की गतिविधियों से निपटने के लिए कानून के अन्तर्गत सभी आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं। ऐसी कार्यवाही में पुलिस कर्मचारियों को तथा नक्सलियों द्वारा आक्रमण की धमकी दिये गये अन्य व्यक्तियों की यथा सम्भव संरक्षण प्रदान करना शामिल हैं।

Constitution of Co-operative Electricity Committee for Rural Electrification on American Pattern

*350. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state the progress made so far in regard to the scheme for constituting a Co-operative Electricity Committee for rural electrification on the American Pattern ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : In the United States of America Federal assistance to accomplish rural electrification is provided through the rural Electrification Administration set up by the Rural Electrification Act of 1936. The Rural Electrification Administration provides loans at low rates of interest to borrowers for supplying electric power to rural areas. As the Power Companies showed little interest in using REA loan funds to build electric lines into thinly populated rural territory, rural electric co-operatives were formed to provide electric services on a non-profit basis, and the bulk of finances of the Rural Electrification Administration is provided to rural co-operatives. The above pattern has been adapted to special circumstances prevailing in India by setting up the Rural Electrification Corporation registered under the Companies Act 1956 in July, 1969. The main objectives of the Corporation are to finance the rural electrification schemes of State Electricity Boards and to finance and promote rural electricity co-operatives in the country. The Corporation has been directed to adopt a project approach for financing economically viable schemes, the condition of viability being waived for a short initial period not exceeding five years in respect of schemes relating to backward areas and to advance loans on terms comparable to those advanced by the Government of India to other financing institutions. The Corporation have so far sanctioned 77 schemes covering all the State Electricity Boards out of which 33 schemes relate to backward areas. In addition, the Corporation has sanctioned about Rs. 13 crores for five rural electric co-operatives which have been set up on a pilot basis.

निर्यात के लिए तम्बाकू की मात्रा तथा लाइसेंसों में वृद्धि

*351 **श्री शंकरराव माने** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोदामों में पड़े तम्बाकू की मात्रा को देखते हुए, निर्यात करने के लिए उसकी मात्रा तथा लाइसेंसों की सख्या बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि नहीं, तो देश में अनबिके तम्बाकू के भंडार को बेचने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं। तम्बाकू का निर्बाध निर्यात किया जा सकता है और उस पर परिमाण सम्बन्धी कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तम्बाकू निगम की स्थापना

*352. **श्री बे० कु० दासचौधरी** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था के सुझाव के अनुसार भारत से तम्बाकू के निर्यात को बढ़ाने हेतु सरकारी क्षेत्र में तम्बाकू निगम की स्थापना करने पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या निर्णय किया गया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). प्रश्नाधीन प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

Prosecution Cases against Cow Devotees Arrested in 1966

*353. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether the cow devotees, arrested in the Police firing on the 7th November, 1966, are still being prosecuted ; and

(b) if so, the number thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State in the Department of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) and (b). Five cases were instituted in courts in connection with the happenings of November 7, 1966. Four cases against eight persons have been decided. The remaining case against 82 persons is sub-judice.

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को वापस बुलाया जाना

*354. **श्री शिव कुमार शास्त्री** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति का शासन लागू होने के पश्चात् वहां की कानून और व्यवस्था की स्थिति और भी खराब हो रही है ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को वहां से वापस बुलाने की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) कुछ अर्थों में विधि और व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है। फिर भी, पुलिस कर्मचारियों तथा सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध नक्सलवादियों की हिंसा तथा कुछ राजनैतिक दलों के सदस्यों के बीच हिंसा की घटनाओं में वृद्धि हुई है ;

(ख) कुछ क्षेत्रों की ऐसी मांग ध्यान में आई है।

(ग) पुनः सामान्य स्थिति बनाने और नक्सलवादियों की हिंसा से दृढ़ता से निपटने के लिए निश्चित कदम उठाये जा रहे हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु पश्चिम बंगाल राज्य विधान मंडल (शक्तियों के हस्तान्तरण) अधिनियम के अन्तर्गत गठित समिति से परामर्श करने के उपरांत राष्ट्रपति ने पश्चिम बंगाल (हिंसात्मक गतिविधियां निरोध) अधिनियम अधिनियमित किया है। पश्चिम बंगाल में लोक व्यवस्था बनाये रखने का विधेयक जो कथित समिति द्वारा भी स्वीकार किया गया था, शीघ्र कानून के रूप में अधिनियमित करने के लिए प्रक्रियागत है।

संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन

*355. **श्री बलराज मधोक** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ संघ राज्य क्षेत्रों को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करने के मामले में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों से भिन्न कार्यवाही की है ;

(ख) क्या सरकार ने दिल्ली संघ-राज्य क्षेत्र के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के संबंध में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है ; और

(ग) यदि हाँ, तो दिल्ली के बारे में ऐसी भेद-भाव पूर्ण नीति अपनाने के क्या कारण हैं तथा दिल्ली के बारे में सरकार कब निर्णय कर लेगी ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) प्रशासनिक सुधार आयोग के विचारार्थ विषय में संघ राज्य क्षेत्रों को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का प्रश्न शामिल नहीं था और उन्होंने इस संबंध में कोई सिफारिश नहीं की।

(ख) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली पर प्रशासनिक सुधार आयोग की शिफारिशें विचाराधीन हैं।

(ग) दिल्ली के सम्बन्ध में निर्णय को अन्तिम रूप देने के लिए कोई समय रेखा निश्चित करना कठिन है। राष्ट्रीय राजधानी की समस्यायें अन्य क्षेत्रों की राजधानियों से भिन्न हैं।

सरकार का विकासशील देशों में पूंजी लगाने का निर्णय

*356. **श्री मोठा लाल मीना :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विकासशील देशों में पूंजी लगाने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या अपने ही देश में पूंजी लगाने की आवश्यकता विद्यमान है ; और

(ग) यदि हां, तो विदेशों में विनियोजन का निर्णय लेने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) तथा (ख). सामान्य शेयर पूंजी में अपने अंश के रूप में स्वदेशी मशीनरी एवं उपस्कर तथा तकनीकी जानकारी प्रदान करके विदेशों में औद्योगिक संयुक्त उपक्रमों की स्थापना हेतु भारतीय उद्यमियों को सीमित रूप में प्रोत्साहित करने की नीति पहले से ही विद्यमान है । निवेश के लिये नकद रुपया विदेशों को भेजने की आज्ञा नहीं दी जाती है । केवल ऐसे उद्योगों के विषय में जिनमें मशीनों के उत्पादन की वेशी क्षमता है और जहां उत्पाद के लिए आंतरिक मांग काफी हद तक पूरी हो जाती है, उद्योगपतियों को विदेश में जाकर संयुक्त औद्योगिक उद्यमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है । विदेशों में हमारे संयुक्त उद्यमों में किये जाने वाले निवेश से हमारे देश के औद्योगीकरण पर किसी भी प्रकार प्रभाव नहीं पड़ता है । दूसरी ओर, इसको निर्यात संवर्धन के एक उपाय के रूप में तथा विकासशील देशों के मध्य आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए अपनाया गया है ।

(ग) उपरोक्त को देखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से रूस और पूर्वी यूरोप के कम्युनिस्ट देशों के साथ व्यापार करने के बारे में संसद सदस्यों की मांग

*357. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में कुछ संसद सदस्यों द्वारा यह मांग की गई थी कि केन्द्रीय सरकार को राज्य व्यापार निगम के माध्यम से रूस और पूर्वी यूरोप के अन्य साम्यवादी देशों के साथ व्यापार करना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). गत वर्षों में समय समय पर इस सम्बन्ध में संसद के सदस्यों ने सुझाव दिए हैं । तथापि, सरकार की यह नीति नहीं है कि किसी विशेष देश अथवा देशों के समूह के साथ आयात तथा निर्यात को सरकारी क्षेत्र के किसी विशेष व्यापारिक अभिकरण के माध्यम से मार्गीकृत किया जाये ।

आन्ध्र प्रदेश में जल विकास की योजनायें

*358. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने चौथी योजना के दौरान राज्य में जल-निकास कार्य के लिये योजनायें प्रस्तुत की हैं ;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उन पर कितनी लागत आने का अनुमान है ;

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने कितनी वित्तीय सहायता मांगी है ; और

(ङ) इस राज्य को कितनी राशि की सहायता देने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग). आन्ध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में जल निकास में सुधार लाने के लिए केवल एक स्कीम ही राज्य सरकार से प्राप्त हुई है जिसमें ये कार्य शामिल हैं। 15,000 क्यूसेक की निस्सार क्षमता के लिए उप्पुतेरू में सुधार, निचली पहुंचों में बाढ़ों के प्रकोप को कम करने के लिए थम्मीलेरू के ऊपर एक बाढ़ रोक जलाशय और कृष्णा और गोदावरी डेल्टाओं में नालियों का सुधार यह स्कीम 13.39 करोड़ रुपये की लागत पर योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार कर ली गई है। यह स्कीम कार्यान्वयनार्थ 1969 में हाथ में ली गई है और चतुर्थ योजना में जारी रखी जा रही है।

(घ) राज्य सरकार ने स्कीम के द्रुत कार्यान्वयन के लिए 1970-71 के दौरान 4 करोड़ रुपये की विशेष सहायता के लिए प्रार्थना की है।

(ङ) मामला विचाराधीन है।

महाराष्ट्र में पेन्च पनबिजली परियोजना की मंजूरी देने में योजना आयोग द्वारा विलम्ब

*359. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीन वर्ष से भी अधिक समय पूर्व महाराष्ट्र को पेन्च पनबिजली परियोजना तकनीकी रूप से स्वीकृति हो जाने के बावजूद भी उक्त परियोजना की योजना आयोग द्वारा मंजूर किए जाने में विलम्ब करने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने योजना आयोग को मंजूरी प्राप्त न होने के बावजूद भी परियोजना पर कार्य शुरू करने के अपने निर्णय की सूचना केन्द्रीय सरकार को दे दी ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) पेन्च पन बिजली परियोजना

गोदावरी बेसिन में स्थित है। जब तक गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण गोदावरी नदी से सम्बन्धित जल विवाद पर विचार करता रहेगा। भारत सरकार गोदावरी बेसिन में किसी भी नई परियोजना को स्वीकार करना ठीक नहीं समझती।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हड़ताल के दौरान दुर्गापुर में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तैनात करना

*360. **श्री क० अनिरुद्धन** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हड़ताल के दौरान दुर्गापुर में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की टुकड़ियों को तैनात किया गया था ;

(ख) क्या सरकार को ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को हटाने की मांग की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मन्त्री, अणुशक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) तैनात किए गए दलों को वापस बुलाना आवश्यक अथवा उचित नहीं समझा गया था।

विदेशों में अपनी भारतीय नागरिकता से वंचित भारतीय

2187. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में रहने वाले ऐसे भारतीयों की देशवार संख्या कितनी है जो गत तीन वर्षों में भारतीय नागरिकता अधिनियम के अनुसार समय-समय पर भारतीय वाणिज्य दूत अथवा राजदूत के कार्यालय में अपनी नागरिकता पंजीकृत न कराने के कारण अपनी भारतीय नागरिकता खो बैठे हैं ;

(ख) ऐसे नागरिकों की कुल संख्या कितनी है जो स्वयं ही विदेशों की नागरिकता स्वीकार करने के कारण अपनी भारतीय नागरिकता खो बैठे हैं और ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी नागरिकता प्रदान की गई है ; और

(ग) गत तीन वर्षों में देशवार कितने विदेशियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसा कोई मामला नहीं था जिससे एक भारतीय नागरिक को भारतीय नागरिकता से भारतीय नागरिक बने

रहने की इच्छा से नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 की उपधारा 2 के अनुच्छेद (ङ) के उपबंधों के अनुसरण में वाणिज्य दूतावास पर वार्षिक पंजीकरण करने में असमर्थ रहने के कारण वंचित किया गया था। उस अधिनियम के अन्तर्गत अन्य व्यवस्था नहीं है जिससे भारतीय वाणिज्य दूतावास में नियतकालिक पंजीकरण करने में असमर्थ रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है।

(ख) नागरिकता अधिनियक 1955 में भारतीय नागरिकों को उनके द्वारा विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर सरकार को रिपोर्ट करने की व्यवस्था नहीं है। अतः पूछी गई निश्चित सूचना उपलब्ध नहीं है। फिर भी उस अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के अन्तर्गत 1-11-1967 से 31-10-1970 के दौरान 206 व्यक्तियों के बारे में यह समझा गया कि उन्होंने अन्य राष्ट्र की नागरिकता प्राप्त की।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

क्रम संख्या	देश	भारतीय नागरिकता प्रदान किए गये व्यक्तियों की संख्या
1.	अफगानिस्तान	4
2.	बेलजियम	1
3.	यू० के०	12
4.	बर्मा	32
5.	लंका	22
6.	चेकोस्लोवाकिया	1
7.	चीन	9
8.	पू० जर्मनी	2
9.	प० जर्मनी	1
10.	ग्रीस	1
11.	इन्डोनेशिया	3
12.	इरान	10
13.	इराक	2
14.	इटली	2
15.	इस्रायल	1
16.	जापान	1

1 2	3
17. मलेसिया	2
18. नेपाल	6
19. पाकिस्तान	514
20. पुर्तगाल	10
21. सिंगापुर	2
22. दक्षिण अफ्रीका	3
23. तन्जानियां	1
24. तिब्बत	7
25. अमरीका	1
26. रूस	1
योग	651

टिप्पणी :—उपरोक्त आंकड़ों में नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 की उपधारा (1) के अन्तर्गत पंजीकरण करने के पात्र श्रेणी (क), (ख) और (घ) के व्यक्ति सम्मिलित नहीं हैं । इन श्रेणियों के संबंध में उपलब्ध सूचना इस प्रकार है :—

श्रेणी	संख्या	अवधि
धारा 5(1) (क)	47,968	1-1-67 से 31-12-69
धारा 5(1) (ख)	832	—वही—
धारा 5(1) (घ)	764	—वही—

देशवार सूचना उपलब्ध नहीं है । धारा 5(1) (क) या धारा 5(1) (घ) के अन्तर्गत भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण करने वाला प्राधिकारी कलेक्टर और धारा 5(1) (ख) के अन्तर्गत विदेश में भारतीय मिशनों में वाणिज्य अधिकारी होता है ।

फिल्म निर्माता द्वारा आयातित कच्ची फिल्म की चोर बाजारी

2188. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक फिल्म निर्माता भूपिन्दर सिंह बेदी को 1.2 लाख रुपये के मूल्य की आयातित कच्ची फिल्म की चोर बाजार में कथित बिक्री करते हुए पाया गया है ;

(ख) क्या गत दो वर्षों के दौरान देशी फिल्म और आयातित कच्ची फिल्म की चोर-बाजारी करने की अन्य घटनायें भी प्रकाश में आई हैं ;

(ग) यदि हां, तो गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नाम क्या हैं और चोर बाजार में बेची गई कच्ची फिल्म की कीमत और मात्रा कितनी है ; और

(घ) कच्ची फिल्म की चोर बाजारी को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

केरल स्थित इड्डिकी पन-बिजली परियोजना में हड़ताल

2189. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल स्थित इड्डिकी पन-बिजली परियोजना में गत तीन वर्षों के दौरान कितनी हड़तालें हुई, उन हड़तालों में कितने कर्मचारियों ने भाग लिया तथा उन हड़तालों के कारण वास्तव में कितनी हानि हुई ;

(ख) क्या कनाडा के उच्चायुक्त ने 27 सितम्बर, 1970 को इड्डिकी में कार्य की धीमी गति पर चिन्ता व्यक्त की थी ;

(ग) प्रथम यूनिट को आरम्भ करने की मूल लक्ष्य-तिथि क्या थी तथा इस समय यह परियोजना किस अवस्था को पहुँची है तथा विलम्ब से कार्य आरम्भ होने के कारण प्रतिदिन कितनी हानि हुई ;

(घ) कार्य की गति तेज करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) यदि इस मामले में कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान इड्डिकी में 44 हड़तालें हुई जिसके परिणामस्वरूप लगभग 12 लाख कार्य-दिवसों का नुकसान हुआ । इन हड़तालों में भाग लेने वालो की संख्या घटती बढ़ती रही—कुछ में थोड़े से लोगों ने भाग लिया और कुछ में 2300 तक लोगों ने भाग लिया ।

(ख) 28 सितम्बर, 1970 को हुई इड्डिकी पुनरवलोकन बोर्ड की बैठक में, जिसमें कनाडा के हाई कमिशनर ने भाग लिया था, परियोजना की प्रगति का पुनरवलोकन किया और परियोजना के कार्यान्वियन में तेजी लाने के लिए सुझाव दिए गए ।

(ग) प्रथम उत्पादन यूनिट के प्रचालन की मौलिक लक्ष्य तिथि 1970 के अन्त में थी । इस समय, लगभग 35 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है और अब प्रथम यूनिट के 1973 के उत्तरार्ध में चालू होने की सम्भावना है । चूंकि परियोजना पर लगी पूंजी पर लाभ, यूनिटों, के प्रचालन के पश्चात विद्युत विक्रय द्वारा ही होगा, अतः परियोजना को सीधा नुकसान होने का प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) और (ङ). सिविल कार्यों की प्रगति में तेजी लाने के लिए और उपस्कर मंगवाया गया है । मजदूरों के झगड़ों को अब तेजी से निपटाया जा रहा है और कार्य की आवश्यक मदों

को विभाग द्वारा ही किया जा रहा है । दोषी ठेकेदारों को या तो और मदद दी गई है या फिर हटा दिया गया है ।

पुंछ सीमा पर रहने वाले पाकिस्तानी एजेन्टों के घरों पर छापे

2190. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि चौधरी शिराली के नेतृत्व में एक पुलिस दल ने पुंछ सीमा पर स्थित गांवों विशेषरूप से बहरामगला में रहने वाले पाकिस्तानी एजेन्टों के घरों पर सितम्बर, 1970 के दौरान छापे मारे तथा बड़ी मात्रा में शस्त्र तथा गोला-बारूद बरामद किया ;

(ख) जिन व्यक्तियों के घरों पर छापे मारे गये उनके नाम क्या हैं तथा बरामद किये गये शस्त्रों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) काश्मीर स्थित इन पाकिस्तानी एजेन्टों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि अन्तर्गस्त व्यक्तियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). राज्य सरकार ने सूचित किया है कि पुलिस थाना बिहरमगला के सबइंसपेक्टर शेर अली ने 32 बन्दूकें मराह, पौसना और चांदगढ़ गावों से बरामद की थीं और इस बरामदगी से पाकिस्तानी एजेन्टों का कोई संबंध नहीं था ।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता ।

अफगानिस्तान और ईरान से मेवों का आयात

2191. **श्री शशि भूषण :** क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत द्वारा अफगानिस्तान और ईरान से मेवों का आयात किया जाता है और यदि हां, तो क्या दोनों देशों से आयात करने की प्रक्रिया अलग-अलग है ;

(ख) क्या अफगानिस्तान से लगभग पांच वर्ष पहले आयात किये जाने वाली मेवे की उसी मांग के आयात के लिये अब भारत को चार गुना अधिक धन देना पड़ता है ;

(ग) क्या अफगानिस्तान की अपेक्षा ईरान से आयात किये जाने वाले मेवे के लिए काफी कम धन देना होता है ; यदि हां, तो इस बारे में तुलनात्मक स्थिति क्या है ;

(घ) क्या भारत जिन वस्तुओं का अफगानिस्तान को निर्यात करता है, वे अन्य देशों को भेज दी जाती हैं, क्योंकि अधिकांश वस्तुएं डालर अर्जक होती हैं ;

(ङ) क्या अफगानिस्तान के साथ व्यापार में बैंकिंग और लाइसेंसिंग प्रणाली लागू नहीं है और यह सुस्थापति अन्तर्राष्ट्रीय परम्पराओं के प्रतिकूल है ; और

(च) अफगानिस्तान के साथ व्यापार में बैंकिंग और लाइसेंसिंग प्रणाली को लागू करके स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां। 1969-70 में अफगानिस्तान से 10900 मे० टन मेवे का आयात किया गया जिसका मूल्य 6.8 करोड़ रु० था और ईरान से 2500 मे० टन मेवे का आयात किया गया जिसका मूल्य 88 रु० था।

(घ) ऐसे समाचार मिले हैं कि भारतीय चाय जैसी वस्तुओं को अफगानिस्तान के मार्फत अन्य देशों को भेजा जाता है। 13-14 नवम्बर, 1970 को काबुल में हुई वार्ता में यह बात स्वीकार की गई कि भारत सरकार तथा शाही अफगान सरकार एक दूसरे के देश से आयातित माल का अन्य देश को भेजा जाना रोकने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करेगी।

(ङ) भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार का आदान-प्रदान दोनों देशों के बीच समय-समय पर किये गये विशेष व्यापार प्रबन्धों के अनुसार विनियमित होता है। इन व्यापार प्रबन्धों के अन्तर्गत अफगानिस्तान से आयात करने की अनुमति एक विशेष लाइसेंस प्रक्रिया के अनुसार दी जाती है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक लेन-देन सामान्यतः बैंकों के माध्यम से नहीं होता। इस प्रश्न पर दोनों सरकारों के बीच बातचीत चलती रही है।

(च) विद्यमान प्रणाली में सुधार, जिसके लिए भारत की ओर से आग्रह किया जा रहा है, के प्रश्न पर दोनों ओर से उस समय विचार किया जाएगा जबकि 1 अगस्त, 1971 के आरम्भ में होने वाली कालावधि के लिए व्यापार प्रबन्धक तैयार किये जायेंगे। इस बीच, दोनों पक्ष प्रस्तावित सुधारों के विषय में यथासम्भव शीघ्र परस्पर सुविधाजनक समय पर लाभप्रद वार्ता करेंगे और व्यापारी वर्गों को इस बात के लिए मनाने का भरसक प्रयत्न करेंगे कि वे विद्यमान पद्धति का ऐसा दुरुपयोग न करें जिससे कि भारतीय तथा अफगान उत्पादों के उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं को हानि हो।

सिंचाई तथा विद्युत परियोजना के लिये राज्यों को सामूहिक ऋणों/अनुदानों का आधार

2193. **श्री घुलेश्वर मीना :**
श्री तु० राम :

क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों को उनकी सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु किस आधार पर सामूहिक ऋण/अनुदान किये जाते हैं ;

(ख) क्या ऐसे सामूहिक ऋण/अनुदान अन्य बातों के अतिरिक्त संबंधित राज्य द्वारा तैयार किये गये तथा केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा अनुमोदन किये गये प्रत्येक योजना के प्राक्कलनों के आधार पर दिये जाते हैं ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार यह सुनिश्चय करने के लिये कि राज्य सरकारों को दिया गया धन उसी उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जाता है जिसके लिए वह दिया गया है, ऐसे ऋणों/अनुदानों के खर्च पर कोई पर्यवेक्षी नियंत्रण रखती है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता कुल राज्य योजना परिव्यय के लिए ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है और यह सहायता किसी विशिष्ट स्कीम अथवा विकास कार्य के साथ जुड़ी नहीं होती। असम, नागालैंड तथा जम्मू व कश्मीर की आवश्यकताओं के लिए व्यवस्था करके, शेष केन्द्रीय सहायता राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मानदण्डों के आधार पर योजना आयोग द्वारा बाकी राज्यों को दी जाती है :—

(1) जनसंख्या के आधार पर 60 प्रतिशत।

(2) राज्य की प्रति व्यक्ति आय के आधार पर 10 प्रतिशत—इस मानदण्ड के अंतर्गत सहायता उन राज्यों को दी जाती हैं जिनकी आय राष्ट्रीय औसत से कम है।

(3) राज्य आय के सम्बंध में कर प्रयासों के आधार पर 10 प्रतिशत।

(4) पीछे से चली आ रही बृहत् संतत सिंचाई एवं विद्युत् परियोजनाओं के आधार पद 10 प्रतिशत ; और

(5) व्यक्तिगत राज्यों की विशिष्ट समस्याओं को पूरा करने के लिए 10 प्रतिशत।

(ख) जी नहीं।

(ग) सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं को कार्यान्वित करना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। बहरहाल, यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वयन के दौरान योजना के लिए प्राथमिकताओं को आमतौर से सुरक्षित रखा जाए, योजना आयोग, राज्य सरकारों से विचार-विमर्श करने के पश्चात्, कुछ बिशिष्ट संतत बृहत् सिंचाई स्कीमों और विद्युत् उत्पादन और पारेक्षण की विशिष्ट स्कीमों के लिये परिव्यय प्रथग्रक्षित करता है। इस प्रकार स्वीकृत परिव्ययों को किसी अन्य कार्यक्रम/स्कीम के लिये बिना योजना आयोग की स्वीकृति के नहीं बदला जा सकता।

बदरपुर तापीय विद्युत परियोजनाओं के पूरा होने में बिलम्ब

2194. **श्री भुलेश्वर मीना :**

श्री तु० राम :

क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बदरपुर तापीय विद्युत परियोजना के सिविल निर्माण कार्य की प्रगति में रूकावट होने के क्या कारण हैं जिससे कि पहले संयंत्र के चालू होने में ही बिलम्ब हो रहा है ;

(ख) सिविल निर्माण कार्य को पूरा करने के लिये उत्तरदायी ठेकेदारों के क्या नाम हैं ;

(ग) उन भारतीय निर्माताओं के नाम तथा पते क्या हैं जिन्होंने आवश्यक उपक्रमों की सप्लाई की अवधि को बढ़ा दिया है तथा जिसके परिणामस्वरूप पहले संयंत्र के चालू होने में, बिलम्ब होगा तथा ऐसे उपक्रमों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस विलम्ब के परिणामस्वरूप परियोजना को अनुमानित कुल कितनी हानि होगी ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) बदरपुर के पहले यूनिट को चालू करने के काम को स्थगित करने का मुख्य कारण यह है कि सिविल कार्यों में अनुसूची के अनुसार प्रगति नहीं हुई है और देशी निर्माताओं ने कुछ आवश्यक उपकरणों को सप्लाई करने की अवधियां बढ़ा दी हैं।

(ख) जिन मुख्य अभिकरणों और ठेकेदारों को बदरपुर परियोजना के सिविल कार्यों की क्रियान्विति सौंपी गई है, उनके नाम निम्नलिखित हैं :—

1. भारत सेवक समाज।
2. राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम।
3. राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम।
4. हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी।
5. मैं० गैमन इन्डिया लि०।
6. मैं० चरनजीत कोछड़।
7. उत्तरी रेलवे।
8. भारत इन्डस्ट्रियल वर्क्स।
9. उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग।

(ग) जानकारी नीचे दी जाती है :—

उपकरण	संभरकों के नाम और पते
1. टर्बोजनिक और बायलर फीड पंप	भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लि०, हरिद्वार।
2. कंट्रोल और इन्स्ट्रूमेन्टेशन	इन्स्ट्रूमेन्टेशन लि० कोटा।
3. कोल हेंडलिंग प्लांट	टाटा-रोबिन्स-फ्रेजर लि० जमशेदपुर।
4. सर्कुलेटिंग वाटर पंप	फ्लोमोर प्राइवेट लि०, नई दिल्ली।
5. स्टेशन एयर कम्प्रेस्सर (दो)	कन्सोलिडेटिड न्यूमेटिक टूल कं० लि०, बम्बई।
6. टर्बाइन हाउस क्रेन	जैस्सर एण्ड कं० लि०, कलकत्ता।
7. 220 के० वी० एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर	हेवी इलेक्ट्रिकल्स (इन्डिया) लि०, भोपाल।

(घ) क्योंकि परियोजना पर लगी पूंजी का लाभ यूनिटों को चालू करने के पश्चात् बिजली के बेचने से होगा, इसलिये परियोजना से किसी प्रत्यक्ष हानि का प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों में लाटरी टिकट बेचने का प्रस्ताव

2195. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में लाटरी के टिकट बेचने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और कौन से राज्य इस उद्यम के लिए तैयार हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमान। इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पंजाब सरकार द्वारा दिया गया था जो यथायोग्य विचार करने के पश्चात स्वीकार नहीं किया गया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्राकृतिक रुई का मूल्य

2196. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में प्राकृतिक रुई के मूल्यों में वृद्धि की थी और यदि हां, तो कितनी वृद्धि की गई थी तथा उसके क्या कारण हैं ; और

(ख) नये मूल्य को कब से लागू किया जायेगा ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी रामसेवक) : (क) और (ख). सरकार ने रूई के लिए कोई बाजार कीमतें निर्धारित नहीं की हैं लेकिन रूई की विभिन्न किस्मों के लिए समर्थन कीमतें निर्धारित कर दी हैं ताकि उपजकर्त्ताओं का न्यूनतम उचित प्रतिफल मिलना सुनिश्चित किया जा सके। वर्ष 1970-71 के लिए हाल ही में घोषित समर्थन कीमतें वर्ष 1969-70 की समर्थन कीमतों की अपेक्षा 5 प्रतिशत अधिक हैं और 1 सितम्बर, 1970 से लागू हो गई हैं। यह 5 प्रतिशत की वृद्धि कृषि मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर की गई है।

सरकारी क्षेत्र में नाइलोन वस्त्र संयंत्र

2.97. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **वैदेशिक-व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में नाइलोन वस्त्र संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी रामसेवक) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए एकीकृत प्रयास किये जाने के बारे में समन्वित निकाय की स्थापना

2198. **श्री मुहम्मद शरीफ** : **श्री दण्डपाणि** :
श्री मयावन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र, जिसमें आसाम, नागालैंड, मेघालय, नेफा, मनीपुर

तथा त्रिपुरा सम्मिलित हैं के संतुलित विकास तथा सुरक्षा हेतु स्वीकृत प्रयास किये जाने के लिये एक समन्वित निकाय की स्थापना के बारे में विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). संसद के गत बजट अधिवेशन में संसद ने उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में विकास और सुरक्षा की समन्वित योजना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर-पूर्वी परिषद अधिनियम अधिनियमित किया था। मनीपुर, त्रिपुरा तथा मेघालय को राज्य का दर्जा देने का निर्णय इस क्षेत्र की इन बातों के सम्बन्ध में और अधिक अध्ययन करने की मांग करता है। यह अध्ययन हाथ में लिया गया है।

औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी लगाना

2199. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी लगाने के लिए योजना आयोग ने सरकार को एक पत्र भेजा है ; .

(ख) क्या उस पत्र में योजना द्वारा निर्धारित क्षेत्रों के बाहर राजकीय क्षेत्र में नई परियोजनाओं के समावेश के विरुद्ध तर्क दिये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो नोट में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री, अणुशक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग). सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को पूंजी के लिए वित्तीय संस्थानों से सम्पर्क करने की अनुमति देने के निर्णय के अनन्तर इस सम्बन्ध में किये गये प्रस्तावों को निपटाने के लिए प्रक्रियायें विकसित की जा रही हैं। योजना आयोग केन्द्रीय मन्त्रालयों से यह पता लगायेगा कि सरकारी क्षेत्र की जिन परियोजनाओं के लिए पूंजी की व्यवस्था वित्तीय संस्थानों की सहायता से की जानी है उन परियोजनाओं के लिए उनके नये प्रस्ताव क्या हैं। योजना आयोग जीवनक्षमता और प्राथमिकता के आधार पर तथा वित्तीय संस्थानों से उपलब्ध वित्त के संदर्भ में इन प्रस्तावों पर विचार करेगा। राज्यों से प्राप्त हुए प्रस्ताव प्राथमिकता निर्धारण के लिए वित्तीय संस्थानों द्वारा योजना आयोग के पास भेजे जायेंगे।

Relief Operations in Flood Affected Areas of Gujarat, U. P., Assam etc.

2200. **Shri Janeshwar Misra** : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) the extent to which the relief operations were stepped up following the visit of the Prime Minister to the flood-affected areas in Gujarat, Uttar Pradesh, Assam etc. ; and

(b) the amount of assistance received by the Central Government from within the country and foreign countries to tide over this crisis and how much assistance was given by the Central Government for this purpose ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) and (b), The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

निर्धनों की सहायता हेतु भारतीय दण्ड संहिता

2201. **श्री देवेन सेन** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कानून में तथा 1898 की भारतीय दण्ड संहिता में आवश्यक परिवर्तन करने का सिद्धान्त रूप में निर्णय कर लिया है ताकि निर्धन वर्ग के लोगों को न्यायालय के मामलों में लाभ हो सके ;

(ख) क्या उक्त परिवर्तन विधि आयोग के प्रतिवेदन पर आधारित है और क्या अधिक परिवर्तनों की सिफारिश भी की गई थी ;

(ग) यदि हा, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में विधेयक संसद् में पेश किया जायेगा ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) से (घ). विधि आयोग द्वारा भारतीय दंड संहिता की अभी तक जांच की जा रही है और उनकी रिपोर्ट प्रतीक्षित है। फिर भी, विधि आयोग ने दण्ड प्रक्रिया संहिता संबंधी अपने 41वें प्रतिवेदन में दोषी को राज्य के खर्च पर कानूनी सहायता देने के प्रश्न की जांच की है। उनकी सिफारिशें प्रतिवेदन के खण्ड I के अध्याय XXIV के पैरेग्राफ 38 और 39 में समाविष्ट हैं। इन सिफारिशों पर, एक संशोधित दण्ड प्रक्रिया संहिता को अधिनियमित करने के लिए व्यापक विधेयक में शामिल करने हेतु जिसका सदन के चालू सत्र में पुर:स्थापित करने का इरादा है, यथोचित कार्य किया जा रहा है।

Complaints against Tyre Manufacturers re : purchase of Raw Rubber

2202. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Ram Charan :

Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) whether Government have received complaints that tyre manufacturers are not purchasing raw rubber from indigenous producers and insist on its import ; and

(b) if so, the action taken by Government to safeguard the interests of rubber producers in the country ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) Complaints have been received about accumulation of stocks with producers due to low off-take by the manufacturers.

(b) The State Trading Corporation have already entered rubber market and have started purchases of rubber.

Mid-Term Election in Manipur

2203. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the date on which elections to the Legislative Assembly of Manipur are likely to take place ; and

(b) the reasons for which the said elections are being postponed considering that the Manipur Assembly was dissolved earlier than the Kerala Legislative Assembly ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) and (b). No date for the elections has been fixed. As the House is aware, Government have accepted in principle the demand for grant of statehood to Manipur. The details in this behalf are being worked out. There is a strong feeling in the Union territory that the elections should be held after the statehood law has been enacted and not under the existing set-up.

दिल्ली नगर निगम के चुनाव

2204. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मार्च 1970 से पूर्व दिल्ली नगर निगम के चुनाव करने के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया है ;

(ख) चुनाव की क्या तिथि नियत की गई है ;

(ग) क्या सरकार का विचार चुनाव क्षेत्रों की परिसीमा में परिवर्तन करने का है ;

(घ) क्या दिल्ली नगर निगम अधिनियम के अन्तर्गत निगम में स्थानों की सख्या 100 से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती और क्या दिल्ली नगर निगम अधिनियम में निहित मापदंड के अनुसार दिल्ली की वर्तमान जनसंख्या के आधार पर निगम में स्थानों की संख्या 100 से अधिक होनी चाहिए ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस गुत्थी को सुलझाने का है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत निगम का आयुक्त नगर के चुनाव करने का सक्षम प्राधिकारी है। आयुक्त का 7 मार्च 197 को चुनाव कराने का प्रस्ताव है। दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत निगम में सरकार के अनुमोदन से चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करती है।

(घ) और (ङ). दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 3 के अनुच्छेद 6 के परन्तुक के अन्तर्गत नगर पार्षदों की कुल संख्या 100 से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती।

दिल्ली के लिए सपरिषद महापौर

2205. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का विचार दिल्ली नगर निगम के चुनाव करने से पूर्व सपरिषद महापौर बनाने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलोक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : दिल्ली के लिए सपरिषद महापौर के बारे में प्रस्ताव प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों से जुड़ा हुआ है जो भारत सरकार के विचाराधीन है।

पश्चिम बंगाल के बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता उपाय

2206. **श्री ई० के० नायनार :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल के उप-मुख्य मंत्री द्वारा की गई इस आलोचना की ओर गया है कि सरकार ने पश्चिम बंगाल के बाढ़ पीड़ितों की तुरन्त सहायता के लिए कोई उपाय नहीं किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) बाढ़ पीड़ितों को सहायता देने में असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि, बाढ़ सहायता उपायों के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व उप-मुख्य मत्री द्वारा की गई किसी आलोचना की उनको जानकारी नहीं है। राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि बाढ़ों के आने के तत्काल बाद उन्होंने यथाशीघ्र आवश्यक सहायता उपाय कर लिए थे।

एक केन्द्रीय दल ने भी राज्य का दौरा किया तथा मौके पर जाकर बाढ़ से हुई क्षति का अनुमान लगाया, उनकी सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने हाल की बाढ़ों से संबधित विभिन्न मदों पर व्यय के लिए 19.85 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा स्वीकार की है। पश्चिम बंगाल सरकार को बाढ़ सहायता व्यय के लिए अपनी तात्कालिक धन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पहले ही 7 करोड़ रुपया अग्रिमरूप में दिया जा चुका है। स्वीकृत उच्चतम सीमा के अन्तर्गत आगे और सहायता व्यय को प्रगति को देखकर दी जायेगी।

सुरक्षात्मक उपायों की लागत से बाढ़ों द्वारा अधिक वार्षिक क्षति

2208. **श्री रवि राय :** **श्री महाराज सिंह भारती :**
श्री बे० कृ० दासचौधरी :

क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाढ़ों से होने वाली वार्षिक क्षति की मात्रा उसके लिए सुरक्षात्मक उपायों की अनुमानित लागत से शीघ्र ही अधिक हो जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो बाढ़ों से औसतन वार्षिक क्षति क्या है तथा इस क्षति से देश के व्यापक क्षेत्र को बचाने के लिए कितनी राशि की आवश्यकता है ; और

(ग) क्या बाढ़ों ने इस वर्ष हुई भारी क्षति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह सुझाव दिया है कि बाढ़ नियंत्रण केन्द्रीय सरकार का विषय होना चाहिए ; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) बाढ़ों से होने वाली क्षति देश के विभिन्न भागों में बाढ़ों के परिमाप के अनुसार प्रत्येक वर्ष भिन्न-भिन्न होती

है । यद्यपि पिछले तीन वर्षों में उनसे पहले के वर्षों की अपेक्षा अधिक क्षति हुई है, इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि क्षति की मात्रा बढ़ रही है और संरक्षण कार्यों को अनुमानित लागत से इसके बढ़ जाने की सम्भावना है ।

(ख) 1953—1970 की अवधि के दौरान बाढ़ों से हुई औसत वार्षिक क्षति लगभग 98 करोड़ रुपये है । भविष्य के संरक्षण कार्यों को लागत का अनुमान लगभग 1000 करोड़ रुपये लगाया गया है ।

(ग) 1970 के दौरान की बाढ़ स्थिति पर हाल ही में सिंचाई और बिजली मंत्रालय से सम्बन्धित संसदसदस्यों को सलाहकार समिति और केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक में विचार किया गया था । केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड का यह विचार था कि अन्तर्राज्यीय नदियों के बाढ़ नियंत्रण कार्य को समवर्ती सूची में शामिल किया जाए । इसकी जांच की जाएगी ।

मंत्रालयों द्वारा नये प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु योजना आयोग द्वारा मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित करना

2209. **श्री सु० कु० तापड़िया :** **श्री वि० नरसिम्हाराव :**
श्री सीताराम केसरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या योजना आयोग ने कुछ मार्गदर्शी सिद्धांतों का सुझाव दिया था जिसके अनुसार मंत्रालयों को अपने प्रस्ताव अपने सम्बन्धित योजना सेलों द्वारा भेजने चाहिए ;

(ख) क्या मंत्रालय इन अनुदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं और जिनके परिणामस्वरूप योजनाओं के अनुमोदन में विलम्ब होता है ; और

(ग) क्या अनुदेशों का सार पुन: सभी मंत्रालयों को भेजा जा रहा है ?

प्रधान मन्त्री, अणुशक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) से (ग). योजना आयोग द्वारा समय-समय पर मंत्रालयों को सुझाये गये मार्गदर्शक सिद्धांत उन विभिन्न बातों से संबंधित हैं जिनका ध्यान मंत्रालयों को अपने योजना प्रस्ताव तैयार करते समय रखना पड़ता है जैसे कि साधनों की उपलब्धि, प्राथमिकताएं, पिछला निष्पादित कार्य, समय के अनुसार क्रमिक कार्यक्रम आदि । इसके लिए अधिक उपयुक्त व्यवस्था करने का विचार किया जा रहा है कि परियोजनाओं को सुनिश्चित रूप में पर्याप्त ब्यौरे के साथ तैयार किया जा सके जिससे उनकी जांच और स्वीकृति शीघ्र किये जाने में सुविधा हो । इस सम्बन्ध में, दिनांक 11-11-70 को सदन में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 476 के उत्तर में सभा पटल पर रखे गये विवरण (योजना में शामिल परियोजनाओं की जांच और स्वीकृति) के भाग 3 की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

पंजाब सरकार द्वारा फाजिल्का तथा अबोहर क्षेत्रों के विकास की उपेक्षा करने के लिए इन क्षेत्रों की जनता से शिकायतें

2210. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजाब के फीरोजपुर जिले के फाजिल्का तथा अबोहर क्षेत्र की

जनता से इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उस क्षेत्र को हरियाणा को दिये जाने की सम्भावना को ध्यान में रखकर पंजाब सरकार उन क्षेत्रों के विकास की उपेक्षा कर रही है ;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच की है, यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ;

(ग) क्या अन्य क्षेत्रों की तुलना में तथा उसी क्षेत्र में पहले वर्षों की तुलना भी उस क्षेत्र का प्रति व्यक्ति निवेश कम है ;

(घ) क्या कुछ नलकूपों को लगाना बन्द कर दिया गया है तथा अन्य क्षेत्रों की भांति वहां नये नलकूप नहीं लगाये जा रहे हैं ; और

(ङ) क्या लोगों ने यह भी मांग की है कि उस क्षेत्र को केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाये ; यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख). कुछ समय पहले इस क्षेत्र में विकास संबंधी गतिविधियों को धीरे करने के बारे में शिकायतें केंद्रीय सरकार के ध्यान में लाई गई थीं और मामला पंजाब सरकार के साथ हाथ में लिया गया । राज्य सरकार ने सूचित किया कि इन शिकायतों में कोई सच्चाई नहीं है । उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस क्षेत्र के विकास पर उचित ध्यान दिया जा रहा है ।

(ग) और (घ). इन मामलों के बारे में सरकार को कोई सूचना नहीं है । यह सुनिश्चित करना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है कि विकास के संबंध में सभी क्षेत्रों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाय ।

(ङ) इस क्षेत्र के कुछ निवासियों द्वारा इस सम्बन्ध में एक सुझाव दिया गया है किन्तु सरकार उसका समर्थन नहीं करती है ।

Projects under Contracts of Foreign Agencies

2211. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) the names of the projects under his Ministry, whose contracts have been given to the foreign agencies and who have expressed their inability to complete the projects within the prescribed time and according to the agreed terms and conditions ; and

(b) the action taken by Government against them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Work on none of the projects with which the Ministry of Irrigation and Power is directly concerned was awarded to any foreign Agencies.

(b) Does not arise in view of (a) above.

Dues of Delhi Municipal Corporation Outstanding against R. S. S.

2212. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether Government are aware that a sum of Rs. 54 lakhs of the Delhi Munici-

pal Corporation is outstanding against the R. S. S. as per news-report appearing in the 'Hindi Daily Nav Bharat Times' dated the 6th June, 1970 ;

(b) whether the Corporation has not taken any step to recover the said amount ;

(c) if so, the reasons therefor ; and

(d) if the aforesaid news report is false, the action taken against the concerned newspaper ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) to (d). The Municipal Corporation of Delhi have intimated that they have no claim outstanding against the R. S. S. They do not consider it necessary to take any action against the concerned newspaper.

कलकत्ता पत्तन की भाण्डागारण सुविधा

2213. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कलकत्ता पत्तन पर विस्थापन तथा भाण्डागारण सुविधाओं से सम्बन्धित मामलों पर भारत और नेपाल में काफी मतभेद है ;

(ख) क्या नेपाल की न्यायोचित आवश्यकताओं का यथासम्भव पूरा करने के लिए भारत सरकार कार्यवाही करेगी ; और

(ग) भविष्य में इस मामले पर सहमति के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). व्यापार में विस्थापन रोकने के लिए उपाय और परिवहन के समय नेपाल के माल के लिए कलकत्ता में और भी सुविधाएं प्रदान करना ये दो प्रश्न उन विभिन्न विषयों में से हैं जिन पर फिलहाल भारत तथा नेपाल के अधिकारियों के बीच चर्चा हो रही है ।

भारत सरकार व्यापार तथा पारवहन के लिए परस्पर स्वीकार्य और लाभकर प्रबन्धों का पता लगाने के लिए सच्चा प्रयत्न कर रही है जिनसे नेपाली उद्भव के माल का भारत को तथा अन्य देशों को अधिकतम निर्यात करने में और नेपाल में खपत के लिए और नेपाल की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अपेक्षित माल का आयात सुपर बनाने के लिए नेपाल को सहायता मिले, और जिससे व्यापार के ऐसे दिशा परिवर्तन तथा विचलन का परिहार हो सके जो भारत के आर्थिक हित अथवा भारत की आर्थिक नीतियों के लिए हानिकर हैं ।

दामोदर घाटी निगम के बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण पश्चिमी बंगाल के हुगली जिले को बर्दवान और आराम बाग सब-डिवीजन में बाढ़

2214. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल हुगली जिले की बर्दवान तथा आरामबाग सब-डिवीजन के कुछ भागों पर हाल की बाढ़ का गंभीर प्रभाव पड़ा है ;

(ख) क्या दामोदर घाटी निगम के बांधों से गैर-योजनाबद्ध ढंग से पानी छोड़े जाने के कारण इस क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर हो गई है ;

(ग) यदि नहीं, तो दामोदर घाटी निगम प्रणाली द्वारा सिंचित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर तथा गंभीर रूप से बाढ़ आने के भारी वर्षा के अतिरिक्त अन्य क्या कारण हैं ;

(घ) भारी वर्षा के दौरान दामोदर घाटी निगम ने क्या कार्य किया ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ). दामोदर घाटी निगम के जलाशयों से पानी बांधों की सुरक्षा को बनाये रखने के लिए पानी छोड़ने की योजनाबद्ध अनुसूचियों के अनुसार छोड़ा जाता है। पिछले सितम्बर में दामोदर घाटी निगम के बांधों से जो पानी छोड़ा गया, वह इन अनुसूचियों में निर्धारित पानी छोड़ने से काफी कम था। निचली दामोदर घाटी में क्षति मुख्यतः उस घाटी में जल-निकास-रोध के कारण हुई। इस घाटी में जल-निकास में सुधार हेतु एक स्कीम पहले से ही राज्य सरकार के विचाराधीन है।

बम्बई में साम्प्रदायिक दंगों के दौरान हताहत व्यक्ति

2215. **श्री राम किशन गुप्त :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर तथा अक्तूबर, 1970 में हाल में बम्बई में हुए साम्प्रदायिक दंगों में हताहत व्यक्तियों की संख्या कितनी है ;

(ख) नगर में इस समय विधि व्यवस्था की स्थिति कैसी है ;

(ग) क्या दंगों के कारणों का पता लगा लिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सम्पत्ति को कितनी हानि हुई है ; और

(ङ) क्या मृतकों के परिवारों तथा उन लोगों को, जिनकी सम्पत्ति की हानि हुई है, कोई मुआवजा दिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार अक्तूबर, 1970 में बम्बई में कोई साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए। 20 सितम्बर, 1970 को जो दंगा हुआ था उसमें 17 व्यक्ति मारे गए थे और 121 घायल हुए थे।

(ख) बम्बई में विधि और व्यवस्था की स्थिति सामान्य है।

(ग) दंगा जुहारियों और चोरी छुपे शराब बेचने वालों के दो दलों के बीच हुए झगड़े के बारे में अफवाहों के परिणामस्वरूप हुआ था।

(घ) और (ङ). राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है।

Recommendation by Commissioner for Linguistic Minorities Re: Issuing of Direction to Punjab

2216. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether the Commissioner for Linguistic Minorities in its Sixth Report had recommended that in regard to Punjab the President might issue a direction under Article 2 of the Government of India Memorandum of 1956 ; and

(b) if so, the action taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) The Commissioner for Linguistic Minorities observed in his Sixth Report that suitable measures by the Government or a Presidential directive may be needed for ensuring provision of facilities of instruction through the medium of mother-tongue at the primary stage of education in Punjab.

(d) The question of provision of instruction in mother-tongue in primary schools in Punjab is being considered in consultation with the State Government.

महातरे पैन एन्ड प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई को दिये गये आयात लाइसेंस

2217. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या वैदेशिक-व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में मैसर्स महातरे पैन एण्ड प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई को कुल कितने मूल्य के आयात लाइसेंस दिये गये ;

(ख) वे विभिन्न मदें क्या हैं जिनके लिये ये लाइसेंस दिये गये ।

(ग) क्या सरकार को यह पता है कि आयातित कुछ कच्चे माल को महातरे कम्पनी ने काले बाजार में बेचा है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस मामले में शीघ्र ही जांच करवाने का है ?

वैदेशिक-व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). आयात तथा निर्यात नियन्त्रण संगठन द्वारा दिये जाने वाले सभी आयात लाइसेंसों का ब्यौरा औद्योगिक लाइसेंसों, आयात लाइसेंसों तथा निर्यात लाइसेंसों के साप्ताहिक बुलेटिनों में प्रकाशित किया जाता है जिसकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय में रख दी जाती हैं ।

(ग) फर्म द्वारा सामग्री के बेच देने के सम्बन्ध में सरकार को अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशों में गैर-सरकारी पूंजी लगाने के बारे में नीति

2218. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या वैदेशिक-व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशों में गैर-सरकारी पूंजी लगाने के बारे में कोई विशिष्ट नीति बना रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके तथा साथ ही स्वदेशी निवेश के लिये पूंजी की कमी के क्या कारण हैं ; और

(ग) इससे सम्बन्धित अन्य ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) विदेशों में औद्योगिक संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिये इक्विटी पूंजी में अपने अंश के रूप में स्वदेशी मशीनों तथा उपस्कर और तकनीकी जानकारी का अंशदान करने के लिये भारतीय उद्यमकर्ताओं को सीमित रूप से प्रोत्साहित करने की नीति पहले से ही विद्यमान है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

सस्ते टैलीविजन सेटों का छोटे उद्यमियों द्वारा निर्माण

2219. **श्री बे० अमात** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या किन्हीं छोटे उद्यमियों ने पूर्णतया स्वदेशी सामान से सस्ते टेलिविजन सेटों के निर्माण हेतु कारखाने स्थापित करने के लिए सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और कारखानों को किन स्थानों पर स्थापित किया जायेगा ; और

(ग) इस हर सरकार की क्या प्रतिक्रिया/निर्णय है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते हैं ।

चण्डीगढ़ स्थित केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन के सहायक निदेशक के विरुद्ध की गई कार्यवाही

2221. **श्री समर गुह :**
श्री शंकर राव माने :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन से चोरी हुए प्रतिरक्षा दस्तावेज के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो और सतर्कता आयोग द्वारा जांच कार्य पूरा कर लिया गया है ; और

(ख) क्या इन दो जांच एजेंसियों ने केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन के सहायक निदेशक को उन दस्तावेजों की चोरी के लिए उत्तरदायी ठहराया है ; और यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी० बी०

आई०) के प्रतिवेदन के आधार पर और केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी०वी०सी०) की सलाह के अनुसार सम्बन्धित सहायक निदेशक के विरुद्ध नियमानुकूल कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है।

दिल्ली सिविक वित्तीय जांच आयोग द्वारा की कोई सिफारिश

2222. **श्री ईश्वर रेड्डी : क्या गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सिविक वित्तीय जांच आयोग ने केन्द्रीय सरकार को क्या-क्या सिफारिश की हैं ; और

(ख) उन सिफारिशों के बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) आयोग ने अब तक अपनी रिपोर्ट के पांच खण्ड प्रस्तुत किए हैं। इन रिपोर्टों के प्रमुख प्रसंग निम्नलिखित हैं :

खण्ड-1 (दिल्ली नगर निगम— सामान्य स्काघ) आयोग ने विभिन्न उपायों की सूची बनाई है जिसे दिल्ली नगर निगम अपने राजस्व को बढ़ाने हेतु अपना सकता है। आयोग ने दिल्ली नगर निगम को निम्नलिखित सहायता—अनुदान देने की भी सिफारिश की है।

(i) सरकार के पूर्व अनुमोदन से चलाई गई अलाभकारी पूंजी सम्बन्धी परियोजनाओं को शत प्रतिशत अनुदान।

(ii) स्वयं ऋण चुकाने वाली अथवा अर्द्ध लाभकारी योजनाओं के लिए ऋण सहायता।

(iii) ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ शर्तों के साथ वास्तविक घाटा व्यय के लिए शत प्रतिशत अनुदान।

खण्ड-2 (दिल्ली परिवहन उपक्रम) आयोग का मत है कि वर्तमान सम्पत्ति की कठिनाइयों का सन्तोषजनक समाधान स्थिति के अनेक दिशाओं में एक साथ प्रगति पर निर्भर करता है जैसे संचालन क्षमता में सुधार, राजस्व के बहिर्गमन को रोकना, रूटों का पुनर्गठन भाड़े के उचित ढांचे को अपनाना और समसामयिक और भावी आवश्यकताओं के लिए समुचित कोष और संचय करना और सरकार से अनुरोध किया है कि मार्ग परिवहन निगम अधिनियम 1950 के उपबन्धों के अन्तर्गत दिल्ली परिवहन निगम स्थापित करने की परियोजना को जितनी जल्दी संभव हो अन्तिम रूप दिया जाय।

खण्ड-3 (दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम) आयोग ने सिफारिश की है कि संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में विद्युत के वित्तीय विकास के लिए एक स्वायत्त सेवा संगठन स्थापित करके विद्युत उत्पादन और वितरण के कार्य का एकीकरण करना अत्यावश्यक है और आयोग के अनुसार भारत सरकार की विद्युत (प्रदाय) अधिनियम 1948 के संशोधन के प्रारूप पर पुनः विचार करना चाहिए और उसे इस प्रकार संशोधित करना चाहिए कि वितरण और उत्पादन सहित सम्पूर्ण संचालन एक स्वीकृत एजेंसी के अन्तर्गत आ जाए। नगर निगम क्षेत्र में विद्युत वितरण का कार्य प्रस्तावित

परिनियत प्रमण्डल के अधीन रहे जिसको नई दिल्ली नगरपालिका क्षेत्रों और छावनी क्षेत्रों को भी सौंपना चाहिए ।

खण्ड-4 (दिल्ली में जल-मल निकास प्रदाय) अनेक उपायों के अतिरिक्त सुझाव दिया है कि दिल्ली जल-मल निकास प्रदाय के भूत और वर्तमान देन-दारियों से उऋण होने से लिए अपने आर्थिक सुधार और दिल्ली नगर निगम (सामान्य स्कन्ध) को सुदृढ़ किया जाए । आयोग ने सिफारिश की है कि दिल्ली जल-मल विकास प्रदाय विधेयक जैसाकि महानगर परिषद ने स्वीकार किया है में इस प्रकार परिवर्तन होने चाहिएं :

(क) विधेयक में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि छावनी क्षेत्र तथा राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से क्रमशः वहां के अधिकारी जिनके अधिकार क्षेत्र में वे आते हैं निकास के लिए जल-मल प्राप्त करने का अधिकार परिनियमित प्रमण्डल को दिया जाय जैसाकि जल प्रदाय हेतु कथित विधेयक में व्यवस्था की गई हैं ।

(ख) विधेयक में मल निकास की कुल लागत निश्चित करके विकास कोष में ऋण राशि सम्मिलित करने की विशेष व्यवस्था अन्तर्विष्ट करने की व्यवस्था होनी चाहिए जैसाकि जल प्रदाय के सम्बन्ध में है ।

(ग) विधेयक में एक व्यवस्था सम्मिलित होनी चाहिए कि स्थानीय निकायों के लगातार और शीघ्र नियमानुसार रकम जमा करने में बार-बार चूक करने की स्थिति में सरकार आदेश जारी करके परिनियत प्रमण्डल को जल वितरण और आन्तरिक भूमिगत मल निर्यास के रखरखाव के कार्य के साथ दोनों सेवाओं से दर और शुल्क की उगाही और एकत्रित करने की शक्ति देनी चाहिए ।

आयोग के अनुसार विकास कोष के चन्दे की दर जल प्रदाय और मल निकास दोनों के लेखे जोखे के आधार पर पूंजी का 2 से 3 प्रतिशत जैसाकि केन्द्र सरकार समय-समय पर निश्चित करे, होना चाहिए ।

खण्ड-5 (नई दिल्ली नगर पालिका) आयोग इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अतिरिक्त राजस्व संभवतः विभिन्न सिफारिशों और वर्तमान स्तर पर राजस्व और व्यय में साधारण बढ़ोत्तरी से उत्पन्न लेखे-जोखे को ध्यान में रखते हुए नगरपालिका के राजस्व में संभवतः 1971-72 में रु० 103.75 लाख, 1972-73 में रु० 169.53 लाख और 1973-74 में रु० 201.29 लाख की बचत होने का अनुमान है । इस प्रकार नई दिल्ली नगर पालिका अपने आन्तरिक और बाह्य स्रोतों से अपने दायित्वों को निभाने में पूर्ण रूप से समर्थ होगी ।

इसलिए आयोग ने सिफारिश की है कि नई दिल्ली नगर पालिका को, जोकि केन्द्रीय परियोजनाओं के निष्पादन करने में एक एजेंसी का कार्य करती हैं, अनुदान दिया जाएगा और नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली नगर निगम को समान सहायक अनुदान देना न्याय संगत नहीं होगा ।

(ख) आयोग की रिपोर्ट (खण्ड-1) पर सावधानी से विचार करने पर सरकार ने निर्णय किया है कि दिल्ली नगर निगम को 1970-71 के दौरान निम्नलिखित अनुदान-सहायता दी जाय ।

(i) **शिक्षा** : 50 प्रतिशत अनुदान शिक्षा के वास्तविक व्यय के लिए जारी रखना।

(ii) **योजना स्कीमें** : दिल्ली नगर निगम की योजना स्कीमें जैसे एतत्पूर्व निष्पादन के लिए अनुदान और ऋण, दिल्ली प्रशासन निर्णय करेगा कि निगम की एजेंसी द्वारा कौन सी योजना स्कीमें निष्पादित की जानी चाहिए।

(iii) **ग्रामीण अनुदान** : दिल्ली प्रशासन द्वारा वार्षिक ग्रामीण विकास योजना के एक भाग के. रूप में अनुमोदित ऐसी योजनाओं/मदों के व्यय जो दिल्ली प्रशासन के वार्षिक योजना की अन्तिम सीमा के भीतर हों, पूरा करने हेतु अनुदान, परन्तु बिना योजना के अनुदान अप्राप्य होगा।

(iv) **सेवा शुल्क** : सरकारी सम्पत्ति पर वर्तमान 75 प्रतिशत दर के स्थान पर शत-प्रतिशत सेवा शुल्क, सेवा शुल्क में अनुयातानुरूप कमी की जायगी जहां सरकार द्वारा स्वयं कुछ नागरिक सेवाओं की देखभाल की जाती है।

रिपोर्ट के खण्ड 2 से 5 तक सरकार के विचाराधीन हैं।

गोआ में विदेशी मुद्रा की जालसाजी के गिरोह का पता लगाना

2224. **श्री शशि भूषण : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या प्रवर्तन निदेशालय के गोआ यूनिट ने अनधिकृत रूप से विदेशी मुद्रा का व्यापार कर रहे एक गिरोह का पता लगाया है ;

(ख) क्या इस गिरोह में एक पादरी भी सम्मिलित है जिसने एक सुपरिचित स्थान पर पर्यटकों के लिये होटल खोला था ;

(ग) क्या सरकार को इस आशय की शिकायत प्राप्त हुई है कि उक्त पादरी पर्यटकों के साथ विदेशी मुद्रा का अवैध लेन देन करता था ; और

(घ) यदि हां, तो मामले का ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) प्रवर्तन निदेशालय की गोआ यूनिट, एक पादरी द्वारा गोआ में कुछ गोलमालों की जांच कर रही है, जिसमें विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम उल्लंघन का आरोप निहित है।

(ख) और (ग). जी हां, श्रीमान्।

(घ) जैसा कि मामले पर जांच की जा रही है, तथा तथ्यों की जांच पूरी होने से पूर्व प्रकट करना, जांच की गतिविधियों में रुकावट डाल सकता है। अतः यह उचित नहीं है कि इस अवस्था में मामले का ब्यौरा प्रकट किया जाय।

विदेशी मुद्रा के बारे में महानगरों में चल रही जालसाजी

2225. **श्री सुं० कुं० तापड़िया : श्री रा० की० अमीन :**
श्री राम किशन गुप्त :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत के महानगरों में डालरों की बड़े पैमाने पर चल रही

जालसाजी के बारे में 17 अक्तूबर, 1970 के 'इन्डियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या भारत सरकार ने समाचार पत्रों में दिये गये विभिन्न ब्यौरों की जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में यदि सरकार ने कोई कार्यवाही की है तो वह क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). ऐसी गतिविधियों को रोकने की दृष्टि से प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा इस सम्बन्ध में आसूचना एकत्रित की जाती है । उनके द्वारा पता लगाये गये, विधि के उल्लंघन के विशेष मामलों की जांच पड़ताल की जाती है, और विधि के अनुसार समुचित कार्यवाही की जाती है ।

Amount Paid as Privy Purses to Former Rulers

2226. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the total amount paid to the former rulers by Government as privy purses to-date ; and

(d) the break-up of the amount paid to each of them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) and (b). Two statements showing the privy purse amounts of each of the former Rulers and the total amount so paid to all the former Rulers are attached. [*Placed in Library. See* No. LT–4381/70].

Laying of Roads in Chambal Ravines

2227. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether the Governments of Rajasthan, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh have written to the Government of India for laying a net work of roads in chambal ravines in order to solve dacoit problem ; and

(b) if so, the details thereof, the action taken so far and also the effective scheme chalked out for the future in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) and (b). Yes, Sir. As one of the measures for eliminating the dacoity menance from the affected areas of the Chambal Valley in the States of Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Rajasthan, a net work of roads within and connecting the States has been projected by the three State Governments concerned for execution in the Fourth Plan period. Locating the sources for and the manner of financing the construction of these roads is under examination.

Collection of Tax from Rulers of Former Indian States in Rajasthan

2228. **Shri Valmiki Choudhary :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether the Government of Rajasthan have issued any instructions for the collection of tax from the rulers of the former Indian States ;

(b) if so, the date from which this tax would be realised ; and

(c) the total tax to be realised from them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) and (b). The Government of Rajasthan have intimated that they have issued on 22-9-1970 instructions to the Municipal Boards to levy land, building octroi, toll and vehicle taxes from the ex-rulers. Building and land tax is to be realised from the date the privileges stand withdrawn. Octroi and toll taxes are recoverable on entry of goods and animals into the limits of the Municipality. The assessment of tax will be made by the State Government authorities according to rules.

(c) The State Government have not yet estimated the total tax to be realised.

राष्ट्रीय रबर उद्योग की उन्नति

2229. **श्रीमती सुचेता कृपालानी :** क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में राष्ट्रीय रबर उद्योग को बढावा देने के बारे में सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वर्ष 1971-72 में रबड़ के उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है।

(ग) आशा है कि वर्ष 1970-71 में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन, वर्ष 1969-70 की अपेक्षा 18000 मे० टन अधिक होगा ।

विवरण

राष्ट्रीय रबड़ उद्योग का संवर्धन

(क) और (ख). रबड़ बोर्ड प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन बढ़ाने के लिये निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है :

(1) अधिक उपज वाली पौध सामग्री से अलाभकर कम उपजाऊ रबड़ क्षेत्रों का पुनर्रोपण करने के लिये 1,000/- रु० प्रति एकड़ की दर से उपदान की मंजूरी दी गई हैं। पुनर्रोपण उपदान के अतिरिक्त 15 एकड़ तक के छोटे क्षेत्र निम्नोक्त अतिरिक्त सहायता के पात्र है :

(1) भूमि संरक्षण कार्य के लिए 30 रु० प्रति एकड़ का अधिकतम उपदान (74 रु० प्रति हैक्टार)।

(2) मुफ्त पौध सामग्री।

(3) रियायती मूल्यों पर खाद (लागत का 50 प्रतिशत)।

(4) रियायती मूल्यों पर फफूंद नाशी (लागत का 50 प्रतिशत)।

(2) वर्तमान अलाभकर एककों को लाभकर बनाने के लिए 1400 रु० प्रति एकड़ के ऋण की स्वीकृति दी जा रही है। रोपण के 9 वर्ष के अन्त तक ऋण ब्याज मुक्त है।

(3) छोटे उपभोक्ताओं को, अधिक उपजाऊ रबड़ वाले अपरिपक्व क्षेत्रों के अनुरक्षण के लिये, ब्याज मुक्त ऋण दिये गये हैं। ऋण का भुगतान 900 रु० प्रति एकड़ की दर से 6 किस्तों में करना होता है।

(4) केरल सरकार ने रबड़ की खेती शुरू करने हेतु केरल बागान निगम लि० स्थापित किया है। निगम ने लगभग 15000 एकड़ में रबड़ के पेड़ लगा दिये हैं और इसके अतिरिक्त भी और रबड़ के पेड़ लगाने की योजना है।

(5) छोटे किसानों को रियायती मूल्यों पर अधिक उपजाऊ पौध-सामग्री दी जाती है।

(6) बोर्ड, छोटे उपजकर्ताओं को सहकारी समितियों के माध्यम से, उर्वरकों, फफूंद नाशी तथा फुहारों की सप्लाई की व्यवस्था करता है। बोर्ड द्वारा उपजकर्त्ताओं को मुफ्त तकनीकी सलाह दी जाती है।

(7) बोर्ड ने, रबड़ की खेती की तकनीकी संभाव्यता प्रस्थापित करने तथा अन्य उद्यमियों के लिये आदर्श के रूप में कार्य करने के लिये, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में एक रबड़ मार्गदर्शी परियोजना शुरू की है ताकि ऐसे अन्य उद्यमी इन द्वीपों में रबड़ की खेती करने के लिये प्रोत्साहित हो सकें। परियोजना में लगभग 500 एकड़ में रोपण कार्य का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है।

(8) बोर्ड रबड़ की खेती के लिए नए क्षेत्रों का उपयोग करने की संभाव्यताओं का पता लगा रहा है। बोर्ड ने, राज्य सरकारों, को जहां कुछ क्षेत्र रबड़ की खेती के लिए उपयुक्त समझे गये हैं, उन ऐसे क्षेत्रों को रबड़ के पेड़ लगाने के लिये देने की सलाह दी है।

2. इस समय केवल एक एकक बरेली में है जिसमें संश्लिष्ट रबड़ का उत्पादन होता है। इसकी लाइसेंस क्षमता 3000 मे० टन प्रति वर्ष है।

गुजरात परिष्करण शाखा के पेट्रोलियम कम्पलेक्स में प्रयोग होने वाले संश्लिष्ट रबड़ के उत्पादन को बढ़ाने की संभाव्यता पर भी विचार किया जा रहा है।

भारत इलेक्ट्रोनिक्स द्वारा ग्लास बल्वों के उत्पादन के लिए संयुक्त अरब गणराज्य और यूगोस्लाविया के साथ करार

2230. **डा० रानेन सेन :** क्या प्रधान मंत्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलेक्ट्रोनिक्स में टेलीविजन ट्यूबों के लिये ग्लास बल्वों के उत्पादन के लिये भारत में संयुक्त अरब गणराज्य तथा यूगोस्लाविया के साथ कोई करार किया था ;

(ख) क्या बल्वों का उत्पादन आरम्भ हो चुका है ;

(ग) क्या संयुक्त अरब गणराज्य तथा यूगोस्लाविया ने अपनी व्यापार संतुलन में प्रतिकूलता होने के कारण भारत इलेक्ट्रोनिक्स में उत्पादित बल्वों का आयात करने में असमर्थता व्यक्त की है ; और

(घ) यदि हां, तो इन बल्वों की बिक्री के लिये बाजारों का पता लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) भारत, संयुक्त अरब गणराज्य तथा यूगोस्लाविया के मध्य त्रिपक्षीय औद्योगिक सहयोग समझौते के एक अंश के रूप में भारत में टी० वी० ग्लास बल्व तथा टी० वी० पिक्चर ट्यूब की निर्माण व्यवस्था के लिए प्रस्ताव विचाराधीन हैं। इस संबंध में परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रहीं हैं।

(ख), (ग) तथा (घ). प्रश्न नहीं उठते।

Mills taken over by National Textile Corporation

2231. **Shri Meetha Lal Meena :**
Shri Yamuna Prasad Mandal :

Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) the names and location of the Mills which have been taken over by the National Textile Corporation so far ; and

(b) the progress made in the performance of the Mills taken over by the Corporation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) The National Textile Corporation has not taken over any mill so far.

(b) Does not arise.

राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों द्वारा एक मशीन का आविष्कार

2233. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** क्या प्रधान मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला के कुछ वैज्ञानिकों ने देशीय कल पुर्जों से एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया है जो अत्यन्त तीव्र गति से दस्तावेजों की नकल उतार सकती है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त मशीन की निर्माण-लागत क्या है तथा उसका मूल्य इसी प्रकार की विदेशी मशीन की तुलना में कितना न्यूनाधिक है ; और

(ग) उन वैज्ञानिकों द्वारा आविष्कार संवर्धन मण्डल की ओर से जीती गई वैजन्ती के अतिरिक्त सरकार द्वारा उन वैज्ञानिकों के इस अनुसंधान को किस रूप में मान्यता दी गई है ?

गृह कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां ।

(ख) राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला नई दिल्ली में विकसित स्थिरवैद्युत फोटोकापी करने वाली मशीन की अनुमानित कीमत रु० 15,000/- आंकी गई है, जबकि यह समझा जाता है कि इसी प्रकार की मशीन को आयात करने पर अनुमानतः लागत रु० 60,000/- होगी ।

(ग) राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला के एक वैज्ञानिक ने एक वर्ष के काल में प्रयोगशाला में विकसित सर्वश्रेष्ठ सफल परियोजना के लिये एक कोश उपहार स्वरूप भेंट किया है, उसी कोश में से वैज्ञानिक दल को रु० 2,000/- का नकद पुरस्कार प्रदान किया गया है । कुछ वैज्ञानिकों को योग्यता के आधार पर पदोन्नति करने तथा उन के वेतन में अग्रिम वृद्धियां स्वीकृत करने से संबंधित मामले विचाराधीन हैं ।

हथकरघा बुनकरों के बच्चों को प्रशिक्षण देना

2234. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा बुनकरों के बच्चों को अपने व्यापार को बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण देने के लिये नागपुर अथवा महाराष्ट्र में किसी अन्य स्थान पर एक संस्थान की स्थापना करने सम्बन्धी कोई प्रस्त व सरकार के विच राधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और क्या सरकार का इस मामले पर भविष्य में विचार करने का है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सरकार, विशेषतः हथकरघा बुनकरों के बच्चों के लिये महाराष्ट्र में कोई संस्थान स्थापित करना आवश्यक नहीं समझती ।

बम्बई की मिलों में हड़ताल के कारण कपड़े के उत्पादन में हानि

2235. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोनस की समस्या पर बम्बई की सूती कपड़ा मिलों के मजदूरों द्वारा अक्तूबर, 1970 में की गई हड़तालों के दौरान सूती कपड़े के कुल कितने उत्पादन की हानि हुई ;

(ख) वर्ष 1968-69 में बम्बई की प्रत्येक सूती कपड़ा मिल ने कुल कितना लाभ कमाया ;

(ग) क्या सरकार ने सूती कपड़ा मिलों द्वारा अर्जित लाभ का अधिक सम-वितरण कराने के बारे में कार्यवाही करने का विचार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) अक्तूबर, 1970 में बम्बई की मिलों में मजदूरों द्वारा हड़ताल किये जाने के कारण लगभग 80 लाख मीटर सूती कपड़े के उत्पादन का घाटा हुआ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—4382/70]

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

इंटरनेशनल बिजनैस मशीन्स के लाइसेंस का नवीकरण

2236. **श्री नन्द कुमार सोमानी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्प्यूटरों का व्यापार करने वाली एक अमरीकी फर्म-इंटरनेशनल बिजनैस मशीन्स का लाइसेंस समाप्त होने वाला है और सरकार आगामी दस वर्षों के लिए इस लाइसेंस का नवीकरण कराने पर विचार कर रही है ;

(ख) देश में ऐसा ही व्यापार करने वाली एक भारतीय फर्म की अपेक्षा इस फर्म को प्राथमिकता क्यों दी जा रही है ; और

(ग) उस फर्म का कुल परिव्यय क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) मैसर्स इन्टरनेशनल बिजनैस मशीन्ज ने 1401 सीरीज के कम्प्यूटरों के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस की अवधि को एक साल के लिए और बढ़ा देने के लिए कहा था किन्तु सरकार ने इसे मंजूर नहीं किया है।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

सूती कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण के लिये ऋण सम्बन्धी सुविधाएं

2237. **श्री चेंगलराया नायडू :**

श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सूती कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण के लिए ऋण संबंधी सुविधायें देने के बारे में कोई योजना बनाई है ;

(ख) क्या देश की निर्यात कर रही सूती कपड़ा मिलों को उनकी कार्य पद्धति में सुधार करने के लिए विशेष अनुदान दिया जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में किये गये निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). वित्तीय संस्थानों द्वारा निर्यात अभिमुख मिलों को दिये जाने वाले ऋण की शर्तों को ढीला करने का प्रश्न विचाराधीन है । सीमांत तथा कमजोर मिलों के कार्यचालन का अध्ययन करने के लिये एक कार्यकारी दल भी गठित लिया गया है । यह दल उन मिलों के आधुनिकीकरण और वित्तीय संस्थानों द्वारा उनको दिये जाने वाले ऋण की शर्तों को ढील करने के सम्बन्ध में उनकी आवश्यकताओं के विषय में सिफारिशें करेगा ।

नक्सलवादी नेता चारू मजूमदार की सम्पत्ति का जब्त किया जाना

2238. **श्री देवेन सेन** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि नक्सलवादी नेता चारू मजूमदार के निवास स्थान से सभी चल सम्पत्ति को जब्त कर लिया गया था और उसे अदालती आदेशों के अन्तर्गत कुर्क कर लिया गया था और यदि हां, तो इस सम्पत्ति तथा अन्य वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इसके क्या कारण हैं ;

(ग) पश्चिम बंगाल के उन अन्य व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है तथा उनका ब्यौरा क्या है जिनकी सम्पत्ति कुर्क की गई है ; और

(घ) प्रत्येक मामले के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य-मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री चारू मजूमदार की भारतीय दंड-संहिता की धारा 120बी, 109, 147, 148, 279, 302, 395, 396, 397, 121 तथा भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 25-क के अंतर्गत कलकत्ता के अतिरिक्त मुख्य प्रैसीडेंसी मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा मांग थी । पुलिस की प्रार्थना पर न्यायालय ने उनकी चल सम्पत्ति को उद्घोषित तथा कुर्क करने के वारन्ट जारी किये और उसके बाद पुलिस ने सिलिगुड़ी में उसकी सभी चल सम्पत्ति की कुर्की की । कुर्क की गई सम्पत्ति का ब्यौरा राज्य सरकार से प्राप्त किया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

(ग) और (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

इराक में एक सीमेंट कारखाने की स्थापना

2239. **श्री नि० रं० लास्कर** : **श्री दण्डपाणि** :

श्री मयावन :

क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने इराक का यह अनुरोध स्वीकार कर लिया है कि उस देश में सीमेंट का एक कारखाना स्थापित किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई करार किया गया है ; और

(ग) भारत क्या सहायता देगा ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). कुफा (इराक) में 2,50,000 मीटरी टन की क्षमता वाले एक वैट सीमेंट संयंत्र के लिए मशीनरी की सप्लाई तथा उसकी स्थापना तथा उसको चालू करने के लिये इराक सरकार द्वारा जारी की गई निविदा के उत्तर में बम्बई की एसोसिएटिड सीमेंट कम्पनीज ने जून, 1969 में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यह संविदा हाल ही में उस भारतीय फर्म को दी गई है और उस पर हस्ताक्षर, 7 अक्तूबर, 1970 को बगदाद में, एसोसिएटिड सीमेंट कम्पनीज के एक प्रतिनिधि तथा इराक के उद्योग मंत्री द्वारा किये गये।

(ग) यह भारत के एक निजी निर्यातिक द्वारा की गई निर्यात संविदा है। इस लिए, विद्यमान निर्यात नीति के अन्तर्गत अनुमत सभी प्रकार की सहायता भारतीय फर्म को उपलब्ध की जा रही है।

दुर्गापुर में सी० आर० पी० के एक सिपाही की हत्या

2241. **श्री हेम बरुआ** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दुर्गापुर नगर के प्रशिक्षणार्थी होस्टल में सी०आर०पी० के एक सिपाही की हत्या कर दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने घटना की जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) दुर्गापुर इस्पात नगर के प्रशिक्षणार्थी होस्टल में सी०आर०पी० के किसी सिपाही की हत्या नहीं की गई।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

1971 की जनगणना के आंकड़े तैयार करने के लिये कम्प्यूटरों का उपयोग किया जाना

2 42. **श्री लखनलाल कपूर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनगणना के आंकड़े तैयार करने के लिये सरकार कम्प्यूटरों का उपयोग करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) 1971 की जनगणना सामग्री के सारणीयन का एक बड़ा भाग यांत्रिक कम्प्यूटरों की सहायता से इस प्रकार किया जाएगा :—

(i) प्रतिष्ठान सम्बन्धी सामग्री का सारणीयन।

(ii) मकान सम्बन्धी सामग्री का सारणीयन ।

(iii) राष्ट्रीय प्रावक्लनों के देने के लिए जनगणना सामग्री के नमूने के एक प्रतिशत का अग्रिम सारणीयन ।

(iv) शहरी सामग्री के विस्तृत सारणीयन ।

( ) परिवार रचना सम्बन्धी सामग्री का सारणीयन ।

(v) डिग्रीधारक तथा तकनीकी कर्मचारी सम्बन्धी सामग्री का सारणीयन ।

हथकरघा उत्पादों के मूल्यों में गिरावट

2243. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा उत्पादों के मूल्य में बहुत अधिक कमी हो गई है और मनीपुर के मूल बुनकर मजबूर होकर बहुत थोड़े मूल्य पर इन उत्पादों को गैर-सरकारी व्यापारियों को बेचते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इसके लिए क्या कार्यवाही कर रही है कि मूल बुनकर अपना हथकरघा वस्त्र उचित मूल्य पर बेच सकें ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई कार्यों के लिये सस्ते पंपिंग सेट्स तथा डीजल इंजनों की सप्लाई

2244. **श्री शंकरराव माने :**
श्री पी० एम० मेहता :

क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार छोटी जोत वाले किसानों के लाभार्थ सिंचाई के लिये सस्ते पंपिंग सैट्स तथा डीजल इंजिनों की सप्लाई करने के लिये किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). देश के चुने हुए इलाकों में छोटे किसानों और पार्श्ववर्ती (मार्जिनल) किसानों की सहायता के लिये खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा स्वीकृत के स्कीमों अन्तर्गत लघु सिंचाई स्कीमों के निर्माण और रख रखाव के लिये उपदान दिये जा रहे हैं जिनमें सिंचाई के लिये पम्पों और डीजल इंजनों को लगाना शामिल है । छोटे किसानों के मामले में उपदान पूंजीगत लागत के 25 प्रतिशत से और पार्श्ववर्ती किसानों के मामले में 33⅓ प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

भारतीय इलेक्ट्रोनिक्स निगम के माध्यम से सरकारी क्षेत्र में कम्प्यूटरों का बनाया जाना

2245. **श्रीमती सुशीला रोहतगी :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय इलेक्ट्रोनिक्स निगम के माध्यम से सरकारी क्षेत्र में कंप्यूटर बनाने की योजना बना रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य-मंत्री (ी कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). मैसर्स भारतीय इलेक्ट्रोनिक्स निगम को पहले ही प्रति वर्ष 10 एनालोग तथा 10 डिजिटल कम्प्यूटरों के निर्माण के लिये लाइसेंस प्राप्त है । उनकी इस क्षमता को बढ़ाने की योजना है ।

राज्यपालों की स्वविवेकीय शक्तियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करने के लिए संविधान में संशोधन

2246. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हाल ही के उत्तर प्रदेश के संकट में वहां के राज्यपाल द्वारा निभाई गई भूमिका को ध्यान में रखते हुए राज्यपालों की स्वविवेकीय शक्तियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करने के लिए सविधान में संशोधन करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) राज्य विधान सभा में किसी दल को पूर्ण बहुमत न होने की स्थिति में राज्यपाल के लिए मुख्य मन्त्री की नियुक्ति के संबंध में दिशानिर्देश तैयार करने के बारे में राजनैतिक दलों के नेताओं के साथ फिर से विचार-विमर्श करने का प्रस्ताव है ।

कपास के समर्थन में वृद्धि

2247. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री देवराव पाटिल :

क्या **वैदेशिक व्यापार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों के अनुसार चालू वर्ष के लिए प्रत्येक किस्म की कपास के समर्थन मूल्यों में 5 प्रतिशत की समान वृद्धि करने का निर्णय किया किया है ;

(ख) क्या वर्ष 1967-68 के पश्चात कपास के मूल्यों में यह वृद्धि तीसरी बार की गई है ; और

(ग) सरकार द्वारा यह वृद्धि करने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं, समर्थन कीमतों में वृद्धि का एलान 1968-69 में तथा तदोपरान्त 1970-71 में किया गया था ।

(ग) कृषि मूल्य आयोग ने रुई की उत्पादन लागत से संम्बधित उपलब्ध आधार सामग्री की जांच करके तथा रुई की विभिन्न किस्मों की बाजार कीमतों में अन्तरों को देखते हुए 1970-71 के लिए रुई की समर्थन कीमतों में 5 प्रतिशत की एक सम-वृद्धि की सिफारिश की । मामले के समस्त पहलुओं पर और भी विचार करके सरकार ने इस वृद्धि की अनुमति दे दी है ।

सहारनपुर जिले में तीन हरिजनों की हत्या

2248. **श्री पी० पी० एस्थोस** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान तीन हरिजनों की कथित हत्याओं की ओर दिलाया गया है जो उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले के थापल गांव में किरया में 15 दिन के अन्दर हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सम्बद्ध अधिकारियों ने कोई कार्यवाही की है ; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). राज्य सरकार से तथ्य मालूम किए जा रहे हैं ।

कावेरी जल विवाद के बारे में न्यायाधिकरण

2249. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री सीताराम केसरी :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कावेरी जल विवाद को किसी न्यायाधिकार को सौंपने का विचार है क्योंकि सम्बद्ध मुख्य मंत्रियों के बीच वार्ता विफल हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो न्यायाधिकरण का गठन कब तक हो जायेगा ; और

(ग) उसके सदस्य कौन-कौन होंगे ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). मैसूर, तमिलनाडु के मुख्य मंत्रियों और केरल के सार्वजनिक निर्माण और पर्यटन मंत्री की बैठक में,

जो 27 अक्तूबर, 1970 को हुई थी, विभिन्न पक्षों के विचारों का समाधान नहीं हो सका। भारत सरकार अग्रेतर कार्यवाही पर विचार कर रही है।

भ्रष्टाचार उन्मूलन करने के उपाय

2250. **श्री सु० कु० तापड़िया :** **श्री बे० कु० दास चौधरी :**
श्री सीताराम केसरी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का विचार भ्रष्टाचार जांच प्राधिकारियों को और अधिक शक्तियां देने का है जिससे वे गवाहों को उपस्थित होने और दस्तावेज़ पेश किए जाने के लिए बाध्य कर सकें ;

(ख) क्या सतर्कता आयुक्तों ने केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत संविधिक निगमों के समस्त कर्मचारियों के लिए समान आचार नियमों की सिफारिश की है ;

(ग) क्या सतर्कता आयुक्तों ने हाल ही में हुए अपने दूसरे सम्मेलन में देश भर में सरकारी सेवाओं में कदाचार और भ्रष्टाचार की इस बुराई को समाप्त करने के लिए सरकार को कुछ व्यापक कार्यक्रमों की सिफारिश की है ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) दण्ड-प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत पुलिस अधिकारियों को आवश्यक शक्तियां प्रदत्त हैं, तथा विशेष पुलिस स्थापना के जांच अधिकारियों द्वारा पहले ही इन शक्तियों का प्रयोग किया जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों के अनुशासनिक मामलों में अब अनुभव की जा रही कठिनाईयों पर काबू पाने के लिए संबंधित अनुशासनिक नियम के अन्तर्गत ऐसी विभागीय जांच करने वाले, जांच अधिकारियों को शक्ति प्रदान करने के लिए कानून बनाने का प्रस्ताव किया गया है, ताकि वे उन जांच-पड़तालों के प्रयोजन के लिए गवाहों को उपस्थित होने और दस्तावेज पेश किए जाने के लिए बाध्य किया जा सकें।

(ख) से (घ) : राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में मुख्य सतर्कता अधिकारियों के लिए द्वितीय 'ओरिन्टेशन कोर्स' में सार्वजनिक उपक्रमों तथा सांविधिक निगमों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए आदर्श आचरण तथा अनुशासनिक नियम बनाने का सुझाव दिया गया। अक्तूबर, 1970 में केन्द्र तथा राज्यों के सतर्कता आयुक्तों के चौथे सम्मेलन में भी यह सुझाव रक्खा गया था। इस सम्मेलन की सिफारिशें अभी तक सरकार को प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ङ) केन्द्रीय खुफिया ब्यूरो तथा सतर्कता संगठनों द्वारा मंत्रालयों में भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु समय-समय पर बल दिया जा रहा है। लोकपाल तथा लोक-आयुक्त विधेयक जो कि अभी संसद के समक्ष है, बुराइयों का समाधान करने वाला परिचालित दूसरा साधन है।

सतर्कता तथा भ्रष्टाचार निरोध कार्य का एक वार्षिक कार्यक्रम बना लिया गया है, तथा

उसे कार्यान्वित किया जा रहा है। कुछ प्रभावी विभागों में देरी को रोकने के लिए, आकस्मिक जांच और तेजी से कार्य करना भी इसमें शामिल है।

सीधे व्यापार से राज्य व्यापार निगम की वापसी के कारण रेयन के निर्यात में कमी होना

2251. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :**
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने भारत से 'टिक्किंग क्लाथ' के आयात के लिए कनाडा की एक फर्म 'कोलोनियल जूट' को दिए गए पूर्ण अधिकार समाप्त कर दिए हैं ;

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम ने कनाडा सरकार पर इस बात के लिए जोर नहीं दिया कि वे भारत को दिए गए निर्यात 'कोटा' की अवधि को बढ़ाने की अनुमति दे क्योंकि भारत ने सम्पूर्ण कोटे को उठाने के लिए कनाडा की एक अन्य फर्म 'जान ऐल्टास' से कथित प्रबन्ध कर लिए थे ;

(ग) क्या 'जान ऐल्टास' ने राज्य व्यापार निगम को सूचित किया है कि वे रेयन के बहुत अधिक मूल्य होने के कारण उसके आयात में रुचिकर नहीं हैं ;

(घ) क्या इसके बाद राज्य व्यापार निगम ने रेयन के कपड़ों का सीधा व्यापार बन्द कर दिया और निर्यातकों को स्वयं प्रबन्ध करने के लिए कहा ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या राज्य व्यापार निगम की इस कार्यवाही से रेयन के निर्यात को हानि पहुंची है ; और यदि हां, तो क्या सरकार का आयात तथा निर्यात की और अधिक शक्ति को अपने हाथ में केन्द्रीय करने के प्रश्न पर पुनर्विचार करने का है।

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) बिस्तर के खिलाफ के कपड़े के लिए, जिसके निर्यात की व्यवस्था मैसर्स कोलीनियल जूट कम्पनी के साथ को गई है, कोई कोटा नहीं है। इसलिए इसको आगे के हिसाब में ले जाने का प्रश्न नहीं उठता। राज्य व्यापार निगम ने रेयन के लाइनिंग वस्त्र के निर्यात के लिए जान ऐल्टास के साथ एक और अनन्य व्यवस्था की हुई थी। क्योंकि जान ऐल्टास और राज्य व्यापार निगम के बीच हुए करार के अनुसार, जान ऐल्टास ने रेयन लाइनिंग का पूरा माल उठाने से अक्तूबर, 1970 में इन्कार कर दिया था अतः राज्य व्यापार निगम ने यह अनन्य व्यवस्था समाप्त कर दी है और निगम अब कनाडा सरकार के साथ इस विषय पर बातचीत कर रहा है।

(ग) जी हाँ।

(घ) राज्य व्यापार निगम ने केवल दोनों अनन्य व्यवस्थाओं को ही समाप्त किया है। और 1970 की बाकी अवधि के लिए कनाडा के बाजार को रेयन वस्त्रों का निर्यात करने की छूट सभी भारतीय निर्यातकों को दे दी है। रेशम तथा रेयन निर्यात सम्बर्द्धन परिषद् के माध्यम से उद्योग को एक प्रक्रिया की सूचना भी दे दी गई है।

(ङ) जी नहीं।

ब्यास बहुप्रयोजनीय परियोजना से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लिये पानी तथा बिजली की व्यवस्था

2252. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :**
श्री देविन्दर सिंह गार्चा :

क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्यास बहुप्रयोजनीय परियोजना बनाते समय यह अनुमान लगाया गया था कि इस परियोजना से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन तीनों राज्यों को संयुक्त रूप से 504 मैगावाट बिजली और 65 लाख एकड़ की सिंचाई के लिए जल मिलेगा ;

(ख) क्या बिजली और पानी के अभाव से पहले ही ग्रस्त उक्त क्षेत्र को परियोजना के पूर्ण होने में विलम्ब के कारण बिजली और पानी की और अधिक कमी का सामना करना पड़ेगा ;

(ग) क्या परियोजना की लागत मूल अनुमानों से 70 करोड़ रुपये से भी अधिक बढ़ गई है और सम्बद्ध राज्यों के लिए इस राशि को जुटाना कठिन हो जायेगा ; और

(घ) यदि हां, तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजना को निर्धारित समय में पूरा करने में विलम्ब न हो, केन्द्रीय सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) जब ब्यास परियोजना के युनिट नं० I और II पूरे हो जायेंगे तो इनसे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को 484 मैगावाट बिजली और 65 लाख एकड़ भूमि के लिए सिंचाई जल मिलेगा ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, हां ।

(घ) ब्यास निर्माण बोर्ड जिसमें सभी सम्बन्धित राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं, समय समय पर परियोजना की पूर्ण होने की समय सूची और लागत से सम्बन्धित विविध सभी पहलुओं की जांच करता है । यथासम्भव अतिरिक्त धनराशि देने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं । जब कभी भी आवश्यकता होती है ब्यास सलाहकार बोर्ड की विभिन्न तकनीकी समस्याओं पर सलाह ली जाती है

कलकत्ता में पण्डित ईश्वर चन्द्र विद्या सागर तथा आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र राय की मूर्तियों को खण्डित करना

2253. **श्री रवि राय** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि कलकत्ता में 26 अक्तूबर, को पण्डित ईश्वर चन्द्र विद्यासागर तथा आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र राय दोनों की मूर्तियां खण्डित कर दी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है और उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). उपलब्ध सूचना के अनुसार 26 अक्तूबर, 1970 की रात्रि को कुछ उपद्रवियों द्वारा, जिनके नक्सलवादी होने का संदेह है, कलकत्ता में कालेज स्क्वेयर पर ईश्वर चन्द्र विद्यासगर तथा आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय की मूर्तियां खंडित की गई थी। ऐसे असभ्यता के कार्य नक्सलवादियों तथा समवर्गी उग्रवादी दलों की हिंसात्मक तथा अवैध गतिविधियों के अंश हैं। ऐसी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए राज्य सरकार विधि के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही कर रही है। ऐसी मूर्तियों को असभ्य कृत्यों से बचाने के लिए भी आवश्यक उपाय किये गये हैं।

सत्तारूढ़ कांग्रेस का पटना अधिवेशन के प्रबन्ध के लिये केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का कथित प्रयोग

2254. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सत्तारूढ़ कांग्रेस के पटना अधिवेशन के प्रबन्ध के लिए रिजर्व पुलिस का प्रयोग किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या अन्य राजनीतिक दलों के अधिवेशनों का प्रबन्ध करने के लिये ऐसी समान सहायता दी जायेगी ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). यह सत्य नहीं है कि कांग्रेस (सत्ताधारी) के पटना अधिवेशन में प्रबन्ध के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का प्रयोग किया गया था। राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कुछ केन्द्रीय रिजर्व पुलिस कर्मचारी जो उस समय राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति में थे राज्य पुलिस कर्मचारियों के साथ अधिवेशन के समय लोक व्यवस्था बनाये रखने हेतु नियुक्त किया गया था। स्थानीय अधिकारियों द्वारा लोक व्यवस्था कायम रखने के लिए जब कभी अधिक भीड़ या समारोह हो तो सदैव अपेक्षित पुलिस बल नियुक्त किया जाता है।

उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन

2257. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन करने के बारे में विचार कर रही है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : जी नहीं, श्री मान्।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा जापान के साथ स्टेनलेस स्टील की चादरों तथा पट्टियों के लिये व्यापार

2258. **श्री नन्द कुमार सोमानी :** क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने 2,200 मीटरी टन स्टेनलेस स्टील की चादरों तथा पट्टियों की सप्लाई के लिए जापानी निर्माताओं को हाल ही में क्रयादेश दिए हैं ;

(ख) क्या क्रयादेश देने के तुरन्त पश्चात् इनकी कीमतें 100,00 डालर प्रति मीटरी टन के हिसाब से घट गई थी जिसके फलस्वरूप 16.5 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की हानि हुई ; और

(ग) इस दोष पूर्ण सौदे के क्या कारण हैं और इस प्रकार की गलतियों को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां, । जापानी निर्माताओं को अगस्त 1970 में 22 गेज की 2000 मे० टन अविकारी इस्पात की चादरों तथा विभिन्न गेज की 1१5 मे० टन अविकारी इस्पात की पतियों के लिये एक क्रयादेश दिया गया था ।

(ख) यह सही है कि अविकारी इस्पात की कीमतों में 100 डालर प्रति मे० टन की गिरावट आ गई है, परन्तु खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने जिन कीमतों पर संविदा की है वे इन घटी कीमतों की अपेक्षा भी कम हैं अतः इससे विदेशी मुद्रा की कोई हानि नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Boundary Dispute between Uttar Pradesh and Bihar

2259. **Shri Chandrika Prasad :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the time likely to be taken in arriving at a final decision on the boundary dispute between Uttar Pradesh and Bihar ;

(b) whether Government of Bihar are using force to evict those farmers of U. P who were in possession of land which went to Bihar after the installation of pillars ; and

(c) the reasons for the delay in taking a decision in regard to the exchange of villages ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) Transfer of territories from Bihar to Uttar Pradesh and *vice versa* as contemplated in the Bihar and Uttar Pradesh (Alteration of Boundaries) Act, 1968, has been given effect to from 10th June, 1970, and accordingly the dispute stands settled.

(b) The Government of Bihar to whom a reference was made have denied this charge.

(c) Does not arise in view of reply given to part (a).

Police Conference at Hyderabad

2260. **Shri Chandrika Prasad :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether an All India Police Conference were held in Hyderabad during October, 1970 ;

(b) if so, the decision arrived at therein ;

(c) whether some decisions concerning the Delhi Police were also taken in that Conference ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) and (b). The Police Science Congress held its last session at Hyderabad from 21st to 24th October, 1970. It is a forum for exchange of professional knowledge and experience and for holding discussions on subjects of professional interest. Such discussions were held with a view to enabling the participating Police Officers to enrich their knowledge and broaden their outlook. The Police Science Congress generally does not pass resolutions or make any recommendations.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

चौथी योजना में राज्यों द्वारा नियतनों तथा वास्तविक निवेशों के बीच अन्तर

2261. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में वास्तविक निवेशों और नियतनों के बीच व्यापक अन्तर है ;

(ख) क्या आयोग ने राज्य सरकारों को लिखा है कि जब तक कि निवेशों और नियतनों के बीच अन्तर को समाप्त करने के लिए तुरन्त उपाय नहीं किये जायेंगे तब तक चतुर्थ योजना के लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सकते ;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्ष 1971-72 के दौरान राज्यों की योजना के आकार को मोटे तौर पर देखते हुए राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री, अणुशक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). राज्य की वार्षिक योजना 1969-70 के अन्तर्गत समस्त परिव्यय स्वीकृत परिव्ययों से अधिक होने की सम्भावना है, यद्यपि कुछ राज्यों के व्यय में सीमान्त कमी होने की सम्भावना है। 1970-71 वर्ष की सूचना अभी उपलब्ध नहीं है। वार्षिक योजना 1971-72 के लिये पर्याप्त संसाधन जुटाने की आवश्यकता की ओर राज्य सरकारों का ध्यान दिलाया गया है।

(ग) और (घ). वार्षिक योजना 1971-72 के दौरान राज्यों को आवंटित की जाने वाली केन्द्रीय सहायता को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार और सैनिक अधिकारियों के बीच बातचीत

2262. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार और सैनिक अधिकारियों, जिसमें बंगाल क्षेत्र के जी० ओ०सी०पी० सम्मिलित थे, के बीच पश्चिम बंगाल की बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में बातचीत हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के विभिन्न भागों में हाल ही में सैनिकों पर हुए आक्रमण को ध्यान में रखते हुए सेना को अपनी रक्षा के लिये गोली चलाने का अधिकार दे दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग). राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई विशेष प्राधिकार नहीं दिया गया है।

चौथी योजना के विकास कार्यक्रमों के लक्ष्यों का पुनरीक्षण

2263. **श्री रा० बरुआ :**

श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने मांग की है कि चौथी योजना के विकास कार्यक्रमों के लक्ष्यों का पुनरीक्षण किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में राज्य सरकारों द्वारा दिए गये सुझावों का ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मन्त्री, अणुशक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : वार्षिक योजना तैयार करते समय तथा मध्यावधि समीक्षाओं के दौरान विभिन्न राज्यों के विकास कार्यक्रमों के लक्ष्यों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। इस प्रकार वर्तमान अनुभव और परिवर्तनशील दशाओं के आधार पर राज्यों, केन्द्रीय मंत्रालयों और योजना आयोग के मध्य परस्पर परामर्श कर उनमें संशोधन अथवा परिशोधन करना एवं निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।

दिल्ली पुलिस द्वारा मामलों को दर्ज न किये जाने की शिकायत

2264. **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों में दिल्ली पुलिस द्वारा मामलों को दर्ज न किये जा। की शिकायतों में वृद्धि हुई है ;

(ख) कितने ऐसे मामलों में केवल उच्च अधिकारियों द्वारा हस्तक्षेप के बाद ही उनका दर्ज दिया गया ; और

(ग) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) 18

(ग) पुलिस के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :—

(i) विभागीय कार्यवाही की गई	2 एस० आई०
(ii) सेवा वंचित की गई	1 ए० एस० आई०
(iii) वेतन वृद्धि रोकी गई	1 एस० आई०
(iv) मुअत्तिल किया गया	1 डी० एस० पी०
(v) निन्दित किया गया	1 ए० एस० आई०
	1 हैड कांस्टेबल
(vi) सावधान किया गया	1 एस० आई०
	1 ए० एस० आई०
(vii) कार्यवाही विचाराधीन है	2 एस० आई०
	3 ए० एस० आई०
	1 एच० सी०
	1 कांस्टेबल

दिल्ली में लड़कियों का अपहरण

2265. **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में दिल्ली में कुल कितनी लड़कियों का अपहरण हुआ ;

(ख) कितनी लड़कियां बरामद की गई हैं ;

(ग) अपहृत लड़कियों में अनुसूचित जातियों की कितनी लड़कियां हैं ; और

(घ) सरकार ने इस अपराध का उन्मूलन करने हेतु क्या उपाय किए हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पन्त) : (क) 550

(ख) 492

(ग) 61

(घ) 24 घन्टे वायरलेस वाहन गश्ती ड्यूटी पर रहती है। स्कूलों, कालेजों तथा बस स्टापों पर सादा कपड़ों में तथा वर्दी में व्यक्ति नियुक्त किये जाते हैं। इस विषय पर जनता की दिशा दर्शन के लिए व्यापक प्रचार किया जाता है। छेड़-छाड़ करने वालों तथा गुन्डों पर निगरानी रखी जा रही है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो की सिफारिशें जिसने इस समस्या का अध्ययन किया था कार्यान्वित किया जा रहा है। ऐसे मामलों की जांच-पड़ताल करने हेतु तुरन्त कार्यवाही करने के लिए उन सिफारिशों पर आधारित विस्तृत अनुदेश भी जिला पुलिस तथा अपराध जांच विभाग अपराध शाखा को दिये गये हैं।

रूस तथा संयुक्त अरब गणराज्य द्वारा गोहाटी के बाजार से चाय क्रय करो सम्बन्धी निर्णय

2266. **श्री जनार्दन** : क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस और संयुक्त अरब गणराज्य ने गोहाटी के बाजार से चाय खरीदने के बारे में अपनी सहमति दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रश्न पर ब्रिटेन का क्या रुख है ?

वैदेशिक-व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) व्यापार स्रोतों के अनुसार, सोवियत संघ तथा संयुक्त अरब गणराज्य से ग्राहकों के प्रतिनिधियों ने गोहाटी नीलामी केन्द्र से चाय खरीदने के लिए अपनी रजामंदी व्यक्त की है ;

(ख) इस पर अभी तक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

गोहाटी को अन्तर्राष्ट्रीय चाय नीलामी केन्द्र बनाने सम्बन्धी प्रस्ताव

2267. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या **वैदेशिक-व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोहाटी को अन्तर्राष्ट्रीय चाय, निलाम केन्द्र बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). गोहाटी स्थित चाय निलाम केन्द्र ने अभी सितम्बर, 1970 के अन्त में ही कार्य आरम्भ किया है। आसाम राज्य सरकार का इरादा गोहाटी चाय नीलाम केन्द्र को अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में विकसित करने का है।

बिजली की सप्लाई के बारे में व्यवधान के बारे में सिंचाई तथा विद्युत आयोग की चिंता

2268. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली की सप्लाई में सभी क्षेत्रों में और विशिष्ट क्षेत्रों में बार-बार व्यवधान

होने के सम्बन्ध में केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग चिंतित है और क्या उसने इसके कारणों का पता लगाया है ;

(ख) गत वर्ष बंगलौर नगर और दक्षिण कनारा जिले में व्यवधान कुल कितने समय तक रहा ;

(ग) सरकार को राजस्व में कितनी हानि हुई तथा व्यापार, उद्योग, कृषि और बिजली उपकरणों के सम्बन्ध में अनुमानतः कितनी हानि हुई ; और

(घ) वर्तमान असन्तोषजनक स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 18 के अन्तर्गत राज्य विद्युत बोर्डों का यह सामान्य कर्तव्य है कि वे राज्य के भीतर बिजली के उत्पादन, सम्भरण और वितरण का समन्वित विकास अत्यन्त दक्षतापूर्ण और किफायती तरीके से करें । केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग सामान्य रूप से विद्युत सम्भरण की दक्षता बढ़ाने में राज्य सरकारों और राज्य बिजली बोर्डों की सहायता करता है । ऐसी सहायता सामान्य रूप में और उन विशिष्ट मामलों के सम्बन्ध में भी दी गई है । जो कि केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के ध्यान में लाये गये हैं ।

(ख) मैसूर राज्य बिजली बोर्ड द्वारा सूचित की गई सम्बन्धित जानकारी नीचे दी जाती है ।

(i) मंगलौर टाउन	150 घंटे/उपभोक्ता/वर्ष
(ii) दक्षिण कनारा जिला	175 घंटे/उपभोक्ता/वर्ष

(ग) विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों, नामशः घरेलू, वाणिज्यिक औद्योगिक आदि को बिजली की सप्लाई में पड़ने वाले विघ्नों से होने वाली क्षति को आंकना सम्भव नहीं है ।

(घ) सेक्शनलाइजिंग प्रवेशों के साथ नये फीडर बनाये जा रहे है । हिरियादका में उच्च क्षमता का वैकल्पित विद्युत ट्रांसफार्मर चालू कर दिया गया है और उदीपी, कलकत्ता की पोशण लाइन नई लाइनें बनाकर विभाजित कर दी गई हैं ; मंगलौर, करकाला, उदीपी पुत्तुर बेलथंगड़ी में लोड टैप चेन्जर्स के साथ उच्च क्षमता के ट्रांसफार्मर भी चला दिये गये हैं, पनाम्बुर में एक और 33/11 के० वी० उप केन्द्र निर्माणाधीन है, मर्काडा में एक पृथक अभिग्राही (रिसीविंग) केन्द्र का निर्माण हो रहा है ।

ब्रह्मपुत्र-गंगा जल संधि

2269. **श्री लोबो प्रभु** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मंत्रालय ने ब्रह्मपुत्र-गंगा जल सन्धि की जांच उसी तरीके से की है जिस तरीके से सिन्धु जल सन्धि की जांच की गई थी जिसका विश्व बैंक ने समर्थन किया था ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : जी नहीं ।

श्रीनगर में एक पाकिस्तानी व्यक्ति की गिरफ्तारी

2270. **श्री बेघर बेहेरा :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीनगर सब्जी मंडी में 1 नवम्बर, 1970 को एक पाकिस्तानी को गिरफ्तार किया था ; और

(ख) क्या इसी पाकिस्तानी को पहले भी तीन बार सजा मिल चुकी है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस पाकिस्तानी की गतिविधियों को स्थाई रूप से रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) से (ग). राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

नेशनल टी कम्पनी

2271. **श्री हेम राज :** क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री 29 जुलाई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 506 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल टी० कम्पनी के स्थापना सम्बन्धी ब्यौरे को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी स्थापना कब की जायेगी और उक्त कम्पनी क्या मुख्य प्रयोजन पूरा करेगी ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). मामला अभी तक विचाराधीन है ।

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय के अन्तर्गत कर्मचारियों का स्थानान्तरण

2272. **श्री हेम राज :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय के विभिन्न अनुभागों में लगातार तीन वर्षों से काम कर रहे कर्मचारियों को अन्य अनुभागों में स्थानान्तरित करने के लिये एक नीति सम्बन्धी निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसे समान रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है ;

(ग) क्या प्रशासन अनुभाग के कर्मचारियों को इस संबंध में छूट है ;

(घ) यदि नहीं, तो उनको एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन को स्थानान्तरित न करने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) ऐसे मामलों की संख्या कितनी है तथा उन कर्मचारियों के नाम क्या हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ङ).

विभिन्न अनुभागों में काम कर रहे स्टाफ को समय-समय पर अदल-बदल करने के बारे में सामान्य प्रणाली यह है कि सहायकों और अन्य संबंधित व्यक्तियों को तीन वर्ष में एक बार अपने अनुभागों, अथवा कम से कम अपनी सीटों, से स्थानान्तरित करना लाजिमी होता है। उन अनुभागों में काम करने वाले स्टाफ के बारे में तो इस नियम का पालन दृढ़तापूर्वक किया जाता है जिनका संपर्क जनता के साथ होता है, लेकिन अब अनुभागों में काम करने वाले स्टाफ के सम्बन्ध में इस प्रकार की अदल-बदल यथासंभव इस बात को दृष्टि में रख कर की जाती है कि किसी भी अनुभाग में कार्य की समुचित व्यवस्था भंग न हो। विभिन्न अनुभागों से, जिनमें प्रशासन-कार्य करने वाले अनुभाग भी शामिल हैं, समय-समय पर बारी-बारी से स्थानान्तरण किये जाते हैं। तथापि, प्रशासनिक सुविधा के हित में, कुछ मामलों में प्रशासनिक अनुभागों में तथा अन्य अनुभागों में भी, स्टाफ को अधिक समय तक रख लिया जाता है। प्रशासन अनुभाग में, जो इस मंत्रालय की सिब्बंदी का कार्य संभालना है, कुल नौ व्यक्तियों में से निम्नलिखित दो सहायक एक ही सीट पर तीन वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं:

1. श्री एस० आर० शर्मा
2. श्री नानक सिंह

जम्मू तथा काश्मीर के गैर-सरकारी ट्रकों को दिल्ली में आने से रोकना

2274. **श्री राम किशन गुप्त** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली प्रशासन ने जम्मू तथा काश्मीर के गैर-सरकारी ट्रकों को दिल्ली में आने से रोक दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) काश्मीर के फल-उद्योग पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(घ) इस समस्या को सुलझाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). जम्मू और काश्मीर सरकार तथा दिल्ली प्रशासन के बीच एक समझौते के अन्तर्गत जम्मू व काश्मीर तथा दिल्ली के कुछ संख्या में "पब्लिक कैरियर" चल रहे थे। जुलाई, 1970 से जम्मू और काश्मीर सरकार ने दिल्ली सम्बन्धित पब्लिक कैरियरों को परिमिट देने बन्द कर दिये। चूंकि यह आपसी समझौता था, अतः दिल्ली प्रशासन ने भी जम्मू व काश्मीर से सम्बन्धित गाड़ियों को ऐसी सुविधाएं देना बंद कर दिया।

(ग) और (घ). सरकार को ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है कि काश्मीर फल-उद्योग पर इस यातायात के बंद किये जाने से बुरा असर पड़ा है।

हिमाचल प्रदेश, मनीपुर और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिये जाने के बारे में विधान

2275. **श्री राम किशन गुप्त** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश, मनीपुर और त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिये जाने के बारे में विधान को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में संसद् में विधेयक कब पुरःस्थापित किया जायगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). हिमाचल प्रदेश को पूरे राज्य का दर्जा देने के लिये संसद् के चालू सत्र में एक विधेयक पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव है। मनीपुर और त्रिपुरा के संबंध में विधान का ब्यौरा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विकास और सुरक्षा की समस्याओं के लिये एक समन्वित योजना के महत्व को ध्यान में रख कर तैयार किया जा रहा है।

डमडम हवाई अड्डे पर पुलिस द्वारा रिवोल्वर लिये दो युवकों का पकड़ा जाना

2276. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 अक्तूबर, 1970 के स्टेट्समैन (कलकत्ता संस्करण) के मुख्य पृष्ठ पर "हलीशहर में गोली चली" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है, कि दो युवकों को, जिनमें से प्रत्येक के पास अमरीकी सेना के रिवोल्वर थे, जैस्सोर रोड़, डमडम पर पुलिस द्वारा पकड़ा गया और उनसे लगभग 26 कारतूस बरामद किये ;

(ख) यदि हां, तो पुलिस द्वारा अधिकार में लिये गये अमरीकी सैनिक रिवोल्वरों, का ब्यौरा क्या है ; ये रिवोल्वर कैसे प्राप्त किये गये, क्या कारतूस अमरीकी सेना के थे तथा क्या अमरीकी गुप्तचर विभाग का इसमें हाथ था ; और

(ग) आज तक कितने और किन स्थानों पर अमरीका में निर्मित शस्त्र जिनमें राइफलें, बन्दूकें, रिवोल्वर, सम्मिलित हैं जब्द किये गये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अब तक प्राप्त सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	पकड़े गये अमरीकन हथियारों की संख्या	स्थानों के नाम
1	2	3	4
1.	गुजरात	2	बन्सकण्ठा और बरौड़ा जिला
2.	पंजाब	10	अमृतसर, लुधियाना और संगरूर जिले।

1	2	3	4
3.	उत्तर प्रदेश	31	फतेगढ़, नैनीताल, सहाजानपुर, बान्दा, सहारनपुर, अलाहाबाद, मेरठ और बहराईच जिले ।
4.	मनीपुर	2	मनीपुर ईस्ट और मनीपुर सेन्ट्रल जिले ।
5.	गोवा	3	पनाजी, परनम और चीनचीनिम ।
6.	हरियाणा	शून्य	
7.	केरला		
8.	मेघालय		
9.	नागालैंड		
10.	उड़ीसा		
11.	हिमाचल प्रदेश		
12.	त्रिपुरा		
13.	अन्डेमान और निकोबार द्वीप समूह		
14.	लंकादीव, मिनीकोय और अमीनी देवी द्वीप समूह		
15.	नेफा		
16.	पांडिचेरी		
17.	चण्डीगढ़		

पश्चिम बंगाल के प्रभागीय आयुक्तों (डिवीजनल कमिशनर) के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले

2277. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सतर्कता आयोग ने वहां के दो प्रभागीय आयुक्तों (डिवीजनल कमिश्नर) के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा अन्य आरोपों के प्रथम दृष्टियां मामले पाये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन दो व्यक्तियों के नाम क्या हैं और उन पर लगाये गये आरोपों का ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). सतर्कता आयोग, पश्चिम बंगाल ने प्रारम्भिक जांच के बाद प्रभागीय आयुक्त पद के दो अधिकारियों के विरुद्ध लगाये गये कुछ आरोपों के हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ करने की सिफारिश की है। उनके विरुद्ध लगाये गये आरोप व्यनुपातिक परिसम्पत्ति, शक्तियों का दुरुपयोग तथा अनुचित आचरण से सम्बन्धित है । जैसा कि कार्यवाही अभी तक पूरी नहीं हुई है, अतः अधिकारियों का नाम प्रकट करना उचित नहीं होगा ।

1971 Census

2278. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether Government have decided to collect any new information in the census operation going to be conducted in the year 1971 ;

(b) whether the collection of any information included in the Census Report of 1961 will be dropped in 1971 operation ;

(c) whether in an attempt to know the economic position of the country, Government will make an effort to know the number of such persons in the country who do not have their own houses to live in and the provision for drinking water and whose monthly income is less than 100 rupees ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S Ramaswamy) : (a) Yes, Sir. Information on the following items not covered at the 1961 Census will be collected at the 1971 Census :

(i) Particulars of all establishments.

(ii) Children born during the last year to the currently married women.

(iii) Internal migration with reference to the place of last residence.

(iv) Secondary work.

(b) The 1971 Census will not collect information on the following points though they were covered at the 1961 Census.

(i) Particulars of Household Cultivation.

(ii) Nationality.

(c) (i) The 1971 Census will give information on the number of Households living in rented houses as also on the Houseless population.

(ii) Village and Town Directories are being prepared which among other things will provide information on the sources of drinking water within the village and availability of protected water supply in the case of towns.

(iii) No information about monthly incomes of persons is being collected at the 1971 Census ;

(d) Regarding (c) (iii) above, in a quick and mass operation such as the Population Censuses it will not be possible to collect reliable data on monthly income.

Naxalities' Influence among Police Personnel and High Officials of West Bengal Government

2279. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the extent of truth in the report that Naxalites have created their pockets of influence in the police and among the high Officers of the West Bengal Government ;

(b) if so, whether Government are aware of the exact number of those persons in the Police and among the high Officers in the West Bengal Government who subscribe to the Naxalite ideology ; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) to (c). It is not correct to say that Naxalites have created their pockets of influence in

the police and among the high Officers of the West Bengal Government. The West Bengal authorities are alert and take suitable action where ever necessary.

Proposal to Set up a New Power Station at Giridih

2280. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether the proposal with regard to the setting up of a new Power Station at Giridih by the Central Government is not being materialised at this stage, although both coal and water are sufficiently available there ; and

(b) if so, the reasons therefor and the time by which the action would be taken in this behalf ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b). The proposal of setting up a thermal power station at Giridih has not been considered economically feasible for the present because of the expenditure involved in raising the capacity of the collieries at Giridih and the high cost of transmission in supplying power from the proposed power station to load centres. Further as compared with the investment required for the proposed station at Giridih, it would be more economical to supply power in the area from the Bihar Grid.

Adequate Supply of Water from Sone River to Sone Canal

2281. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether the Government of Madhya Pradesh have recently announced that the water of the Sone river cannot be spared in adequate quantity for the Sone Canal of Bihar ;

(b) if so, the action contemplated by the Central Government to make water available to the Sone Canal ;

(c) whether the Central Government propose to bring forward a solution of this problem ;

(d) whether the Central Government have received any information from the State Government of Bihar in this regard ; and

(e) if so, the details thereof and Government's reaction thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (e). The Government of Madhya Pradesh have represented against the Sone High Level Canal under construction by the Government of Bihar. The Governments of Bihar and Uttar Pradesh have been representing that the Bansagar project proposed by Madhya Pradesh involves inter-State aspects. Studies are being made by the Central Water and Power Commission to evolve proposals which would be acceptable to the three States.

Utilisation of Power-Generating Units in Bihar

2282. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether the capacity of all power-generating units in Bihar is being fully utilized ;

(b) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor ;

(c) the requirement of electricity in Bihar during the Fourth Five Year Plan and the schemes proposed to be pressed into service to meet it ;

(d) whether the total requirement of electricity in Bihar would be met during the Five Year Plan after the proper utilization of all such schemes ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b). The total installed generating capacity of the power stations of the Bihar State Electricity Board is 308 MW as against the peak demand of 280 MW. In respect of the private licencees in Bihar, the installed generating capacity is of the order of 31 MW against a peak load of 21 MW. The capacity of the stations is being fully utilised. However, because of breakdowns in some of the power generating stations of the Bihar State Electricity Board, the peak demand is sometimes not met.

(c) The requirement of electricity in Bihar at the end of the Fourth Five Year Plan has been assessed at 735 MW (excluding by the area served by D. V. C.). With the completion of the following schemes which are at present under execution, additional benefits to the extent of 550 MW are likely to accrue during the Fourth Five Year Plan raising the total installed capacity to 865 MW after allowing for retirement of about 24 MW.

	MW
Kosi Hydro (3×5 MW)	15
Subarnarekha Hydro (1×65 MW)	65
Barauni Thermal Extension (1×50 MW)	50
Patratu Thermal (2×100)	200
Patratu Thermal Extension (2×110)	220
Total	550

Funds have been provided in the Fourth Plan for taking up the installation of a 110 MW thermal unit in North Bihar.

(d) The total installed generating capacity of 865 MW by the end of the Fourth Plan would provide firm capacity of about 810 MW. The gap between the firm capacity and assessed demand is proposed to be met by imports of power from the neighbouring power systems in the Eastern Region and by accelerating the construction of the proposed thermal unit in North Bihar.

(e) Does not arise.

गलीचों के अस्तरों के निर्यात में कमी

2283. **श्री प० ला० बारुपाल** : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या गलीचों के अस्तरों के निर्यात में भारी कमी आई है और फलस्वरूप पाल के स्टाक में वृद्धि हुई है और इसके उद्योग और व्यापार में चिन्ता छाई हुई है ;

(ख) गलीचे के अस्तरों के व्यापार में इस मंदी के क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और स्थिति में सुधार के लिये क्या उपाय अपनाये गये हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). संयुक्त राज्य अमरीका, जो कि प्रमुख बाजार है, में मंदी आ जाने के कारण गत कुछ महीनों में

कालीन अस्तर वस्त्र के निर्यातों में अधोमुखी प्रवृति दिखाई दी थी। कालीन अस्तर वस्त्र की मांग अब बढ़ रही है। कालीन अस्तर वस्त्र के निर्यात में वृद्धि लाने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है।

Occupational Industrial Estates based on Kosa Industry in Madhya Pradesh

2285. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether there is a great scope for setting up occupational industrial estates based on Kosa industry in Madhya Pradesh ;

(b) whether the Government of Madhya Pradesh have asked for quota of Kosa for the State ;

(c) if so, the reaction of the Union Government thereto and whether Government propose to allocate quota of Kosa to Madhya Pradesh ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir. There is no system of allotting quotas State-wise.

(c) and (d). Do not arise.

Enquiry into Burhanpur Tapti Mills Ltd. (Madhya (Pradesh)

2286. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether the Government of Madhya Pradesh have sent any report against the Burhanpur Tapti Mills Ltd. (Madhya Pradesh) ;

(b) if so, the main points thereof ;

(c) whether the Central Government have constituted any inquiry committee as a result thereof ;

(d) whether the said committee has started its work ; and

(e) if so, its term of reference and the time by which it is likely to submit its final report ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) to (e). Some time back the Government of Madhya Pradesh intimated that there was deterioration in the working of Burhanpur Tapti Mills Ltd., Madhya Pradesh, due to financial difficulties etc. They suggested investigations into the affairs of this mill under the Industries (Development and Regulation) Act. Accordingly an Investigation Committee was set up to make full and complete investigations into the affairs of the undertaking. The said Committee has very recently submitted its report which is under examination.

Installation of Latest Machines for Manufacturing Cloth at Cheaper Rates

2287. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether Government have taken a decision to instal the latest machines on large scale in the cotton Textile Industry with a view to provide cloth to the poor at cheaper rates ; and

(b) if so, the time by which this scheme is likely to materalise in Madhya Pradesh ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Trade with South Korea and Israel

2288. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) the names of commodities in respect of which import and export trade is carried on between India and South Korea and Israel ;

(b) the total value (in Indian currency) of the goods imported from and exported to these countries during the financial years 1967-68 and 1968-69 ; and

(c) the names of commodities to be exported to those countries during the year 1970-71 and the total value of the goods to be imported therefrom ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) and (b). Two Statements giving the requisite information are attached.

(c) India's trade with these countries, as with most of the other countries, is in private hands at this stage it is not possible to indicate the volume and the commodity-wise break up of trade for 1970-71.

STATEMENT

(a) Statement showing important commodities traded between India on one hand and South Korea and Israel on the other hand.

(i) *Imports from South Korea*

Raw silk, tungston ore, condoms and zinc.

(ii) *Exports to South Korea*

Iron and Steel products, human hair, jute goods, iron and steel scrap, salt and mica.

(iii) *Imports from Israel*

Chemicals organic and inorganic, medicinal products and machinery.

(iv) *Exports of Israel*

Precious and semi precious stones, medicinal products, films, tobacco, coir yarn and jute goods.

(b) India's trade with South Korea and Israel during 1967-68 and 1968-69.

(Rs. lakhs)

	1967-68	1968-69
South Korea		
Imports from	41	49
Exports to	133	1046
Balance of Trade	(+)92	(+)997
Israel		
Imports from	7	16
Exports to	11	29
Balance of Trade	(+)4	(+)13

Trade between India and Japan

2289. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) the names of the major commodities in respect of which import and export trade is being carried on between India and Japan at present ; and

(b) the value of goods imported from and exported to Japan during the year 1969-70 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) and (b). A statement showing the names of the major commodities imported from Japan and exported to that country by India together with their values during the years 1969-70 and 1970-71 (Upto June, 1970) is laid on the Table of the House. [*Placed in the Library. See* No. LT 4283/70].

तुम्बा राकेट केन्द्र को अधिक बिजली की सप्लाई

2291. **श्री मंगलाथुमाडल** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष ने हाल ही में केरल के मुख्य मंत्री के साथ भेंट में तुम्बा राकेट स्टेशन और उसके निकट स्थापित किए जाने वाले अन्य केंद्र को और अधिक बिजली सप्लाई किए जाने का सुझाव दिया था ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने उस क्षेत्र में बिजली विकास के लिए कुछ सहायता का अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या केंद्रीय सरकार का केरल राज्य में अधिक बिजली उत्पादन परियोजनायें स्थापित करने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष महोदय केरल के मुख्य मंत्री से त्रिवेन्द्रम में 28 अक्तूबर, 1970 को मिले और उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था को बिजली की सप्लाई कायम रखने के लिए केरल में विद्युत प्रणाली में सुधार पर विचार-विमर्श किया। आनुषांगिक उद्योगों के विकास पर भी विचार किया गया ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) चतुर्थ योजना के अंत तक केरल में लगभग 335 मैगावाट अतिरिक्त उत्पादन क्षमता हो जाने की सम्भावना है जिसमें इदिक्की पन बिजली परियोजना से 260 मैगावाट और कुटियाडी पन-बिजली परियोजना से 75 मैगावाट बिजली शामिल होगी ।

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के लिए रिक्त स्थानों को भरना

2292. **श्री दण्डपाणि :**

श्रीमती सुचेता कृपालानी :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में राज्य सरकारों को उच्च-न्यायालयों में स्थाई तथा अतिरिक्त न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने के निर्देश जारी किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे निर्देश देने के क्या कारण हैं ; और

(ग) विभिन्न राज्यों में न्यायालयों में रिक्त पदों की संख्या कितनी है ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख). उच्च-न्यायालयों में बकाया कार्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने के लिये अनुरोध किया गया है कि उच्च न्यायालयों में रिक्तियां अविलम्ब भरी जायें ।

(ग) विभिन्न उच्च-न्यायालयों में वर्तमान रिक्त पदों की स्थिति इस प्रकार है :—

आंध्र प्रदेश उच्च-न्यायालय	(स्थाई न्यायाधीश का एक रिक्त पद तथा (अतिरिक्त न्यायाधीश का एक रिक्त पद ।
असम व नागालैंड उच्च-न्यायालय	(स्थाई न्यायाधीश का एक रिक्त पद । (
कलकत्ता उच्च-न्यायालय	(अतिरिक्त न्यायाधीश के तीन रिक्त पद ।
गुजरात उच्च-न्यायालय	(अतिरिक्त न्यायाधीश का एक रिक्त पद ।
केरल उच्च-न्यायालय	(अतिरिक्त न्यायाधीश का एक रिक्त पद ।
मध्य प्रदेश उच्च-न्यायालय	(स्थायी न्यायाधीश का एक रिक्त पद तथा (अतिरिक्त न्यायाधीश के दो रिक्त पद ।
मद्रास उच्च-न्यायालय	(स्थाई न्यायाधीश का एक रिक्त पद।
मैसूर उच्च-न्यायालय	(अतिरिक्त न्यायाधीश का एक रिक्त पद ।
पटना उच्च-न्यायालय	(स्थाई न्यायाधीश के दो रिक्त पद तथा अति- (रिक्त न्यायाधीश के दो रिक्त पद ।
पंजाब तथा हरियाणा उच्च-न्यायालय	(स्थाई न्यायाधीश के दो रिक्त पद । (

रूस के साथ व्यापार करार

2293. **श्री हुचे गौडा :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ से स्वदेश लौटते समय विदेश सचिव को रूस सरकार से कुछ व्यापार करारों पर बातचीत करने के लिये मास्को भेजा था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह बातचीत हुई थी ; और

(ग) मास्को में किन-किन विषयों पर बातचीत हुई और वहां क्या-क्या व्यापार करार किये गये ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). अपनी

मास्को की यात्रा के दौरान, विदेश सचिव ने, आपसी हितों के विभिन्न मामलों के संबंध में सोवियत अधिकारियों के साथ चर्चा की थी जिनमें नई दिल्ली में दिसम्बर, 1970 में होने वाली व्यापारिक वार्ताएं भी शामिल हैं ।

भारत और बैल्जियम के बीच द्विपक्षीय व्यापार

2294. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने बैल्जियम सरकार को दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार करने के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए दल भेजने के लिए निमंत्रण भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या बेल्जियम सरकार ने ऐसी-बातचीत के लिए अनुरोध किया है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ग). जी हां। भारत सरकार ने, भारत-बैल्जियम के वाणिज्यिक सम्बंधों के विस्तार की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए एक उच्च-शक्ति प्राप्त बैल्जियम प्रतिनिधि मंडल को भारत आने के लिए आमंत्रित किया था । शिष्टमंडल ने भारत का दौरा 6 नवम्बर, 1970 तक किया ।

(ख) विचार-विमर्श में जिन विषयों पर चर्चा हुई उनसे द्विपक्षीय भारत-बैल्जियम व्यापार, जिस में अपरम्परागत उत्पादों के निर्यात पर विशेष जोर दिया गया, में वृद्धि की सम्भावनाएं भारत के औद्योगिक विकास में बैल्जियम का सहयोग, तथा अन्य देशों में भारत-बैल्जियम का वाणिज्यिक सहयोग शामिल थे । प्रतिनिधिमंडल बैल्जियम लौट गया है तथा बैल्जियम की पार्टियों द्वारा यथासमय निर्णय लिए जाने पर ही विशिष्ट प्रस्ताव सामने आ सकेंगे ।

भारतीय नागरिकों द्वारा अण्डमान द्वीपों का दौरा

2295. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में अण्डमान द्वीपों का दौरा करने वाले भारतीय नागरिकों की वर्षवार संख्या कितनी थी ; और

(ख) क्या सरकार का विचार यात्रा को सुविधाजनक बनाने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य-मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह भारतवर्ष का एक भाग है अतः इन द्वीपों पर जाने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या का ऐसा कोई रिकार्ड नही रखा जाता है । फिर भी, उन भारतीय पर्यटकों की संख्या, जो इन द्वीपों पर गये थे तथा जिनके लिए सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान अतिथि-गृहों तथा सांस्कृतिक क्लबों में आवास की

व्यवस्था की थी, इस प्रकार है :—

1968	461
1969	710
1970	379

(18-11-1970 तक)

(ख) अण्डमान द्वीप समूह की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। फिर भी, आदिवासी क्षेत्रों की यात्रा करने के लिए इच्छुक व्यक्तियों को अनुमति करनी पड़ती है।

हवाई जहाज द्वारा द्वीपों को जाने वाले तथा वहां से आने वाले व्यक्तियों को बर्मा के लिए पृष्ठांकित पासपोर्ट प्राप्त करने होते हैं क्योंकि हवाई जहाज को रंगून में तकनीकी ठहराव के लिए रुकना पड़ता है। अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह तथा मुख्य भूमि के बीच यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए कम शुल्क पर विशेष पासपोर्ट जारी करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

द्वीप समूह तथा अन्तर-द्वीप की यात्रा के लिए निम्नलिखित सुविधायें उपलब्ध हैं :—

(क) कलकत्ता/मद्रास तथा द्वीप समूह के बीच 2 यात्री जलयान नियमित रूप से चलते हैं।

(ख) कलकत्ता और पोर्ट ब्लेयर के बीच सप्ताह में दो बार हवाई सेवा की व्यवस्था है।

(ग) अन्तर-द्वीप यात्राओं के लिए नियमित नौका सेवा मौजूद है।

नर-बलि के मामले

2296. **श्री रा० कृ० बिड़ला :**
श्री कांबले :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में नर-बलि के मामलों में वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों से इन मामलों के बारे में आंकड़े एकत्र किये हैं ;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य से सरकार को ऐसे कितने मामलों की सूचना मिली ; और

(घ) उक्त प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). राज्य

सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार नर-बलि के आरोपों की घटना के मामलों की संख्या 1967 से 1969 में निम्नलिखित थी :—

1967—तीन (महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश प्रत्येक में एक-एक)

1968—छः (उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में प्रत्येक में दो और राजस्थान और मध्य प्रदेश में प्रत्येक में एक-एक)

1969—चार (दो मध्य प्रदेश में और राजस्थान और जम्मू और काश्मीर में प्रत्येक में एक-एक)

1970 में सरकार को सूचना प्राप्त हुई है कि एक ऐसा मामला गुजरात के जिला सूरत में जनवरी 14 और 15 की रात्रि के मध्य में घटित हुआ। चालू वर्ष के दौरान राजस्थान के जिला बीकानेर के एक अन्य मामले के सम्बन्ध में सरकार को सूचना प्राप्त हुई जिसमें संदिग्ध हत्या का आशय नर-बलि है। फिर भी मामले की जांच से उपलब्ध साक्ष निश्चयात्मक नहीं है। लोक सभा से अतारांकित प्रश्न संख्या 472 के उत्तर में दिनांक 11-11-1970 के मामले के संबंध में तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं। राज्य सरकारों से चालू वर्ष में कितने नर-बलि के अन्य मामले हुये हैं इसकी सूचना प्राप्त की जा रही है।

(घ) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि नर-बलि के मामलों को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अधीन तुरन्त जांच सुनिश्चित की जाए ताकि ऐसे घृणित अपराधों को करने के जिम्मेवार व्यक्तियों के विरुद्ध शीघ्र मुकदमा चलाया जाये।

विशाखापत्तनम में संयुक्त अरब गणराज्य के पनडुब्बी कर्मीदल के कुछ सदस्यों की गिरफ्तारी

2297. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**

श्री हेम बरुआ :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त अरब गणराज्य के पनडुब्बी कर्मीदल के कुछ सदस्यों को विशाखापत्तनम में एक सिपाही को छुरा मारने के अपराध में गिरफ्तार किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त मामले का ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) संलग्न विवरण में ब्यौरा दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—4384/70]

अरब युवकों के साथ जेल में दुर्व्यवहार

2298. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ अरब युवकों के साथ, जिन्हें

जोर्डन दूतावास के सामने प्रदर्शन करने के लिए गिरफ्तार किया गया था, जेल में दुर्व्यवहार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ संसद सदस्यों ने इस ओर सरकार का ध्यान दिलाया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई थी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख). जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

देश में साम्प्रदायिक स्थिति

2299. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की साम्प्रदायिक स्थितियों में सुधार हुआ है ; और

(ख) यदि नहीं, तो साम्प्रदायिक संगठनों की गतिविधियों को रोकने के लिए और क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) देश के कुछ भागों में साम्प्रदायिक स्थिति चिन्ता का कारण बनी हुई है ।

(ख) आपराधिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1970 को, जो अन्य बातों के साथ-साथ साम्प्रदायिक संगठनों की गतिविधियों से निबटने की व्यवस्था करता है, लोक सभा के गत अधिवेशन में पुरःस्थापन की अवस्था में वापिस लेना पड़ा । इस सम्बन्ध में अग्रिम कार्रवाई के बारे में राजनैतिक दलों के नेताओं के साथ विचार-विमर्श करने का प्रस्ताव है ।

कच्ची पटसन के मूल्य का निर्धारण

2300. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1970-71 के लिए कच्ची पटसन का मूल्य निर्धारित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1970-71 के लिए निर्धारित मूल्य 1969-70 के निर्धारित मूल्य की तुलना में कैसा है ;

(ग) क्या मूल्य का निर्धारण पटसन उत्पादकों के साथ परामर्श करके किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) वर्ष 1970-71 के लिए कच्चे पटसन की न्यूनतम समर्थन कीमतों की घोषणा कर दी गई है ।

(ख) महत्वपूर्ण गौण बाजारों में से कुछ के लिए निर्धारित की गई न्यूनतम समर्थन कीमतों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ग) और (घ). न्यूनतम समर्थन कीमतों का निर्धारण कृषि मूल्य आयोग के साथ परामर्श करके किया जाता है जो कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखता है जिनमें उपज-कर्ताओं के हित भी शामिल हैं।

विवरण

सात गौण बाजारों के लिए पटसन (बाटम ग्रेड) के लिए निर्धारित किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य।

(प्रति क्विंटल रुपये में)

गौण बाजार का नाम	पटसन की किस्म तथा ग्रेड	न्यूनतम समर्थन मूल्य 1970-71	1969-70
दिनहाटा (पं० बंगाल)	नार्दरन जूट व्हाइट	87.96	86.68
गुलाब बाग (बिहार)	वेस्टर्न देसल जूट व्हाइट	80.84	80.38
नौगांग (असम)	असम जूट व्हाइट	89.75	86.54
दानपुर (उड़ीसा)	कट्टक जूट „	96.91	95.38
अगरतला (त्रिपुरा)	अगरतला जूट व्हाइट	89.75	79.31
लखीमपुर (उ०प्र०)	लखीमपुर जूट व्हाइट	73.68	69.66
विजियानगरम (आंध्र प्रदेश)	बिमली	75.48	72.34

कलकत्ता में सुपुर्दगी के लिए समर्थन कीमत को 1969-70 के स्तर जैसा ही बनाए रखा गया है।

Change Proposed in Basis of Allocation of Funds for States' Plans

2302. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Prime Minister be pleased to state :

(a) whether Government propose to effect any change in the basis of allocation of funds for the State's Plans ;

(b) whether the States have been consulted in this connection and, if so, their reaction in the matter ; and

(c) if the States have not been consulted in the matter, the reasons therefor ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) to (c). No, Sir. As the Central assistance has been distributed on the basis of the objective criteria approved by National Development Council, the question of consulting the States afresh does not arise.

Recall of Uttar Pradesh Governor

2303. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Hardayal Devgun :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether several political parties have demanded the immediate recall of the present Governor of Uttar Pradesh, Dr. Gopala Reddy ;

(b) if so, the reasons for which such a demand has been made ; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) to (c). The matter was discussed in detail in the House on the 19th November, 1970 and the motion for recall of the Governor of Uttar Pradesh was negatived.

निर्यात क्षमता पर राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद की सिफारिशें

2304. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** **श्री वि० कु० मोडक :**
श्री वि० नरसिम्हा राव :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद ने जिसने कि भारत की निर्यात क्षमताओं का हाल ही में अध्ययन किया था, क्या सिफारिशें की हैं ;

(ख) क्या इस अध्ययन के अनुसार 26 एशियाई और अफ्रीकी देशों को किया जाने वाला निर्यात 1974 तक दुगुना किया जा सकता है ; और यदि हां, तो क्या सरकार इस मत से सहमत है और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या प्रभावी कार्यवाही की गई है ;

(ग) पिछले दो वर्षों में भारत के निर्यात व्यापार में वृद्धि की क्या दर थी ; और निर्धारित लक्ष्य की तुलना में उसकी स्थिति क्या है और चौथी योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) निर्यात व्यापार संबर्द्धन में कौन सी बाधाएं हैं और उन बाधाओं को कैसे दूर करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). माननीय सदस्य का ध्यान इस सभा में 11 नवम्बर, 1970 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 492 के उत्तर की ओर आकृष्ट किया जाता है । प्रतिवेदन की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

(ग) और (घ). भारत के निर्यातों की वृद्धि की प्रतिशत दर 1968-69 में 13.3 प्रतिशत थी और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष अर्थात 1969-70 में 4.1 प्रतिशत थी । 1968-69 के लिए वृद्धि दर का कोई लक्ष्य नहीं रखा गया था और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अनुसार 1969-70 के लिए 7 प्रतिशत का लक्ष्य था । निर्यातों में गिरावट के कारण और लक्ष्य के अनुसार वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण

निर्यातों में गिरावट के मुख्य कारण निम्नोक्त थे :

(क) व्यापारिक परिस्थितियों के प्रतिकूल होने से कई प्रमुख उत्पादों का एकक मूल्य कम हो गया था । इससे पटसन की वस्तुओं, चाय, अमिनित तम्बाकू, मैंगनीज अयस्क, काफी, काजू की गिरी आदि महत्वपूर्ण निर्यात उत्पादों को विशेष हानि पहुंची ।

(ख) विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले देश की मुख्य दो वस्तुओं अर्थात पटसन की वस्तुओं तथा चाय की बाह्य मांग बहुत कम रही । संयुक्त राज्य अमरीका में चल रही मन्द आर्थिक परिस्थितियों का पटसन की वस्तुओं की मांग पर प्रभाव पड़ा था और चाय की अधिक विश्व पूर्ति तथा ब्रिटेन में इसके काफी स्टाक जमा हो जाने का चाय पर कुप्रभाव पड़ा ।

(ग) औद्योगिक अशांति का कई उत्पादों के निर्यात पर प्रभाव पड़ा । 1969-70 निर्यात उत्पादों में से कुछ के उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ा । 1969-70 के दौरान, गोआ पत्तन में मल्लाहों की हड़ताल, कोचीन तथा कलकत्ता पत्तनों में हड़तालों तथा कोचीन के काजू के कारखानों में हड़तालों और जमशेदपुर में चली लम्बी हड़ताल के परिणामस्वरूप इन्जीनियरी वस्तुओं के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा और इसका निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ।

(घ) घरेलू लागत तथा कीमत स्तर में क्रमशः वृद्धि हुई, जिससे निर्यात अलाभकर हो गए ।

(ङ) देश में चल रही मन्दी की परिस्थितियों को दूर करने से भी घरेलू मांग बढ़ने के कारण कुछ उपभोक्ता वस्तुओं के निर्यात योग्य अधिशेषों की मात्रा पर भी प्रभाव पड़ा ।

(ख) लक्षित वृद्धि दर पर प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय :

1. जहाँ तक निर्यात अभिमुख उत्पादन ढांचे का सम्बन्ध है अधिक निर्यात सम्भाव्यता वाले उन उत्पादों को, जो कालांतर में देश में प्रतियोगी रूप से उत्पादित हो सकती हैं, अभिज्ञात करने के लिए विभिन्न प्रकार के अध्ययन किए जाएंगे और संशोधित औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति को, जिसका पहले ऐलान किया जा चुका है, इन अध्ययनों के आधार पर उत्पादन ढांचे को अपेक्षित रूप में अभिमुख बनाने के लिए तैयार किया गया है ।

2. परम्परागत निर्यातों के बारे में निर्यात निष्पादन को सुधारने के लिए उत्पाद अनुकूलन पद्धति पहले ही आरम्भ की जा चुकी है और अनेक उत्पादों, जैसे तुरन्त तैयार होने वाली चाय, पैक की हुई चाय (राष्ट्रीय चाय निगम के माध्यम से निर्यात होने वाली), पटसन निर्मित कालीन अस्तर, सिले-सिलाये वस्त्र तथा मिश्रित कपड़े आदि को विकसित किया जा रहा है और उनके निर्यातों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है ।

3. काजू की गिरी के सम्बन्ध में, कच्ची गिरी साधित करके निरन्तर तथा पर्याप्त पूर्ति सुनिश्चित करने और गिरी का निर्यात करने के लिए काजू निगम स्थापित किया गया है ।

4. खनिज क्षेत्र में लौह-अयस्क के निर्यातों को बढ़ाने के लिए, खनिज तथा धातु

व्यापार निगम ने जापान के साथ, आगामी 9 वर्षों में 467 करोड़ रुपये मूल्य के लौह-अयस्क के निर्यात करने के लिए संविदा की है।

5. वस्त्र क्षेत्र में, कच्ची रुई का प्रभावी आयात करने तथा इसका उचित वितरण करने के लिए रुई निगम स्थापित किया गया है।

6. जहां निर्यातों के पक्ष में उत्पादन को अभिमुख बनाने के लिए संशोधित औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति का मूल्यांकन किया गया है, वहां व्यापार विकास प्राधिकरण भी स्थापित किया गया है जो माइक्रो स्तर पर निर्यातकों की व्यक्तिगत रूप से पेकेज सहायता देगा।

7. अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड हस्तशिल्प की वस्तुओं के, रत्न तथा आभूषण छोड़कर, निर्यातों को सुनिश्चित तथा संगठित करने के लिए विशेष प्रयत्न कर रहा है ताकि 1973-74 तक लगभग 100 करोड़ रु० का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

8. देश की निर्यात नीतियों में पर्याप्त स्थिरता बनाये रखने की बाध्यता को देखते हुए निर्यातों के लिए मुआवजा सहायता के परिमाण की निरन्तर समीक्षा की जाती है और आवश्यक होने पर निर्यातों की वृद्धि दर बढ़ाने के लिए उसे संशोधित किया जाता है।

9. परम्परागत क्षेत्र में, चाय के निर्यात संभरणों पर स्वैच्छिक प्रतिबन्धों के लिए हम मारिशस करार में शामिल हो गये हैं ताकि चाय के इकाई मूल्यों में सुधार किया जा सके। इसका चाय के निर्यात उपार्जनों पर प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है।

10. देश के विदेशी व्यापार में सरकारी क्षेत्र के योगदान में उत्तरोत्तर विस्तार किया जा रहा है जिसकी पुष्टि राज्य व्यापार निगम, खनिज तथा धातु व्यापार निगम, राज्य निगम के अनुषंगी कार्यालयों की स्थापना जैसे, प्रस्तावित परियोजना तथा उपस्कर निगम, व्यापार विकास प्राधिकरण, रुई निगम, काजू निगम की स्थापना तथा प्रस्तावित समुद्री उत्पाद विकास प्राधिकरण को सौंपे गये अधिकाधिक उत्तरदायित्व से हो जाती है।

11. भारतीय जहाजरानी निगम की सफल पंजीयित टन क्षमता में वृद्धि के लिए निरन्तर किये जा रहे प्रयत्नों के अतिरिक्त प्रमुख पत्तनों पर माल लादने तथा उतारने की क्षमता में सुधार तथा सुविधाओं को यंत्रीकृत करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

12. व्यापक अधिमान योजना के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए जेनेवा में हाल ही में हुए समझौते का अध्ययन किया जा रहा है ताकि देश के लाभ के लिए नयी सुविधाओं का लाभ उठाने के सम्बन्ध में सर्वोत्तम ढंग सुनिश्चित किया जा सके।

13. संयुक्त अरब गणराज्य तथा यूगोस्लाविया के साथ आर्थिक सहयोग को और भी बढ़ाने के लिए विशेषत: सल्वानिया स्थित ब्लैड में हाल ही में मंत्रिस्तर पर हुई त्रिपक्षीय बैठक में काफी प्रगति हुई है इकाफे के तत्वावधान में एशिया में व्यापार उदारीकरण तथा विकास के लिए आर्थिक सहयोग से सम्बन्धित सम्पूर्ण ढांचा तैयार करने के संबंध में भी उल्लेखनीय प्रगति की गयी है। इसे और भी आगे बढ़ाया जायेगा।

14. सोवियत संघ के साथ एक दीर्घावधि शीघ्र ही करार किये जाने की संभावना है।

पिछड़े जिलों का विकास

2305. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया**: क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने पिछडे हुए जिलों को तीव्र गति से विकास प्राप्ति के लिए चुना गया है और इस चयन के लिए क्या कसोटी अपनाई गई है, और उन जिलों के राज्यवार नाम क्या हैं ;

(ख) क्या राजस्थान का जालीर जिला भी चुना गया है और यदि हां, तो विकास कार्यक्रम किस तरीके से आरम्भ किया जायेगा और आगामी दो वर्षों में कितना धन व्यय किया जायेगा ;

(ग) क्या पहले भी कई बार पिछड़े हुए जिलों का चयन किया गया था परन्तु उनमें कोई भी उल्लेखनीय विकास कार्य नहीं हुए ;

(घ) यदि हां, तो सरकार किस प्रकार यह सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में विकास कार्यों के परिणाम आशानुकूल निकलें ; और

(ङ) क्या विकास योजनाएं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा आरम्भ की जायेंगी अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा ?

प्रधान मन्त्री, अणुशक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) राज्यों द्वारा पिछड़े हुए अभिनिर्धारित किए गए जिलों की सूची सभा पटल पर विवरण 1 के रूप में प्रस्तुत है। पिछड़े क्षेत्रों के अभिनिर्धारण के लिये योजना आयोग द्वारा सुझाई कसौटियां विवरण 2 के रूप में प्रस्तुत हैं। पर राज्यों को यह स्वतंत्रता है कि वे पिछड़े क्षेत्रों को चुनने के लिए स्वयं अपने मानकों का उपयोग या विकास करलें। [ग्रन्थालय में रखा गया।देखिये संख्या एल० टी०—4385/70]

(ख) राजस्थान सरकार ने अभी अपने पिछड़े क्षेत्रों का अभिनिर्धारण नहीं किया है, इस विषय में अभी लिखा पढ़ी चल रही है।

(ग) से (ङ). पिछड़े क्षेत्रों के त्वरित विकास के लिए कार्यक्रम आरम्भ करना अनिवार्यत: राज्य सरकारों का दायित्व है। अपेक्षा की जाती है कि राज्य के योजना साधनों का विभिन्न

कार्यक्रमों और विभिन्न क्षेत्रों में आवटन ; स्थानीय स्थितियों, क्षमताओं, समस्याओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर किया जाएगा। पर केंद्रीय सरकार ने कुछ ऐसे असुविधाग्रस्त वर्गों और क्षेत्रों के विकास के लिए जिनके कि सामने कुछ विशेष समस्यायें हैं, कई मार्गदर्शी परियोजनाएं आरम्भ की हैं।

नक्सलवादियों द्वारा पुलिस कर्मचारियों पर किये जा रहे हमलों का भूतपूर्व पुलिस कर्मचारियों द्वारा आयोजन

2306. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **गृहकार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि पुलिस कर्मचारियों पर नक्सलवादियों द्वारा किये जा रहे अधिकतर हमले भूतपूर्व पुलिस कर्मचारियों द्वारा आयोजित और संचालित होते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या जानकारी है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

चौथी योजना के दौरान की गई प्रगति का मध्यावधि मूल्यांकन

2307. **श्री देवकी नन्दन पटोदिया** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग का विचार चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई प्रगति के बारे में मध्यावधि मूल्यांकन करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा मूल्यांकन कब किए जाने की सम्भावना है ?

प्रधान मन्त्री, अणुशक्ति मन्त्री, गृह कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख). योजना की प्रगति का वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है तथा एक प्रगति की रिपोर्ट तैयार की जाती है। 1971-72 की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट में 1971-72 तक की प्रगति का तथा उसकी जटिलताओं का पुनरीक्षण किया जायेगा। 1971-72 चौथी योजना का मध्य वर्ष है। 1972 में ज्यों ही रिपोर्ट तैयार हो जाएगी इसे सभा पटल पर प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

बिजली के केबलों का निर्यात

2308. **श्री रा० रा० सिंह देव** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले छः महीनों में बिजली के केबलों का निर्यात हुआ है ; और

(ख) उसके परिणामस्वरूप कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) अप्रैल-सितम्बर 1970 के दौरान 478.04 लाख रुपये मूल्य के बिजली के तारों तथा केबलों का निर्यात किया गया ।

सिंगापुर में व्यापार मेला

2309. **श्री शंकर राव माने** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगापुर में भारतीय व्यापार मेले में भारत को सन्तोषजनक सफलता नहीं मिली ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसकी त्रुटियों का पता लगाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). एक भारतीय समाचार में प्रकाशित एकाकी रिपोर्ट को छोड़ कर, समस्त उपलब्ध विवरणों के अनुसार तथा प्राप्त परिणामों को देखते हुए, सिंगापुर में आयोजित समग्रत: भारतीय व्यापार तथा उद्योग प्रदर्शनी, जिसमें दक्षिण पूर्व एशियाई बाजार के लिए उपयुक्त भारी तथा हल्के इन्जीनियरी उत्पादों पर विशेष बल दिया गया था, सर्वथा सफल सिद्ध हुई है । 4.997 लाख रु० मूल्य के माल की बिक्री होने के अतिरिक्त तथा 3.75 लाख रु० मूल्य के व्यापार के लिए आज कल चल रही बातचीत के अतिरिक्त 321 व्यापारिक पूछताछें, अभिकरणों के सम्बन्ध में 87 प्रस्ताव और संयुक्त उद्यमों के लिए 3 पेशकश प्राप्त हुए, जो अनुवर्ती कार्यवाही के लिये, व्यापारियों को भेज दिये गये हैं । अनेक व्यवसाय-प्रतिनिधियों ने भी बातचीत करके बड़ी मात्रा में व्यापारिक सौदे तब किये परन्तु वे कोई जानकारी देना नहीं चाहते । फिर भी इससे उत्पन्न निर्यात संभाव्यताएं पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होती । बुक किए गए विशिष्ट क्रयादेशों के रूप में परिणामों का मूल्यांकन कुछ समय पश्चात् ही किया जा सकेगा । समाचार-पत्रों, टेलीविजन और रेडियो पर प्रदर्शनी को आशातीत रूप में अच्छा स्थान मिला । 8 समाचार पत्रों ने विशेष परिशिष्ट प्रकाशित किए जिनमें आधुनिक औद्योगिक तथा प्रगतिशील देश के रूप में भारत के आविर्भाव तथा प्रौद्योगिकीय, औद्योगिक तथा वैज्ञानिक क्षेत्रों में उसके द्वारा की गई प्रगति पर बल दिया गया है ।

महाराष्ट्र द्वारा भेजी गई सिंचाई योजनायें

2310. **श्री शंकर राव माने** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार द्वारा सिंचाई के सम्बन्ध में भेजी गई कुछ योजनायें केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति के लिए विचाराधीन पड़ी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ये योजनाएं कब भेजी गई थीं और उनकी स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). महाराष्ट्र सरकार ने कृष्णा नदी के पानी को काम में लाने की 7 नई स्कीमों, गोदावरी नदी के पानी को काम में लाने की 26 नई स्कीमों और अन्य बेसिनों की 5 स्कीमों का प्रस्ताव किया है।

भारत सरकार यह उचित नहीं समझती कि जबकी इन नदियों से सम्बन्धित जल विवादों के प्रश्न पर कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण और गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण विचार कर रहे हैं, कृष्णा और गोदावरी बेसिनों में किसी नई परियोजना की स्वीकृति के बारे में विचार किया जाये।

जहां तक अन्य बेसिनों की परियोजनाओं का सम्बन्ध है, एक परियोजना के शीघ्र स्वीकृत हो जाने की संभावना है। अन्य दो स्कीमों पर केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग की टिप्पणियों के बारे में राज्य सरकारों के उत्तर प्रतीक्षित हैं। शेष दो स्कीमों की रिपोर्ट पिछले महीने आई थीं और केंद्रीय जल तथा विद्युत आयोग में इनकी जांच की जा रही है।

परमाणु शक्ति के क्षेत्र में भारत और संयुक्त अरब गणराज्य के बीच सहयोग

2311. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर/नवम्बर, 1970 में भारत और संयुक्त अरब गणराज्य के बीच परमाणु शक्ति के क्षेत्र में तथा परमाणु सामग्री की खोज में उसके सहयोग के सम्बन्ध में कोई बातचीत हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और क्या निर्णय किये गये हैं ?

प्रधान मन्त्री, अणुशक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) यह बात-चीत परमाणु ऊर्जा का उपयोग शान्ति पूर्ण कार्यों में करने के लिए सहयोग करने से संबंधित संयुक्त अरब गणराज्य के साथ हमारे वर्तमान द्विपक्षीय करार के बारे में है। बातचीत अभी जारी है।

कलकत्ता रिजर्व बैंक में डाका

2312. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता रिजर्व बैंक में 5 अक्तूबर, 1970 को डाले गये 1 लाख रुपये के डाके के संबंध में कुछ गिरफ्तारियां की गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन का ब्यौरा क्या है और सरकार ने मामले में क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). जी नहीं, श्रीमान। मामले की अभी जांच हो रही है।

दिल्ली विद्युत प्रदाय के चौकीदार की मृत्यु की जांच

2313. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 7 अक्तूबर, 1970 को दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के जिस चौकीदार की हत्या की गई थी उसकी मृत्यु के बारे में कोई जांच की गई है ;

(ख) क्या इस मामले में कुछ व्यक्तियों की गिरफ्तारियां की गई थीं और मृत्यु के कारणों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या मृत व्यक्ति के परिवार को कोई सहायता दी गई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). 7-10-70 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया था और दिल्ली पुलिस द्वारा उनकी जांच-पड़ताल की जा रही है। दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और एक अन्य व्यक्ति को पकड़ने के प्रयत्न किये जा रहे हैं जिस पर हत्या करने में शामिल होने का सन्देह है।

(ग) दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम ने सूचित किया है कि मृतक के दाह संस्कार का 100 रुपये तक का खर्चा कर्मचारी कल्याण निधि द्वारा किया गया था। मृतक के परिवार को राहत देने के लिए उसके पुत्रों में से बड़े पुत्र को उपक्रम में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में नौकरी दे दी गई है। कल्याण तथा क्षतिपूर्ति निधि में से 888 रुपये की देय रकम में से 424 रुपये की रकम मृतक की विधवा पत्नी को दे दी गई है। आवश्यक औपचारिकता पूर्ण हो जाने पर शेष रकम भी दे दी जायेगी। वर्क-मैन कम्पेनशेशन एक्ट के अन्तर्गत मृतक के उत्तराधिकारियों को देय मुआवजे के बारे में प्रश्न भी उपक्रम के विचाराधीन है।

वैज्ञानिक विभागों के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन

2314. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक विभागों सम्बन्धी प्रतिवेदन पर, प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के हस्ताक्षर जून, 1970 में हुये थे और उसे अभी तक सरकार के पास नहीं भेजा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) और (ख). आयोग की अन्तिम बैठक 30 जून, 1970 को 4 बजे सायं हुई थी। आयोग के अध्यक्ष ने 30 जून, की सिफारिशों का एक सार सरकार को भेजा था। उन्होंने रिपोर्ट बाद में भेजने का उल्लेख भी किया

था। यह विदित हुआ है कि यद्यपि मुख्य रिपोर्ट पर 30 जून को 5 बजे सायं हस्ताक्षर हो गये थे किन्तु तीन सदस्यों ने संकेत किया था कि उनके असम्मत विवरण थे। एक सदस्य ने अपने असम्मत विवरण अन्तिम बैठक में प्रस्तुत किए जब कि अन्य दो सदस्यों के विवरण आयोग समाप्त होने के पश्चात प्राप्त हुए थे।

एक्सपो-70 मेले में जापान की भारतीय लघु उद्योग के उत्पादों की खरीद में रुचि

2315. **श्री एन० शिवप्पा :**

श्री राजदेव सिंह :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान ने एक्सपो-70 मेले में भारत के लघु उद्योगों के उत्पादों को बड़ी मात्रा में खरीदने में रुचि प्रकट की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्यात द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा के अर्जित किये जाने की सम्भावना है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) भारत मंडप के तत्वावधान में एक्सपो-70 में आयोजित 'सोवेनीर' दुकानों में हस्त-शिल्प की वस्तुओं, हथकरघा सामान तथा आभूषणों की 129.12 लाख रु० की कुल बिक्री हुई।

इसके अतिरिक्त, बाइसिकलों के पुर्जों, सिलाई मशीनों के पुर्जों, मोटर गाड़ियों के पुर्जों और इलैक्ट्रानिक तथा रेडियो संघटकों जैसी मदों के सम्बन्ध में लघु उद्योग के विकास-आयुक्त के कार्यालय में लगभग 58 करोड़ रु० मूल्य की निर्यात सम्बन्धी पूछताछ प्राप्त हुई थी। उस संगठन द्वारा इन पूछताछों पर कार्यवाही की जा रही है।

Decisions taken by Planning Commission to Increase Avenues of Employment

2316. **Shri Molahu Prashad :** Will the **Prime Minister** be pleased to state the main recommendations contained in the decisions taken in the meeting of the Planning Commission, as reported in the Daily Aj dated the 9th October 1970, under the caption "Emphasis on increasing the avenues of Employment" ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : The discussions in the meeting of the Planning Commission centered round the various measures and directions for the rapid expansion of employment opportunities in the rural and urban sectors. It was emphasised that the unemployment situation was becoming serious and that immediate steps have to be taken to expand employment opportunities to all segments of the society. In this connection, it was suggested that a beginning could be made by chalking out programmes with employment potential for a minimum specified number of persons in each district, particularly for semiskilled and unskilled labour. A special scheme on these lines is under consideration. The other suggestions related to promotion of small scale and ancillary industries and ensuring that the projects in the various developmental sectors in the plan are made as much employment oriented as possible. It was suggested that steps should be taken to remove any restrictive policies which stood in the way of promoting development in general and employment in particular.

Plans for Rural Areas

2317. **Shri Molahu Prasad :** Will the Prime Minister be pleased to state :

(a) whether her attention has been drawn to the editorial under the caption "Gramksheter ke liye yojanain", plans for rural areas, published in the Daily Aj dated the 9th October, 1970 ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b). Yes Sir. Government is aware of the imbalances in the rural economy as between different classes—small farmers and big farmers—and as between different areas—dry areas and irrigated areas. As a part of the programme to correct this imbalance and to provide larger employment opportunities to the less privileged classes Government is undertaking a large number of projects for the benefit of small farmers, marginal farmers, agricultural labour and the farmer in dry areas. The programmes proposed in these projects, while being comprehensive, are not of a standardised pattern but are such as would fit the economy of the concerned area, and are drawn up with reference to local resources and requirements.

Crisis of Electricity caused by Scarcity of Water in Hind and Chandra Prabha Dams

2318. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state the remedial measures taken by the Central and State Governments on the crisis of electricity due to the scarcity of water in the Hind and Chandra Prabha Dams according to news-item published in the Daily Hindi Hindustan of the 25th August, 1970 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : There has been power shortage in Uttar Pradesh because of the low reservoir level at Rihand owing to scanty rainfall in the Rihand catchment area. To meet the shortage, power is being imported from the neighbouring States of Madhya Pradesh and Bihar to the extent possible. In order to meet the power deficit steps have been taken to accelerate the progress of construction of power projects in Uttar Pradesh.

कोसी परियोजना विभाग द्वारा गैल्वेनाइज्ड तार की खरीद में घोटाला

2319. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार के भ्रष्टाचार-विरोधी विभाग ने इस आरोप के बारे में कोई जांच पड़ताल की थी कि कोसी परियोजना विभाग द्वारा गैल्वेनाइज्ड तार की खरीद में 20 लाख रुपये का घोटाला किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी निष्कर्ष क्या है ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). बिहार सरकार ने सूचित किया है कि इस मामले की जांच नियुक्ति (भ्रष्टाचार-रोधी) विभाग, बिहार के द्वारा की जा रही है ।

यूरोपीय देशों तथा ईरान के साथ व्यापार

2320. **श्री बलराज मधोक** : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारत का स्वीडन, डेन्मार्क, जर्मनी, यूगोस्लाविया, तुर्की और ईरान के साथ कुल कितना व्यापार हुआ ;

(ख) क्या इन देशों को भारतीय वस्तुओं, विशेष रूप से भारतीय हस्तशिल्प, हौजरी की सामग्री और इंजीनियरिंग सामान के निर्यात में वृद्धि करने की काफी गुंजाइश है ; और

(ग) यदि हां, तो इन देशों के साथ किये जाने वाले निर्यात व्यापार में वृद्धि करने के लिए क्या निश्चित उपाय किये गये हैं अथवा किये जा रहे हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है। (विवरण सं० 1)। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—4386/70**]

(ख) जी हां।

(ग) एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है। (विवरण सं० 2)। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—4386/70**]

सीमावर्ती राज्यों में पाकिस्तानी एजेन्टों का सक्रिय होना

2321. **श्री बलराज मधोक** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पिछले कुछ महीनों से जम्मू और कश्मीर, आसाम, पश्चिम बंगाल और नागालैंड के सीमावर्ती राज्यों में पाकिस्तानी एजेन्ट, तोड़फोड़ करने वाले व्यक्ति और देशद्रोही बहुत अधिक सक्रिय हैं ;

(ख) क्या पाकिस्तान में आम चुनावों के निकट आने के साथ-साथ 'भारत के प्रति घृणा आन्दोलन' और अधिक तेज किया जा रहा है ;

(ग) क्या जम्मू और कश्मीर तथा आसाम जैसे युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्यों में मुस्लिम लीग और जमाये इस्लामी की गतिविधियों में तीव्रता और उनका विस्तार भारत में उस विचारधारा को जीवित रखने की पाकिस्तानी योजना का अंग है जिसके आधार पर पाकिस्तान बना था ; और

(घ) इन सब बातों को दृष्टि में रखते हुए, भारत की एकता और आन्तरिक शान्ति को भंग करने के पाकिस्तानी अभियान और उनकी चालों का भण्डाफोड़ करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ). ऐसी गतिविधियों को कुचलने के लिए सभी संबंधित एजेन्सियों द्वारा अत्यधिक सतर्कता बरती जाती है।

यह कहना सच नहीं है कि तोड़फोड़ करने वाले पाकिस्तानी व्यक्ति तथा देशद्रोही इन राज्यों में बहुत सक्रिय हैं। जम्मू व कश्मीर असम तथा पश्चिमी बंगाल में मई-अक्तूबर, 1970 के दौरान जासूसी के संदेह में 38 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं। नागालैंड में कोई गिरफ्तार नहीं किया गया। सदन को जानकारी है कि भारत के विरुद्ध पाकिस्तान में किस प्रकार का प्रचार किया जाता है। प्रतिरोध दर्ज करने के अतिरिक्त प्रचार का उत्तर देने के लिए सही चित्र प्रस्तुत करने की कार्यवाही भी की जाती है।

(ग) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

आर्थिक संकटग्रस्त कपड़ा उद्योग को आधुनिक बनाने के लिए वित्तीय संस्थानों और बैंकों से सहायता प्राप्त करने के बारे में प्रस्ताव

2322. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में आर्थिक रूप से संकट ग्रस्त कपड़ा उद्योग को आधुनिक बनाने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से सहायता प्राप्त करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समय देश में आर्थिक रूप से संकट-ग्रस्त कपड़ा मिलों की संख्या कितनी है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के प्रबन्ध निदेशक की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल, फिलहाल, कमजोर तथा अर्ध-कमजोर सूती वस्त्र मिलों के कार्यचालन के बारे में अध्ययन कर रहा है और उनके आधुनिकीकरण के विषय में, अपेक्षित राशियों तथा वित्तीय संस्थाओं से लिये जाने वाले ऋणों पर लागू होने वाली शर्तों में ढील, यदि कोई हो, के विशेष संदर्भ में अपनी सिफारिशें पेश करेगा।

(ख) ऐसी मिलों की कोई ब्यौरेवार गणना उपलब्ध नहीं है।

आन्तरिक मांग को पूरा करने के लिए काफी के निर्यातकोटे में कमी

2323. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुये निर्यात के लिए सरकार द्वारा नियत काफी के अतिरिक्त कोटे में कमी करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्यात की मात्रा में यह कमी आन्तरिक मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त होगी ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Statehood for Pondicherry

2324. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether Government have received a memorandum from various organisations and political parties wherein full Statehood for Pondicherry has been demanded ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs, and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) No such communication has been received.

(b) Does not arise.

आस्ट्रेलिया के साथ व्यापार

2325. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निकट भविष्य में आस्ट्रेलिया के साथ व्यापार बढ़ाने के लिये कुछ कार्यवाही करने पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). भारत सरकार का यह सतत प्रयास रहा है कि उसके व्यापारिक सहयोगियों के साथ भारत के व्यापार में विस्तार तथा विविधीकरण हो । इस प्रयोजन हेतु बहुत से निर्यात संवर्द्धन उपायों को अपनाया गया है । कम विकसित देशों को तरजीह देने की योजना द्वारा आस्ट्रेलिया में प्राप्त विशिष्ट निर्यात अवसरों के संबंध में विभिन्न निर्यात संवर्द्धन परिषदों तथा वस्तु बोर्डों का ध्यान आकर्षित किया गया है । व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से हाल में ही सिडनी में राज्य व्यापार निगम का एक कार्यालय खोला गया है । भारत ने अक्तूबर, 1969 में हुए सिडनी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भी भाग लिया था ।

पश्चिम बंगाल में लोअर दामोदर परियोजना से उत्पन्न समस्यायें

2326. **श्री सरदार अमजद अली** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पश्चिम बंगाल राज्य की लोअर दामोदर परियोजना से अभी हाल में उत्पन्न समस्याओं से अवगत है ;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त परियोजना को उच्च प्राथमिकता देने का है ;

(ग) क्या भारत सरकार परियोजना को तत्काल पूरा करने के लिए धन देगी ; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ). सरकार को निचले दामोदर-क्षेत्र में गम्भीर जल-निकास अवरोध की समस्या का ज्ञान है । निचले

दामोदर-क्षेत्रों के सुधार के लिए स्कीम को शीघ्र बनाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार विस्तृत अनुसंधान कर रही है।

बाढ़ नियंत्रण और निस्सार स्कीमों का सूत्रपात, प्रतिपादन और कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को उस प्रकार की तकनीकी सहायता देती है जिसके लिए वह जरूरत समझती है और प्रार्थना करती है। चतुर्थ योजना से राज्य सरकारों को उनकी योजना स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है और यह किसी विशेष परियोजना अथवा विकास शीर्ष के निमित्त नहीं दी जाती। अतः सापेक्ष जरूरत का ख्याल करते हुए राज्य सरकारें इस बात में स्वतन्त्र हैं कि वे किस परियोजना को क्या धन राशि दें।

विदर्भ राज्य का बनाया जाना

2327. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाविदर्भ कार्य समिति का कोई प्रतिनिधि मण्डल महाराष्ट्र में से विदर्भ राज्य बनाने की अपनी मांग पर जोर देने के लिए कुछ मास पूर्व नई दिल्ली में उनसे मिला था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने प्रतिनिधिमंडल से कहा था कि वह अभी अपनी मांग पर अधिक बल न दें अपितु धीरे-धीरे अपना आंदोलन जारी रखें ;

(ग) क्या सरकार देश में राज्य के पुनर्गठन के प्रश्न पर विचार करना चाहती है ; और

(घ) विदर्भ राज्य की मांग पर सरकार की क्या नीति है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) महाविदर्भ राज्य संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधिमंडल 12 अगस्त, 1970 को प्रधान मंत्री से मिला था और उसने उन्हें पृथक विदर्भ राज्य बनाने के लिए एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) सदन में 6 मार्च 1970 को अतारांकित प्रश्न सं० 1980 का उत्तर देते हुये यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि सरकार पृथक विदर्भ राज्य बनाने के पक्ष में नहीं है।

केरल सरकार को दस योजनाओं के लिए परियोजना रिपोर्ट

2328. **श्री विश्वनाथन मेनन :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने अभी हाल में दस योजनाओं के लिए परियोजना रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने योजना की मंजूरी दे दी है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और उनके कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ). जी, हां । दस स्कीमों की प्रारंभिक परियोजना रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं । केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा कोई कार्यवाही करने से पहले विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

अमरीका की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के माध्म से अमरीका की कम्पनियों की मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए मांग

2329. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका की कुछ प्रमुख औद्योगिक कम्पनियों ने अमरीका की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के माध्यम से भारत सरकार से काण्डला से भिन्न किसी अन्य स्थान पर मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने की पेशकश की है जहां वे भारतीय कम्पनियों के सहयोग से वस्तुओं का निर्माण कर सकें ;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव का वास्तविक स्वरूप क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

भारत में विकिरण औषधि का प्रयोग

2330. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत, इस तथ्य के बावजूद भी कि वह विभिन्न प्रकार के रेडियो फार्मास्यूटीक्ल उत्पादों का निर्माण कर रहा है और इस क्षेत्र में उसका विश्व में पांचवां अथवा छठा स्थान है, विकिरण औषधियों के प्रयोग में पिछड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो देश में इन औषधियों के कम प्रयोग होने के क्या कारण है और विभिन्न प्रकार की बीमारियों में इनके प्रयोग के लोकप्रिय बनाने के लिये क्या निश्चित उपाय किये जा रहे हैं ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) देश में विकिरण औषधियों के उपयोग की प्रगति की गति मन्द होने के मुख्य कारण हैं—बड़े पैमाने पर रेडियो आइसोटोपों का उत्पादन करने के लिये आवश्यक सुविधाओं के उपलब्ध न होने के साथ-साथ प्रशिक्षत कर्मचारियों, आवश्यक परिष्कृत इलेक्ट्रानिक उपकरणों तथा

सहायक सुविधाओं की कमी। रेडियो आइसोटोपों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के अतिरिक्त, परमाणु ऊर्जा विभाग देश में 5 विकिरण औषध केन्द्र तथा अनेक मेडिकल कालजों में छोटी 2 आइसोटोप प्रयोगशालायें स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है। इसके लिये आवश्यक इलेक्ट्रानिक उपकरणों तथा अन्य सहायक सुविधाओं का निर्माण परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड नामक एक सरकारी उपक्रम द्वारा किया जायेगा।

हाल्दिया बंदरगाह क्षेत्र में मुक्त व्यापार जोन

2331. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र को पश्चिम बंगाल से हाल्दिया बंदरगाह क्षेत्र में, सब ओर से नदियों और जलमार्गों से घिरे हुए क्षेत्र में एक मुक्त व्यापार जोन स्थापित करने का कोई नया प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) क्या इंजीनियरी उद्योग प्रस्तावित हाल्दिया मुक्त व्यापार क्षेत्र में निर्यातोन्मुखी कारखानों की स्थापना करने का इच्छुक है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) पश्चिम बंगाल से ऐसी कोई प्रस्थापना प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी यह प्रश्न, पश्चिम बंगाल विधान सम्बन्धी परामर्शी समिति में विचारार्थ उठाया गया था।

(ख) इंजीनियरी उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी संगठन से सरकार को ऐसी कोई प्रस्थापना प्राप्त नहीं हुई है ?

छोटे निर्माताओं से कल-पुर्जों के लिए जापानी उद्योगपतियों की मांगें

2333. **श्री दिनकर देसाई** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापानी उद्योग पतियों ने छोटे निर्माताओं से कल-पुर्जों की खरीद करने के लिये अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन वस्तुओं का निर्यात करने के लिये सरकारी क्षेत्र में अलग से कोई एकक स्थापित करने का सरकार का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इन मांगों को पूरा करने के लिये योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी, हां। लघु उद्योग विकास संगठन के दो अधिकारी लगभग तीन-तीन महीनें के लिये जापान गये और उन्होंने विभिन्न निर्माताओं, संस्थाओं, विशाल उद्यमों और व्यापारियों से भारत के लघु उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पादों के सम्बन्ध में निर्यात-पूछताछ प्राप्त करने के लिए सम्पर्क स्थापित किया। ये अधिकारी इन उत्पादों के नमूने भी अपने साथ जापान ले गये थे और इन्हें जापानी पार्टियों को दिखाया। इसके फलस्वरूप इन अधिकारियों द्वारा जापान से रेडियो तथा इलैक्ट्रानिक उपस्करों के पुर्जों,

सिलाई मशीनों, बाईसिकलों तथा मोटर-गाड़ी-सहसाधनों आदि जैसी मदों के सम्बन्ध में लगभग 58 करोड़ रु० मूल्य की पूछताछ प्राप्त की गयी।

(ख) जी नहीं। लघु उद्योग विकास संगठन निर्यात सम्बन्धी पूछताछों पर कार्यवाही कर रहा है। लघु उद्योग विकास संगठन के मुख्यालय में एक निर्यात निदेशालय की भी स्थापना की गयी है। इसके अतिरिक्त लघु तथा मध्यम उद्योगों के निर्यातकों को सर्वांगीण सहायता देने के लिए सरकारी क्षेत्र में एक व्यापार विकास प्राधिकरण की भी स्थापना की गयी है।

(ग) लघु उद्योग विकास संगठन के जो अधिकारी जापान गये थे, वे वहां से अपने साथ ऐसे नमूने, विशिष्टियां तथा रेखाचित्र आदि भी लाये जिनमें जापानी खरीदार दिलचस्पी रखते थे। ये नमूने उन लघु एककों को दिखाये जा रहे हैं जो, इन पूछताछों के आधार पर उत्पादन शुरू करने में दिलचस्पी रखते हैं और अपनी मदें जापान को निर्यात करने में भी सक्षम है। इन नमूनों के आधार पर अपने माल के नमूने बनाने के लिए ये रेखाचित्र, विशिष्टियां आदि भी इन एककों को दी जा रही हैं। ये नमूने दिलचस्पी रखने वाले जापानी पक्षों को भेजे जायेंगे और उनसे स्वीकृत होने पर उनसे भारत के चुने हुये लघु एककों को पुख्ता क्रयादेश देने के लिए अनुरोध किया जायेगा। जापान से ये क्रयादेश प्राप्त करने के लिए चुने हुए लघु एककों को समस्त तकनीकी, वाणिज्यिक तथा विपणन सहायता प्रदान की जा रही है। भारत भर में लघु उद्योग सेवा संस्थान सक्रिय रूप से इन एककों का पता लगाने और इन एककों को समस्त सहायता प्रदान करने में जुटे हुए हैं।

केन्द्र में राज्यों से प्रतिनियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी

2334. **श्री दिनकर देसाई** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय मंत्रालयों अथवा विभागों में प्रतिनियुक्त राज्य संवर्ग से सम्बद्ध भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के कार्यकाल की अवधि निर्धारित करने सम्बन्धी नियमों अथवा नीति का ब्योरा क्या है ;

(ख) इस समय विभिन्न राज्य संवर्गों के भारतीय प्रशासनिक सेवा के कितने अधिकारी केंद्रीय मंत्रालयों में कार्य कर रहे हैं ; और

(ग) इनमें से कितने अधिकारी 3 वर्ष से भी ज्यादा अवधि से अपने पदों पर कार्य कर रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) विभिन्न पदों के लिए निर्धारित अवधि इस प्रकार हैं :—

अवर-सचिव तथा समतुल्य————————	3 वर्ष
उप-सचिव तथा समतुल्य————————	4 वर्ष
उप-सचिव पदों से ऊपर————————	5 वर्ष

(ख) केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों———————— 309
के सचिवालय पदों में

केंद्रीय सरकार के अन्तर्गत ;
सार्वजनिक उद्यम संस्थान सहित
(गैर सचिवालय) पदों में———————— 215

(ग) ———————————————— 243

Naxalite Prisoners in Jails

2335. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the total number of Naxalite prisoners in the jails of various States in the country ;

(b) whether even in jails they are kept in the category of ordinary prisoners ;

(c) if so, the reasons therefor ;

(d) whether the Naxalite prisoners have repeatedly demanded that they should be declared as political prisoners ; and

(e) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs, and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) and (d). The required information in respect of the States of Haryana, Madhya Pradesh, Mysore and Rajasthan and in respect of the Union territories of Himachal Pradesh, Manipur, Andaman and Nicobar Islands, Dadra and Nagar Haveli, Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands, NEFA, Pondicherry, Goa, Daman and Diu and Chandigarh is Nil. Information in respect of the remaining States/Union Territories is being collected.

(b) and (c). The category to which prisoners should belong is decided by the Courts convicting them.

(e) "Prisons" being a State Subject it is for the State Government concerned to consider each case on its merits.

जम्मू में ऊन-उद्योग का केन्द्र

2336. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू क्षेत्र की वसोहिल तहसील में बाडनी स्थान का ऊन-उद्योग के एक केन्द्र के रूप में विकास किया जा सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). राज्य सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम के अन्तर्गत मंजूरी की प्रक्रिया में संशोधन

2337. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आयात नीति में परिवर्तन करने का है ;

(ख) क्या सरकार एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियायें अधिनियम के अन्तर्गत मंजूरी की प्रक्रियाओं से सम्बन्धित प्रावधानों में संशोधन करना चाहती है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) वर्तमान आयात नीति को बदलने की कोई प्रस्थापना इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं हैं। फिर भी अलग-अलग पदों के सम्बन्ध में आयात नीति में परिवर्तन के लिए प्राप्त सुझावों पर एक अंतरविभागीय समिति विचार करती है और जहां आवश्यक समझा जाता है इन मदों के सम्बन्ध में आयात नीति में परिवर्तन कर दिये जाते हैं।

(ख) तथा (ग). एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम के उपबंधों से संगत रहते हुए, प्रक्रिया का सरलीकरण करने के विषय में समवाय कार्य विभाग विचार कर रहा है, ताकि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों का शीघ्र निबटान सुनिश्चित हो सके।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में पश्चिम बंगाल के लिए कुल परिव्यय

2318. **श्री नम्बियार** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने पश्चिमी बंगाल की चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये केवल 322 करोड़ रुपये का ही कुल परिव्यय निर्धारित करने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या आयोग के विचार में पश्चिम बंगाल की गतिबद्ध अर्थव्यवस्था को पुनः गतिशील बनाने के लिए यह राशि पर्याप्त है ;

(ग) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद् ने राज्यों द्वारा मांगी जाने वाली विशिष्ट सहायता देने के लिए केन्द्रीय सरकार के पास काफी राशि रखी है ; और यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा निर्धारित वर्ग में पश्चिम बंगाल भी आता है ;

(घ) क्या राज्य की जरूरत को पूरा करने के लिये पश्चिम बंगाल को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल को अतिरिक्त सहायता न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). राज्य की चौथी योजना का परिव्यय अनुमानित साधनों—केन्द्रीय सहायता और राज्य के निजी साधनों—के आधार पर 322.5 करोड़ रुपये रखा गया है। राज्य की अर्थव्यवस्था पुनरुज्जीवन केवल राज्य की योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले निवेश पर ही नहीं अपितु अनेक तत्वों पर निर्भर रहेगा जिनके अन्तर्गत निजी तौर पर व्यक्तियों द्वारा किया गया और वित्तीय संस्थानों द्वारा किया गया निवेश शामिल नहीं है।

(ग) कुछ राज्यों के गैर-योजना साधनों की कमियों की पूर्ति के लिए विशेष सहायता

उपलब्ध कराने की नीति की पुष्टि राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा की गई थी। पश्चिम बंगाल इन राज्यों में से एक है।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठता क्योंकि राज्यों की योजनाओं के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता की पूरी राशि राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित सिद्धान्तों के आधार पर राज्यों में पहले ही वितरित की जा चुकी है। पर यह सम्भव है कि राज्य गांवों में बिजली पहुंचाने, भूमि के विकास की स्कीमों और गृह निर्माण कार्यकलापों आदि की विकासक्षम परियोजनाओं के लिए ग्राम विद्युतिकरण निगम, कृषि पुनर्वित निगम और जीवन बीमा निगम जैसे अभिकरणों से अतिरिक्त साधन जुटाकर इन कार्यक्रमों के परिव्ययों में वृद्धि कर लें।

पश्चिम बंगाल में पुलिस द्वारा गोली चलाने के मामलों की न्यायिक जांच

2339. **श्री देवेन सेन :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में यह आवश्यक था कि पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के सब मामलों की न्यायायिक जांच कराई जाये ;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष में ऐसी कितनी जांचें कराई गई ; और

(ग) ऐसी प्रत्येक जांच का क्या परिणाम निकला ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और) (ग). प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में पुलिस कर्मचारियों पर हमले

2340. **श्री देवेन सेन :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल में पुलिस कर्मचारियों पर हमले किये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कुल कितने हमले हुए और प्रत्येक हमले का ब्यौरा क्या है ;

(ग) कितने पुलिस कर्मचारी जख्मी हुए और कितने मारे गये ;

(घ) ऐसे कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को कितना मुआवजा दिया गया है ; और

(ङ) इसके लिए कौन उत्तरदाई है और ऐसे मामलों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ङ). पश्चिम बंगाल सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पश्चिम बंगाल में पुलिस कर्मचारियों पर जानबूझ कर आक्रमण करना

2341. **श्री न० कु० सांघी :**

श्री समर गुह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में नक्सलवादियों तथा अन्य समाज विरोधी तत्वों द्वारा पुलिस कर्मचारियों पर जानबूझ कर आक्रमण किये जाने के फलस्वरूप पुलिस को आत्म-रक्षा हेतु गोली चलाने के निर्देश दिये गये हैं तथा सरकार ने गोली चलाने की ऐसी घटनाओं की कोई जांच न कराने की नीति अपनाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). ऐसे विशेष निदेश नहीं दिये गये हैं। फिर भी राज्य सरकार ने निर्णय किया है कि जब तक राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आदेश न दिये जायें, पश्चिम बंगाल पुलिस विनियमों में समाविष्ट वर्तमान अनुदेशों, कि पुलिस द्वारा अग्नेयास्त्र के प्रयोग से सम्बन्धित प्रशासनिक जांच, जितनी जल्दी प्रबन्ध हो सके, की जाए, को 6 अक्तूबर 1970 से तीन महीने की अवधि के लिए स्थगित रखा जायेगा।

लौह अयस्क के निर्यात के लिए रूमानिया के साथ बातचीत

2342. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **वैदेशिक-व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने लौह अयस्क के निर्यात के लिए रूमानिया के साथ वार्ता में सफलता प्राप्त की है ;

(ख) यदि हां, तो ठेके का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या अन्य यूरोपीय देशों के साथ इसी प्रकार की वार्ता की जा रही है ; और यदि हां, तो उनसे ठेके प्राप्त करने में अब तक कितनी सफलता मिली है ?

वैदेशिक-व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) तथा (ख). 1970-80 के वर्षों के दौरान 2.34 करोड़ टन माल की कुल मात्रा की पूर्ति के लिए जुलाई, 1969 में खनिज व धातु व्यापार निगम द्वारा रूमानिया के बीच एक दीर्घकालिक करार किया गया। इसमें से, वर्ष 1970 के दौरान पूर्ति करने हेतु जुलाई, 1969 में एक पुख्ता संविदा 14 लाख टन की पूर्ति के लिए की गई और माल की सुपुर्दगी जारी है ; 1971-80 के वर्षों के लिए करार के अन्तर्गत लौह अयस्क की 2.20 करोड़ टन की कुल मात्रा की पूर्ति होनी है। इसमें से 80 लाख टन की कुल मात्रा की पूर्ति होनी है। इसमें से 80 लाख टन तो निश्चित है और 1.40 करोड़ टन क्रेता की इच्छा पर है। अधिकांश अयस्क लदान पाराद्वीप पत्तन से करने का विचार है। इस दीर्घकालिक करार के अन्तर्गत आने वाली निश्चित तथा ऐच्छिक दोनों मात्राओं

के 17 करोड़ टन के लिए खनिज व धातु व्यापार निगम ने रूमानिया के साथ 1971 के लिए एक बिक्री संविदा की है।

(ग) जी हां, पोलैंड से आये एक शिष्टमंडल के साथ बातचीत फिलहाल चल रही है।

मैंगनीज अयस्क के निर्यात में कमी होना

2343. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या वैदेशिक-व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैंगनीज अयस्क के निर्यात में हो रही कमी को रोकने में खनिज तथा धातु व्यापार निगम की असफलता के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या इस बारे में अध्ययन किया गया है कि हमारे परम्परागत ग्राहक हमसे क्यों विमुख होते जा रहे हैं ; और

(ग) मैंगनीज अयस्क के हमारे निर्यात को फिर से चालू करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वैदेशिक-व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी रामसेवक) : (क) और (ख). गत 4 वर्षों में हुआ मैंगनीज अयस्क का निर्यात नीचे दिखाया गया है :—

परिमाण : हजार मे० टन में
मूल्य : लाख रुपये में

वर्ष	परिमाण	मूल्य
1967	1083	1241
1968	1185	1178
1969	1184	1089
1970 (जनवरी-अक्तूबर)	1345	1119

सप्लाई के अन्य स्रोतों से कड़ी प्रतिस्पर्धा होने के बावजूद भी खनिज तथा धातु व्यापार निगम निर्यात की 10 लाख मे० टन के आसपास, जो कि गत कुछ वर्षों का औसतन वार्षिक निर्यात है, बनाये रखने में सफल रहा है। वर्ष 1967-69 में किये गये निर्यात की अपेक्षा 1970 में किये गये निर्यात के परिमाण में उर्ध्वमुखी प्रवृति दिखाई देती है। तथापि उच्च ग्रेड के मैंगनीज के अयस्क के निर्यातों में गिरावट आई है जैसा कि विक्रय मूल्य से प्रगट है। उच्च ग्रेड के अयस्क के निर्यात में गिरावट के मुख्य कारण ये हैं :—

( ) बेहतर भौतिक विशेषताओं तथा रासायनिक संरचना वाले ग्रेड के उत्पादन का बद्ध स्रोतों (मुख्तः ब्राजील, गाबोन तथा घाना) द्वारा विस्तार

(2) आस्ट्रेलिया जैसे नये स्रोतों का प्रादुर्भाव,

(3) भारतीय अयस्क की सापेक्ष कठिनाइयां, उदाहरण के लिए, उत्पादन में अधिक लागत, अधिक दूरी तक रेल द्वारा परिवहन, पत्तन तथा लदान की अपर्याप्त सुविधायें ;

(4) स्वेज नहर का बन्द होना जिससे पश्चिमी यूरोप तथा संयुक्त राज्य अमरीका को बिक्री हेतु समुद्री भाड़ा 2 डालर प्रति मे० टन तक बढ़ गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में गिरावट के कारण निर्यातों का मूल्य घट गया है क्योंकि मैंगनीज अयस्क का विश्व उत्पादन मांग से अधिक बढ़ गया है।

(5) लौह-मैंगनीज, जो कि एक उच्च मूल्य काली वस्तु है, के उत्पादन तथा निर्यात के लिए उच्च ग्रेड मैंगनीज अयस्क बढ़ी हुई आंतरिक आवश्यकता।

(ग) मैंगनीज अयस्क का निर्यात बढ़ाने के लिए निम्नोक्त उपाय किये गये हैं :—

(1) खनिज तथा धातु व्यापार निगम, प्रतिकूल बाजार परिस्थितियां विद्यमान रहने के बावजूद भी, अपने बाजारों में टिके रहने के लिए निरंतर विक्रय संवर्द्धन उपाय कर रहा है।

(2) मैंगनीज अयस्क के विदेशी ग्राहकों के साथ उनके संपर्कों तथा सद्भावना का उपयोग करने की दृष्टि से मैंगनीज अयस्क के निजी संभरकों/खान स्वामियों को, खनिज तथा धातु व्यापार निगम की पूर्व अनुमति से, मूल्यों तथा अन्य शर्तों और बिक्री की शर्तों के सम्बन्ध में, मैंगनीज अयस्क की बिक्री हेतु बातचीत करने की अनुमति दी गई है।

(3) खनिज तथा धातु व्यापार निगम के प्रतिनिधि मण्डल बाजार परिस्थितियों का अध्ययन करने तथा बिक्री पर बातचीत करने के लिए पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमरीका, और जापान का दौरा करते रहे हैं। उन्होंने प्रतियोगी मूल्य की पेशकश की है और वे हमारे ग्राहकों को भारतीय मैंगनीज अयस्क की खरीद जारी रखने के लिए तैयार करने में सफल हुए हैं।

(4) खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने अन्तर्राष्ट्रीय मैंगनीज अयस्क बाजार के साथ सम्पर्क बनाए रखने हेतु जापान तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों में सम्पर्क तथा अभिकरण व्यवस्थायें बना ली हैं। इस प्रयोजन हेतु विदेश स्थित भारतीय मिशनों की सेवायें भी उपयोग में लाई जा रही हैं।

(5) देश में परिवहन तथा पत्तन सुविधाओं के विकसित करने के लिए समेकित परियोजनायें भी चल रही हैं ; जब ये पूरी हो जायेंगी तब इनसे समुद्री भाड़ा घट जायेगा जिसके परिणामस्वरूप भारतीय अयस्क की प्रतियोगिता स्थिति में सुधार हो जायेगा।

बिजली के लाने-ले-जाने के लिए पारेषण लाइनें

2344. **श्री मयावन :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बिजली के लाने-ले-जाने के लिए नई परेषण लाइनें स्थापित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो 220 किलोवाट लम्बी दूरी को परेषण लाइनों का कार्य पूरा होने से क्या लाभ मिलेंगे ; और

(ग) दिल्ली और कलकत्ता के बीच कमी को पूरा करने के लिए ये लाइनें कहां तक सहायक होंगी ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). साधारणतः 220 के० वी० पर विद्युत के पारेषण के लिए इष्टतम दूरी लगभग 200-300 किलोमीटर है। उत्तरी, पश्चिमी तथा दक्षिणी क्षेत्रों में विद्युत के विनिमय के लिए 220 के०वी० अन्तर्राज्यीय और अन्तःक्षेत्रीय पारेषण पथ पूरे हो चुके हैं। पूर्वी क्षेत्र का उत्तरी के साथ 220 के० वी० लिंक के द्वारा प्रस्तावित अन्तः सम्पर्क बिहार में डेहरी और उत्तर प्रदेश में मुगलसराय के बीच होना है और दक्षिणी क्षेत्र के साथ इसका अन्तः सम्पर्क 220 के० वी० लिंक द्वारा उड़ीसा में बलिमेला और आंध्र प्रदेश में अपर सिलेरू के बीच होना है। यह तकनीकी तौर से सम्भव नहीं होगा कि दिल्ली और कलकत्ता की विद्युत प्रणालियों को 220 के० वी० लिंक द्वारा सीधा जोड़ा जाए क्योंकि इनके बीच में 1400 किलोमीटर की दूरी है।

हांग कांग में राज्य व्यापार निगम का कार्यालय खोला जाना

2345. **श्री एम० एम० कृष्ण :** क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हांग कांग में राज्य व्यापार निगम का कार्यालय खोलने के बारे में सरकार ने इस बीच कोई अन्तिम निर्णय ले लिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं तथा इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिया जायेगा ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). एक संयुक्त समवाय की स्थापना के लिए राज्य व्यापार निगम और हांग कांग की फर्मों के बीच सहयोग करार के सम्बन्ध में बातचीत चल रही है। हांग कांग में राज्य व्यापार निगम के कार्यालय की स्थापना प्रस्तावित समवाय से संबंधित अन्तिम विनिश्चय पर निर्भर होगी।

मनीपुर के भूतपूर्व शासक की सम्पत्ति

2346. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर के भूतपूर्व शासक की भू-सम्पत्ति का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या दिवंगत महारानी ईश्वर देवी के जीवन काल में प्रयोग के लिए खोरपा के रूप में दी गई 125 एकड़ भूमि पहिले ही भूतपूर्व शासक को हस्तांतरित कर दी गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो इस भूमि का हस्तांतरण तथा नामांतरण कब दिया गया था तथा इस प्रकार हस्तांतरण के क्या कारण थे ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) सरकार सार्वजनिक हित में इसको उचित नहीं समझती कि भूतपूर्व नरेशों की सम्पत्ति, जिसको निजी सम्पत्ति के रूप में मान्यता दी गई है, उसका मूल्य या ब्यौरा प्रकट किया जाय ।

(ख) और (ग). मणिपुर सरकार ने सूचित किया है कि स्वर्गीय श्रीमती ईश्वरी देवी (भूतपूर्व महाराजा की सौतेली माता) को निर्वाह हेतु प्रदान की गई 125 एकड़ भूमि में से उन की मृत्यु के पश्चात् 96.02 एकड़ भूमि भूतपूर्व नरेश को सक्षम न्यायालय द्वारा सितम्बर और अक्तूबर, 1970 में प्रदान की गई । शेष भूमि की नामांतरण सम्बन्धी कार्रवाई न्यायालय के विचाराधीन है ।

मनीपुर के सुरक्षा आयुक्त के विरुद्ध आरोप

2347. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मनीपुर के सुरक्षा आयुक्त की गतिविधियों की जांच करने का है ; और

(ख) उसे मनीपुर से तुरन्त बुलाने के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). मनीपुर सरकार ने सूचित किया है कि मनीपुर के सुरक्षा आयुक्त के विरुद्ध कोई जांच करने के आधार नहीं हैं तथा उसे वापस बुलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

मनीपुर में ग्राम्य स्वैच्छिक दल

2348. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में ग्राम्य स्वैच्छिक दलों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) इन ग्राम्य स्वैच्छिक दलों के सदस्यों को वेतन किस प्रकार दिया जाता है तथा स्वयं सेवकों और मुखियाओं का मासिक वेतन कितना-कितना है ; और

(ग) गत दो वर्षों में उनके क्या क्रिया-कलाप रहे हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) लगभग 3450

(ख) स्वयं सेवकों को निर्वाह भत्ता, राशन, इत्यादि के रूप में सहायता दी जाती है।

(ग) ग्राम्य स्वैच्छिक दल मनीपुर के पर्वतीय क्षेत्रों में ग्रामवासियों के कहने पर गठित किया गया था ताकि वे विद्रोहियों की लूटपाट से अपने को बचा सकें। पिछले दो वर्षों में ग्राम स्वैच्छिक-दल की विद्रोहियों के साथ 38 मुठभेडें हुई हैं जिनमें 11 विद्रोही तथा ग्राम स्वैच्छिक दल का एक स्वयं मारा गया। ग्राम स्वैच्छिक दल ने विद्रोहियों से पर्याप्त मात्रा में अस्त्र और गोलाबारूद भी बरामद किये हैं।

पनबिजली परियोजना (हिमाचल प्रदेश), के लिए केंद्रीय सहायता

2349. **श्रीमती सुचेता कृपालानी** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा राज्य सरकार ने पनबिजली परियोजना, जिसमें 4 बांध, 4 सुरंगे तथा हिमाचल प्रदेश की कुल्लु घाटी में लारजी स्थित पार्वती नदी के जल से 1000 मैगावाट बिजली पैदा करने हेतु 3 बिजली घर भी शामिल हैं, के लिए वित्तीय सहायता हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना की लागत क्या है तथा सुरंगों को प्रस्तावित लम्बाई क्या है ;

(ग) क्या केंद्रीय सरकार ने इस बीच एक प्रस्ताव पर विचार कर लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) स्कीम हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्वेषणाधीन है ; परियोजना की लागत, तथा अन्य ब्यौरे अन्वेषणों के पूरा हो जाने पर मालूम होंगे।

(ग) तथा (घ). प्रश्न नहीं उठता।

नक्सलपंथियों की गतिविधियों का ग्रामीण क्षेत्रों से हटकर नगरीय क्षेत्रों में आरम्भ होना

2350. **श्रीमती सुचेता कृपालानी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 31 अक्तूबर, 1970 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित उन समाचारों को देखा है जिनमें कहा गया है कि नक्सलवादियों, ने अपनी गतिविधियों को ग्रामीण क्षेत्रों से हटा कर नगरीय क्षेत्रों में आरम्भ कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हाँ, श्रीमान ।

(ख) राज्य सरकारें तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन नक्सलवादियों तथा समवर्गीय उग्रवादी दलों की गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए विधि के अन्तर्गत कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं ।

योजना आयोग के संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन करने की योजना

2351. **श्री शिव चंद्र झा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार योजना आयोग के संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन करने की योजना बना रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री, अणुशक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पशुओं की खालों तथा गजदन्तों का निर्यात

2352. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत विदेशों को चीतों तथा सिंहों की खालों तथा गजदन्तों का निर्यात करता है ;

(ख) यदि हां, तो किन देशों को और भारत ने इस निर्यात से गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष देशवार में कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है जिसमें 1967-68 से 1969-70 के दौरा तेंदुये तथा चीतों की बिना साफ की हुई, कमाई हुई या साफ की हुई खालों तथा हाथी दांत और अनिर्मित व्यर्थ माल के निर्यातों का मूल्य दर्शाया गया है । इस वर्ष के दौरान जुलाई, 1970 तक कोई निर्यात नहीं हुए ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

वर्ष 1967-68 से 1969-70 के दौरान तेंदुये तथा चीतों की बिना साफ की हुई, कमाई हुई या साफ की हुई खालों तथा हाथी दांत और अनिर्मित व्यर्थ माल के निर्यातों के मूल्य दर्शाने वाला विवरण

मूल्य हजार रुपये में

क्रमांक	विवरण/देश	1967-68	1968-69	1969-70
1.	तेंदुये तथा चीते की बिना साफ की हुई खालें			
	स्विटजरलैंड	47	—	9
	ब्रिटेन	51	743	270
	संयुक्त राज्य अमरीका	1270	1100	131
	इटली	7	5	1
	जर्मन संघीय गणराज्य	11	9	—
	अन्य	25	2	—
2.	चीते तथा तेंदुये की कमाई हुई या साफ की हुई खालें			
	फ्रांस	2	—	6
	संयुक्त राज्य अमरीका	14	8	4
	स्विटजरलैंड	—	3	—
	जर्मन संघीय गणराज्य	2	2	—
	ब्रिटेन	47	—	—
	अन्य	13	—	—
3.	हाथी दांत तथा अनिर्मित व्यर्थ माल (गज दंत)	—	—	—
	योग 1 से 3	1489	1872	421

वार्षिक योजना तैयार करने हेतु राज्यों को मार्गदर्शी निर्देश

2353. श्री ए० श्रीधरन :
श्री वि० नरसिम्हा राव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या योजना आयोग ने वर्ष 1971-72 के लिए वार्षिक योजना तैयार करने हेतु राज्यों के लिए कोई मार्गदर्शी निर्देश निर्धारित किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है तथा इस बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री, तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य सरकारों को सुझाव दिया गया है कि वह पिछला कार्य निष्पादन और चौथी योजना की संभावनाओं को ध्यान में रखें और राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों और संभावनाओं के आधार पर स्कीमें तथा कार्यक्रम तैयार करें । उनसे यह भी निवेदन किया गया है कि स्थानीय दशाओं, विकास की क्षमताओं, क्षेत्रीय प्राथमिकताओं और अपने पिछड़े क्षेत्रों के तेजी से विकास के लिए कार्यक्रमों के बारे में सूचना दें । विकास के पृथक-पृथक क्षेत्रों के लिए अलग से विस्तृत मार्ग-दर्शक सिद्धांत भी बताये गए हैं ।

एक-एक करके 1971-72 के प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं । इन प्रस्तावों के प्राप्त होने के बाद योजना आयोग को राज्य सरकारों की प्रतिक्रियाओं की जानकारी हो सकेगी ।

भारत से इंजीनियरी वस्तुओं के क्रय में ब्रिटेन की रुचि

2354. **श्री ए० श्रीधरन** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन ने हमारी और अधिक इंजीनियरी वस्तुओं का क्रय करने में रुचि दिखाई है ; और

(ख) क्या ब्रिटेन से इंजीनियरी सामान सप्लाई करने के कोई क्रयादेश प्राप्त हुए हैं, और यदि हां, तो उन क्रयादेशों तथा उनसे संबंधित शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). हाल में हुई भारत-ब्रिटेन प्रौद्योगिकी दल की बैठक में, जिसमें दोनों देशों की सरकारों तथा उद्योगों के प्रतिनिधि शामिल थे, यह स्वीकार किया गया कि ब्रिटेन तथा अन्य देशों को भारत की इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यात में विकास की बहुत गुंजाइश है, विशेषत: विपुल मात्रा में संघटकों और उप-संयोजन पुर्जों के निर्यात का विकास किया जा सकता है । क्योंकि भारत में उनकी लागत कम पड़ती है । इस सम्बन्ध में यह तय किया गया कि प्रारम्भिक स्थिति में मीटर तथा इलैक्ट्रोनिक उद्योग के लिए भारतीय विक्रय मिशन तथा ब्रिटेन क्रय मिशनों को प्रोत्साहन दे कर संभावनाओं का पता लगाया जाए । इस बातचीत के परिणामस्वरूप अभी तक इंजीनियरी वस्तुओं की सप्लाई के लिए कोई भी आदेश प्राप्त नहीं हुआ है । गत वर्षों में ब्रिटेन को इन्जीनियरी वस्तुओं के निर्यात के मूल्य निम्नोक्त प्रकार हैं :

वर्ष	मूल्य (लाख रुपये में)
1967-68	137.32
1968-69	196.37
1969-70	512.15
1970-71 (केवल अप्रैल-जून)	112.15

सिंचित क्षेत्रों के बारे में तकनीकी विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन

2355. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब तथा हरियाणा राज्यों में नदी के बहाव, सिंचित क्षेत्रों आदि के बारे में तथ्य एकत्रित करने के लिए स्थापित की गई तकनीकी विशेषज्ञ समिति ने इस बीच सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस प्रतिवेदन की मुख्य रूपरेखा क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशों के साथ वैगनों का व्यापार

2356. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने कुछ विदेशों के साथ वैगनों के व्यापार को बढ़ाने हेतु कोई कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के क्या नाम हैं जिनके साथ इस सम्बन्ध में बातचीत चल रही है ; और

(ग) क्या वैगनों की सप्लाई के लिए कोई करार होने की संभावना है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). वैगनों के निर्यात की व्यवस्था, विभिन्न देशों द्वारा दिये गये विश्व टेंडरों में भाग लेकर और व्यक्तिगत रूप से बातचीत करके की जाती है । अप्रैल-सितम्बर, 1970 में 1.4 करोड़ रुपए के मूल्य के रेल डिब्बों, वैगनों तथा उनके उपस्करों का निर्यात किया गया । वैगनों रेल डिब्बों तथा उनके उपस्करों का संभरण करने के लिए राज्य व्यापार निगम ने युगोस्लाविया, पोलैंड, हंगरी, सूडान, ईरान, बर्मा तैवान, दक्षिण कोरिया तथा पूर्व अफ्रीका से 60 करोड़ रुपये के क्रयादेश प्राप्त किए हैं । सीरिया, इराक, नाइजीरिया, जर्मन प्रजातंत्रीय गणराज्य, मलावी, अर्जेन्टीना आदि से बातचीत चल रही है ।

देश में बिजली के उत्पादन में प्रगति

2357. **श्री एस० एम० कृष्ण :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितने किलोवाट बिजली निर्धारित लक्ष्य से कम पैदा हो रही है; और

(ख) उसके क्या कारण हैं तथा आगामी 5 वर्षों में उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). चौथी योजना के दौरान चालू करने हेतु स्वीकृत विद्युत केन्द्रों के निर्माण को वर्तमान अनुसूचियों के पुनरवलोकन से पता चलता है कि 1973-74 के अन्त तक लगभग 22 लाख किलोवाट बिजली की कमी होगी। यह कमी आमतौर से बिजली-उत्पादन संयंत्र तथा उपस्कर की डिलीवरी में तारीखों में घट-बढ़ होने के कारण है तथा कुछ परियोजनाओं के मामले में यह सिविल कार्यों की प्रगति में देरी के कारण भी है। बिजली-उत्पादन संयंत्र तथा उपस्कर को डिलीवरी में शीघ्रता करने के लिए तथा सिविल कार्यों की प्रगति में तेजी लाने के लिए कदम उठाए गए हैं। बिजली-उत्पादन संयंत्र तथा उपस्कर के निर्माण की प्रगति का सावधिक पुनर्विलोकन करने के लिए और इसका सिविल कार्यों की प्रगति के साथ समन्वय करने के वास्ते एक समिति स्थापित की गई है।

भारतीय उद्योगपतियों द्वारा विदेशों में उद्योगों की स्थापना

2358. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भारतीय उद्योगपतियों ने कुछ देशों में अपने उद्योग स्थापित किए हैं ;

(ख) यदि हां तो उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां गत तीन वर्षों में यह उद्योग स्थापित किये गये हैं तथा उक्त उद्योग स्थापित करने वाले उद्योगपतियों के क्या नाम हैं ; और

(ग) केन्द्र सरकार ने प्रत्येक उद्योग के लिए कितनी विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराई तथा उक्त उद्योगों से इस अवधि में भारत को लाभ की कितनी राशि भेजी गई ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—4387/70]

भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अन्य विशिष्ट सेवाओं में भरती किये गये स्नातक

2360. **श्री एम० नारायण रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारतीय प्रशासनिक सेवा में भरती किये गये स्नातकों में से कितने स्नातक प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के हैं ;

(ख) उसी अवधि में सरकारी सेवा में इन्जीनियर, वैज्ञानिक, डाक्टर, कृषि वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री तथा अन्य विशेषज्ञों के रूप में भरती किये गये स्नानकों में से कितने प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी के हैं ;

(ग) भारतीय प्रशासिनक सेवा के अधिकारियों और इन विशेषज्ञों के वेतनमान क्या हैं ; और

(घ) उनमें विषमताओं के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सूचना नीचे दी गई है:

भर्ती का वर्ष	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	योग
1967	50	69	22	141
1968	39	54	29	122
1969	32	56	12	100
कुल योग .	121	179	63	363

(ख) इन्जीनियर, वैज्ञानिक, डाक्टर इत्यादि अखिल भारतीय सेवाओं, केन्द्रीय सेवाओं, राज्य सेवाओं या प्रथक पदों पर भर्ती किये गये हैं। इनके विभागों इत्यादि का वर्गीकरण आगे श्रेणीवार किया गया है। जैसा कि कोई विशिष्ट सेवा या श्रेणी को प्रश्न-पत्र में नहीं दिखाया गया है, अतः इस सूचना को एकत्र करके देना कठिन है।

(ग) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को दिये गये वेतन-मान इस प्रकार हैं :

जूनियर स्केल : 400-400-500-40-700-ई० बी०-30-1000/-रुपये (18 वर्ष)

सीनियर स्केल : (क) टाईम स्केल : 900 (छठां वर्ष या उसके अन्तर्गत)-50-1000-60-1600-50-1800 रुपये (22 वर्ष)

(ख) सलैक्शन ग्रेड : 1800-100-2000 रुपये।

कुछ पदों के लिए समयमान वेतन से अधिक वेतन की व्यवस्था है :

जैसे वेतन मान— 2500-125/2-2750 रुपये

या निश्चित वेतन— 2750 रुपये, 3000 रुपये या 3500 रुपये।

खण्ड (ख) में दिये गये उत्तर के कारणों को ध्यान में रखते हुए, विशेषज्ञों के वेतनमान की सूचना एकत्र करना कठिन है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Progress of Upper Wardha Scheme (Maharashtra)

2361. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) the progress made in the Upper Wardha Scheme (Maharashtra) ;

(b) whether the Planning Commission have not accorded their permission so far ; and

(c) whether the State Government have implemented the aforesaid scheme by including it in the Fourth Five Year Plan ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheswar Prasad) : (a) to (c). The Upper Wardha Project of Maharashtra is in the Godavari basin. The Government of India do not consider it advisable to consider the clearance of any new projects in the Godavari basin when the water disputes regarding the Godavari river is under consideration of the Godavari Water Disputes Tribunal.

कपड़ा मशीनों का निर्यात

2362. **श्री राज देव सिंह** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969-70 में किन-किन देशों को कपड़ा मशीनों का निर्यात किया गया था ; और

(ख) उनका मूल्य कितना था ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) वर्ष 1969-70 में जिन प्रमुख देशों को कपड़ा मशीनों का निर्यात किया गया, उनके नाम निम्नलिखित हैं :

अफगानिस्तान

श्रीलंका

चैकोस्लोवाकिया

इथोपिया

इन्डोनेशिया

जोर्डन

कीनिया पोलैंड

सिंगापुर

यूगांडा

संयुक्त अरब गणराज्य

ब्रिटेन

(ख) वर्ष 1969-70 में कुल 643.28 लाख रुपये मूल्य की कपड़ा मशीनों का निर्यात किया गया ।

राज्य व्यापार निगम के माध्यम से लघु उद्योगों की वस्तुओं का निर्यात

2363. **श्री राज देव सिंह** : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कितने मूल्य की लघु उद्योगों की वस्तुओं, जैसे चमड़े के सामान, रसायनों तथा हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात किया गया ; और

(ख) राज्य व्यापार निगम के माध्यम से लघु उद्योगों की वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने में सहायता देने हेतु सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) राज्य व्यापार निगम लघु उद्योगों की निम्न प्रकार सहायता करता है :—

(1) विभिन्न देशों को उनके उत्पादों के निर्यात की संभाव्यताओं का पता लगा कर ;

(2) विदेशों में उनके उत्पादों का व्यापक करके ;

(3) उत्पाद विकास और आकर्षक संवेदना का प्रबन्ध करने में उन्हें सहायता पहुंचा कर ;

(4) उन्हें ऋण सुविधाएं देकर ;

(5) माल भेजने से संबंधित मामलों में उन्हें सहायता पहुंचाकर ;

विवरण

मूल्य लाख रुपये में

	1967-68	1968-69	1969-70
कृष्य उत्पादन	—	—	1.508
रासायनिक पदार्थ	0.11	2.40	16.92
इंजीनियरी माल	16.08	18.80	25.87
सामान्य उत्पाद	3.01	9.38	78.065
जूते	505.57	351.72	386.78
वस्त्र	71.53	195.30	871.56
	596.30	577.60	1380.703

Firing on Indian Jawans by Pakistani Troops at Cooch-Behar Border

2364. **Shri Sharda Nand** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether the Pakistani troops had fired on the Jawans of the Indian army Stationed at the Cooch-Behar border during the months of October and November, 1970 ;

(b) whether Pakistan has concentrated its troops heavily on the Cooch-Behar border ; and

(c) if so, the action taken or proposed to be taken by Government in this regard ;

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Pakistan had concentrated some troops of East Pakistan Rifles on the Cooch-Behar Border. The Border Security Force took necessary precautionary measures to counteract the Pakistani concentration of troops. The Sector Commanders of the Border Security Force and East Pakistan Rifles, in a meeting on the 14th November, 1970, agreed to remove the concentration of troops on the border and reiterated their desire to end the tension in that area. The additional forces deployed on either side are being withdrawn.

बर्मा तथा श्रीलंका को कोयले का निर्यात

2365. **श्री देवेन सेन** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम बर्मा तथा श्रीलंका को कोयले का निर्यात

करने हेतु किसी ऐसे बिचौलिये से कोयला खरीद रहा है जो कोयला खानों से कोयला खरीदता है और जिसके पास आर० एल० सी० की ओर से प्राप्त अनुमति प्रमाण-पत्र नहीं हैं ;

(ख) क्या श्रीलंका सरकार ने खराब किस्म का कोयला सप्लाई किये जाने के कारण भारत से कोयले का ठेका स्थगित कर दिया है ;

(ग) क्या बर्मा सरकार ने भी खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा भेजे गये कोयले तथा कोक की किस्म के बारे में गंभीर शिकायतें की हैं ; और

(घ) क्या इस शिकायत में कोई सत्य है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम कोयला खानों से सीधे ही कोयला खरीदने की बजाये बिचौलिये व्यक्ति को प्राथमिकता देता है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं । अपनी कोयले सम्बन्धी निर्यात संविदाओं को पूरा करने के लिए खनिज तथा धातु व्यापार निगम ऐसी फर्मों से खुली निविदाएं आमंत्रित करता है जिनको भारी मात्रा में कोयले के निर्यात का अनुभव हो टेंडर प्रस्तुत करने वालों को कोयला प्राप्त करने संबन्धी उनकी क्षमता के बारे में केवल प्रलेखी प्रमाण ही नहीं प्रस्तुत करने पड़ते हैं बल्कि क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (आर० एल० सी०) से इस आशय के प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करने पड़ते हैं कि कोयला केवल उन्हीं कोयला खानों से प्राप्त किया जाएगा जिन्होंने कोयला खनन उद्योग सम्बन्धी मजदूरी बोर्ड पंचाट में निहित सिफारिशों को पूर्ण रूप से क्रियान्वित किया है ।

(ख) जी नहीं । श्रीलंका सरकार रेलवे द्वारा कोयले की मांग में कमी करने का कारण श्रीलंका रेलवे में उत्तरोत्तर डीजलीकरण होना था । श्रीलंका रेलवे ने कोयले का निर्यात शुरू करने के लिये तथा खनिज धातु व्यापार निगम से पुनः अनुरोध किया है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) चूंकि निर्यात हेतु कोयले की खरीद के लिये खनिज तथा धातु व्यापार निगम खुली निविदाएं आमंत्रित करता है और उनमें दिलचस्पी रखने वाले किसी भी व्यापारी या कोयला खान मालिक से उन निविदाओं का उत्तर देने की आशा की जा सकती है, अतः कोयला खानों की बजाय बिचौलियों को प्राथमिकता देने की कोई गुंजाइश नहीं है ।

पटसन निगम की स्थापना

2366. **श्री देव राव पाटिल** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक अध्ययन दल की सिफारिशों को ध्यान में रख कर जिसने पटसन उत्पादों के सम्बन्ध में देश की निर्यात क्षमता का हाल ही में सर्वेक्षण किया था क्या सरकार ने पटसन निगम की स्थापना करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो निगम की स्थापना कब तक संभावित है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). पटसन निगम की स्थापना करने की प्रस्थापना पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

पश्चिम बंगाल में पुलिस और सुरक्षा कर्मचारियों को सप्लाई किये गये अनाज की मात्रा

2367. **श्री ज्योतिमय बसु :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में नियुक्त सीमा सुरक्षा दल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल तथा अन्य केन्द्रीय पुलिस कर्मचारियों को प्रति व्यक्ति, प्रति सप्ताह दिये जाने वाले अनाज की मात्रा कितनी है ;

(ख) कर्मचारियों की इन श्रेणीयों को खाद्यान्न किन-किन मूल्यों पर सप्लाई किये जाते हैं ;

(ग) बृहत् कलकत्ता औद्योगिक क्षेत्र में राशन कार्ड वाले अन्य व्यक्तियों से वसूल किये जाने वाले मूल्यों की तुलना में इनकी क्या स्थिति है ;

(घ) केन्द्रीय पुलिस कर्मचारियों को खाद्यान्न राज-सहायता प्राप्त मूल्यों पर बेचने से कुल वार्षिक हानि कितनी होती है ;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार के गैर-पुलिस कर्मचारी राज-सहायता-प्राप्त दरों पर खाद्यान्न लेने को उसी प्रकार की सुविधा का उपभोग करते हैं ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ). सीमा सुरक्षा बल के अराजपत्रित कर्मचारियों को प्रत्येक सप्ताह प्रत्येक व्यक्ति की दर से 3.99 किलोग्राम आटा अथवा चावल तथा चावल-आटा उन्हें निःशुल्क राशन के रूप में दिया जाता है। अपेक्षित राशन भारी मात्रा में प्राप्त किया जाता है अथवा सैनिक सप्लाई से लिया जाता है।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कर्मचारी किसी निःशुल्क राशन के अधिकारी नहीं हैं और वे अपना राशन अपने पैसों से बाजार से खरीदते हैं। किन्तु हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार उनको प्रति सप्ताह प्रत्येक व्यक्ति को उसी दर पर 4.20 किलोग्राम अनाज देने को सहमत हो गई हैं जिसपर उसके पुलिस बल को ऐसी सप्लाई की जाती है।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मचारी किसी निःशुल्क राशन के हकदार नहीं हैं और अपनी आवश्यकता की वस्तुएं बाजार से खरीदते हैं। सीमा सुरक्षा बल के कर्मचारियों को मिलने वाले निःशुल्क राशन की कीमत पूर्णतया सरकार द्वारा अदा की जाती है। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा केन्द्रीय औद्योगिक बल की अवस्था में सरकार द्वारा कीमत को अदा करने अथवा कोई राज्य-सहायता देने का प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथासमय सदन के सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सरकारी क्षेत्र में हथकरघा वित्त निगम की स्थापना

2368. श्री न० रा० देवघरे : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्रों में एक हथकरघा वित्त निगम स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हाँ, तो उस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं, विशेष रूप से जबकि देश में हथकरघा उद्योग को अपने विकास के लिए भारी वित्त की आवश्यकता है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए, जिनमें हथकरघा उद्योग का विकास भी शामिल है, केन्द्रीय सरकार सभी राज्य सरकारों को पहले से ही खंड ऋण तथा खंड अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दे रही है।

Hoisting of Red Flag in Place of National Flag by Naxalites in West Bengal

2369. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state the details of the efforts made by the Naxalites for hoisting the Red Flag in place of the National Flag in West Bengal ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs, and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : Information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the House.

Ban Imposed on Book Entitled Agni Pariksha

2370. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether any deputation from Madhya Pradesh had met him connection with the ban imposed in the State on the book entitled Agni Pariksha written by Acharya Tulsi ;

(b) the names of the persons in that deputation and the demands made by them ; and

(c) the action taken by him to meet their demands and whether a chance was given to the other party to know its point of view before issuing any order in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri R. N. Mirdha) : (a) to (c). Some deputationists have met us at different times, in connection with the order of forfeiture issued by the Government of Madhya Pradesh in respect of the book *Agni Pariksha* written by Acharya Tulsi. The deputationists included Muni Nagaraj, Muni Susheel Kumar, Shri Prabhu Dyal Dabriwala, Muni Vijay Kumar, Shri Baichand Jain and others. The deputationists generally requested that adequate arrangements should be made for the protection and safety of Acharya Tulsi during his stay at Raipur. The Central

Government kept in touch with the Government of Madhya Pradesh, who made necessary arrangements for such protection. The deputationists also referred to the said order of forfeiture issued by the Government of Madhya Pradesh under section 99-A of the Code of Criminal Procedure. The order is at present subjudice in the Madhya Pradesh High Court.

जूट मिलों को दिये गये ऋण

2371. **श्री अदिचन :** क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० एफ० एस० तथा/अथवा एन० आई० डी० सी० और/अथवा आई० डी० बी० द्वारा जूट मिलों को गत दो वर्षों के दौरान, वर्षवार तथा मिलवार, पृथक-पृथक कितनी राशि का ऋण दिया गया ;

(ख) इन ऋणों पर इन मिलों से किस प्रकार की जमानतें ली गई ;

(ग) 31 मार्च, 1970 को प्रत्येक मिल की ओर ऋण की कुल कितनी राशि बकाया थी ;

(घ) उन मिलों के क्या नाम हैं जिन्होंने अपेक्षित किश्तों की अदायगी नहीं की है तथा कब से नहीं की है ; और

(ङ) क्या दोषी मिलों को नये ऋण दिये जा रहे हैं और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा ऐसी मिलों के क्या नाम हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ङ). एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—4388/70]

बर्ड एण्ड कम्पनी तथा नेशनल जूट मिल्स भवनों तथा कार्यालयों की तलाशी

2372. **श्री अदिचन :** क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्ड एण्ड कम्पनी तथा नेशनल जूट मिल्स के प्रबंधाधीन मिलों के भवनों तथा कार्यालयों की हाल ही में तलाशी ली गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो किस आधार पर, किन एजेंसियों द्वारा तथा उस तलाशी के क्या परिणाम निकले ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा 25 मार्च, 1970 तथा 3 अप्रैल, 1970 के बीच मैसर्स नेशनल कम्पनी लि०, के भवनों तथा कार्यालयों की तलाशी ली गई थी। समवाय कार्य विभाग से मिली एक शिकायत के आधार पर केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा दिनांक 14.2.1970 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत श्री आर० एन० गोयनका, अध्यक्ष नेशनल कम्पनी तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया गया। जांच के लिए अपेक्षित दस्तावेजों को प्राप्त करने के विचार से तलाशी ली गई थी। मामले की जांच अभी भी चल रही है।

हाल में बर्ड एण्ड कम्पनी के प्रबन्ध के अन्तर्गत मिलों के भवनों तथा कार्यालयों की कोई तलाशी नहीं ली गई।

गुजरात में गावों तथा नगरों को बाढ़ से बचाने हेतु स्थानातंरित करना

2373. **श्री पी० एच० मेहता :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात के मुख्य मंत्री ने बाढ़ों के प्रकोप से प्रभावित होने वाले लगभग 100 गांवों तथा वहां तक कि बड़ौच जैसे नगरों को भी स्थानान्तरित करने के बारे में अपने विचार व्यक्त किये हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : बाढ़ों से पीड़ित गांवों और भड़ौंच जैसे शहरों को स्थनान्तरित करने के संबंध में गुजरात के मुख्य मंत्री के विचार भारत सरकार के पास नहीं आए हैं। बहरहाल, जब केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत मंत्री ने सितम्बर, 1970 में राज्य के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का निरीक्षण किया था और गुजरात राज्य के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री के साथ विचार-विमर्श किया था, तो यह बतलाया गया था कि राज्य सरकार ने बाढ़ों से पीड़ित गांवों को स्थानान्तरित करने की स्कीम पर कार्य प्रारम्भ कर दिया है। 1968 की बाढ़ों के बाद 30 गांवों अधिक ऊंचे क्षेत्रों में स्थानान्तरित किए जा चुके थे। आगे यह भी कार्यक्रम था कि 44 गांवों को पूर्ण रूप से और 26 गांवों को आंशिक रूप से स्थानान्तरित किया जाए।

उस समय यह भी सुझाव दिया गया था कि सितम्बर, 1970 की बाढ़ों को देखते हुए इस कार्यक्रम का पुनर्वलोकन किया जाए और जो गांव बाढ़ों से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं उन्हें अधिक ऊंचे क्षेत्रों में स्थानातंरित किया जाए और भडौंच जैसे शहर की रक्षा के लिए कार्यवाई की जाए।

दामोदर घाटी निगम के कर्मचारियों द्वारा सांकेतिक हड़ताल

2374. **श्री के० रमानी :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता स्थित दामोदर घाटी निगम के कर्मचारियों ने सितम्बर, में एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) कर्मचारियों की मांगे क्या हैं ;

(घ) क्या सरकार ने उनकी मांगों को पूरा करने के लिये कोई कार्यवाही की थी और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) कलकत्ते में दामोदर घाटी निगम के स्टाफ का कोई भी सदस्य 25 सितम्बर, 1970 को दफ्तर नहीं आया।

(ग) दामोदर घाटी निगम के कर्मचारियों की दोनों यूनियनों की मांगे मुख्यतः आवधित दरों पर बोनस की अदायगी और दामोदर घाटी निगम द्वारा स्थापित वेतन समिति के सुझावों के कार्यान्वयन से संबंधित थी।

(घ) और (ङ). यद्यपि राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण की यह धारणा है कि दामोदर घाटी निगम बोनस अदायगी अधिनियम, 1965 की सीमा के अन्तर्गत नहीं आता। निगम ने, सद्भावना के रूप में, बोनस के बराबर राशि अहेतुक आधार पर देनी स्वीकार कर ली है चूंकि 1969-70 के वर्ष के लेखे से बहुत घाटा होने का पता चल गया था, इसलिए स्वीकृत राशि को बढ़ाना दामोदर घाटी निगम के लिए सम्भव नहीं है। दामोदर घाटी निगम द्वारा स्थापित वेतन समिति के सुझाव निगम को 1 सितम्बर, 1970 को ही मिले थे और उन पर अन्तिम निर्णय लेने से पहले इनकी विस्तृत जांच करनी आवश्यक है।

काश्मीर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा किए गए अत्याचार

2375. **श्री उमानाथ :** क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 अक्तूबर, 1970 के समाचार पत्र "पेट्रियट" में प्रकाशित काश्मीर में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा किये गये अत्याचार के समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) सरकार के ध्यान में कितनी घटनाओं को लाया गया है ; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरे का एक विवरण संलग्न है।

(ग) केन्द्रीय सरकार के ध्यान में जम्मू तथा काश्मीर की अन्य कोई घटना नहीं लाई गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

तारीख 13-10-1970 को लगभग 4.45 बजे अपराह्न नया सचिवालय, श्रीनगर स्थित गेट नम्बर 1 पर तैनात केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के सन्तरी ने एक दर्शक से, जो सचिवालय भवन से गेट पर आया था, अनुरोध किया कि अपना पहचान-पत्र या गेट-पास दिखायें। दर्शक द्वारा पहचान-पत्र नहीं दिखाये जाने पर सन्तरी ने दुबारा अनुरोध किया और इस पर उस दर्शक ने सन्तरी को सूचित किया कि वह राज्य विधान सभा का एक सदस्य है। जब केन्द्रीय रिजर्व

पुलिस का हैड कांस्टेबल जो गार्ड का इन्चार्ज था और नया सचिवालय का स्वागती भी था, उस स्थान पर आया और उसने दर्शक से अपना पहचान-पत्र या गेट-पास दिखाने के लिए कहा तो उसने जिस ब्रीफ केस को वह ले जा रहा था उस पर लगा हुआ अपना संदर्शन-पत्र दिखाया। स्वागती ने इस बात की पुष्टि की कि वह राज्य विधान सभा का सदस्य है और उसको जाने दिया गया। हैड कांस्टेबल ने राज्य विधान सभा के सदस्य से असुविधा के लिए क्षमा भी मांगी। राज्य सरकार इस घटना की जांच कर रही है।

तारीख 20-8-1969 को बारामुला के सापुर उप-मण्डल में एक और घटना घटी, जब कि एक भीड़ ने स्थानीय पुलिस अधीक्षक को घेर लिया और उसको कुचलकर लगभग मार ही डाला। ड्यूटी पर तैनात स्थानीय मजिस्ट्रेट के आदेशों के अधीन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के स्टेशन कमाण्डर द्वारा गोली चलाई गई और उसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और दो व्यक्ति घायल हुए।

गोवा के मुख्य मंत्री और उप-राज्यपाल के बीच मतभेद

2376. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**
श्री चार्ल फरनेन्डीज :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा के मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय सरकार को उप-राज्यपाल द्वारा केन्द्रीय सरकार के स्पष्ट निदेशों का उल्लेख करते हुये प्रशासन के दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप करने के विरुद्ध आभ्यावेदन दिया है ;

(ख) क्या मुख्य मंत्री ने यह भी अभ्यावेदन दिया है कि उप-राज्यपाल उन अधिकारियों को धमकी देते हैं तथा उनमें आतंक फैला रहे हैं जिनसे वह प्रत्येक फाइल आदि मांगते रहते हैं ;

(ग) इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) क्या उनके बीच मतभेदों को सुलझाने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृहकार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). अभी हाल में गोवा के राज्यपाल के विरुद्ध गोवा के मुख्य मंत्री से इस आशय का कि वह दिन प्रति दिन के प्रशासन में हस्तक्षेप कर रहे हैं अथवा वह कर्मचारियों को डरा धमका रहे हैं, कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। इस विषय पर 3 अप्रैल, 1970 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4984 का उत्तर दिया गया था।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश के गांवों में बिजली लगाने सम्बन्धी योजनायें

2377. **श्री दे० वि० सिंह** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में चौथी पंचवर्षीय योजना में गांवों में बिजली लगाने की कितनी योजनाओं को स्वीकृति दी गई है और उनपर कितनी लागत आयेगी ;

(ख) कितने गांवों में बिजली लगाई जायेगी और इससे कितने ग्रामवासियों को लाभ पहुँचेगा ;

(ग) इन योजनाओं को किस हद तक क्रियान्वित किया जा चुका है ; और

(घ) अन्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र की तुलना में मध्य प्रदेश के कितने गांवों में बिजली लगी हुई है और कितने लोगों को लाभ पहुँचा है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). ग्राम विद्युतीकरण निगम ने मध्य प्रदेश में अभी तक 331.396 लाख रुपये की पांच विद्युतीकरण स्कीमों को स्वीकार किया है। इन स्कीमों में 295 गांवों का विद्युतीकरण किया जाना है और इनसे लगभग 2½ लाख लोगों को लाभ पहुँचेगा। निगम द्वारा स्वीकृत ऋण राशियों को लेने के पश्चात् मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड स्कीमों को कार्यान्वित करेगा।

(घ) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

राज्य/संघीय क्षेत्र	30-6-1970 को विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या	30-6-1970 को विद्युतीकृत ग्रामों की ग्रामीण जनसंख्या का अनुमानित प्रतिशतांश
आंध्र प्रदेश	7,346	48.7
असम	580	5.8
बिहार	7,509	23.9
गुजरात	3,477	39.2
हरियाणा	3,525	64.8
जम्मू व काश्मीर	771	24.9
केरल	1,166	82.9
मध्य प्रदेश	4,904	16.5
महाराष्ट्र	10,323	46.7
मैसूर	6,642	40.3

1	2	3
नागालैंड	0	11.4
उड़ीसा	988	7.1
पंजाब	5,581	63.1
राजस्थान	2,515	18.5
तमिलनाडु	9,531	75.8
उत्तर प्रदेश	16,035	28.5
पश्चिम बंगाल	2,734	16.1
कुल राज्य	83,677	35.1
संघीय प्रदेश	4,633	31.7
कुल (अखिल भारतीय)	88,310	35.0

भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा, 1970 के उम्मीदवारों द्वारा यूरोप के इतिहास के पेपर का बहिष्कार

2378. **श्री जी० वेंकटस्वामी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों ने 12 अक्तूबर, 1970 को यूरोप के इतिहास के पेपर का इस कारण बहिष्कार कर दिया था कि उस पेपर का लोगों को पहले ही पता लग गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). नियम के अन्तर्गत अखिल भारतीय सेवाओं इत्यादि के लिए संघ-लोक-सेवा आयोग के द्वारा प्रतियोगिता परीक्षायें ली जाती हैं। जैसा, संघ-लोक-सेवा आयोग से पता लगा है कि इस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं :—

416 उम्मीदवारों में से जोकि जयपुर केन्द्र से बैठे थे, केवल 169 उम्मीदवारों ने यूरोप के इतिहास की परीक्षा में बैठने के लिए नाम दर्ज करवाये।

12 अक्तूबर, 1970 को जयपुर केन्द्र मे परीक्षा पर्यवेक्षक ने असावधानी से यूरोप के इतिहास के मुहरबंद प्रश्न पत्रों को प्रातः 10-30 बजे सत्र प्रारम्भ होने के कुछ मिनट पूर्व खोला, तथा उम्मीदवारों को कुछ प्रश्न पत्र बांटे। इस गलती का पता पर्यवेक्षक को तब लगा जबकि 15 प्रश्न पत्र वास्तव में वितरित हो चुके थे। ये प्रश्न पत्र वापस ले लिये गये तथा प्रश्न पत्रों को पर्यवेक्षक के द्वारा मुहरबन्द करके अपनी वैयक्तिक निगरानी में अपराह्न सत्र में वितरण के लिए रखा गया जबकि यूरोप के इतिहास की परीक्षा प्रारम्भ होनी थी। कुछ उम्मीदवार अपराह्न

सत्र में प्रारम्भ होने वाली परीक्षा के लिए पर्यवेक्षक द्वारा की गई गलती के विरोध में रुके रहे।

(ग) 12 अक्तूबर, 1970 को हुई यूरोप के इतिहास की परीक्षा को आयोग ने रद्द कर दिया है, तथा 6 नवम्बर, 1970 को 10-30 बजे इस विषय की पुनः परीक्षा हुई है। इसको ध्यान में रखते हुए अब आगे कोई कार्यवाही करना उचित नहीं समझा जाता।

कलकत्ता की जूट बेलर्स एसोशियेशन द्वारा पटसन के आयात-निर्यात का विरोध

2380. **श्री वि० नरसिम्हा राव :** क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता की जूट बेलर्स एसोशियेशन ने सरकार से अनुरोध किया है कि पटसन के आयात की अनुमति इसलिये न दी जाये क्योंकि इसका अगले मौसम में बचत पर काफी बुरा प्रभाव पड़ेगा ; और

(ख) इसपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) कच्चे पटसन के आयात संबन्धी प्रश्न पर विचार करते समय जूट बेलर्स एसोशियेशन के दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखा जायेगा।

आनन्द बाजार पत्रिका, कलकत्ता, के कार्यालय तथा उसके निदेशकों के निवास स्थानों पर डाले गये छापे

2381. **श्री वि० कु० मोडक :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) गत तीन वर्षों में अखबारी कागज के कोटे की चोर बाजारी के आरोप में कलकत्ता स्थित "आनन्द बाजार पत्रिका" प्रा० लि० के कार्यालय तथा उसके निदेशकों के निवास स्थानों पर कितनी बार छापे डाले गये थे तथा किस प्रकार के दस्तावेज जब्त किये गये ;

(ख) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो को उक्त कम्पनी के निदेशकों के विरुद्ध आरोपों की जांच करने के लिए कहा गया था और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह आरोप भी लगाया गया है कि आनन्द बाजार पत्रिका के अखबारी कागज की रीलें बराबोर्न सड़क, कलकत्ता के एक व्यापारिक गोदाम में पाई गई थीं ; और

(घ) यदि हां, तो इनका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) केन्द्रीय खुफिया ब्यूरो द्वारा किसी भी मामले की जांच-पड़ताल के सम्बन्ध में आनंद बाजार पत्रिका प्रा० लि० के कार्यालय तथा उसके निदेशकों के निवास स्थान पर कोई छापे नहीं डाले गये। इसकी सूचना भी तत्काल उपलब्ध नहीं है कि राज्य पुलिस अधिकारियों ने भी ऐसे कोई छापे डाले थे। राज्य-सरकारों से तथ्यपूर्ण सूचना का पता लगाया जा रहा है तथा उनसे जवाब प्राप्त होने पर सूचना सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हत्यायें

2382. **श्री वि० कु० मोडक :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में मार्च से दिसम्बर, 1969 तक और जनवरी से अक्तूबर, 1970 तक की अवधि में हुई राजनैतिक हत्याओं के दल-वार आंकड़े क्या हैं ; और

(ख) इनमें से (दल-वार) कितनी हत्यायें (1) अन्तर दलीय संघर्षों के कारण हुई और कितनी हत्यायें (2) जनवरी से दिसम्बर, 1969 और जनवरी से अक्तूबर, 1970 तक पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने के कारण हुईं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य में वर्ष के प्रथम 10 महीनों में 226 राजनैतिक हत्यायें की गयीं । अन्य सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है ।

जलपाईगुड़ी तथा बर्दवान के जिलों में विभिन्न आरोपों पर गिरफ्तार व्यक्ति

2383. **श्री भगवान दास :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद से अब तक डिवीजन बार बर्दवान तथा जलपाईगुड़ी जिलों में विभिन्न आरोपों पर कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ;

(ख) सब-डिवीजन वार, इन दो जिलों में इसी अवधि में कितने व्यक्ति गवाही के अभाव में छोड़ दिये गये तथा कितने जमानत पर रिहा कर दिये गये ;

(ग) सब-डिवीजन वार, उपर्युक्त जिलों में गिरफ्तार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या आरोप लगाये गये तथा कितने व्यक्ति जेलों में मुकदमों का इंतजार कर रहे हैं ;

(घ) उन जिलों की जेलों में दल वार ऐसे व्यक्ति कौन-कौन हैं ;

(ङ) पश्चिम बंगाल राज्य विधान मंडल (अब भंग) के कौन-कौन सदस्य अब जेलों में हैं तथा वह कौन-कौन दल के हैं ; और

(च) पश्चिम बंगाल में सी०पी०आई० (एम०) के सदस्यों को अंधाधुंध एक न एक बहाने पर गिरफ्तार करने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (च). सूचना प्राप्त की जा रही है ।

नक्सलवादियों की गिरफ्तारी

2384. **श्री भगवान दास :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कितने नक्सलवादी गिरफ्तार किये गये ;

(ख) गिरफ्तार व्यक्तियों में से कितने समाज विरोधी जीवन वाले थे ;

(ग) कितने व्यक्तियों को जमानत पर रिहा किया गया था ;

(घ) जादूगुडा वन, बिहार में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ;

(ङ) जादूगुडा वन से किन तिथियों को गोलाबारूद तथा हथियार पकड़े गये ; और

(च) पकड़े गये हथियार तथा गोलाबारूद का ब्यौरा क्या है जैसा कि पुलिस ने रिकार्ड किया है ?

गृह कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). नवीनतम सूचना एकत्रित की जा रही है।

(घ) से (च). बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार एक ब्रिटिश नागरिक समेत 52 उग्रवादी मई, 1970 में बिहार के जिला सिंहभूम के जादूगुडा वन क्षेत्र में पकड़े गये थे। बरामद किये शस्त्रों के ब्यौरे तथा उन तिथियों के बारे में सूचना जिस पर वे बरामद किये गये थे, एकत्रित की जा रही है।

पोंग डैम क्षेत्र से परिवारों का हटाया जाना तथा वैकल्पिक आवास की व्यवस्था

2385. **श्री विक्रम चन्द महाजन** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोंग डैम (हिमाचल प्रदेश) क्षेत्र से कितने परिवार जून, 1971 तक हटाये जायेंगे और प्रतिमास किस दर से उन्हें हटाया जायेगा ;

(ख) उनके लिए राजस्थान में कितने मकान और किस क्षेत्र में बनाये गये हैं तथा उन स्थानों के नाम क्या हैं ; और

(ग) वहां पर पेय जल की सफाई के लिये क्या उपाय अपनाये गये हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) लगभग 1500 परिवार प्रति मास की औसत दर से जून, 1971 तक पोंग बांध से लगभग 8000 परिवारों को हटाये जाने की सम्भावना है।

(ख) राजस्थान नहर के सूरतगढ़ शाखा और अनूपगढ़ शाखा क्षेत्रों में अब तक चुनी गई बस्तियों में विस्थापितों के लिए लगभग 3,00 मकानों का निर्णय किया गया है।

(ग) प्रत्येक बस्ती में पीने के पानी की सप्लाई के लिए फिलटर किये गये पानी की व्यवस्था के साथ एक पक्की डिग्गी की व्यवस्था की जा रही है।

उच्च-न्यायालय से सेवा मुक्त होने के पश्चात् श्री जी० डी० खोसला द्वारा किये गये जांच कार्य/आयोग कार्य

2386. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री जी० डी० खोसला उच्च-न्यायालय की बेंच से किस तिथि को सेवा से मुक्त हुए थे ;

(ख) केन्द्र तथा राज्य सरकारों के लिए उन्होंने क्या जांच कार्य, आयोग कार्य किये ;

(ग) क्या वह शिक्षा मंत्रालय की आकादमियों के बारे में निर्धारित पारिश्रमिक पर कोई जांच कर रहे हैं ;

(घ) क्या उन्होंने साथ-साथ नेताजी की मृत्यु का जांच कार्य भी स्वीकार किया है ; और

(ङ) सेवा मुक्ति के बाद उन्हें पेंशन के अतिरिक्त कुल कितनी राशि दी गई है ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) 15-12-1961 को जब उच्च-न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की आयु 60 वर्ष की थी ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—4389/70]

(ग) जी हां, श्रीमान् ।

(घ) जी हां, श्रीमान् ।

(ङ) सेवा निवृत्ति के पश्चात् उनको दी गई कुल राशि शीघ्र उपलब्ध नहीं है। फिर भी प्रत्येक नियुक्ति के लिए दिए गए पारिश्रमिक का स्वरूप संलग्न विवरण में दिया जाता है ।

———

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CATTING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

विदेशी तेल कम्पनियों की अंशपूंजी में अधिकांश भाग ग्रहण करने के लिए सरकार का कथित निर्णय

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमान्, मैं पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :

"विदेशी तेल कम्पनियों की अंश पूंजी में अधिकांश भाग ग्रहण करने के लिए सरकार का कथित निर्णय"

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : पहले पहल मैं सदन को सीधे और स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि विदेशी तेल कम्पनियों में अधिकांश साझेदारी या वास्तव में कोई साझेदारी के बारे में सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

2. जैसा माननीय सदस्यों को जानकारी है कि हम, दोनों तेल-शोधन और पैट्रोलियम उत्पादों के वितरण में आत्म-निर्भरता में प्रगति के संबंध में, विदेशी तेल कम्पनियो के साथ शोधन-शाला-करारों के कार्यकरण का लगातार पुनरीक्षण कर रहे हैं । क्योंकि हमने इन मामलों में प्रगति की है, शोधनशाला करारों के कुछ पहलू जटिल हो गए हैं । विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा अपनी शोधन-शालाओं के लिए कच्चा तेल किस मूल्य पर आयात किया जाए, इसके बारे में उक्त

कम्पनियों को प्रेरित करने के लिए, विशेष रूप में, हमे पिछले एक या दो वर्षों में कठिनाइयां पेश हुई। इस मामले में, जैसा माननीय सदस्य जानते हैं, तेल कम्पनियां आखिरकार सरकार के प्रस्तावित मूल्य से सहमत हुई है तथा उसे स्वीकार किया है और अब कच्चा तेल उस मूल्य पर आयात किया जा रहा है। तो भी, हमारी यह इच्छा रही है कि एक ऐसा तरीका मालूम किया जाए जिसके द्वारा, भविष्य में, असहमति के अवसर उपस्थित न हो ताकि एक प्रणाली के अपनाने से प्रतियोगी मूल्य सुनिश्चित हो।

3. शोधनशाला करारों के कई अन्य पहलू भी हैं, जिन्हें पुनरीक्षण की आवश्यकता है या जो अब पुराने हो गए हैं।

4. पिछले कुछ महीनों के दौरान, विदेशी तेल कम्पनियों के साथ यह जांच करने के लिए विचार, विमर्श हुए हैं कि परिवर्तित परिस्थितियों में शोधन-शाला करारों को कहां तक पुनरीक्षत किया जा सकता है। संसद को सूचित करते हुये मुझे प्रसन्नता होती है कि कम्पनियां मामले में रचनात्मक ढंग से विचार करने के लिये सहमत हो गई है।

5. वार्ता, आज भी, अन्वेषी और अस्थायी अवस्था में है। अतः माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि इन परिस्थितियों में उन मामलों पर जिनके बारे में किसी भी पक्ष ने अभी तक पक्का निर्णय नहीं लिया है, बातचीत करने से होने वाला लाभ बहुत कम है और शायद हानी अधिक हो सकती है। यह सच है कि उन प्रस्तावों, जिन पर बातचीत हो रही है, में से एक में विदेशी तेल कम्पनियों ने अपनी कम्पनियों को भारतीय कम्पनियों में बदलने तथा सन्तोषजनक प्रबन्धों के विकास में सहायता के लिए इनमें सरकारी क्षेत्र की साझेदारी के लिए सुझाव दिया था। लेकिन इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है और न ही मुख्य ब्यौरों में से किसी एक पर बातचीत की गई है। अतः मैं फिर से कहना चाहूंगा, जैसा कि मैं ने शुरू में कहा है, कि विदेशी तेल कम्पनियों में सरकार द्वारा साझेदारी के बारे में कोई निर्णय नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : समाचारपत्रों में यह पढ़कर कि सरकार विदेशी तेल कम्पनियों में साझेदारी के बारे में सोच रही है मुझे प्रसन्नता के साथ-साथ थोड़ा आश्चर्य भी हुआ। प्रसन्नता इसलिए कि इन तेल कम्पनियों द्वारा किये जा रहे शोषण को रोकने के लिए कुछ किया जा रहा है और आश्चर्य इसलिए कि इस सरकार द्वारा इतना साहसपूर्ण कदम उठाए जाने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था। किन्तु डा० त्रिगुण सेन के वक्तव्य से मुझे निराशा हुई है। उनका कहना है कि विदेशी तेल कम्पनियों को भारतीय तेल कम्पनियों में परिवर्तन करने के सुझाव के बारे में किसी संतोषप्रद व्यवस्था के विकास के लिए विचार-विमर्श किया गया है किन्तु इस पर कोई निर्णय नहीं किया गया। इन तेल कम्पनियों ने वर्षों तक मनमानी की है और अब एक ओर मूल्य वृद्धि की भावना को उकसाकर तथा दूसरी ओर देश में कृत्रिम कमी के द्वारा सरकार को ये परेशान कर रही हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस निष्फल विचार-विमर्श को छोड़कर क्या सरकार इन कम्पनियों को अपने नियंत्रण में लेगी ? हमारा शोषण पहले ही बहुत हो चुका है।

डा० त्रिगुण सेन : माननीय सदस्य एक ओर तो यह कहते हैं कि इन कम्पनियों द्वारा सहयोग की इच्छा व्यक्त किए जाने के समाचार से यह प्रसन्न हुए और दूसरी ओर इनके राष्ट्रीय-

करण के लिए कह रहे हैं। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता...(व्यवधान)...इनका यह कहना ठीक नहीं कि निजी तेल कम्पनियां एक ओर कीमत बढ़ाती हैं और दूसरी ओर कृत्रिम कमी दिखलाती हैं। हमारे कहने पर उन्होंने तेल के भाव कम कर दिए हैं और दूसरे देश में तेल की कमी है ही नहीं। जहां तक इनके साथ साझेदारी का संबंध है, इसमें कुछ बातें सम्बद्ध हैं। इसमें देश हित को देखना पड़ेगा। जैसे, हम इनके प्रबंध में भाग लेने को राजी नहीं होंगे फिर भाग लेने और राष्ट्रीयकरण में भी अंतर करना पड़ेगा और जो देश के हित में होगा वही किया जाएगा।

श्री स० मो० बनर्जी : प्रश्न यह है कि क्या आप इन कम्पनियों को अपने नियंत्रण में लेंगे ? मान लीजिए बातचीत में सफलता नहीं मिलती तब क्या सरकार तेल कम्पनियों को नियंत्रण में ले लेगी ?

डा० त्रिगुण सेन : मैं सभा को यह आश्वासन दे सकता हूँ कि हम देश हितों के विरुद्ध कोई काम नहीं करेंगे।

श्री गणेश घोष (कलकत्ता दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, यह आश्चर्य की बात है कि भारत सरकार ने अमरीका या ग्रेट ब्रिटेन की सरकार के साथ समझौते न करके वहां की विदेशी कंपनियों से समझौता किया जो आज तक भारत के लोगों के लिए अपमान और लज्जा का विषय बने हुए हैं। सरकार अमरीका और ब्रिटेन को नाराज करने के भय से इन करारों को रद्द नहीं कर रही ताकि ऐसा न हो कि कहीं वे चौथी योजना के लिए धन न दें। मंत्री महोदय कहते हैं कि हम तेल शोधन पर हुए समझौतों का लगातार पुनर्विलोकन करते रहते हैं। मन्त्री महोदय को इस बात पर प्रसन्नता हो रही है कि प्रार्थना याचना के बाद बिदेशी कम्पनियों ने उनके सुझाव मान लिए हैं। किन्तु सरकार उन समझौतों को रद्द नहीं करना चाहती, इनमें संशोधन करने का सोच रही है। किन्तु क्या इससे हमें सन्तुष्टि हो जाएगी।

दूसरे जब हम तथ्यों को देखते हैं तो इन सब बातों का कोई महत्व नहीं रह जाता। चौथी योजना के अन्त तक 280 लाख मीटरी टन तेल शोधन की क्षमता की आवश्यकता होगी। इस वर्ष की पहली जनवरी को वह क्षमता केवल 200 लाख मीटरी टन की थी। 1972 तक हल्दिया तेल शोधक कारखाने के पूरा हो जाने तथा कोचीन तेलशोधक कारखाने का विस्तार हो जाने से कुल क्षमता केवल 240 लाख मीटरी टन की हो पाएगी। पाँचवी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 420 लाख मीटरी टन क्षमता की आवश्यकता होगी। तब हमारी क्षमता 180 लाख मीटरी टन कम होगी। इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार क्या कर रही है ? परिस्थितियों को देखते हुए कोई आशा नहीं कि अगले नौ वर्षों में इस कमी को पूरा किया जा सकेगा।

श्री त्रिगुण सेन : मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि हमने तेल कम्पनियों को कच्चे तेल की कीमतें कम करने की प्रार्थना याचना की थी यह सही नहीं है। सदन को ज्ञात है हमने कभी ऐसा नहीं किया, अपितु जैसा हमने कहा वैसा उन्हें मानना पड़ा। हम पैट्रोलियम उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूक हैं। हम योजना आयोग और वित्त मंत्रालय के साथ एक अन्य तेलशोधक कारखाने की स्थापना के सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हम पांचवीं योजना की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगे।

जैसा मैंने कहा, हमने सहयोग के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया है। हम दोनों सुझावों के सभी पहलुओं पर विचार कर रहें हैं।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बरहामपुर) : मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय ने बिना किसी बनावट के साफ-साफ कह दिया है कि न तो सरकार इनका राष्ट्रीयकरण कर रही है और न इनके साथ साझेदारी कर रही है। अभी तक सरकार एक निदेशी कंपनी के प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि इसे भारतीय कम्पनी बना दिया जाए और उसमें भारत सरकार भाग ले। क्या मंत्री महोदय इस प्रस्ताव की मुख्य बातें हमें बतायेंगे ? वैसे यह प्रस्ताव सर्वथा अस्वीकार होना चाहिए क्योंकि ये भारतीय कम्पनियां अन्तर्राष्ट्रीय तेल निगमों की सहायक कम्पनियां ही होंगी।

दूसरी बात जो कुछ माननीय सदस्यों को उत्तेजित कर रही है वह इन विदेशी कम्पनियों की श्रम-नीति है। यह सब जानते हैं कि इनमें से अधिकांश कम्पनियां अपने कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर कर रही हैं। इससे काफी समस्याएं सामने आ गई हैं। अभी तक कोई संतोषप्रद हल सामने नहीं आया है। जब तक सरकार अपनी वर्तमान नीति नहीं बदलती, तब तक इन कम्पनियों को छटनी नहीं करनी चाहिए, क्या मंत्री महोदय ऐसा कोई आश्वासन दे सकते हैं ?

डा० त्रिगुण सेन : पहले प्रश्न के उत्तर में मुझे यह कहना है कि तेल कम्पनियों ने कोई विस्तृत ब्यौरा नहीं भेजा। उन्होंने इस बारे में कुछ अधिकारियों से बातचीत की है। मैंने अनुभव किया है कि जब हम कच्चे तेल का मूल्य निर्धारित कर सकते हैं और उत्पादन की पद्धति भी निश्चित कर सकते हैं तो अन्य बातें सोचने का कोई लाभ नहीं है। जहां तक उनकी श्रम-नीति का प्रश्न है मैं उससे अवगत हूं। मैंने यह मामला मंत्रालय को भी भेजा है। मंत्रालय ने निजी तेल कम्पनियों से कहा है कि एक साल तक छंटनी न की जाये।

Shri Yogendra Sharma (Begusarai) : Mr. Speaker, the hon. Minister has satisfied us to some extent by saying that no decision has been taken regarding major participation but he has himself admitted in his written statement that some sort of dialogue is going on with foreign oil companies about this matter. This will lead us to the same conclusion which we drew from major participation.

If these companies are converted into Indian companies, they will not have to pay extra taxes. With the result, there will be some saving and secondly these companies will not be able to enjoy unlimited profits alone because they will be under our national oil companies.

The question of oil industries is important, not only from economic or industrial point of view but it is important from the strategic point of view also ..

So, keeping in view the interests of the nation, will the hon. Minister assure that these Companies will be nationalised ?

May I know the reason for not nationalising the said three foreign oil companies in view of the fact that during the last 14-15 years, since they were floated in this country, they have remitted rupees eight crores of profits annually to their parent countries, whereas, all other foreign manufacturing companies have together remitted only eight crores of rupees during the entire period and also in view of the fact that these remittances abroad have more than doubled their fixed assets of 40 crores of rupees over the years.

Is it also not a fact that the profits of oil companies mainly depend upon the price of raw oil ? We will be very grateful to the hon. Minister if he tries to find out from where these companies buy oil and at what price.

Now we are in a better position to deal with these oil companies because we have gained enough experience regarding its exports and imports.

May I also know whether the oil pricing commission, after making a detailed study of the depression in the world oil market and of the breaking of monopoly of 7 oil magnets in the world and of entry of new nations into the oil market, had recommended, the setting up of a centralised agency for the purchase of oil after inviting global tenders with a view to minimising the remittances abroad of the profits and maximising the earnings of this country and if so, whether Government are in a position to give an assurance to implement that recommendation ?

डा० त्रिगुण सेन : जहां तक सहयोग का प्रश्न है मैंने अपने वक्तव्य में साझेदारी के बारे में कहा है किन्तु साथ ही यह भी कहा है कि इसका विस्तृत विवरण तैयार नहीं किया गया है। मैं यह मानता हूँ कि आपत्तिकालीन स्थिति में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें पूरी तरह तैयार होना चाहिए। मेरे माननीय मित्र यह भी जानते हैं कि आज हम उत्पादन तथा तेल शोधन आदि में काफी अच्छी स्थिति में है और हम ऐसी स्थिति का सामना करने में समर्थ होंगे।

जहां तक लाभ कमाने का प्रश्न है यह भी जानते हैं कि इन कम्पनियों ने प्रारम्भिक वर्षों में क्या किया, किन्तु पिछले एक या दो वर्षों से हम तेल शोधक कारखानों की उत्पादन पद्धति को नियमित कर रहे हैं।

जहाँ तक कच्चे तेल के मूल्य का प्रश्न है, जैसाकि मैंने पहले कहा था, अब हम भी बाजार में आ गए हैं और हम जानते हैं कि किस मूल्य पर यह विश्व में मिल रहा है और जैसे ही हमें इसके भावों की घट-बढ़ का पता चलेगा। हम इन्हें उसी भाव पर बेचने के लिए कहेंगे।

केन्द्रीय अभिकरण के विषय में मैं यह कहना चाहता हूं कि हम धीरे-धीरे आई०ओ०सी० के माध्यम से बाजार में आ रहे हैं। इस प्रकार हम कच्चे तेल की खरीद को अपने हाथों में लेने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री विश्वनाथ मेनन (एरणाकुलम) : जब भी विदेशी पूंजी का प्रश्न सामने आता है, सरकार हमेशा टाल-मटोल करती है। सरकार कोई प्रभावी कदम उठाने का साहस नहीं कर पाती।

मन्त्री महोदय हर समय देश के हित की बात करते रहते हैं। यदि देश का हित ही मान-दण्ड है तब तो केवल एक यही रास्ता है कि इन तेल कम्पनियों के बिना क्षतिपूर्ति किए राष्ट्रीय-करण किया जाये।

एक अन्य बात भी मैं कहना चाहता हूँ। मुझे जानकारी मिली है कि इस मंत्रालय के एक मन्त्री के लड़के को विदेशी तेल कम्पनी में एक प्रतिष्ठित पद दिलाया गया है। क्या यह सच है ?

डा० त्रिगुण सेन : सरकार की यह नीति नहीं है कि बिना क्षतिपूर्ति के राष्ट्रीयकरण किया जाये।

दूसरे, मेरा अपना कोई पुत्र नहीं है—जहां तक मेरे साथियों का प्रश्न है मेरी जानकारी के अनुसार उनके किसी पुत्र को वैसा कोई प्रतिष्ठित पद इन तेल कम्पनियों में नहीं दिया गया है।

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : माननीय सदस्य की सूचनार्थ, मेरा एक ही पुत्र है जो अमरीका में शिक्षा प्राप्त कर रहा है।

देश में बेरोज़गारी की स्थिति के बारे में
RE. UNEMPLOYMENT SITUATION IN THE COUNTRY

श्रीमती इला पालचौधरी (कृष नगर) : मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि...

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडे) : आज देश भर में हजारों-लाखों युवक और युवतियां बेरोजगारी तथा युवा अधिकारों का दिवस मना रहे हैं। हमने आपको एक ध्यानकर्षण प्रस्ताव भी भेजा है।

जैसा कि हमने पहले भी कई बार कहा है, जब कुछ लोग संसद् में प्रधान-मन्त्री या सम्बन्धित मंत्री को मिलने आते हैं तो वे इस भवन के चारों ओर पुलिस को खड़ा पाते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अली पुर) : सरकार बेरोजगारी की बुनियादी समस्या को हल नहीं कर रही है, किन्तु प्रतिदिन नक्सलवादियों की संख्या बढ़ने की बात की जाती है। आप बाहर खड़े युवकों की बात को सुनते क्यों नहीं ? यदि आप नहीं सुनेंगे तो वे और कहां जायेंगे ?

डा० मैत्रेयी बसु (दार्जिलिंग) : क्या रूस में ऐसे लोगों को 'सुप्रीम सोवियत' में जाने दिया जाता है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : रूस में बेकारी नहीं है...(व्यवधान)

श्री हो० ना० मुखर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : संसद का अधिवेशन चल रहा है और लोग देश के सभी भागों से आए हैं तो क्या वे आपसे मिल भी नहीं सकते ?

संसदीय गणतन्त्र में यह अपेक्षित है कि उन्हें आपसे मिलने दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : मैं संसद के बाहर भी गतिविधि से अवगत नहीं हूं। मैं संसद के अन्दर होने वाली घटनाओं से परिचित हूं।

श्री नाथ पाई : मैं आपको उस मामले से अवगत कराना चाहता हूँ जिसके सम्बन्ध में यह सब कुछ हो रहा है। पिछले वर्ष संसद् भवन के सामने एक विशाल प्रदर्शन हुआ था और प्रधान मन्त्री ने हमें बेरोजगारी दूर करने के लिए हर सम्भव कार्यवाही करने का आश्वासन दिया था। आपको शायद याद हो कि पिछले वर्ष श्री कुन्द् और अन्य लोगों ने भी संसद् भवन के सामने प्रदर्शन किया था और उस समय संसद् को आश्वासन दिया गया था। अब क्या आप वित्त मंत्री से इन दोनों आश्वासनों के सम्बन्ध में वक्तव्य देने को कहेंगे।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक साथ इतने अधिक सदस्य बोलेंगे तो मैं सुनूंगा कैसे ?

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : Mr. Speaker, Sir, it is nearly one week when I gave notice of a notice of a motion about A.I.R., but nothing has been done regarding that so far.

Shri Rabi Ray : The hon. Member had given notice of a priviledge motion. Some decision should be taken on his motion.

Shri Shiva Chandra Jha : I have given notice of a privilege motion against A.I.R. regarding Texation Laws (Amendment) Bill.

Shri Ramavatar Shastri ; Discussion should be held here on A.I.R.

Shri Shiva Chandra Jha : A.I.R. has given wrong report regarding the amendments given notice of on the Taxation Laws (Amendment) Bill. A.I.R. has thus distorted the proceedings of this House and committed contempt. Therefore I want a discussion to be held here regarding A.I.R.

अध्यक्ष महोदय : मुझे अभी उत्तर नहीं मिला है ।

श्रीमती इला पालचौधरी : मेरा कहना यह है कि पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक रोजाना व्यापारियों की हत्या की जा रही है । उनके पास धमकी भरे पत्र आ रहे हैं कि या तो आप रोजगार छोड़ कर भाग जायें अन्यथा इसी प्रकार हत्यायें जारी रहेंगी । मैं यह जानना चाहती हूं कि सरकार इन व्यापारियों को क्या संरक्षण प्रदान करने जा रही है अन्यथा वहां की आर्थिक व्यवस्था भिन्न-भिन्न हो जायेगी । अतः कुछ न कुछ किया ही जाना चाहिये ।

Shri Ram Singh Ayarwal (Sagar) : No body has spoken from the side of Jan Sangh.

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री मधु लिमये को बुला चुका हूँ ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Yesterday, before adjourning the House you had said that if the hon. Members went on shouting like that you would ask the Minister to lay the statement on the Table of the House. But neither he made any statement nor it was placed on the Table of the House.

Shri Kanwar Lal Gupta : Sir, I rise on a point of order.

Shri Shiva Chandra Jha : When a point of order is being taken up already, how can be another one be raised.

अध्यक्ष महोदय : आप अब एक साथ बोलते चले जाते हैं । कृपया जो सदस्य बोल रहे हैं उन्हें बोल लेने दीजिये ।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : आपने कल मन्त्री महोदय से वक्तव्य सदन की मेज पर रखने को कहा था पर उन्होंने ऐसा नहीं किया ।

Shri Madhu Limaye : I want to say that the hon. Minister has not made a statement regarding the points raised by me. That should be made and a discussion should be allowed under Rule 193 so that all of us can participate in that.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : I have no objection to the Minister making a statement. But I want to know why he did not lay the statement on the Table of the House yesterday ? He has not done inspite of your direction to do so. Now he should first opologize and then place the statement on the Table of the House. This question was raised yesterday also. And after the statement has been laid on the Table of the House, a discussion should be allowed on this subject.

श्री कमल नयन बजाज (वर्धा) : अपने दल की ओर से मैंने भी आपसे प्रार्थना की थी कि वक्तव्य सदन के पटल पर क्यों नहीं रखा गया ।

Shri Kanwar Lal Gupta : I rise on a point of order when the Minister was directed by you to give the statement in the House why he has given the statement outside, instead of giving it in the House. I simply want to know whether this is not contempt of the House and a violation of the direction given by the Speaker ?

अध्यक्ष महोदय : यह सब क्या है ? मैंने केवल इतना ही कहा था कि वे कोई वक्तव्य देना नहीं चाहते केवल कुछ वाक्य इस सम्बन्ध में बोलना चाहते हैं । और ऐसा ही उन्होंने अपने कमरे में जा कर मुझे लिख भेजा था । ऐसा आप भी इस सदन में करते हैं । कई बार आप भी बाद में अपनी बातों को बदलना चाहते हैं । इस जोश को देखते हुए शायद हमें इस सदन में कोई आयु सीमा निश्चित करनी होगी । जन संघ के सदस्य शायद बड़े आतुर हैं । वे वक्तव्य दे सकते हैं, हम चर्चा कर सकते हैं । जब आप चर्चा करना चाहते थे तो फिर आपने उन्हें बोलने क्यों नहीं दिया । और अब उनसे क्षमा-याचना करने को कहते हैं ।

श्री कंवर लाल गुप्त : सदन से बाहर वक्तव्य देने के कारण ।

अध्यक्ष महोदय : आपने उन्हें यहां वक्तव्य नहीं देने दिया, और बाहर भी नहीं बोलने देंगे । उनके पत्र को मैं परिचालित कर रहा हूँ उसके बाद भी अगर आप चर्चा करना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी ।

— —

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं निम्नलिखित पत्र पुनः सभा पटल पर रखता हूं :

(1) संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (5) के अन्तर्गत, संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) अनुपूरक विनियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण और अधिसूचना को सभा पटल पर पुनः रखने के कारणों का एक टिप्पण । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी०—4089/70]

(2) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 उपधारा (2) के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवाएं (वेतन) 11 वां संशोधन नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), की एक प्रति, जो दिनांक 15 अगस्त, 1970 के भारत के

राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1164 में प्रकाशित हुए थे ।[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—4156/70]

मैं अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत भारतीय वन सेवा (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) चौथा संशोधन विनियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं, जो दिनांक 24 अक्तूबर, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1802 में प्रकाशित हुए थे । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—4375/70]

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) कपड़ा समिति अधिनियम, 1963 की धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कपड़ा समिति (पहला संशोधन) नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक, 13 फरवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 297 में प्रकाशित हुए थे । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—4376/70]

(2) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियमन, 1951 की धारा 18क की उपधारा (2) के अन्तर्गत स्वदेशी काटन एण्ड फ्लोर मिल्स लिमिटेड, इन्दौर, के प्रबन्ध के बारे में अधिसूचना संख्या एस०ओ० 3118 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 16 सितम्बर, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—4377/70]

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : मैं दिल्ली के सलवान कालेज के एक लैक्चरर की सेवाएं समाप्त किये जाने के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—4378/70]

राज्य-सभा से सन्देश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :

(एक) कि 10 नवम्बर, 1970 को लोक सभा द्वारा पास किये गए लौह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उपकर (संशोधन) विधेयक 1970 के सम्बन्ध में राज्य सभा को लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

(दो) कि 10 नवम्बर, 1970 को लोक सभा द्वारा पास किए गए कृषि उपज उपकर (संशोधन) विधेयक, 1970 के सम्बन्ध में राज्य सभा को लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

याचिका समिति
COMMITTEE ON PETITIONS

नवां प्रतिवेदन

श्री श्रद्धाकर सूपकार (सम्बलपुर) : मैं याचिका समिति का नवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

अनुदानों की अनुपूरक माँगे (सामान्य)
SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL)

वर्ष 1970-71 के लिए अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक मांगें (सामान्य) प्रस्तुत की गईं

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
	I. राजस्व से किया जाने वाला व्यय	
	(वित्त मंत्रालय)	
25	वित्त मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	1,00,00,000
50	दिल्ली „ „ „	2,56,55,000
	(औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार और समवाय मंत्रालय)	
60	औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार और समवाय मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	8,70,000
	(श्रम, नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय)	
70	विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	4,54,48,000
71	श्रम, नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	9,80,00
	(इस्पात और भारी इंजीनियरी मंत्रालय)	
82	इस्पात और भारी इन्जीनियरी मंत्रालय	5,47,000
	(संचार विभाग)	
95	डाक-तार कार्यचालन व्यय	11,00,00,000
	II. पूंजी खाते से किया जाने वाला व्यय और ऋणों और अग्रिमों का भुगतान	
	(रक्षा मंत्रालय)	
105	रक्षा सम्बन्धी पूंजी परिव्यय	68,25,000
	(वित्त मंत्रालय)	
114	केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाने वाले ऋण और अग्रिम	5,00,01,000
	(श्रम, नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय)	
127	श्रम, नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	1,20,79,000
	(इस्पात और भारी इन्जीनियरी मंत्रालय)	
132	इस्पात और भारी इंजीनियरी मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	1,000

वैयक्तिक स्पष्टीकरण
PERSONAL EXPLANATION

श्री अ० कु० किस्कु (झाड़ग्राम) : अध्यक्ष महोदय 24 नवम्बर, 1970 को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 1967 पर बोलते हुए संसद सदस्य श्री कार्तिक उरांव ने मुझ पर आरोप लगाया था कि मैंने रोमन कैथोलिक चर्चा से 10,000 रुपये लिए हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि या तो वे इस सम्बन्ध में प्रमाण दें या क्षमा याचना करें। मैं इस आरोप का स्पष्टत: खण्डन करता हूँ।

श्री कार्तिक उरांव (लोहार डगा) : यह 10,000 रुपये नहीं था बल्कि 10,000 रुपये प्रति मास था।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर वाद विवाद की अनुमति नहीं दे सकता।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक
SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES ORDERS (AMENDMENT) BILL

विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री हनुमन्तय्या) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि इस प्रस्ताव पर 'कि संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 1967 पर विचार किया जाये'', वाद-विवाद स्थगित किया जाये।"

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : वे हमें इस बात का आश्वासन दें कि यह इस सत्र में पुन: अवश्य लिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री शिव चन्द्र झा इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहते हैं।

श्री हनुमन्तय्या : सदन में अपने वक्तव्य में मैंने बताया था कि इसमें 2,447 जातियों का समावेश है तथा 225 और जातियों को शामिल करने तथा लगभग 35 जातियों को निकालने की इच्छा व्यक्त की गई है। अत: सदन इस बात से अवगत है कि हमारे सम्मुख कितनी कठिनाई है। इसलिए कुछ विरोधी नेताओं और प्रधान मन्त्री ने यह निर्णय कर के सही कदम उठाया है कि इसे अभी और समय दिया जाना चाहिये। सरकार इसे जल्दी से जल्दी अधिनियम का रूप देना चाहती है और हम इसे सत्र के समाप्त होने से पहले पुन: लाने का प्रयत्न करेंगे। पर हम विवादास्पद मुद्दों को शान्ति से सुलझा लें और इस पर दलगत भावना से ऊपर उठ कर विचार करें।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : Government is not clear in the case of Harijans and Adivasis. They want to use that for their own benefit. Many amendments were moved to this Bill but the hon Minister did not say any thing about them. It is not

difficult to decide which castes should be included and which should be excluded from the List.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस प्रस्ताव पर 'कि संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 1967 पर विचार किया जाये" वाद-विवाद स्थगित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

(इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजकर 15 मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई)

(The Lok Sabha then adjourned for lunch till fifteen Minutes past fourteen of the clock)

(मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा दो बजकर 20 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई)

(The Lok Sabha reassembled after lunch at Twenty minutes past Fourteen of the clock)

[श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए]

[Shri K. N. Tiwary *in the Chair*]

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : मैं नियम 15 को पढ़ते हुए व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ। आज अध्यक्ष महोदय ने सदन को मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित नहीं किया था। श्री शिव चन्द्र झा बोल रहे थे और अध्यक्ष महोदय केवल यह कह कर उठ गए कि आप बोलते रहिए। उन्होंने सदन को स्थगित नहीं किया। क्यों नहीं उन्होंने यह बताया कि वह पुनः कब समवेत होगा। और हम यहां अपनी आदत के अनुसार पुनः इकट्ठे हो गये। मेरा कहना यह है कि नियम 15 के अनुसार अब अध्यक्ष को अथवा जो भी व्यक्ति पीठासीन है। उसे सभा को उसी दिन अथवा अगले दिन के लिए स्थगित करना चाहिए।

संसद-कार्य और पोतपरिवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : यदि यह बात सही है कि सभा स्थगित ही नहीं की गई थी फिर तो सभा की कार्यवाही चल ही रही है। फिर सभा की कुछ परम्पराएं भी हैं। यदि हम इस प्रकार नियमों का कड़ाई से पालन करेंगे तो कोई काम नहीं हो सकेगा।

सभापति महोदय : 14-8-1970 को मध्याह्न भोजन के लिए सभा को स्थगित करने से पहले अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि यदि अध्यक्ष पीठ से ऐसा न भी कहा जाय तो भी हम जब मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होते हैं तो सभा एक घण्टा पश्चात् पुनः समवेत होगी और कि इस विषय में कोई सन्देह नहीं होना चाहिए कि सभा कब पुनः समवेत होगी।

Shri S. M. Banerjee : Mr. Chairman, you might remember that in the morning a request was made through the Speaker that either the Prime Minister or the Finance Minister

should make a statement regarding the youths who have come to demonstrate before Parliament in respect of unemployment.

सभापति महोदय : आपने अध्यक्ष महोदय को लिखा था उन्हें उनकी अनुमति नहीं थी। मैं भी अनुमति नहीं दे सकता।

Shri Shiva Chandra Jha : The point raised by Shri Shri Chand Goyal...

Mr. Chairman : We have already disposed of that issue. Now nothing can be said on that, You may please sit down and do not defy the Chair. Nothing will go on record.

Shri Shiva Chandra Jha : * *

Mr. Chairman : A point of order can be raised only when there is some subject before the House. Now the subject is that I called Shri Goyal. If there is any point of order on that then I can ready to listen.

Shri Shiva Chandra Jha : * *

Mr. Chairman : I have given my ruling on it. Please sit down.

सांविधिक संकल्प तथा विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) विधेयक

STATUTORY RESOLUTION AND FOREIGN EXCHANGE REGULATION (AMENDMENT) BILL

श्री श्रीचन्द गोयल (चंढ़ीगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा 20 सितम्बर, 1970 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 1970 (1970 का अध्यादेश संख्या 5) का निरनुमोदन करती है।"

आपको याद होगा कि सत्र 3 सितम्बर, 1970 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया था...(अन्तर्बाधायें)

Shri Shiva Chandra Jha : * *

Mr. Chairman : I have already given my ruling. Please sit down.

Shri Shiva Chandra Jha : * *

Mr. Chairman : If you go on disturbing the House I will have to ask you to leave the House.

Shri Shiva Chandra Jha : * *

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not recorded.

Mr. Chairman : You please sit down or leave the House.

श्री श्रीचन्द गोयल : यह अध्यादेश 20 सितम्बर, 1970 को इस तर्क पर जारी किया गया था कि दस्तावेज लौटाने की निर्धारित अवधि क्योंकि अक्तूबर में समाप्त हो रही है और संसद इस दौरान में बैठेगी नहीं। अतः सरकार को विधान पारित करते समय सतर्क रहना चाहिये और अध्यादेश तभी जारी करना चाहिए जब अन्य कोई चारा रहे। इस मामले में लिखित याचिकायें दायर की गई थी और संभवतः न्यायालय ने उन दस्तावेजों पर सील लगा दी थी तथा वे जांच के लिए प्रवर्तन विभाग को उपलब्ध नहीं हो सके।

मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि यह आदेश किन परिस्थितियों में जारी किया गया था ; सरकार ने क्यों नहीं इस स्थिति को याद किया था ? उन्होंने यह क्यों नहीं सोचा था कि दस्तावेजों को वापिस करने की एक वर्ष की अवधि समाप्त हो रही है, जहां तक मेरी जानकारी है, सरकार ने रोक आदेश को हटा देने का प्रयत्न नहीं किया, सरकार ने सील तोड़ने के उपरांत उन दस्तावेजों की जांच करने का प्रयत्न नहीं किया। सिविल प्रकिया संहिता में व्यवस्था है कि यदि सरकार किसी विशेष दस्तावेज की जांच करना चाहती है तो वह न्यायालय को आवेदन कर सकती है तथा इसके लिए न्यायालय अनुमति देगा यह सब कोई कठिन कार्य नहीं था। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने वस्तुतः रोक आदेश को हटाने के लिए उच्च न्यायालय से कहा था ताकि वे उन दस्तावेजों को अपने अधिकार में ले सके तथा उसकी एक प्रति भी प्राप्त कर सके। परन्तु सरकार ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे समझते हैं कि इसके लिए अध्यादेश जारी किया जा सकता है। यदि वे ऐसा समझते कि अध्यादेश केवल विशेष परिस्थितियों में ही जारी किया जा सकता है तो उन्होंने वे कार्यवाही की होती यथा उन्होंने दस्तावेज वापिस करने के लिए उच्च न्यायालय को आवेदन किया होता या न्यायालय को मूल प्रति रखने तथा प्रमाणित प्रतियां देने को कहा होता, अथवा उन्होंने रोक आदेश को हटा देने के लिए कहा होता। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने ऐसी कोई कार्यवाही की ? मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने दस्तावेजों को कब्जे में कब लिया तथा लिखित याचिकायें कब दायर की गई और न्यायालय ने दस्तावेजों पर सील लगाने का कब आदेश दिया ? मैं इन तिथियों को यह जानने के लिए चाहता हूँ कि क्या सरकार के पास दस्तावेजों की जांच करने के लिए पर्याप्त समय था। ऐसा संदेह होता है कि दस्तावेजों की भली-भांति जांच नहीं की गई है।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या धारा 2 के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की गई थी ? यदि कार्यवाही आरम्भ की गई थी तो वे उन दस्तावेजों को अपने पास रख सकते थे, क्योंकि एक अन्य प्रावधान के अनुसार या तो उन्हें एक वर्ष में वापिस करना है अथवा यदि धारा 23 के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की गई है तो उन दस्तावेजों को कार्यवाही के समाप्त होने के पश्चात ही वापिस किया जा सकता है। (ग) के अन्तर्गत यदि विशेषता जारी की जाती है तो एक वर्ष की अवधि उस आदेश की अवधि से अतिरिक्त होती है।

विवरण में कहा गया है कि फर्म ने उसके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने से पहले ही उच्च न्यायालय में लिखित आवेदन दे दिया था ताकि निदेशालय उन दस्तावेजों पर कार्यवाही न कर सके, मैं जानना चाहता हूँ कि दस्तावेज कितने समय तक उनके पास रहा।

चूंकि ऐसी बातें विभिन्न मामलों में होती हैं तो क्या माननीय सदस्य सामान्य खंड अधिनियम में इस आशय का खंड जोड़ने की वांछनीयता पर विचार करेंगे कि जहां एक वर्ष की अवधि नियत की जाती है तथा जहां न्यायालय हस्तक्षेप करता है वहां यह माना जायेगा कि वह अवधि इस एक वर्ष की अवधि से अतिरिक्त होगी जैसे कि आपने सीमा अधिनियम में इसकी व्यवस्था की हुई है। ऐसा निश्चित रूप से किया जा सकता है। ऐसा करने से आप समय-समय पर इस प्रकार की संशोधन करने की कार्यवाहियों का समय बचा सकते हैं।

इन बातों के साथ मैं सभा से अपील करूंगा कि वे मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करे ताकि सरकार भविष्य में नियत समय के प्रति सावधान रहे और इस प्रकार अध्यादेश जारी न करे।

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

'कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस विधेयक का उद्देश्य धारा 19 जी का संशोधन करना है। इस धारा के अनुसार प्रवर्तन निदेशक तथा उसके अधिकारी उनको जांच के लिए एक वर्ष से अधिक समय तक नहीं रख सकते। अथवा धारा 23 के अन्तर्गत कार्यवाही के पूरा होने से अधिक समय तक नहीं रख सकते। अब तक इस धारा के अनुसार ठीक ढंग से कार्यवाही हुई है, परन्तु मानव बुद्धि ऐसी कुशाग्र होती है कि कभी-कभी सरकार अपने उद्देश्य में असफल हो जाती है।

यह मामला बिड़ला समूह से सम्बन्धित है। वहां कुछ छापे मारे गये तथा कतिपय दस्तावेजों पर कब्जा किया गया। उनकी जांच करनी थी। परन्तु सम्बन्धित व्यक्तियों ने लिखित पत्रिकायें दायर कीं जिससे कि रोक आदेश लागू किया गया तथा पक्षों को उच्चतम न्यायालय में अपील करने के लिए दो महीनें का समय दिया गया। इस प्रकार जाँच कार्यवाही का उद्देश्य असफल हो गया।

मुख्य विचारणीय बात यह है कि क्या हम इस प्रकार जांच के उद्देश्य को असफल होने देंगे ? क्या हम ऐसा अन्य तरीका नहीं निकाल सकते कि जब न्यायालय को रोक आदेश जारी करने का अधिकार है तो उसके साथ-साथ जांच का उद्देश्य असफल न हो। अतएव हम चाहते हैं कि जांच के लिए पूरे एक वर्ष का समय दिया जाये। दस्तावेजों पर सील लगाने अथवा उन पर कार्यवाही करने की अवधि को अलग रखा जाये ताकि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को जांच करने के लिए पूरा एक वर्ष का समय मिल सके।

श्री गोयल ने पूछा है कि सरकार ने क्यों नहीं पहले ही सभा में इस मामले को उठाया, हमें यह आशा थी कि लिखित याचिकाओं के साथ-साथ रोक आदेशों को भी हटा लिया जायेगा परन्तु ऐसा नहीं हुआ और और सम्बन्धित पक्ष को अपील करने का और समय दिया गया। अतएव अध्यादेश जारी करने के अलावा अन्य कोई विकल्प न था। यह अध्यादेश अन्त में अधिनियम बन जायेगा इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस प्रस्ताव स्वीकार्य किया जाये।

सभापति महोदय : इस विधेयक के लिए दो घंटे का समय रखा गया है। क्या श्री झा अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : मैं प्रस्तुत करता हूँ :

"कि इस विधेयक को 30 जनवरी 1971 तक राय जानने के लिए परिचालित किया जाये।"

श्री कमलनयन बजाज (वर्धा) : इस मामले में हमारा विरोध केवल यही है कि गत वर्ष के अक्तूबर मास में ये दस्तावेज पकड़े गये थे । उनके लिए एक वर्ष का समय था। जब यह लिखित याचिका दायर की गई थी तो उस समय सरकार के पास पर्याप्त समय था। यदि कानून में कोई त्रुटि रह गई है और आप उसमें संशोधन करना चाहते हैं तो यह भविष्य के लिए करना चाहिए न कि बीत चुकी अवधि से करना चाहिए।

इस मामले में न्यायालय के हस्ताक्षेप के कारण जांच नहीं की जा सकी। क्या सरकार ने न्यायालय से इन दस्तावेजों की जांच करने की अनुमति नहीं मांगी ? इसका उत्तर नहीं दिया गया है। गत अधिवेशन में सरकार को यह जान लेना चाहिए था कि न्यायालय की कार्यवाही अक्तूबर तक समाप्त नहीं होगी तो उन्हें संसद में विधान पेश करना चाहिए था परन्तु उनके पास इसके लिए समय न था। अनुसूचित जाति विधेयक के बारे में भी सरकार ने यही रवैया अपनाया। इसी तरह यहां भी यदि सरकार ने विचार किया होता तथा पहले से ही अनुमान लगा लिया होता तो उनको राष्ट्रपति के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती। उस पद का उपयोग कम से कम करना चाहिए तथा हमारा रिकार्ड यह होना चाहिए कि हमने देश पर अध्यादेशों द्वारा शासन नहीं किया है। मैं श्री गोयल के प्रस्ताव का इसलिए समर्थन करता हूँ क्योंकि इस मामले में सरकार उदासीन रही है। यदि इस भूल को भविष्य के लिए ठीक किया जा रहा है तो हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु हम जानना चाहते हैं कि क्या इस प्रकार कानून को लागू करना उचित है ? क्या यह इस बात को सिद्ध नहीं करता है कि एक व्यक्ति के कारण आप कानून को बदल रहे हैं तथा इसे बीत चुकी तिथि से लागू कर रहे हैं ? यदि यह भविष्य के लिए है तो कोई बात नहीं है परन्तु यदि यह बीत चुकी तिथि से है तो क्या यह बदले की भावना से प्रेरित नहीं है। संसद का प्रयोग इस प्रकार से नहीं किया जाना चाहिए कि एक व्यक्ति के लिए कानून को बदला जाये। इसी आधार पर हम श्री गोयल के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं तथा हमें आशा है कि वित्त मन्त्री इस कानून को बीत चुकी तिथि से लागू करने के समुचित कारण बतायेंगे।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं। मेरा यह कहना है कि इस संशोधन को किसी विशेष लिखित याचिका या विशेष मामले से जोड़ना उचित नहीं है। मेरे विचार में यह तो नितांत ऐसा उदाहरण है जहां कि सरकार अथवा प्रवर्तन निदेशालय को इस कानून के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ा। इस संशोधन का संबंध संपूर्ण विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के साथ जोड़ना पड़ेगा तथा तब यह निर्धारित करना पड़ेगा कि क्या यह संशोधन उस उद्देश्य की पूर्ति करता है जिसकी व्याख्या वित्त मंत्री ने बड़ी स्पष्टता से की है। मेरा यह कहना है कि इस संशोधन के गुणावगुणों को किसी विशेष मामले से नहीं जोड़ना चाहिए।

मुझे माननीय सदस्य श्री बजाज के इस कथन पर आश्चर्य है कि इसे बीत चुकी तिथि से कार्यान्वित नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे बदले की भावना की बू आती है। मुझे आश्चर्य है कि ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। यदि न्यायालय के आदेश के कारण प्रवर्तन निदेशक किसी दस्तावेज पर कार्यवाही नहीं कर सका है तो उस स्थिति में सुधार करना चाहिए। प्रवर्तन निदेशक को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अंतर्गत कानून के उल्लंघन का पता लगाने में सहायता देनी चाहिए। श्री बजाज ने सिद्धांततः यह स्वीकार किया है कि न्यायालय के आदेश का उपयोग प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी को जांच करने में रुकावट डालने में किया गया है। अतएव यह निश्चित रूप से बीत चुकी तिथि से होना चाहिए और मैं नहीं सोचता कि इसमें बदले की भावना जैसी कोई बात है।

वित्त मंत्री महोदय ने इस विधेयक के क्षेत्र को बड़े सुन्दर ढंग से बताया है। इसका उद्देश्य धारा 19 जी को संशोधित करना है। इसमें यह बताया गया है कि साधारणतया एक वर्ष की अवधि प्रवर्तन निदेशालय के लिए यह निश्चित करने के लिए पर्याप्त है कि क्या धारा 23 के अन्तर्गत किसी उपबन्ध तथा कार्यवाही का उल्लंघन का पता लगाने के लिए कोई विशेष दस्तावेज आवश्यक है। परन्तु अपवाद वाले मामलों में, जहां प्रवर्तन निदेशालय किसी न्यायालय के आदेश से इसको प्राप्त नहीं कर सकता है, एक वर्ष की अवधि न्यायालय के निषेधाज्ञा हटाने के उपरान्त आरम्भ होगी। आयकर में भी ऐसा ही एक कानून है।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम एक अति महत्वपूर्ण अधिनियम है। इसके द्वारा यह सुनिश्चित होता है कि दुर्लभ विदेशी मुद्रा, जिसकी हमारे देश को बड़ी आवश्यकता है, का हिसाब-किताब ठीक रखा जाये ताकि सरकार इसको अपने कार्यक्रम और प्राथमिकताओं के अनुसार उपयोग में ला सके। इस कानून के निरन्तर उल्लंघन को देखते हुए ऐसा लगता है कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत इसका हिसाब-किताब रखने के उत्तरदायी व्यक्ति इस अधिनियम का पालन करने के स्थान पर इसका उल्लंघन करते हैं। हमें ऐसा लगता है इसको रोकने का एकमात्र उपाय कानून को और अधिक कठोर बनाना है। भारी जुर्मानें लगाने के साथ-साथ कैद की सजा भी दीं जाती है परन्तु मानव बुद्धि अन्य रास्ते भी निकाल लेती है। वह इसका उल्लंघन करने के रास्ते निकाल लेती है। मेरा यह कहना है कि इस बारे में व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाये।

इसका सम्बन्ध देश में तस्करी, जो कि हमारी अर्थ-व्यवस्था के लिए घातक है, से है। चूंकि विदेशी मुद्रा कीमती तथा दुर्लभ होती जा रही है अतएव इसको सभी तरीकों से जमा करने की प्रवृति बढ़ रही है। दुबाई में एक सुनियोजित गिरोह कार्य कर रहा है। दुबाई से भारत सोना लाने के लिये बैंक वित्तीय सहायता देते हैं। सोना भारत में लाकर उसको बहुत ऊंचे मूल्य पर बेचा जाता है। मुझे बताया गया था कि यहां सोना 10 ग्राम 183 रुपयों में बेचा जाता है जबकि इसका मूल्य विदेशों में प्रति औंस 72 डालर है। यह बहुत अधिक लाभ है। इससे भारत में विदेशी मुद्रा जमा करने तथा इसको भारत से बाहर भेजने के लिए हर सम्भव उपाय काम में लाया जाता है।

इसका रुपये के मूल्य पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। विदेश जाने वाला व्यक्ति भी विदेशी

मुद्रा प्रति डालर 13 रुपये में तथा प्रति पौंड 31 रुपये में खरीदता है। यदि आप वास्तव में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं दो सुझाव दूँगा। पहले वे रिजर्व बैंक द्वारा सोने का आयात करने तथा उसे उचित मूल्य पर जनता को उपलब्ध करने के प्रश्न पर विचार करें ताकि इसकी तस्करी अलाभप्रद बन जाये। इससे रुपये की क्रय शक्ति को फिर से लाने में काफी सहायता मिलेगी। दूसरा विदेशों को जाने वाले व्यक्तियों को पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा दी जाये।

श्री रा० की० अमीन (ढ़ढ़का) : मैं वित्त मंत्री महोदय तथा श्री सालवे के वक्तव्य से आश्वस्त नहीं हुआ हूँ। श्री सालवे का सुझाव है कि सम्पूर्ण तस्करी को बंद किया जाये तथा इसके लिए एक अधिनियम पारित किया जाये। परन्तु यहां संशोधन केवल तीन या चार लाइनों का लाया गया है। वे तस्करी से संबंधित अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए एक विस्तृत विधेयक नहीं लाये हैं। तभी श्री साल्वे उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं।

श्री साल्वे का दूसरा सुझाव यह है कि सोने का आयात किया जाये तथा उसे उचित मूल्य पर उपलब्ध किया जाय। पर इस अधिनियम का उद्देश्य सोने का आयात बंद करना है। वे तो स्वयं इस उद्देश्य के विपरीत सुझाव दे रहे हैं। आप इस अध्यादेश को जारी करने के उपरांत इतने छोटे कार्य के लिए विधेयक ला रहे है जिसके लिए गत 23 वर्षों में आपको कोई कठिनाई नहीं हुई। यह अधिनियम 1947 से लागू है। आप हमें यह आश्वस्त कीजिए कि क्या इन पूरे 23 वर्षों में इस कठिनाई को नहीं देखा गया था। यदि पहले इस प्रकार की कोई कठिनाई आई थी तो उसको सभा के समक्ष क्यों नहीं लाया गया था ?

वित्त मंत्री महोदय हमें यह आश्वस्त नहीं कर सके हैं कि 5 सितम्बर तक उनके लिए इस बात का अनुमान लगाना संभव नहीं था उन्हें यह बताना चाहिए कि 5 सितम्बर तक वे इस बारे में कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं थे तथा 5 और 20 सितम्बर के बीच ऐसी बातें हुईं जिसके कारण उन्हें अध्यादेश निकालना पड़ा : दूसरी बात यह है कि क्या न्यायालय के लिए उसके द्वारा सील लगाये गये दस्तावेज दिखाना संभव नहीं था ? क्या सरकार के लिए उनकी जांच करने को कहना संभव नहीं था ? उन्होंने यह भी आश्वस्त नहीं किया है कि जब सरकार के पास दस्तावेज थे तब उनके लिए उनकी पूरी तरह से जांच करना संभव नहीं था। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह ऐसा अपवाद पूर्ण तथा महत्वपूर्ण मामला है जिसके लिए उन्हें अध्यादेश तथा बीत चुकी तिथि से संशोधन लाने के लिए विवश होना पड़ा है ?

आपको इस विशेष मामले में क्या लाभ प्राप्त हुए हैं जिसके लिए आपने अध्यादेश जारी किया है ? जहां तक विदेशी मुद्रा की जालसाजी का संबंध है, आप क्या इस विशेष मामले में कतिपय बातों को सिद्ध कर सके हैं ? आपको इस बात में आश्वस्त करना पड़ेगा कि आपको इससे क्या लाभ मिला है। क्या आप किसी विशेष कानून को कठोरता से लागू करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कानून का पालन किया जाये परन्तु हम यह नहीं चाहते कि इस तरह के एक या दो मामले आपको प्रवर्तन निदेशालय को और अधिक अधिकार देने पर विवश करें। उससे देश में व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न होगी और हम इसका समर्थन नहीं करेंगे। एक वर्ष

का समय क्या उचित नहीं है तथा इनके लिये क्या न्यायालय में मामला नहीं लेजाया जा सकता ? क्या सरकार कागजात को रखने की अवधि में इसका पता नहीं लगा सकती थी ? सरकार इस संबंध में हमें संतुष्ट को तथा किसी भी एक मामले का उदाहरण देकर बताये कि इससे क्या लाभ हुआ है ।

इस आधार पर हम इस अध्यादेश के औचित्य का समर्थन नहीं कर सकते हैं । अतः इस अध्यादेश तथा इस विधेयक को अस्वीकार करने में मैं अपने मित्र श्री श्रीचन्द गोयल का समर्थन करता हूँ ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : सभापति महोदय, मैंने इस विधेयक के उपबन्धों को पढ़ा है तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 की धारा 19 जी में व्यवस्था की गई है कि अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियम निर्देश आदेश, आदि के उल्लंघन से संबंधित कागजात को अधिकतम एक वर्ष की अवधि तक जब्त रखा जा सकता है । हम अध्यादेशों का प्रायः विरोध करते हैं जबकि कानून बनाने के लिए यह सभा सर्वोच्य है; परन्तु इस विशिष्ट मामले में माननीय सदस्य कुछ बातों पर विचार करें । जैसे, कलकत्ता स्थिति एसोसियेटिड ब्रिटिश मशीनरी मैनुफैक्चरर्स, जो कि आयुक्त कारखानों को स्वचालित तथा अर्ध-स्वचालित मशीनों के सबसे बड़े सप्लायर हैं उनके विख्यात दो ट्रक कागजात पकड़े गये थे तथा उनकी और आगे जांच के लिए उन कागजों को दिल्ली भेज दिया गया । परन्तु उक्त निकाय अपने कुछ कागजात वापस मांगता था । उनके प्रतिनिधियों को कहा गया कि वे इन कागजों की प्रतिलिपि या फोटो-प्रतियां बना ले जायें । इतनी अधिक मात्रा में पकड़े गये कागजातों की जांच एक वर्ष में कर लेना सुगम नहीं है । मैं तो उन अधिकारियों को बधाई देता हूं जिन्होंने इतनी थोड़ी संख्या में होते हुए भी इतने कागजात पकड़ लिये । इसी प्रकार उन्होंने स्थानीय पुलिस की सहायता से हिन्द मोटर्स के भी एक ट्रक-भर कागजात पकड़े थे । इसलिए ऊपर से तो यह एक वर्ष की अवधि काफी प्रतीत होती है परन्तु एक तो इतने कागजों की जांच इस अल्प समय में नहीं हो सकती और दूसरे यदि कोई न्यायालय में लेख-याचिका पेश कर दे तो उस याचिका पर निर्णय से पूर्व उन कागजों की जांच भी नहीं की जा सकती जैसा कि साहू जैन के एक उद्योग के मामले में हुआ था । अतः मैं समझता हूँ कि यह संशोधन इस संबंध में सहायक सिद्ध होगा । यदि हम सच्चे दिल से चाहते हैं कि विदेशी मुद्रा की चोरी एक जाए तो यह आवश्यक है । साथ ही मंत्री महोदय से यह भी अनुरोध है कि वे इस निदेशालय से कर्मचारियों की सख्या बढ़ायें ।

सभा इस बारे में ध्यानपूर्वक विचार करे और इस प्रस्ताव को केवल इस दृष्टि से अस्वीकार न करे कि यह एक अध्यादेश है । (व्यवधान) यदि ऐसे कागजात को अपने अधिकार में रखने के लिये सरकार को केवल एक ही वर्ष मिला तो फिर शायद ही किसी बड़ी कम्पनी पर छापा मारा जाये । मेरा अनुभव है कि महत्वपूर्ण कागजों की प्रतियां प्राप्त करने में भी महीनों लग जाते हैं ।

इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इन दो बातों पर प्रकाश डालें । पहली बात तो यह बतायें कि ऐसे कौन से तथा कितने मामले हैं जिनके कारण यह अध्यादेश जारी करना पड़ा और जोकि अभी तक अनिर्णीत पड़े हैं । दूसरे मेरा निवेदन

है कि इस निदेशालय के अधिकारियों को अधिक शक्तियां तथा उनके साहसपूर्ण कार्यों के लिए उन्हें पुरस्कार दिये जाय । मुझे खेद है कि गुप्तचर निदेशक श्रीवास्तव जिसने वर्ड एन्ड कम्पनी जैसी कई बड़ी-बड़ी कम्पनियों के अवैध और कपटपूर्ण कृत्यों की पोल खोली उन्हें कोई पुरस्कार देने की बजाय कई बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित किया गया ।

इस विभाग की कर्मचारी संबंधी स्थिति का भी पुनर्विलोकन किया जाना चाहिए । कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाये ताकि विभाग कारगर ढंग से कार्य करे । उन्हें उचित पुरस्कार तथा पदोन्नतियां दी जानी चाहिएं, नहीं तो ये अल्प संख्या में अधिकारी विदेशी मुद्रा की बढ़ती हुई चोरी को पूरी तरह रोक नहीं पायेंगे । अतः इन कर्मचारियों की संख्या तथा शक्तियों में वृद्धि की जाये ।

साथ ही मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहूँगा कि क्या यह सच है कि वर्ष 1969 में वर्ष 1967 तथा 1968 की तुलना में विदेशी मुद्रा की चोरी के अधिक मामले हुए हैं, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Mr. Chairman, I support the spirit behind this Bill, although I feel that it could have been presented in different and better form. I object to two points. Firstly, inspite of the fact that smuggling of large amounts of foreign exchange is going on in the country, which is affecting our economy very hardly, the Government have brought only this piece-meal Bill, instead of a comprehensive one. Before presenting this Bill, the Government should have conducted a scientific study of the ways and means through which this smuggling of foreign exchange is going on, and also the loopholes so that the big smugglers who have adopted very strange ways of smuggling, could be checked from doing so. But it is sad that inspite of this huge problem, the Government did not care to conduct a scientific study in this regard, otherwise this could be solved to a large extents. This Bill appears to be incomplete also, in as much as it does not confer adequate powers on the officers of the Enforcement Directorate, and stringent imprisonment has not not been provided for the defaulters. The smugglers get scot free after paying some fines or through some other ways. Besides making a scientific study in this regard, the Government should also make efforts to check over-invoicing as well as the means through which this smuggling is being done.

The Nawab of Rampur was caught while smuggling his Jewellery to Pakistan and his Jewellery worth Rs. 5 crores was confiscated. But later on. in 1966, the same was returned. Why was it returned ? Further, more sensational thing is that these ancestored diamonds, pearls, etc. were sold away by the Nawab to some foreigners as a result of which the country suffered a loss of huge amount of foreign exchange. My point is why those diamonds, pearls, etc. were given back and why were they allowed to be sold out ? Why action was not taken against the Nawab ? Now I have come to know that a lot of political pressure is being put on the authorities to hush up this case, because the Nawab of Rampur is now in the Ruling Congress fold.

Mr. Chairman : You please speak on this Bill.

Shri Kanwar Lal Gupta : Similarly, one Deputy Minister of Maharashtra also smuggled out 600 pounds to England. * *

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

**Not recorded.

Mr. Chairman : According to the rules of the House, no allegations can be made against anybody unless Speaker's permission is obtained in advance in writing.

Shri Kanwar Lal Gupta : The said Deputy Minister was to be arrested by the U.K. Police but he escaped due to the intervention of our High Commission there.

So the Nawabs, the Ministers and MLAs indulge in such sort of smuggling. In Nawab's case, the Home Ministry official have not handed over all the required documents inventory, photographs, etc. to the Enforcement Officers so as to obstruct the proceedings. I, therefore request that the hon. Minister should take personal interest in taking proper action in this regard.

Finally, I would again stress that the Government should make a comprehensive and scientific study of various categories of persons involves in smuggling of foreign exchange as also the various ways and means adopted by them. And then they should bring a comprehensive Bill. Provision should also be made to reward the honest and efficient officers who bring to light such big cases particularly in these days of dishonesty.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मेरा दल देश की सम्पत्ति को बाहर जाने से रोकने संबन्धी किसी भी वास्तविक कानून का समर्थन करता है परन्तु विदशी मुद्रा विनियमन अधिनियम एक त्रुटिपूर्ण कानून से तथा इसे जानबूझकर त्रटिपूर्ण रखा गया है। सरकार विदेशी तथा देशी एकाधिकारियों द्वारा विदेशी मुद्रा की लूट को रोकना नहीं चाहती और इसीलिए उसने इस अधिनियम में अनेक खामियां जान-बूझकर छोड़ी हैं क्योंकि ये एकाधिकारी सरकार को अपना समर्थन देते हैं।

अंग्रेजों के समय से हमारे यहां यह बुराई रही है कि हम विदशों को कम माल बेचते हैं तथा उनका अधिक माल खरीदते हैं तथा साथ ही उनके मूल्यों पर खरीदते तथा बेचते हैं। इस तरह से देश को दोनों मामलों में हानि होती है। लौह अयस्क के मूल्यों में अयस्क को निकालने तथा इसके परिवहन की लागत को शामिल नहीं किया जाता। इस प्रकार देश को 15 रुपये प्रति टन (जहाज पर) की हानि होती है परन्तु सरकार लोगों से इस बात को छिपाये हुए है। यही बात चाय तथा पटसन के मामले में भी है। गोआ से लौह अयस्क का निर्यात होता है परन्तु इस मामले में 15,000 टन के जहाज को 12,000 टन का जहाज बताकर भेजा जाता है। अर्थात 15000 टन माल भेजा जाता है परन्तु बीजक केवल 12000 टन का तैयार किया जाता है और इस प्रकार 3000 टन माल जापान में आयकर तथा विदेशी मुद्रा विनियमों से बच जाता है। साथ ही लोहे की प्रतिशतता यदि 75 हो तो उसके स्थान पर 62 या 60 बताई जाती है। यह जो कुछ होता है वह भलीभांति सरकार की नजरों में है।

यहां मैं इम्पीरियल तम्बाकू कम्पनी का उदाहरण देता हूँ। उनकी केवल काल्पनिक सद्-भावना तथा ट्रेड मार्क दोनों ही का मूल्य 4,90,34,487 रुपये हमारे देश को पड़ता है। इसमें किसी प्रकार की मशीनरी या किसी अन्य वस्तु के आयात की बात भी नहीं है। हम विदेशी सिगरेट "किंग आफ किंग्स" पीना चाहते हैं और सदभावना शुरू हो जाती है। इस कारण हम 10 गुना मूल्य करते हैं तथा साथ अदा ही उन्हें छिपे रूप से भी कई तरह धन मिल जाता है। सरकार सब कुछ जानती है परन्तु फिर भी उनकी ओर से आंखे बन्द किये हुए हैं क्योंकि उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करना सरकार के अपने निजी अस्तित्व के हितों से नहीं होगा।

रबड़ के आयात में भी अधिक राशि के बीजक बनाये जाते हैं। 20 रुपये मूल्य की चीज 50 या 100 रुपये की बताई जाती है। देश में डनलप कम्पनी ही रबड़ का एक मात्र उपभोक्ता है। वह लन्दन स्थित अपनी सहायक कम्पनी से लेटैक्स एक्स-एक प्रकार की रबड़ मंगाती है जिसका अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य 100 रुपये है परन्तु वह सहायक कम्पनी लेटैक्स एक्स-तीन किस्म भेजती है जिसका मूल्य 70 रुपये है परन्तु एक्स-एक मार्का लगाकर भेजती है और इस प्रकार अधिक राशि के बीजक बनते हैं। किस्म, मात्रा तथा अन्य सैकड़ों तरीकों से अधिक राशि के बीजक बनाकर विदेशी मुद्रा की तस्करी होती है।

प्रशासनिक सुधार आयोग ने कम राशि के बीजकों तथा अधिक राशि के बीजकों के जरिये 200 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की चोरी का अनुमान लगाया है परन्तु मेरा अनुभव कहता है कि यह चोरी प्रतिवष 400 करोड़ रुपये के मूल्य की होती है। साथ ही उस पर आयकर की भी हानि होती है।

आज हम विदेशियों को अपनी निर्यात आय का 42 प्रतिशत ब्याज तथा सेवा अधिकार के रूप में दे देते हैं। विश्व बैंक के अधिकारियों के मतानुसार 15 वर्ष में यह राशि शत प्रतिशत हो जाएगी तथा हमारे पास विदेशी मुद्रा की कोई आय न रह जायेगी, जब तक कि हम उनसे ही विदेशी मुद्रा न प्राप्त करें। अनेक प्रसिद्ध कम्पनियां विदेशी मुद्रा की तस्करी करती हैं तथा उनकी पोल खोलने वालों को वे तरह-तरह के प्रलोभन देती हैं। साथ ही वे कहती हैं कि उनका सम्पर्क मंत्रियों से है और उन्हें किसी का डर नहीं। इनमें से कुछ कम्पनियां, जैसे जार्डिन हैन्डरसन लिमिटेड पक्की तस्कर व्यापारी है, इन्डो-चाइना स्टीमशिप कंपनी की एजेन्ट हैं तथा अफीम, स्वर्ण, शिल्क तथा चान्दी की तस्करी करती हैं। अनेक बार उसके जहाज ऐसा माल ले जाते हुए पकड़े गये हैं परन्तु उनके सम्पर्क बड़े बड़े लोगों से है इसलिये साफ छूट जाते हैं। मैं जानना चाहता हूँ श्री चव्हाण इन तस्कर व्यापारियों और कानून के दुश्मनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं। श्री गिरधारी लाल मेहता जार्डिन हैंडरसन लिमिटेड तथा थामस उनकी कंपनी के निदेशक हैं...

सभापति महोदय : आप किसी का नाम मत लीजिये। यदि नाम लेना ही चाहते हैं तो इसके पूर्व वे नाम अध्यक्ष महोदय को लिखकर दीजिये तथा फिर उनकी अनुमति प्राप्त करके ही बोलिये।

दूसरा उद्यम कलकत्ता का मैसर्ज गोइन्का है। उन्होंने लन्दन में बालमेर लॉरी एन्ड उन्कंस को खरीद लिया। सरकार इसकी जांच करे कि इन लोगों से एक विदेशी व्यापार संगठन को कैसे खरीदा तथा अपने देश की राशि का विदेशी मुद्रा में कैसे भुगतान किया।

इसी प्रकार मैसर्ज हिन्दुस्तान मोटर्स तथा बिड़ला बन्धुओं के मामले हैं। ये लोग बड़े-बड़े वकील कर सकते हैं जो हमारे त्रुटिपूर्ण कानूनों का पूरा-पूरा लाभ उठाकर इन उद्योगपतियों की सहायता करते हैं। ये लोग सरकार के मालिक हैं, संरक्षक हैं अतः सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं करती।

मैसर्ज जार्डिन एन्ड हैंडरसन पूर्वी अफ्रीका में माल की तस्करी करते हैं तथा पूर्वी जर्मन को धोखा देने के लिए भी उन्होंने एक नकली फर्म बना रखी है जिसका नाम नैल्सन एण्ड कैल्सन,

जैकर एण्ड ग्रलीक्रोक है। इसी प्रकार मून्दड़ा बंधु भी अपनी पूंजी इग्लैंड भेज रहे हैं। सरकार की आंखों के सामने यह सब कुछ कैसे हो रहा है ? इसका कारण यही है कि वे मंत्रियों को धन देकर काबू में कर लेते हैं।

मोडेला वूलन्स मिल्स भी उनके आयात में गोलमाल करते हैं। एक भूतपूर्व आडिटर-जनरल का भी इस गोलमाल में हाथ है। इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यह सब कुछ सरकार के साथ सांठ-गांठ करके किया जा रहा है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य हर बार यही कहते हैं कि सब कुछ मंत्री महोदय के सामने हो रहा है तथा उनकी सांठ-गांठ से हो रहा है। उन्होंने इम्पीरियल तम्बाकू कपनी के बारे में विदेशी मुद्रा की चोरी की जो बात कही है तथा यह कहा कि यह सब कुछ श्री चव्हाण की आंखों के सामने हो रहा है। यह सब कुछ गलत है। कम्पनी अधिनियम की धारा 24 (2) (ख) के अधीन इस कम्पनी से कहा गया है कि वे अपनी शुद्ध संपदा का ब्यौरा दें ! मैं उक्त कंपनी में कोई रुचि नहीं रखता और मेरी ओर से तो वह चाहे जब बन्द कर दी जायें परन्तु माननीय सदस्य को इसमें विदेशी मुद्रा की चोरी कहां से दिखाई दी ?

सभापति महोदय : माननीय सदस्य इस प्रकार चाहे जिस व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे आरोप नही लगा सकते, वह अपना भाषण समाप्त करें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : न जाने देश की अर्थव्यवस्था को दुश्मनों से इतनी हमदर्दी क्यों की जाती है ? मैं सरकार का ध्यान लोक लेखा समिति के 56 वें प्रतिवेदन की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जिसमें कहा गया है कि एक मामले में तो 2000 प्रतिशत तक अधिक राशि का बीजक बनाया गया। मैं ऐसे 10 उदाहरण और दे सकता हूँ।

इस सारी मुसीबत का इलाज यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का स्पष्टीकरण कर दिया जाये तथा हर पत्तन पर जांच चौकियां बिठा दी जायें।**

सभापति महोदय : इस भाग को कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा। आप सारी बातों में मंत्री का हाथ होना कहते हैं। आपको सभा में कुछ तो शिष्टाचार बनाये रखना चाहिये। अब, श्री झा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरे शब्दों को कार्यवाही वृत्तान्त से निकालिये नहीं। मैंने सरकार के बारे में टिप्पणियां की हैं। सरकार इन बातों का उत्तर दे सकती है। यह सब कुछ राजनीतिक संरक्षण के कारण हो रहा है।**

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : Mr. Chairman, it is an appropriate Bill but its title is more important. I have proposed in my amendment that it should be circulated to elecit public opinion by 30th January, 1971.

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

**Expunged as ordered by the Chair.

This Bill empowers the Government to hold the seized documents for one year excluding the time taken when some one files a writ in the Court. By circulating this Bill to the people, it will get wide publicity among the masses besides eliciting public opinion.

The hon. M nister, while presenting the Bill, stated that this Bill has come consequent upon an incident relating to Birla Group of concerns.. But the fact remains that there have been many incidents of the violation of Foreign Exchange regulations. In 1966, the Birlas came to know secretly about the devaluation of rupee and they earned crores of rupees. I want to know whether this is a fact or not ? The Birlas had come to know of it 24 hours before. The hon. Minister should not call the violation of Foreign Exchange regulations as human ingenuenity, it is capitalist ingenuenity. There have been some cases of violation of foreign exchange regulation by certain persons accompany the President in his last tour. The Tiwari Committee appointed to investigate those cases have revealed that every year we lose Rs. 100 crores on account of such violations. Let the hon. Minister state the present position regarding the progress made by this Committee.

Shri Kanwar Lal Gupta has sought a study, but I want a Committee to go into all the details of smuggling and other aspects pertain to foreign exchange. All these rackets should be stopped.

Regarding foreign exchange the basic policy of Government is wrong, because they have no ho'd on foreign and international trades, and that is why there are such rackets and frauds.

Secondly, under our economy, the capitalist have been given enough opportunities to violate the laws and you cannot check them. Government's policy regarding international trade is basically wrong and it needs vital changes. The Government have encouraged the propiliers and let them flourigh. So the need is to go go deep into all these things. Even after the passage of this Bill, they would find out numerous ways to cheat the Government. So first there should a Committee to study all the details concerning all aspects of foreign exchange dealings.

It should study the cases of violation of Foreign Exchange Regulation Act, 1947, and recommend measures to deal with the situation and to check the leakage of foreign exchange. I would like to suggest that the Foreign Exchange Regulation Act should be circulated for eliciting opinion by 30th Januaiy 1971. As regards the Bill, there is nothing in it with which I can disagree.

श्री स० कुन्दू (बालासौर) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ। किन्तु साथ ही मेरा यह विचार है कि विदेशी मुद्रा विनिमयन अधिनियम 1947 पर तथा विदेशी मुद्रा के विनियमन के प्रश्न पर समय-समय पर विचार अवश्य किया जाना चाहिये। इस विधेयक के पेश करने से पूर्व श्री चव्हाण ने शायद प्राक्कलन समिति 1967-68 की शिफारिश को नहीं देखा था। उसने 1967 में यह सिफारिश की थी कि सम्पूर्ण अधिनियम में ऐसे व्यापक परिवर्तन किए जाएं जिससे अधिनियम दोषरहित हो जाए।

विधेयक के उपबन्धों में से एक उपबन्ध की ओर मैं श्री चह्वाण का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं यदि वह न्यायालय द्वारा कागजात रखने में लिए गये समय को निर्धारित समय सीमा में से कम करना चाहते हैं तो उन्हें यह बात सीधे ढंग से कह देनी चाहिए थी जैसा कि मैंने अपने संशोधन में सुझाया है। संशोधन में मैंने यह लिखा है कि न्यायालय द्वारा जिस तारीख को रोक आदेश जारी किया जाता है और जिस तारीख को वह वापस लिया जाता है, वह समय उसमें सम्मिलित न किया जाये। मैं आपसे अनुरोध कर चुका हूं कि आप मेरे संशोधन को स्वीकार करें और उसे परिचालित करें।

सभापति महोदय : मेरे सामने कठिनाई यह है कि आपने संशोधन की सूचना समय पर नहीं दी। आप इसके लिए आग्रह कर रहे हैं इसलिए मैं इसे स्वीकार तो कर लेता हूं किन्तु वह परिचालित नहीं किया जायेगा।

श्री स० कुन्दू : मेरा संशोधन विधेयक की भावना के विपरीत नहीं है। यदि यह स्वीकार कर लिया जाता है, तो इस विधेयक के (क), (ख) और (ग) उपबन्धों की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। उसकी भाषा सरल हो जायेगी।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में दंड सम्बन्धी व्यवस्था क्या है ? क्या यह अधिनियम अपने आप में पूर्ण है ? श्री साल्वे इसका उत्तर सकारात्मक दे सकते हैं। एक व्यक्ति करोड़ों रुपये चोरी से इधर उधर भेजता है और उसे केवल दो वर्ष की सजा मिलती है। क्या यह ठीक है ? पाकिस्तान में भी सजा की अवधि 7 वर्ष रखी गई है।

धारा 23 के अन्तर्गत निदेशक यह निश्चय करता है कि प्रस्तुत मामले में वह स्वयं कार्यवाही करेगा या उस मामले में वह शिकायत करेगा। यदि वह स्वयं मामले को लेता है तो वह अधिक से अधिक 5000 रुपये तक जुर्माना कर सकता है। वह कैद की सजा नहीं दे सकता। इस धारा के अन्तर्गत सरकार जिसके साथ चाहे पक्षपात कर सकती है। अब अधिनियम में यह दोष जानबूझकर छोड़ा गया है।

दूसरा उपबन्ध अपीलों के बारे में है। ये मामले वर्षों तक निर्णयाधीन रहते हैं तथा अपील पर अपील की जाती हैं। पहले मामले अपीलीय बोर्ड में आ जाते हैं, फिर उच्च न्यायालय में तथा उसके पश्चात् उच्चतम न्यायालय में। यदि इनका निबटारा न्यायालयों में ही होना है तो फिर अपीलीय बोर्ड की व्यवस्था ही क्यों की गई। चूंकि ये अपीलीय बोर्ड सरकार द्वारा नियुक्त की जाती हैं इसलिए इस स्तर पर भी सरकार का पक्षपात प्राप्त करके कुछ लोग मामले का निर्णय अपने पक्ष में करा लेते हैं।

अब मैं विदेशी सहयोग तथा उसके माध्यम से विदेश जाने वाली मुद्रा के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। वर्ष 1967-68 में विदेशी कम्पनियों ने 67.55 करोड़ रुपये की राशि भारत से बाहर भेजी। एक अनुमान के अनुसार चौथी पंचवर्षीय योजना में 666 करोड़ रुपये की राशि विदेशी सहयोग से स्थापित कम्पनियों के माध्यम से भारत से बाहर भेजी जाएगी। इस सम्बन्ध में मैं यह तो नहीं कहना चाहता कि विदेशी सहयोग लेना बिल्कुल बन्द कर दिया जाये। हां, इतना मैं आवश्य कहूँगा कि बिस्कुट फैक्टरी या चाकलेट फैक्टरी लगाने के लिए विदेशों से सहयोग न लिया जाये। विदेशों से केवल उन्नत प्रकार का तकनीकी ज्ञान या प्राद्योगिकी प्राप्त करने के लिए ही सहयोग किया जाना चाहिए।

अन्त में, मैं पूछना चाहता हूँ कि 40 करोड़ रुपये की मुद्रा की चोरी करने वाले आर० मलीलाल शाह, नैनमल पंजाजी शाह, मैसर्स अमींचंद प्यारे लाल आदि के मामलों में क्या कार्यवाही की गई। प्रायः ऐसे लोग थोड़े से रुपयों की जमानत देकर छूट जाते हैं मंत्री महोदय बताये कि उन्होंने उपर्युक्त मामलों में क्या कार्यवाही की।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : कुछ सदस्यों ने बड़े ही रुचिकर सुझाव

दिये हैं जिन पर हम विचार करेंगे। श्री श्रीचंद गोयल ने जनरल क्लाजिज एक्ट में कुछ और धाराएं जोड़ने का सुझाव दिया। यह सुझाव बड़ा व्यापक प्रभाव वाला है उसके बारे में मैं 'हां' या 'ना' कुछ भी इस समय नहीं कह सकता। कुछ सदस्यों ने कुछ व्यक्तियों और फर्मों के नाम भी लिए हैं। मैं उन सब के मामलों को देखूंगा। किन्तु यह संभव नहीं है कि सबके बारे में यहां कुछ कह सकूं।

जहां तक प्रस्तुत विधेयक का संबंध है, दो संशोधन इस बारे में दिए गये हैं। एक संशोधन श्री शिव चंद्र झा का है जिसमें उन्होंने उक्त विधेयक को जनमत लेने के लिए परिचालित करने का सुझाव दिया है। मेरे समझ में नहीं आता कि ऐसा करने से लाभ क्या होगा यदि ऐसा किया गया तो विधेयक का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा। श्री साल्वे ने एक आधारभूत प्रश्न उठाया है। क्या विदेशी मुद्रा विनियमन संबंधी कानून सफलता पूर्वक कार्य कर रहा है? उनके अनुसार इससे तस्कर व्यापार बढ़ता जा रहा है। मैं नहीं जानता कि इस कानून को तस्कर व्यापार से कैसा जोड़ा जाये। तस्कर व्यापार तथा ऐसी ही अवैध गतिविधियों को रोकने के लिये विदेशी मुद्रा नियंत्रण जैसी व्यवस्था की जाती है। जहां तक तस्कर व्यापार का संबंध है इसे रोकने के लिए अलग से उपाय खोजने होंगे। मेरे विचार से विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम या कोई भी अन्य अधिनियम उस समय तक पूर्ण न हो सकेगा जब तक कि देश में चोर बाजारी की अर्थव्यवस्था विद्यमान रहेगी। इस समस्या का मुकाबला न केवल वित्त मंत्री को बल्कि पूरे राष्ट्र को मिलकर करना है।

एक ओर सदस्य कहते हैं कि विदेशी मुद्रा की चोरी को रोका जाये। दूसरी ओर जो कार्य सरकार की ओर से इसे रोकने या कम करने के लिए किया जाता है, उसका वे विरोध करते हैं। इस कानून में एक दोष का पता चला उसे दूर करने के लिये ही यह संशोधनकारी विधेयक लाया गया है। किसी व्यक्ति विशेष को परेशान करने का उद्देश्य इसके पीछे बिल्कुल नहीं है।

विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कठिनाइयों का उल्लेख करते हुये सोने का भी जिक्र किया गया। सचमुच हमारे देश में सोना तस्कर व्यापार से बड़ी मात्रा में आता है। इस का कारण यह है कि हमारे देश में सोने की बहुत अधिक मांग है। यही कारण है कि सोने के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य और उसके भारत में मूल्य में इतना अधिक अन्तर है। सोने की मांग को घटाने के उद्देश्य से हम स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम लाये थे किन्तु उसे लागू करने में व्यावहारिक कठिनाइयां सामने आईं। परिणामतः उसमें कुछ ढील देनी पड़ी। सोने की तस्करी रोकने के लिए यह सुझाव भी दिया गया कि सोने का वैध तरीके से आयात किया जाये। किन्तु भारत की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए क्या यह सम्भव है कि बहुमूल्य विदेशी मुद्रा को सोने के आयात पर खर्च किया जाये, जिससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। विदेशी मुद्रा को हम ऐसी परियोजनाओं में लगाना चाहते हैं जहां से देश को लाभ हो।

एक प्रश्न इस संबंध में यह भी पूछा गया है कि इस विषय पर एक व्यापक विधान बनाने संबंधी प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर क्या किया जा रहा है। इस विषय पर विभिन्न मंत्रालयों के दलों के बीच विचार विमर्श हो रहा है। इस सम्बन्ध में मैं इतना ही कह सकता हूँ

कि ऐसा विधान विभिन्न सम्बद्ध मंत्रालयों के परामर्श से तैयार किया जा रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से भी इस बात की आवश्यकता समझता हूँ कि इस क्षेत्र की नई समस्याओं से निपटने के लिये एक व्यापक विधेयक लाया जाये। मैं प्रयास करूंगा जिससे यह विधेयक शीघ्र ही सभा में पेश हो सकेगा।

श्री कुन्दू के सुझाव के बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार अपने को या अपने अधिकारियों को निरंकुश शक्ति नहीं देना चाहती। हम इस खंड को हर मामले पर लागू नहीं करना चाहते। इसलिये कुछ मामलों को इसके प्रवर्तन से परे रखा गया है नागरिकों के हितों का तथा अधिनियम की सफल क्रियान्विति को ध्यान में रखते हुए मेरे लिए उनके संशोधन को स्वीकार करना सम्भव नहीं है श्री कंवर लाल गुप्त ने समस्या का वैज्ञानिक अध्ययन करने, ईमानदार अधिकारियों को पुरस्कृत करने की बात कही है। समस्या का वैज्ञानिक अध्ययन करने से कौन इन्कार कर सकता है। ईमानदार अधिकारियों को पुरस्कार देने के सुझाव पर भी मैं ध्यान दूंगा।

श्री श्रीचन्द्र गोयल : मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जनरल क्लाजिज एक्ट में संशोधन करने के प्रश्न पर विधि मंत्रालय से परामर्श करके शीघ्र ही निर्णय करेंगे। मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में यह भी नहीं बताया है कि वह ऐसा विधेयक कब तक सभा में पेश करेंगे। सरकार को इस विषय पर समय रहते ही विधेयक सभा में पेश कर देना चाहिए ताकि उसे अध्यादेश लागू करने की आवश्यकता ही न पड़े।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 20 सितम्बर, 1970 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 1970 (1970 का अध्यादेश संख्या 5) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

Shri Shiva Chandra Jha : I would like to know the number of such cases occurred before the case referred to by the hon. Minister in which Birlas have violated the Foreign Exchange Regulation Act. Secondly, the arguments given by him against my amendment for circulating the Bill for eliciting opinion thereon are not satisfactory. So I want that it should be circulated for eliciting opinion thereon.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं इसे स्वीकार करने में असमर्थ हूँ क्योंकि उसे स्वीकार कर लेने पर तो विधेयक का उद्देश्य ही धराशाही हो जाता है।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The Amendment No. 1 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1947 का आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

सभापति महोदय : अब हम खंड 2 को लेंगे ।

श्री स० कुन्दू : मैं अपना संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूँ ।

यदि विधेयक को उसके वर्तमान रूप में पास कर दिया गया, तो विधेयक का उद्देश्य पूरा न हो सकेगा । मंत्री महोदय ने यह शंका की थी कि मेरे संशोधन में शब्द 'आर्डर' स्टे आर्डर' के लिए नहीं है । मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि संशोधन में जो 'आर्डर' शब्द है उसके अन्तर्गत 'स्टे आर्डर' भी आ जाता है । मैं पुनः मंत्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि वह देश के हित में मेरे संशोधन को स्वीकार कर लें ।

Shri George Fernandes (Bombay South) : I would like to express my views on the amendment moved to this clause. The problem is whether the Government will be able to take stringent action against the industrial magnates like Birla etc. who have strong hold on the entire economy of the country. The past experience in this regard clearly indicates that these big business monopolies will approach the court for stay order and cause harassment to the Goveonment. Not only this, no initiative is taken by the Government to file suits against these people. In the cases of Khumbata Aviation and froz cemmb the Government had not taken any action against these big capitalists. Similarly, in the case of Shri Marjban Mistri, an eniement Vakil of Bombay, which involves the violation of foreign exchange, the Government has not taken any action These people have an approach to the breakfast table of the Prime Minister. There is our Manu Narain who has purchased the Ambassador Hotel. In his case also there was evidently violation of foreign exchange laws. While replying to my question, the Prime Minister had said the C.B I. was making investigations against this man. But he has reach upto the highest offices, therefore no one dares take any action against him.

Shri Venkata Rao Hiray is involved in an alleged fraud of a Bank draft worth 565 pounds. I would like to ask the Finance Minister whether it is not a fact that Shri Hiray has violated the laws on which we hold discussion today still he continues in the Ministry. Then, what is the value of this law in the public eyes ? The most important thing that they need is courage to implement the laws and take stringent action against the law-breakers regardless of their social status. Today they are miserably lacking in this quality.

The Finance Minister, in reply to the questions raised by Shri Salve, said that smuggling has no connection with foreign exchange regulations.

Shri Y. B. Chavan : I did not say, so I only said :

"Smuggling is not the result of foreign exchange regulations ..."

Shri George Fernandes : The Minister said that we have black market economy operating in the country. What we need more than this statement from no less a person than the Finance Minister of the country ? The Socialist Government led by Mrs. Indira Gandhi is operating on black market economy.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह गलत है । मैं इसका विरोध करूंगा ।

Shri George Fernandes : Well, may be that there is co-existence between black market economy and socialist economy. But I would submit that smuggling business and smuggling

of foreign exchange are the two facts of the same coin. Without smuggling of foreign exchange, no goods can be smuggled into India. Therefore both these things are intertwined. henever I tried to raise this issue in this House, you always interrupted. We have written several letters to the Prime Minister urgirg her to make an inquiry into the smuggling activities in the country. But it is those people who have high social status who are involved in these things.

Therefore, if the Government really wants to achieve the objective of this Bill, I would urge upon them to take some solid steps to check smuggling activities, we will support it. But, neither they can check this busir ess, nor the country is going to be benefited.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं केवल एक या दो बातों के संबंध में कुछ कहूँगा । उन्होंने श्री होरे के बारे में कहा । मैंने अपने पहले भाषण में इसके बारे में जानबूझकर नहीं कहा था । मामले की जांच की जा रही है और उसके परिणाम के प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही की जायेगी । इस मामले में किसी तथ्य को छिपाने या किसी को संरक्षण देने का सवाल ही नहीं उठता । परन्तु, जब तक मामले की सही स्थिति की जानकारी नहीं मिलती, तब तक किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की इस तरह आलोचना करना उचित नहीं है । मुझे केवल इतना ही कहना है ।

दूसरी बात उन्होंने यह कही कि तस्कर व्यापारियों की पहुंच प्रधान मंत्री तक है । यह अनुचित आरोप है ।

Shri George Fernandes : We are not saying, they themselves say this. I would not like to mention the name of a person who is big officer in the Ambata Aviation and who told me that they have reach upto the Prime Minister It does not seem proper to hear these things from the smugglers regarding the Prime Minister.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं उनके साथ बहस करना नहीं चाहता । उन्हें अपनी दलीलों से सदन में दूसरों को मनवाना चाहिए । अन्यथा केवल झूठे आरोप लगाना या बदनाम करने की कोशिश करना अनुचित है ।

जहां तक संशोधन का संबंध है, मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं ।

सभापति महोदय : मैं श्री कुण्डू के संशोधन संख्या 2 को सदन में मतदान के लिये रखता हूँ ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 2 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment No. 2 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 3 was added to the Bill.

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause 1, the Enacting formula and the Title was added to the Bill.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

Shri Madhu Limaye (Monghyr): I have no dispute with the objective of this Bill. But at the very out set I would like to ask the Minister whether he will be able to check the large scale smuggling of foreign exchange going on in the country. There are several reasons for this. First of all, the Directorate which is responsible for the enforcement of the Foreign Exchange Regulation Act, is not under the control of the Finance Minister. It is functioning under the control of the Prime Minister.

Secondly, the Finance Minister has not all-out control over the economy of the country, since the Foreign Trade, which has significant role in the economy, is entrusted to another Minister. The Prime Minister has done it evidently with political activities. We have been raising the issue of foreign trade for the last four years. In the foreign trade, the matter of over-invoicing and under invoicing comes. The Minister has no control over this Even after the formation of State Trading Corporation, bungling in the foreign trade continues, thanks to the corruption rampart among the officers. We can take the case of Nepal for example. Nepal does not produce Nylon filament yarn, but every item of goods is prepared there with this. There is no effective restriction on this we would not oppose any effort on the part of the Government to give aid to Nepal. They can make ample Provisions in the Budget for this purpose. But the smuggling of stainless steel, nylon filament yarn, mica made garments etc. should be checked effectively. Mica is not produced in Nepal. But it reaches the foreign countries through Nepal. It is evident that the Indian traders smuggle these things into Nepal.

I have raised several points regarding the monopoly of foreign companies. I would like to know whether the Britania Biscuit Company is not going to send Rs. 15 crores out during the coming five years. The foreign companies has purchased the Vazir Sultan Tobacco Company for Rs. 60 lakhs, but now their assets are to the tune of Rs. 6 crores. I want that this company should be nationalised, and after that let the Government expand it as they like. But the poor tobacco-growers in Telengana should get fair price for their product. Loot by the foreign companies should be checked.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

Similarly, the His Master's Voice Company has the monopoly over the sale of gramophone records. This entire sale is operated through one thousand dealers. This company has threatened the dealers to cancel the dealership in case they sell records manufactured by other companies. Action has been taken now against eight dealers in Bombay by this company. The whole thing happens under the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act. Are the dealers supposed to be enslaved to this company for ever ? This is offence and the Government is not told enough to take any action against this company.

I want that monopolistic hold of these big companies be broken and indigenous manufacturers should be encouraged. The Government should give aid to the small enterprenuers and cottage industries,

I would like to request one more thing. We must seek foreign collaboration for manufacturing only those items which have strategic importance, and for which no technical know-how is available with us. But there is no justification is seeking foreign collaboration to manufacture items which we can produce here without foreign help. Beer has been produced there for the last hundred years. But we have sought Danish collaboration to produce Beer. There are several young men in our country, wh >, having achieved technical knowledge from foreign countries, seek jobs. But opportunity is not given to them. The big interpreneurs are getting more and more aid and encouragement. I want that this monopolistic trend be checked and small enterpreneurs be allowed to come forward.

Finally, I would say one thing about the Government. I had raised the matter of Fredco in the House. The Supreme Court found him guilty, but the Government has freed him on the ground that the suffered a heart attack. The political workers are remanded in custody for indefinite period and harassed beyond limit, but those who are involved in fraud of foreign exchange and other anti-social activities, are freed. The matter of Shri Kanungo was also raised here. He told the Prime Minister that the letter showed by Shri Kulee Masthan signed by him, on which he has secured a Pass port, was forged one. But why did not the Government file case of foreign against him ? It was because, the letter was not forged. In fact, the Governor, told a lie But still he is being kept in his post, just because the Government wants him to continue there at a time when Bihar is going through a political crisis, in order to save the Government headed by their Party.

Shri Chavan has no control over the Enforcement Directorate, neither this requests are heeded by the Ministry of Foreign Trade. Of course, I would support this Bill, but it remains a fact that this is not going to deliver any goods, unless fundamental changes are made.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य ने सामान्य बातें कहीं जिनका विधेयक के साथ कोई संबंध नहीं हैं। इस विधेयक के सम्बन्ध में उन्होंने एक बात कही कि इस से कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है, देश की समस्या को सुलझाने में यह असमर्थ है। मैंने कभी भी यह दावा नहीं किया कि इस विधेयक से देश की तमाम समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा। मुझे केवल इतना ही कहना है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

स्थपति विधेयक
ARCHITECTS BILLS

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि स्थपतियों के रजिस्ट्रीकरण तथा तत्सम्बन्धी प्रयोजनों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गए रूप में, विचार किया जाये।"

जैसा कि सदन को मालूम है, यह विधेयक 10 दिसम्बर, 1968 को राज्य सभा में

पुरःस्थापित किया गया था। 16 मई, 1968 को लोक-सभा में इस विधेयक को दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति को सौंपने का निर्णय किया गया। संयुक्त समिति की कुल नौ बैठकें हुई। कई ज्ञापनों और अभ्यावेदनों पर विचार करने के बाद समिति ने 24 नवम्बर, 1969 को रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस अवसर पर मैं सब से पहले संयुक्त समिति के अध्यक्ष तथा उसके सदस्यों को धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्होंने प्रायः सर्वसम्मति से एक श्रेष्ठ स्तर की रिपोर्ट प्रस्तुत की। लोक-सभा के केवल एक ही सदस्य ने अपना विमति टिप्पण दिया है।

अब मैं समिति द्वारा दिये गए संशोधनों पर विचार करूंगा। मूल विधेयक में वह व्यक्ति स्थपति माना जाता था जिसे किसी भी मकान का डिजाइन बनाने और जिस के निर्माण का पर्यवेक्षण करने की योग्यता है। इसका मतलब यह था कि वही व्यक्ति उक्त कार्य कर सकता है जिसका अधिनियम के अन्तर्गत स्थपति के नाम से पंजीकरण किया गया है। इसका इंजीनियरों तथा कई अन्य संबद्ध काम करनेवालों ने विरोध किया जिन्होंने कहा कि मकानों का निर्माण और उनका पर्यवेक्षण केवल स्थपतियों का काम नहीं है। इंजीनियरिंग का काम बहुत विशाल एवं महत्वपूर्ण है। कई इंजीनियर मकान के निर्माण कार्यों में लगे हुए हैं। अतः उन्हें अपने इन वैध उत्तरदायित्वों से वंचित करना उचित नहीं होगा। इसीलिए समिति ने इस के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार किया। इंजीनियरों की संस्थाओं के अभ्यावेदनों पर भी विचार किया गया। इस के उपरांत समिति ने यह संशोधन पेश किया कि उन सभी व्यक्तियों को स्थपति माना जायेगा जिन का योग्यता पर ध्यान दिये बिना स्थपति पंजीकरण परिषद के रजिस्टर में पंजीकरण किया गया है। संक्षेप में हम स्थपति उस व्यक्ति को कहेंगे जिसका प्रस्तावित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण किया गया हो। इंजीनियरों का संस्थान और स्थपतियों की संस्था इस दृष्टिकोण से सहमत हुए।

मूल विधेयक में स्थपतियों का एक रजिस्टर रखने के लिए स्थपति पंजीकरण परिषद् के गठन का उपबन्ध किया गया था। इसके अनुसार परिषद के 35 सदस्य होंगे जिन में प्रत्येक राज्य सरकार का एक स्थपति या राज्य सरकार की सेवा में काम करनेवाला स्थपति और इंजीनियरों के संस्थान का एक प्रतिनिधि होंगे। इस से सरकार के अधीन काम करने वाला प्रतिनिधियों की परिषद में बहुमता होगी और साथ ही साथ गैर-सरकारी संस्थाओं का और विशेषकर उन में काम करने वालों स्थपतियों का कम प्रतिनिधित्व रहेगा। अतः समिति ने पंजीकरण परिषद् के संविधान में संशोधन इस प्रकार किया जिसके अनुसार यह अनिवार्य नहीं है कि प्रत्येक राज्य सरकार का प्रतिनिधि सरकारी सेवा के स्थपति ही हो। इस के बजाए सरकार उस राज्य के किसी भी स्थपति को प्रतिनिधि बनाकर भेज सकती है।

समिति ने आगे यह सुझाव दिया कि इंजीनियरों की संस्था के दो प्रतिनिधि रखे जाएं। इस के अलावा, भारत के सर्वेक्षकों की संस्था के प्रतिनिधि को भी शामिल करने का सुझाव दिया गया। इस से सभी संबद्ध हितों का उचित प्रतिनिधित्व होता है और साथ ही साथ व्यावहारिक तौर पर काम करने वाले स्थपतियों और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की सेवा के स्थपतियों के बीच एक संतुलन रहता है।

मूल विधेयक के अनुसार जब भी परिषद् के निर्वाचन सम्बन्धी कोई विवाद खड़ा होता

है, वह केंद्रीय सरकार के निर्णय के लिए छोड़ दिया जाएगा और केंद्रीय सरकार का निर्णय अन्तिम माना जाएगा। परन्तु, समिति द्वारा किये गए संशोधन के अनुसार इस प्रकार के सभी विवादों को केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एक न्यायाधिकरण को सौंप दिया जाएगा। केंद्रीय सरकार इस में दखल नहीं देगी।

मूल विधेयक में यह उपबन्ध किया गया था कि वह व्यक्ति परिषद् की सदस्यता के लिए योग्य न रहेगा जिस को अनैतिक कार्य आदि अपराधों के लिए किसी न्यायालय द्वारा कम से कम दो वर्ष की सजा दी गई हो।

समिति में "नैतिक नीयता" की व्याख्या की चर्चा विशेषरूप से हुई और अन्ततः यह अनुभव किया गया कि इस खण्ड को संसद् की सभाओं के चुनावों के उपबन्ध के साथ साथ लाया जाना चाहिये। समिति द्वारा यह संशोधन स्वीकार किया जा चुका है कि कोई व्यक्ति परिषद् के सदस्य के रूप में चुनाव अथवा नामांकन के योग्य नहीं होगा, यदि उसे न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो और कम से कम दो वर्ष से कैद की सजा दी गई हो और ऐसा व्यक्ति अपनी रिहाई के पश्चात् 5 वर्षों की और अवधि के लिए अयोग्य हो जायेगा।

मैं सभा को यह स्मरण करवा दूं कि स्थापत्य कला की शिक्षा तथा प्रशिक्षण के स्तरों को बनाये रखना व्यवसाय तथा जन साधारण के हितों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जहां कहीं भी स्थापत्य कला के स्तर में कमी होती है, वहां यह आवश्यक है कि मामले की विस्तृत जांच की जाये और इस बात पर विचार किया जाये कि जिस किसी व्यक्ति के पास कम योग्यतायें हैं, उसे पंजीकृत किया जाये या नहीं। इसी प्रकार स्थापत्य सम्बन्धी अर्हता के स्तर को बनाये रखने के लिए निर्धारण करने के और किए गए निर्धारण में आवश्यक कार्यवाही करने के अभिप्राय से, मूल विधेयक में एक बहुत ही विस्तृत प्रक्रिया की परि-कल्पना की गई थी। समिति ने यह महसूस किया कि मान्यता को वापस लेने के लिए इस प्रस्तावित प्रक्रिया में काफी समय खर्च होता है और इससे काफी असुविधा होती है और इसलिए अधिक सरल प्रक्रिया बनाई जानी चाहिए। तदनुसार समति ने एक सरल प्रक्रिया का सुझाव दिया है। परिषद् निरीक्षण समितियों के प्रतिवेदनों पर विचार कर केन्द्रीय सरकार को अपनी सिफारिशें करेगी। अपेक्षित जांच करने के बाद केन्द्रीय सरकार उन योग्यताओं की सूची से अधिसूचना जारी कर के निकाल देगी। इसी समय वह कुछ और योग्यतायें इसके साथ और भी जोड़ सकती है। ऐसी व्यवस्था केवल इसीलिए की गई है कि अब बहुत से पुराने डिप्लोमों के स्थान पर नये डिप्लोमें आरम्भ किये जा रहे हैं।

प्रस्तुत विधेयक का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उन व्यक्तियों का रजिस्टरीकरण किया जाये, जिनके पास स्थापत्य सम्बन्धी अर्हता नहीं है परन्तु वे स्थपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस प्रयोजन की पूर्ति हेतु, मूल विधेयक में दो शर्तें निर्धारित की गई हैं। प्रथम यह कि सम्बन्धित व्यक्ति ने जीवन यापन के मुख्य साधन के रूप में स्थापत्य को अपनाया हो और दूसरे वह भारतीय स्थपति का सदस्य हो। समिति ने यह अनुभव किया कि यह शर्तें कुछ कठोर हैं

और मेरा अपना मत भी यही था। इसीलिए इन दोनों ही शर्तों को निकाल कर उस उपबन्ध को उदार बनाना आवश्यक समझा गया। उदार उपबन्ध के अन्तर्गत बहुत से लोगों को लिए उनकी जीविका सुरक्षित कर दी गई है। इस का प्रमुख उद्देश्य "स्थपति" शब्द के महत्व की सुरक्षा करना है।

प्रस्तुत अधिनियम के लागू हो जाने के बाद जो भी व्यक्ति अपने कार्य के साथ स्थपति के नाम आदि का प्रयोग नहीं करेगा, वह अपने आप को स्थपति कहने का हकदार नहीं होगा। इसी लिए यदि किसी भवन के लिए किसी नक्शे या प्रमाणपत्र की आवश्यकता होगी तो उस पर ऐसी स्थपति के हस्ताक्षर अनिवार्य होगें जिसका नाम अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत होगा। परन्तु चूंकि यह कुछ अव्यवहारिक कार्य था, इसीलिए संयुक्त समिति ने इसे विधेयक से हटा दिया।

मूल विधेयक में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति स्थापति के कार्य, व्यवसाय, या नाम का प्रयोग करता है और वह अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है, तो उसे ऐसा करने पर 500 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। मैं अर्थ-शास्त्रियों के लिए भी इसी प्रकार का उपबन्ध चाहता था, परन्तु खेद है कि अर्थशास्त्रों के लिए इस प्रकार का कोई लक्षण निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्योंकि पंजीकरण को पूरा करने में कुछ समय लगेगा, अतः समिति ने विचार व्यक्त किया है कि इस उपबन्ध को हटा दिया जाये।

इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूँ कि मूल विधेयक में स्थपति के व्यवसाय, या स्थपति के कार्य और स्थपति के नाम की रक्षा के लिए भी व्यवस्था की गई है। किन्तु मूल विधेयक में पंजीकृत स्थपति के अतिरिक्त अन्य लोगों के लिए स्थपति का व्यवसाय करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। अतः समिति ने यह संशोधन प्रस्तुत किया है कि जब किसी प्रयोजन के लिए कोई स्थपति नियुक्त होता है, तो अपनी नियुक्ति की तिथि के एक वर्ष बाद स्थपति या स्थपतियों की मार्ग के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति स्थपति के नाम और शैली का प्रयोग नहीं कर सकेगा। अतः इसके अनुसार स्थपति शब्द का अर्थ है कि वह व्यक्ति जो अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हो और इसीलिए इसके अन्तर्गत वह सभी लोग आ जायेंगे, जो इस व्यवसाय में कार्य कर रहे हैं यद्यपि उनके पास सूची में दी गई सभी शैक्षणिक अर्हतायें न भी हों। अतः इन्हें और अधिक ब्रहत् तथा वस्तृत बनाने के लिए, विधेयक की अनुसूचियों का संशोधन किया गया है।

अतः मैं यह कहना चाहता हूँ कि स्थपतियों के रजिस्ट्रीकरण का प्रश्न लगभग 25 वर्षो से केन्द्रीय सरकार के समक्ष है। इसी समय के अन्तर्गत हम ने कई बार विधेयक का मसौदा तैयार किया, राज्य सरकारों तथा अखिल भारतीय प्रशिक्षण परिषद् आदि संस्थाओं से परामर्श किया। हम एक इस प्रकार का विधेयक पेश करना चाहते थे जिसमें एक ओर स्थपतियों की वैध मांगों को पूरा किया जा सके और दूसरी ओर इंजीनियरों की जीवन में अपने व्यवसाय को जारी रखने की भी व्यवस्था हो। यही कारण है कि विचार-विमर्श करने के बाद 10 दिसम्बर 1968 को यह विधेयक पेश किया गया। प्रस्तुत विधेयक के सीमा क्षेत्र के सम्बन्ध में अभी भी बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये गये हैं। आज देश में स्कूलों, नगरपालिकाओं आदि विभिन्न भवनों का निर्माण कार्य भारी संख्या में हो रहा है। इन निर्माण कार्यों तथा उनके डिजाइनों में आज बहुत

से लोग लगे हुये हैं परन्तु उन सभी को व्यवसायिक स्थपति नहीं कहा जा सकता। परन्तु हमें इस बात पर भी ध्यान देना है कि इन लोगों के हितों पर प्रस्तुत विधेयक का कोई अनुचित प्रभाव न पड़े।

संयुक्त समिति ने इन सभी पहलुओं पर बहुत ध्यान-पूर्वक विचार किया है। मैं इसके लिए समिति को बधाई देना चाहता हूँ। हमने विधेयक के बारे में कई निर्णय सर्व सम्मति से किये हैं। हमने इस ओर विशेष ध्यान दिया है कि "स्थपति" पद की भी सुरक्षा दी जाये और जो व्यक्ति इस कार्य से कोई लाभ उठा रहे हैं परन्तु वह अपने आपको "स्थपति" नहीं कहते, उन्हें इस विधेयक से कोई हानि भी न हो। इसी उद्देश्य से संयुक्त समिति ने महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हुए स्थपति के नाम और कार्य की सुरक्षा पर विशेष बल दिया है। मुझे आशा है कि इस मूलभूत परिवर्तन के फलस्वरूप स्थपतियों की उचित मांग पूरी हो जायेगी तथा इंजीनियरों आदि के व्यवसाय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

प्रस्तुत विधेयक में संयुक्त समिति के सुझावों के साथ समझौता करने की भी काफी सम्भावना है। खंड 27(2) के केवल एक ही संशोधन के साथ संयुक्त समिति का प्रतिवेदन 7 मई 1969 को पास हो गया। राज्य सभा में पास होने के बाद जो विधेयक विचार के लिए सदन को भेजा गया है, वह सराहनीय है और मुझे आशा है कि सदन इसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लेगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि स्थपतियों के रजिस्ट्रीकरण तथा तत्सम्बन्धी प्रयोजनों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

श्री पीलु मोदी (गोधरा) : अध्यक्ष महोदय, आरम्भ में मैं सरकार को इस बात पर बधाई देना चाहता हूँ कि 25 वर्ष विचार करने के बाद, आखिर उसने यह विधेयक पेश कर ही दिया। चूंकि गत 25 वर्षों में विधेयक पर सक्रिय रूप से चर्चा होती रही है और इस समय में न जाने कितने मंत्रियों ने इस कार्य-भार को संभाला, परन्तु अब अन्ततः वर्तमान मंत्री महोदय ने इस विधेयक को संयुक्त समिति तथा राज्य सभा से पास करवा लिया है, और अब इसे केवल लोक सभा की अन्तिम स्वीकृति ही प्राप्त करनी है। मंत्री महोदय ने कहा कि विधेयक कई दृष्टियों से निवादास्पद नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना वक्तव्य कल जारी रखियेगा। अब हम आधे घंटे की चर्चा आरम्भ कर रहे हैं।

**गन्ने का मूल्य

PRICE OF SUGARCANE

Shri Raghuvir Singh Shartri (Baghpat) : Mr. Speaker, Sir, the price of sugarcane

---

**आधे घंटे की चर्चा।

**Half-an-hour discussion.

is very important for the farmers and the agricultural labourer. It was just on 12th November that while replying to my question, the hon. Agricultural minister told the House that in consulation with State Governments, the price of sugarcane is fixed at Rs. 7.37 Paisa per quintal. This price of sugarcane is very low and must of the sugarcane producing States have suggested a price of Rs. 9 to 10 per quintal. But it is unfortunate that the Government has fixed the same price as was fixed last year.

I would like to know from the hon. Minister as to why they call for the suggestions of the State Government, if no significance is to be attached to them ? Why a conference of State Agriculture and State Chief Ministers is not called to fix the price of sugarcane ? May I know what is the criteria for fixing the sugarcane price ? What criteria is adopted about the land while fixing the sugarcane price ? So far as my knowledge goes; the land revenue, which is only 4 to 5 rupees per acre, is kept in view while fixing the price of sugarcane. But the price of sugarcane should be fixed as is done in the case of the products of factories by keeping in view their assets, investment etc.

The prices of agricultural inputs are constantly increasing. In the last budget Government had imposed an excise duty of 10 percent on fertilizers. So inview of increased prices of this year, the sugarcane price for this year should also have been increased. Sir, while speaking about the prices, the Finance Minister, Shri Y. B. Chavan informed Rajya Sabha on 10th November that from October, 1969 to October, 1970 the prices of wholesale goods had gone up by 6.8 percent and the prtces of industrial goods by 7 8 percent. The prices of foodgrains have declined by .05 percent. That means the prices of the goods, which the farmer has to buy from the market, have gone up and the prices of the goods which he is to sell in the market have declined. It will hit the farmer badly. How he is going to tolerate it ? Therefore, it is my submission that while fixing such prices, the prices of other connected items must be borne in mind.

A larger part of sugarcane crop is sent to factories but a still larger part is used for making Gur and Khandsari. The position of Gur and Khandsari prices in all the more worst. Their prices are almost half this year.

The Tariff Commission has stated that when the price of sugarcane has been fixed at rupees 7 and paisa 37 only, the farmer must get a profit of atleast rupees 6 per quintal. But the farmer is getting only rupees 3 to 4 per quintal. What a gross injustial is being done to farmers ? Besides, even this payment is not made to farmers in time. So far as my knowledge goes, rupees 35 crores are still outstanding against the mill-owners. This has not been paid to the farmers. How can the farmer wait for 8 months or a year ? The Government has repeatedly stated that farmers will get interest on their arrears. I would like to know from the hon. Agricultural Minister whether any interest has been paid to the farmers or not ? No such interest has ever been paid. The factory owners get the interest waired after conspiring with the Board of Directors. The Government must follow a rigid policy in this respect.

In this connection, I would like to quote the example of a society of Gohana Sugar Factory, Muzzaffar Nagar. This society took a loan from the Bank on the basis of its assets and property after consulting the mill-owners. The Society then cleaned the arrears of farmers and made the mill-owner agree to pay its arrears with interest. The Government should also find out such a solution of the problem.

Sir, it has been stated by sugar industry owners that there are earning no profit. It is very much surprising. In this connection, I would like to give the figures of the last three or four years.

In 1962-63 the sugar industry earned a profit of 2.1 percent after imposing of their whole stocks ; in 1963-64 their profits increased to 7.8 percent and in 1965 66 to 9.6 percent.

The profit of mill-owners is thus increasing every year. During the period of four years, it has increased four times. The profit which was 2.1 per cent in 1962-63 increased to 9.6 percent in 1965-66. These statistics show that the mill-owners are not earning low profits.

The hon. Minister stated in his reply given on the 12th instant that they played a trick when they fixed the prices. He also stated that they would give the farmers a certain amount of money per point if the recovery of sugar exceeds 9.4 per cent because this percentage of 9.4 had been adjusted with the prices of sugarcane. But no amount exceeding the recovery has yet been given to the farmers.

The Government's policy is that they want to give benefit to the consumers only because the consumers live in cities. But why should they keep farmers who are 70 or 80 per cent of the total population in disadvantage ? According to the proposals of the Budget of 1969-70 they imposed excise duty and as a result of that duty they got an amount of Rs. 42 crores. At the time of Budget it was estimated that on amount of Rs. 27 crores will increase but it reached to an amount of Rs. 42 crores. If the Government want to give any benefit to the consumers, why should they increase duty on sugar ? The Government must keep in view the interests of the farmers on the basis of recommendations made by the State Governments.

The farmers always suffer. When the price of sugarcane is fixed, injustice is done to the farmers. The Government should appoint a committee of farmer M.Ps, in order to look to the welfare of the farmers. But the some stereotyped method being adopted in this matter.

There is resentment among the farmers on the prices of sugarcane fixed by the Government, the hon. Minister should get the price of sugarcane increased so that the farmers may be satisfied. The Government must adopt some measure to get the arrears paid to the farmers. They must reduce the excise duty.

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : सरकार किसानों, विशेषकर गन्ना उगाने वाले किसानों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है ।

श्री शिंदे द्वारा उत्तर दिलवाया जाता है और नीति कहीं अन्यत्र निर्धारित की जाती है ।

मिलों को गन्ना उत्पादकों को 35 करोड़ रुपये की बकाया राशि देनी है । यदि सरकार उनके प्रति जरा भी न्याय करना चाहती है तो उनकी बकाया राशि तुरन्त दिलवाये ।

सदैव की भांति 9.4 प्रतिशत वसूली के आधार पर मूल्य निर्धारित किया गया है जो कि 7.37 रुपये है । गत वर्ष गन्ने की काफी अच्छी फसल हुई थी परन्तु उसका सदुपयोग नहीं किया गया । इसमें मिल-मालिकों और सरकार दोनों का ही दोष था ।

उर्वरक, सिंचाई तथा विद्युत की कीमतें बढ़ गई है । किसानों की इन सबकी कीमतें देनी पड़ती है । गत वर्ष गन्ने का भाव 10 रुपये क्विंटल था तथा कहीं-कहीं तो यह 16 रुपये क्विंटल तक बेचा जाता है । परन्तु उन्होंने जान बूझ कर कीमतें नीचे रखी क्योंकि सरकार और चीनी उत्पादकों में सांठ-गांठ थी । मैं माननीय मंत्री श्री अन्ना साहेब शिंदे से निवेदन करूंगा कि वह यह देखें कि गन्ने का न्यूनतम भाव 10 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया जाये । कुछ राज्यों जैसे राजस्थान आदि को छोड़कर यदि राज्य सरकारों की सिफारिशों पर ध्यान दे तो उन सिफारिशों से ज्ञात होता है कि लगभग सभी राज्यों ने गन्ने का भाव 10 रुपये प्रति क्विंटल अथवा 10 रुपये के आस-पास रखने की सिफारिशें की हैं अतः मेरा सुझाव है कि गन्ने की न्यूनतम दर

10 रुपये प्रति क्विंटल रखी जाये । सरकार इस बात का भी ध्यान रखे कि गन्ना उत्पादकों को जोतने आदि कार्य पर काफी व्यय करना पड़ता है अतः उन्हें अधिकतम पैसा दिया जाना चाहिये ट्रैक्टरों का मूल्य 300 प्रतिशत तक बढ़ गया है परन्तु सरकार उन्हें गन्ना उत्पादकों को मुहैया नहीं कर सकती है । बहुत से ट्रैक्टर बेकार पड़े हुए हैं ।

सरकार को गन्ना उत्पादकों को ट्रैक्टर देने चाहिएं, चाहे वे सरकारी साधनों से प्राप्त किये हो अथवा राज्य व्यापार निगम उनका आयात करता हो। यदि सरकार तथा राज्य व्यापार निगम ट्रैक्टरों का आयात करने में सक्षम नहीं है तो उन्हें यह कार्य किसानों पर छोड़ देना चाहिए । ताकि वे स्वयं उर्वरकों तथा ट्रैक्टरों का आयात कर सके ।

बिजली की दर भी समान रूप से उतनी ही अधिक है । भारत में एक भी ऐसी चीनी की फैक्टरी नहीं है जहां सरकार ने वसूली के लिए अपने उपकरण लगा रखे हो । उत्तर प्रदेश में लगभग 100 चीनी के कारखाने हैं परन्तु ऐसी सुविधायें एक कारखाने में भी विद्यमान नहीं है । मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि चाहे वसूली कितनी ही क्यों न हो, वह वहां पर उपकरण लगायेंगे ।

वसूली मूल्य के लिए भी किसानों को घाटे में रहना पड़ता है । सरकार की अकार्य-कुशलता के कारण भी गन्ना उत्पादकों को उर्वरक, बिजली तथा पानी की लागत के सम्बन्ध में भी घाटे में रहना पड़ता है ।

अतः मेरा सुझाव है कि गन्ना उत्पादकों के प्रतिनिधियों और कुछ विशेषज्ञों को सम्मिलित करके गन्ने की कीमतों की जांच के लिए एक आयोग गठित किया जाये जो अपनी जांच की रिपोर्ट 15 दिन के भीतर दें, क्योंकि यह गन्ने का मौसम है । 7.37 रुपये प्रति क्विंटल की जो दर निर्धारित की गई है इसे वापस लिया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करके सरकार गन्ना उत्पादकों के जीवन के साथ खिलबाड़ कर रही है । एक समिति नियुक्त की जाकर इस नकद फसल के बारे में जांच की जाये । राज्य सरकारों के बहुमत से जो मूल्य तय किया जाये वह मूल्य रखा जाये । तदर्थ आधार पर मूल्य निर्धारण का कोई लाभ नहीं है ।

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : हम हमेशा सरकार की आलोचना करते रहते हैं । सरकार को आलोचना का उत्तर देना चाहिये ।

श्री जगजीवन राम ने गन्ने की कीमत 10 रुपये प्रति क्विंटल रखने का आश्वासन दिया था परन्तु मालूम नहीं कैसे इसे कम करके 7.37 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है ।

श्री शास्त्री जी का यह कहना ठीक नहीं है कि उपभोक्ता के हित के लिए सारी बात होती है । श्रमिकों को वास्तविक मजूरी और गन्ना उत्पादकों को उचित कीमत दी जानी चाहिये । जिन लोगों ने यह उद्योग प्रारम्भ किया था, उन्होंने अधिक लाभ कमाने से इस उद्योग को छोड़ कर अन्य उद्योग स्थापित कर लिये हैं । सरकार को राज्यों और कृषि मूल्य आयोग के प्रतिवेदनों पर निर्भर रहने की अपेक्षा समस्त मामले की गहराई से जांच करनी चाहिए ।

सरकार को अच्छे किस्म की चीनी पर अधिक उत्पादन शुल्क लगाकर उससे होने वाले लाभ को गन्ना उत्पादकों को दे देना चाहिए ।

इस समस्या का एक मात्र हल भारत की समस्त चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करना है। चीनी मजूरी बोर्ड को अपनी सिफारिशें देने में चार-पांच वर्ष लगे और ये मिल मालिक उन सिफारिशों से सहमत नहीं है और अब इस मामले को राज्य स्तर पर निर्णय के लिए छोड़ दिया गया है। सरकार यह देखे कि मजूरी बोर्ड जो कुछ कहता है उसे नियोक्ता क्रियान्वित करते हैं अथवा नहीं।

सरकार निर्यात के लिए बहुत प्रयास कर रही है। निर्यात की सही स्थिति क्या है ? जो राज सहायता निर्यात के लिए दी जाती है क्या उसका कुछ भाग फैक्टरी मालिकों को भी दिया जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : आधे घंटे की चर्चा समाप्त हो गई है।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Fire-wood is sold at Rs 5.50 a maund while sugarcane which is grown with much labour is sold at about Rs. 3.00 a maund.

A former Minister late Shri Rafi Ahmed Kidwai adopted a practical principle of determining the price of sugarcane. Why does this Government not take that formula as an ideal ?

Some days ago Shri Jagjiwan Ram assured to determine the price of sugarcane at about Rs. 10 per quintal at our suggestion. And to pay the amount to cane growers at the time of delivery of cane. After that when sugar is sold in market, the proportion of the price which is received should be given to respective cane growers. Then Shri Jagjiwan Ram assured to consider the suggestion. Have the Government considered that or not ? If so, what decision has been taken by them in this regard ?

The cane-growers are doubly fleeced. Firstly, they do not get the real prices for sugarcane and secondly their sugarcane is not weighed correctly. What steps are being taken by the Government to rectify this practice

The Governments of Bihar and U.P. do realise the cess on sugarcane but they do not spend any amount to develop sugarcane cultivation. What steps the Government are going to take in that regard ?

Has the Ministry made any arrangements for seeking the suggestions of the representations of the growers in the matter of determining the price of sugarcane ?

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : The sugar factory owners earn profit not only on sugar but on bagasse too, which is burnt in boiler place of coal. Nothing has been done to check this profit. When something is said to the owners to increase the cost of sugarcane, they reply that they can do so only when they are exempted from the excise duty. The cost of sugarcane should be fixed at Rs. 10 per quintal.

The factory owners show less weight of sugarcane than its actual weight. Supervisor declares the quality of sugarcane as low and takes money from the farmers. The farmers have to meet all these charges.

When they are aware of all the difficulties of the farmers, why should the Government not nationalize the sugar factories in Bihar and U.P. so that there may have a control on profits, labourers may get reasonable wages and sugarcane growers may get reasonable prices ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब शिंदे) : गन्ने की कीमतों के बारे में माननीय सदस्यों की जो धारणा है, मैं उसे दूर करना

चाहूंगा। सरकार गन्ना उत्पादकों के हित पर अधिक ध्यान देती है क्योंकि आखिरकार चीनी केवल कारखानों में ही तैयार नहीं की जाती है। किसानों को गन्ना फार्म में पैदा करना होता है, इसलिए सरकार चाहती है कि गन्ना-उत्पादकों को उचित मूल्य मिले। कुछ माननीय सदस्यों ने गन्ने की कीमत के सम्बन्ध में श्री जगजीवन राम द्वारा दिये गये आश्वासनों का जिक्र किया। गन्ने की कीमत प्रतिवर्ष बदलती रहती है।

वर्ष 1967-68 और 1968-69 का समय बहुत ही कठिनाई का समय था, क्योंकि गन्ने का उत्पादन गिर गया था और गन्ना अधिक उपज करने का प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने आंशिक रूप से नियंत्रण हटाने की नीति अपनायी और इसका उद्देश्य यह था कि गन्ना उत्पादकों को लाभ मिले। इस नीति के परिणामस्वरूप इस विशेष वर्ष में लाखों किसानों को लाभ मिला। इसके पश्चात गन्ने की खेती का क्षेत्रफल 50 लाख एकड़ से बढ़कर 67 लाख एकड़ हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि केन्द्र द्वारा चीनी कारखानों को दिये गये प्रोत्साहन के बावजूद ये सभी कारखाने गन्ने की पिराई नहीं कर सके। हजारों एकड़ भूमि पर उपजाया गया गन्ना काटा ही नहीं गया।

इस देश में 60 से 65 प्रतिशत तक गन्ना खांडसारी तथा गुड़ बनाने के काम आता है। गन्ने की अधिक उपज के कारण बहुत सा गन्ना नष्ट हो गया। अभी गन्ने की प्रति एकड़ उपज वैसे ही अधिक है और अधिक गन्ना उपजाना किसी सूरत में भी हितकर नहीं होगा।

यह कहना गलत है कि सरकार मूल्य निर्धारण के मामले में स्वेच्छा से विचार करती है और वह राज्य सरकारों के साथ परामर्श नहीं करती है। सरकार ने राज्य सरकारों के साथ न केवल पत्र व्यवहार द्वारा परामर्श किया है, अपितु उसने मुख्य मंत्रियों के प्रत्येक सम्मेलन में मुख्य मंत्रियों और खाद्य मंत्रियों के साथ परामर्श किया है।

तब फिर सरकार ने कृषि मूल्य आयोग से परामर्श किया जिसने गन्ने की न्यूनतम कीमत में यथा स्थिति बनाये रखने की सिफारिश की। गत दो वर्षों में सरकार ने यथास्थिति कायम रखी है और इस वर्ष थोड़े हेर-फेर के साथ उसी मूल्य की घोषणा की गई है कि उन क्षेत्रों में, जहां विशेषज्ञ समिति के जिसने इस प्रकार विचार किया था, प्रतिवेदन के परिणाम स्वरूप अधिक वसूली, प्रीमियम निर्धारित किया गया है।

श्री शास्त्री जी को ज्ञात होगा कि प्रत्येक चीनी फैक्टरी की वसूली के आधार पर गन्ने का मूल्य निर्धारित किया जाता है।

समस्त देश में मूल्य वसूली से जोड़ें गये हैं। इनकी सरकार द्वारा अधिसूचना दी जाती है।

ऐसा हो सकता है कि कुछ कारखानों के मालिक सही वसूली नहीं दिखाते हैं व्यक्तिगत मामलों में...(व्यवधान)

Shri Raghuvir Singh Shastri : Would he institute inquiry in this matter ?

श्री अन्नासाहेब शिंदे : मैं इस बात से इन्कार नहीं कर रहा हूँ कि कुछ बेईमान व्यक्ति हो सकते हैं।

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : जहां तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है, अधिकांश व्यक्ति ऐसे हैं।

श्री अन्ना साहेब शिंदे : यह संदेहास्पद बात है परन्तु जहां तक मूल्यों का प्रश्न है, उनकी वसूली के आधार पर अधिसूचना दी जाती है।

माननीय सदस्यों द्वारा जो तीसरा प्रश्न उठाया गया था वह गन्ने के मूल्य की बकाया राशि के सम्बन्ध में था। इस वर्ष गन्ने के मूल्य की बकाया राशि बहुत अधिक हो गई। गत वर्ष 30 सितम्बर को गन्ने के मूल्य की बकाया राशि 1,15,00,00 रुपये थी, इस वर्ष 30 सितम्बर, को गन्ने के मूल्य की बकाया राशि बढ़कर 20,28,00,000 रुपये हो गया था। यह बहुत ही दुःखद स्थिति है तथा हमें खाद्य तथा कृषि मन्त्री होने के नाते इसकी अत्यधिक चिंता है।

गन्ना नियन्त्रण आदेश के सम्बन्ध में राज्य सरकार को यह हक है कि यदि गन्ने के कारखानों को दिये जाने से 14 दिन की निश्चित अवधि के भीतर यदि पैसा किसानों को नहीं दिया जाता है तो राज्य सरकार गन्ने के मूल्य की बकाया राशि को भूमिराजस्व के रूप में वसूल कर सकती है।

श्री स० कुण्डू : क्या सरकार ब्याज भी वसूल करती है ?

श्री अन्नासाहेब शिंदे : इस बारे में हमने राज्य सरकारों को 9 प्रतिशत ब्याज जोड़ने की सलाह दी थी परन्तु विधि मंत्रालय से पूछने पर ज्ञात हुआ कि इसे संविधि में शामिल नहीं किया जा सकता है।

भारत सरकार ने चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण की विशेष समस्या पर विचार करने के लिए चीनी जांच आयोग की नियुक्ति की है।

मजूरी बोर्ड ने हाल ही में चीनी उद्योग के कर्मचारियों के सम्बन्ध में सिफारिशें की हैं और सरकार ने उन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। सरकार ने राज्य सरकारों और इस उद्योग को सुझाव दिया है कि मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को लागू किया जाये।

Shri Prakash Vir Shastri : What about the Jagjiwan Ram's assurance ?

श्री अन्नासाहेब शिंदे : जब आंशिक रूप से नियत्रण हटाया हुआ था तो स्वतः ही किसानों को न्यूनतम मूल्य से अधिक पैसा मिला।

उस समय सरकार ने कारखाना मालिकों से गन्ना उत्पादकों को अतिरिक्त आय का भाग देने का सुझाव दिया था। जो उन्हें चीनी के खुले बाजार में बेचने से होना था कुछ सहकारी संस्थाओं तथा कुछ कारखानों ने उन्हें पैसा दिया। सरकार का सांविधिक नियन्त्रण तो है नहीं जिससे वह किसानों को पैसा दिलवा सके। इस वर्ष चीनी की कीमतें इस तरह बन्द रही है...

Shri Prakash Vir Shastri : Shri Jagjiwan Ram assured to appoint a Committee.

श्री अन्नासाहेब शिंदे : चीनी जांच आयोग का क्षेत्र काफी बड़ा है। वह इस मामले की जाँच कर सकता है।

स्व० श्री रफी अहमद किदवई के सिद्धांत के बारे में उल्लेख किया गया है। उस समय का गन्ने का मूल्य ढ़ांचा और कराधान-ढ़ांचा इस समय के ढ़ांचे से बिलकुल भिन्न था। टैरिफ कमीशन द्वारा प्रतिपादित सूत्र के आधार पर नियन्त्रित चीनी के मूल्य निर्धारित किये गये हैं।

इस सम्बन्ध में सरकार की नीति के बारे में कोई भ्रांति नहीं रहनी चाहिए। हमने गन्ना उत्पादकों के साथ न्याय करने की पूरी कोशिश की है।

अध्यक्ष महोदय : मैं सदन को सूचना देता हूं कि वह भविष्य में यह ध्यान में रखे कि जब मैं कल तक सभा स्थगित करने की बात कहूँ तो उसका अर्थ है—कल सबेरे ग्यारह बजे तक यह सब नियमों में लिखा हुआ है।

अतः हम कल तक अर्थात कल 11 बजे तक स्थगित होते हैं।

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 26 नवम्बर, 1970/5 अग्रहायण, 1892 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Thursday, the 26th November, 1970/Agrahayana 5, 1892 (Saka)

Printed at Akashdeep Printers, 20 Darya Ganj, Delhi-6.